राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 | चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, का 37वां दिवस | संख्या 18

बृहस्पतिवार,
दिनांक 8 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत्, अकाल सहायता, सिंचाई, राजस्व, सामान्य-प्रशासन, गृह, चिकित्सा, पुनर्वास, खनिज, उद्योग, उपनिवेशन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामानन्द अग्रवाल!

ग्राम नान्दन हेडी, तहसील अलवर में बिजली सप्लाई

316. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नान्दन हेडी, तहसील अलवर को कृषि-उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से बिजली देने के लिए जिलाधीश, अलवर, पंचायत समिति उमरेण विकास आयुक्त आदि ने सिफारिशें की क्योंकि इस गांव के किसान उन्नत बीज का उत्पादन करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम शाहपुर ग्राम से केवल एक मील दूर है और ग्राम शाहपुर तक बिजली पहुंच चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश एवं अन्य अधिकारियों की सिफारिशों के बावजूद नान्दन हेडी ग्राम को बिजली नहीं दी गई जब कि उससे कितनी ही ज्यादा दूर स्थित कई गांवों को बिजली दे दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि नान्दन हेडी को बिजली देने की दृष्टि से एक बार खंभे भी वहां डलवा दिये गये थे, लेकिन इन ग्राम चुनावों से एक सप्ताह पूर्व वे खंभे वहां से उठवा लिये गये और दूसरी जगह भेज दिये गये ?

(5) क्या सरकार का इरादा नान्दन हेडी ग्राम को बिजली देने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) नान्दन हेडी को बिजली देना सम्भव अवश्य नहीं हो सका किन्तु यह सत्य नहीं है कि इस लाइन पर इसके आगे के किसी ग्राम का विद्युतिकरण हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरा ऊंची आवाज में बोलिये ।

श्री हरिदेव जोशी : (4) जी नहीं ।

(5) अभी निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए आप स्वीकार कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने इस प्रकार की कोई सिफारिश की ?

श्री हरिदेव जोशी : साफ सुनाई नहीं दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कलेक्टर अलवर ने यह सिफारिश की है कि इस ग्राम नान्दन हेडी, जहां पर शीप फार्म वगैरह हैं, को पॉवर देनी चाहिए ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि ग्राम नान्दन हेडी से शाहपुर केवल एक मील है । जब आपने यह स्वीकार किया है कि आप दूर दूर बिजली दे रहे हैं तो इसको देने में इन्कार क्यों है ? यहां से खम्भे क्यों उठवाये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : हमें ऐतराज नहीं है । दूसरे गांवों के कार्य पिछले वर्ष ही पूरे हुए हैं । जब इस वर्ष का प्रोग्राम आयेगा तब इस ग्राम को भी विचार में रखा जाएगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र के अन्दर भाखरा, धुलपुरी वगैरह गांवों के लिए, जो कि शुरू में प्रोग्राम में नहीं थे, बाद में स्वीकृति दी गई थी जबकि वह लाइन से काफी दूर थे । इसके लिए रिकमन्डेशन कलेक्टर, पंचायत समिति, जिला परिषद्–सबकी होते हुए, और एग्रीकलचर प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेन्ट होते हुए भी इसको नहीं किया गया और यहां के खंभे उठाकर दूसरी जगह दे दिये गये- इसकी क्या जरूरत थी.? Why this discrimination was done last year ?

श्री हरिदेव जोशी : डिस्क्रिमिनेशन कोई किया गया हो– ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है । जो गांव लाइन के किनारे पर थे उनको प्राथमिकता दी गई है । जो लाइन से थोड़ी दूर हैं और जहां नई लाइन खींचने की है उनको इस वर्ष प्रोग्राम को लेते वक्त ध्यान में रखेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बेशक जांच करलें, जिन गांवों को दी गई है बिजली वह लाइन से इस गांव से ज्यादा दूर हैं, वह एक्चुअल रोड से ज्यादा दूर हैं, लाइन से भी ज्यादा दूर हैं । धुलपुरी लाइन से कम से कम तीन मील है और यह गांव केवल एक मील है फिर भी इसको बिजली नहीं दी गई है । मैं निवेदन करूंगा कि आप पूरी इनक्वायरी कीजिए । इसके अन्दर गड़बड़ी है और गलत तरीके से विभाग की तरफ से कार्यवाही करके इस नान्दन हेडी को पीछे रख दिया गया है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा ।

प्रश्न संख्या 317

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसैन !

कालू-गारबदेसर सड़क का निर्माण

318. श्री भीमसेन (लूणकरनसर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कालू-गारबदेसर सड़क पर 15 मार्च से 30 मार्च, 1960 तक कितने मजदूर कार्य कर रहे थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क पर मिट्टी का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो क्या उपरोक्त मजदूरों के लिए कालू के पास कंकड़ खोदने एवं कालू-लूणकरनसर सड़क पर कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मजदूरों को तत्काल मजदूरी देने हेतु उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) दि० 15-3-67 को पाक्षिक अवकाश था व दि० 16-3-67 से 30-3-67 तक मजदूरों की औसत संख्या प्रतिदिन 346 थी।

(2) जी हां, यह सही है कि कालू-गारबदेसर रोड पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है। यह सही नहीं है कि कालू के पास कंकड़ खोदने एवं कालू-लूणकरनसर रोड के कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं है।

(3) उक्त मजदूरों को कालू-गारबदेसर सड़क पर कंकड़ बिछाने के कार्य पर लगाये जाने के आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस समय वहां दो महीने से काम बन्द है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कोई काम बन्द नहीं है और मजदूरों को काम पर लगा दिया गया है।

श्री भीमसेन : यह गलत है। दो महीने से काम बन्द है। आपने आदेश दे दिया है लेकिन पिछले दो महीने से काम बन्द है, कोई काम नहीं चल रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : आमतौर पर ऐसे आदेश दे दिये गये हैं कि जो मजदूर आयें उनको काम पर लगा दिया जाय। कलेक्टर को यह भी आदेश दिया है कि नये काम खोलने की आवश्यकता हो तो वह भी खोल दिये जायं।

श्री भीमसेन : खोलते कहां हैं ? ऐसे आदेश आपके होंगे मगर आज भी चार सौ, पांच सौ मजदूर बेकार बैठे हैं। उनको काम देने के लिए व्यवस्था करें।

अकाल सहायता मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : हो सकता है कि कुछ दिनों काम बन्द रहा हो, जैसी कि सदन में चर्चा हुई है, क्योंकि स्टडी टीम के आने के बाद कुछ काम में ढिलाई जरूर आई थी। उसके पश्चात् पांच करोड़ की सीलिंग मुकर्रर हो गई थी और दो तारीख से निश्चितरूप से आदेश दे दिये गये हैं कि जो काम पर आयें उनको काम पर लगाया जाय और यदि नये काम खोलने की आवश्यकता हो तो वह भी खोल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

लूनी इनन्डेशन योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण

319. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में लूणी इनन्डेशन योजना के तहत कुछ बांध बांधे गये हैं ? अगर हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या यह भी सही है कि गोमी बांध एवं नलदरा बांध की लम्बाई कम होने से पूरी रेल नहीं हुई है ? अगर हां, तो उन बांधों को लोगों की मांग के अनुसार लम्बाई में पूरे कब तक कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि केसूरी नामक बांध मंजूर हुआ था ? अगर हां, तो वह बांध वास्तव में कहां बांधा गया ? क्या यह सही है कि केसूरी की सरहद में कोई बांध नहीं बांधा गया ? अगर हां, तो बांध की साइट शिफ्ट क्यों की गई ? केसूरी ग्राम की जमीन रेलाने के लिए अब क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इटादाबमल-तांतड़ा-वाली की सरहद पर एक बांध बनाने की योजना विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(5) इस योजना के तहत नये बांध और कहां-कहां बंधाये जा रहे हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) जी हां। यह बांध चीतलबाना, रतनपुरा गोमी, केसूरी, सूजा की साल, सुराचन्द एवं सूथली स्थानों पर बनाये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, किन्तु यह बांध निश्चित स्थान से 3 मील नीचे की ओर बांधा गया।

जी हां, स्थानीय लोगों एवं उनके प्रतिनिधियों के सुझाव पर बांध का स्थान शिफ्ट किया गया। इससे केसूरी ग्राम की जमीन रिलीज हो सकेगी।

(4) जी हां, धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(5) अब तक के बने बांधों का प्रभाव एवं उनके फायदों का मूल्यांकन करने के बाद इस प्रकार के नये बांध बनाने पर विचार किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बताया गया है कि इटादाबमल तांतड़ा-वाली की सरहद पर बांध धनराशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा इसके लिए मैं यह कहूंगा कि इसके लिये तो मंजूरी हो चुकी है फिर इसमें देरी क्यों की जा रही है ? यह तो अकाल राहत कार्यों में मंजूरी हो चुकी है।

श्री मनफूलसिंह : यह विचाराधीन है। इसकी जांच करवा रहे हैं, जब जांच शुरू हो जावेगी उस समय काम शुरू कर दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें जांच का प्रश्न नहीं है, सर्वे की रिपोर्ट आनी बाकी है। क्योंकि यह फेमिन रिलीफ वर्क है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाए। लेबर काम की इन्तजार में बैठी है महीने भर से।

Page No. 5

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जब फेमिन रिलीफ कमेटी ने स्वीकृति दे दी है तब वहां पर लोकल लेवल पर काम कराया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काम वहां करेंगे और पैसे यहां से दिये जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन, कलेक्टर और जिला प्रमुख की सहमति से काम करा सकते हैं और पैसा वहीं से दिलाया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गांव गोमी बांध एवं नलदरा बांध की लम्बाई कम होने से पूरी रेल नहीं हुई हैं और इसमें राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है लोगों को फायदा नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार फायदा हुआ है। लेकिन कहने के अनुसार जितनी जमीन रेली जानी चाहिये नहीं की गई है। उसको जितना ज्यादा फायदा हो उसका प्रयास करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : थोड़ी सी लंबी करा दी जावे तो फायदा हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : हम उसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

छतर सागर बांध का पुनर्ग्रहण

320. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के भूतपूर्व जिलाधीश श्री सुखवाल ने जैतारण तहसील के भूतपूर्व निम्बाज जागीर का छतर सागर बांध सरकार के आधीन लेने की आज्ञा दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि वह बांध अभी तक सरकार के आधीन में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार इस बांध को शीघ्र सरकारी कब्जे में लेने के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) हां।

(2) हां, क्योंकि जागीर एक्ट की दफा 23 के अन्तर्गत जागीरदार की निजी संपत्ति में दर्ज है और केस राजस्व मंडल से रिमांड हो कर विचाराधीन है।

(3) यह निर्णय पर निर्भर करेगा।

श्री शंकरलाल : जब यह सरकारी संपत्ति है तो उसको अभी तक कब्जे में क्यों नहीं लिया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : कुछ जागीर रिजम्शन के मामले ऐसे हैं जिन के इरिगेशन टैंकों के बारे में झगड़े हैं। इस में यह उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। और यह राजस्व मंडल से रिमान्ड हो कर आया है इसलिये यह निर्णय पर निर्भर है।

श्री शंकरलाल : कलेक्टर ने इसके लिए घोषणा कर दी फिर भी इसको क्यों नहीं कब्जे में लिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी यह राजस्व मंडल से रिमान्ड हो कर आया है, और इस का निर्णय नहीं हुआ है इसलिये पहले कलेक्टर ने घोषणा की है तो वह गलत है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि उस बांध से जिन काश्तकारों के खेतों की सिंचाई होती थी वह बन्द हो गई है। इसलिए कानून में प्रावधान है कि वह बन्द न हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो विचाराधीन है, और यह फैसले पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाली जिले के राज्य कर्मचारियों की मांगों का निराकरण

321. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले में राजस्थान राज्य कर्मचारियों की कोई संस्था है या कोई शाखा है? यदि हां, तो उसका क्या नाम है और उसके अध्यक्ष व मन्त्री कौन हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ समय पहले यह संस्था अपनी मांगों को लेकर पाली जिलाधीश के पास गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या मांगें थीं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उनकी मांगों का निराकरण करने के लिए जिलाधीश पाली ने क्या-क्या कदम उठाये और नहीं उठाये तो क्यों नहीं और उनकी कौन-कौन सी मांगें आज तक पेंडिंग हैं और क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(1) पाली जिले में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की एक शाखा है जिसका नाम राज्य कर्मचारी संघ, शाखा पाली है। इस शाखा के अध्यक्ष श्री उम्मेदराज एवं मन्त्री श्री सोहनलाल हर्ष हैं।

(2) संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ द्वारा 26-5-66 को एक मांग पत्र जिलाधीश पाली के कार्यालय में पेश किया गया था। मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इन मांगों पर निर्णय जिलाधीश पाली नहीं वरन् राज्य सरकार ही ले सकती थी। संघ की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये गये हैं:—

(1) वेतन आयोग नियुक्त करने की घोषणा कर दी गई है। यह आयोग शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

(2) महंगाई भत्ते में 1-1-67 से वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ते की दरें भारत सरकार की वर्तमान महंगाई भत्ते की दरों के समकक्ष हो गई है।

(3) मकान किराया भत्ता इस समय केवल उन प्रधान नगरों में नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता है, जहां जन संख्या और अन्य कारणों से मकान किराये अधिक ऊंचे हैं। पाली जैसे कस्बे उस प्रकार के नगरों की गणना में नहीं आते। अतः पाली में स्थित राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) लिपिक वर्ग के लिये चयन वेतन शृंखलाएं समाप्त की जाकर मूल वेतन शृंखलाओं में 1-4-66 से संशोधन कर दिया गया है जिनके कारण इन वेतन शृंखलाओं की उच्च सीमा बढ़ गई है। इन वेतन शृंखलाओं का लघु श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को समानरूप से लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई प्रतिशत निर्धारित करने का अभी कोई इरादा नहीं है। इस समय उक्त संघ की कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

प्रश्न संख्या 322

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हादी !

उपमंत्री, अकाल सहायता कार्य (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसको आगे लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यस, इसे पोस्टपोन किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने जो अभी जवाब दिया है उस पर मेरा एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। आपने बताया कि 1-1-67 से केन्द्रीय सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, क्या इसे सिद्धान्त के रूप में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जब-जब जितना मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार बढ़ाएगी उसके अनुसार राज्य सरकार भी बढ़ाएगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री अब्दुल हादी का प्रश्न पोस्टपोन किया गया।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये पोस्टपोन किया गया है।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): मैं समझता हूं कि जो बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री कहते हैं कि मालूम नहीं है·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने इसको स्थगित किया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं कि अकाल का प्रश्न है और इसके बारे में जानकारी मंत्री महोदय को ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने स्थगित किया है। नेक्स्ट।

मंत्रियों को बिजली व पानी के व्यय से छूट

323*: श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मिनिस्टर्स (कन्सेशनल ग्रोन एकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एण्ड वाटर) रूल्स, 1965 की अधिसूचना 17 जून, 1966 के राज-पत्र में प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो इसको एक अप्रेल सन् 1966 से प्रभावी क्यों बनाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इन नियमों के अनुसार मंत्रियों को बिजली एवं पानी के उपयोग पर होने वाले समस्त व्यय से मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस व्यय की सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (1) राजस्थान मिनिस्टर्स (कन्सेशन ग्रोन एकाउन्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर) रूल्स, 1965 की अधिसूचना, दिनांक 17 जून, 1965 (न कि 17 जून, 1966) के राज-पत्र, भाग 4 (ग) पृष्ठ 240 (10) में प्रकाशित हुई है। इन नियमों को एक अप्रेल, 1965 (न कि एक अप्रेल, 1966) से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रभावी बनाया गया है। अतीत से प्रभावी बनाने का कारण यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 की धारा 5 (क) में यह संशोधन, दिनांक 1 अप्रेल, 1965 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत इन नियमों के बनाने का अधिकार राज्यपाल महोदय को प्राप्त हुआ।

(2) जी हां। प्रारम्भ में जो अधिसूचना 17 जून, 1965 को प्रकाशित की गई इसमें मंत्रियों के बंगलों पर बिजली एवं पानी के उपयोग पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा देय था, किन्तु इस स्थिति को अब 1 अप्रेल, 1965 से ही बदला जाकर व्यय की सीमा निर्धारित की जा चुकी है, जैसा कि अधिसूचना संख्या एफ. 8 (39) केब, 63, दिनांक 28 मार्च, 1967 से (प्रतिलिपि संलग्न है) स्पष्ट है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सीमा क्या निर्धारित की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मुख्य मंत्री के लिये बिजली के 3000 रु. प्रति वर्ष और पानी के 1800 रु. प्रतिवर्ष और दूसरे मिनिस्टरों के लिए 1800 रु. प्रतिवर्ष बिजली और 900 रु. प्रतिवर्ष पानी।

श्री मदनसिंह दांता : यह इतना अन्तर क्यों है ? अन्य मिनिस्टरों के इतने और चीफ मिनिस्टर के इतने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछले कई वर्षों के खर्चे के आधार पर है जो वाजिब तौर से हो सकते हैं उस आधार पर है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या इनको घटाया नहीं जा सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह अनावश्यक खर्चा नहीं है या इसमें कोई कटौती करने के बारे में सरकार सोच रही है ?

मोहनलाल सुखाड़िया : अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बिजली और पानी का खर्चा नहीं करना चाहता और इसका ध्यान रखा जाता है कि अगर कम खर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन यह अधिकतम सीमा है। प्रयत्न यह किये जाते हैं कि जितना कम खर्चा हो उतना अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि एक परिवार के लिये चाहे वह कितना ही उच्च पद पर क्यों न हो, 400 रु. बिजली पानी के लिये सीलिंग करना बहुत ज्यादा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : परिवार के बारे में खर्चा होता है और चीफ मिनिस्टर के लिये खर्चा होता है वह हमारे लिये खर्चा होना जरूरी नहीं है। यह ऐसा है कि आस पास में कम्पाउण्ड बने हैं और दूसरे भी कई कारणों से खर्च बन जाता है। इसलिये इतना खर्चा आवश्यक है जो एक व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : पॉवर मीटर का खर्चा भी इसमें शामिल है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारा खर्चा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला सवाई माधोपुर में कत्ल के मामले

324. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में सन् 1965 से मार्च, 1967 तक कितने मामले मर्डर के हुए हैं व कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों से कितने व्यक्तियों को कहां पर गिरफ्तार किया गया है?

(3) कितने व्यक्तियों पर जुर्माना व कितनों को सजा हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) सवाई माधोपुर जिले में सन् 1965 में 21 व सन् 1966 में 18 व 1967 में मार्च तक दो मर्डर के केसेज हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त मामलों में सन् 1965 में 61 अपराधी, 1966 में 73 अपराधी व 1967 में 2 अपराधियों को बन्दी बनाया गया, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सन् 1965 में 15 व्यक्तियों को व सन् 1966 में 1 व्यक्ति को सजा हुई। सन् 1967 के मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह घटनाएं होती हैं, इनके कारण क्या हैं? क्यों होती हैं इतनी हत्याएं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मार्च में महुए में मर्डर हुआ है वह भी इसमें शामिल है क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : मार्च तक के सभी मर्डर इसमें सम्मिलित हैं।

श्री श्रवणलाल : सूची में तो इसका जिक्र नहीं किया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि मार्च तक हुए सभी इसमें हैं, हो सकता है कि महुए में जो मर्डर हुआ वह इस समय में नहीं हुआ हो।

श्री श्रवणलाल : महुआ में तेल मिल मालिक की रात में सोते हुए की छुरे से हत्या कर दी गई और उसकी उसी समय पुलिस में रिपोर्ट कर देने के बाद भी आज तक भी जिन व्यक्तियों ने मर्डर किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। और इसके परिणामस्वरूप धमकी भरा पत्र उस तेल मिल के पार्टनर को दिया गया है कि अगर हमको 10 हजार रुपया नहीं दिया तो आप की भी वही हालत करेंगे जो इसकी हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही नहीं है, पुलिस बराबर तत्परता से जांच कर रही है। मार्च तक की मेरे पास सूचना है, मार्च में तो यह मर्डर नहीं हुआ। मैं और जांच करा लूंगा कि कहीं गलती नहीं हो गई है कि मार्च में मर्डर हुआ, हो और इसे इस सूची में नहीं बताया गया हो। मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है इस प्रकार धमकी देने वाले व्यक्तियों को पकड़े ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 325।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 326।

सुल्ताना कस्बे में बिजली के कनेक्शन

326. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सुल्ताना कस्बा, जिला झुंझुनूं में बिजली पहुंच चुकी है ?

(2) अगर हां, तो किस तारीख को ?

(3) सुल्ताना कस्बे में कितने लाइट के कनेक्शन्स प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र अब तक बिजली विभाग, चिड़ावा को मय फीस प्राप्त हो चुके हैं ?

(4) किस-किस तारीख को कितने-कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(5) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के बाद किस-किस तारीख को कितने-कितने एस्टीमेट बनाये गये ?

(6) एस्टीमेट बनाने के बाद कितने कितने लोगों से किस किस तारीख को सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करवाने के लिये पत्रों द्वारा मांग की गई ?

(7) इस कस्बे को किस किस तारीख को कितने-कितने कनेक्शन्स दिये गये ?

(8) इस कस्बे को कितने कनेक्शनों के लिये किस-किस तारीख को सिक्योरिटी प्राप्त हुई ?

(9) सिचाई के कुओं पर बिजली प्राप्त करने के लिये इस कस्बे से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र मय फीस के किस किस तारीख को प्राप्त हुए ?

(10) सिचाई के कुओं के किस-किस तारीख को कितने-कितने एस्टीमेट बनाये गये ?

(11) एस्टीमेट बनाने के बाद किस किस तारीख को कितने कितने लोगों से पत्र लिख कर सिक्योरिटी डिपोजिट की मांग की गई ?

(12) सिचाई के कुओं के लिये किस किस तारीख को कितने कितने कुओं के लिये सिक्योरिटी डिपोजिट जमा हुई ?

(13) किस-किस तारीख को कितने कुओं को कनेक्शन दिये गये ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां।

(2) 30-9-65।

(3) 94 नम्बर।

(4)

(क)	19-10-65	5
(ख)	21-10-65	14
(ग)	3-6-66	3
(घ)	31-8-66	16
(ङ)	5-5-66	12
(च)	8-9-66	1
(छ)	15-9-66	19
(ज)	27-9-66	22
(झ)	17-9-66	1

Page No. 11

(श्री हरिदेव जोशी)

(5) अभी तक अलग-अलग कोई एस्टीमेट नहीं बना लेकिन मई के महीने में इनको कनेक्शन देने के लिये एल०टी० लाइन को बढ़ाने के लिये मुआयना किया गया है।

(6) किसी को भी डिमांड नोटिस नहीं भेजा गया है।

(7) अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(8) अभी तक केवल श्री नारंगलाल की सिंचाई के कुए के लिये बिजली देने के लिये सिक्योरिटी जमा, दिनांक 4-11-1966 को हुई है।

(9) अभी तक कुल 7 अर्जियां आई हैं। जिनमें से 7-10-65 को 2, 23-10-65 को 1, दिनांक 5-9-66 को 1, दिनांक 15-9-66 को 1, व 27-9-66 को 2 अर्जियां प्राप्त हुई है।

(10) इनमें से केवल दो के एस्टीमेट बने हैं जो कि दिनांक 31-10-66 को प्राप्त हुए हैं।

(11) अभी तक केवल एक उपभोक्ता के अलावा किसी से सिक्योरिटी की मांग नहीं की गई है।

(12) किसी को भी अभी डिमाण्ड नोटिस नहीं भेजा है।

(13) अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

श्री मूलचन्द कटेवा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। कस्बा सुल्ताना में 65 में बिजली आई। 65 में 19 प्रार्थना-पत्र दिये गये, सितम्बर 66 में 51 प्रार्थना-पत्र दिए गए, इस प्रकार कुल 70 प्रार्थना-पत्र सन् 1965-66 में दिये गये पर किसी का भी एस्टीमेट नहीं बना। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और इस कस्बे के लोगों की जितनी दरख्वास्तें हैं उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलवायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि प्राइमाफेसी इस क्वेश्चन का उत्तर आज सवेरे ही मिला है और मालूम होता है कि किसी अधिकारी के लेवल पर इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है। मैंने चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पूछा है कि इस मामले में जांच करके बतायें कि किस अधिकारी की गलती है और यदि किसी अधिकारी की ग्रॉस नेग्लिजेंस पाई जाय तो उसको तत्काल सस्पेन्ड करके एक्शन लिया जाय।

श्री मूलचन्द कटेवा : आगे कनेक्शन दिलवाने के लिये आश्वासन नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : आश्वासन देने की स्थिति में मैं नहीं हूं क्योंकि इस गांव की ज्योग्राफिकल स्थिति से मैं वाकिफ नहीं हूं। आज ही इस क्वेश्चन का जवाब आया है और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसके लिये तो आभारी हूं। मैं इस गांव से अनभिज्ञ हूं पर यहां पर अन्याय हुआ है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इसकी गम्भीरतापूर्वक जांच करेंगे,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दर्याफ्त करेंगे, छानबीन करेंगे पर इन लोगों को एक लम्बे अर्से तक बिजली से महरूम रखा गया है, उनकी दरख्वास्तों के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसका कारण मेरे खयाल में राजनैतिक हो सकता है, जो कि मैं निश्चितरूप से नहीं कह सकता, पर कम से कम सरकार को चाहिये कि उन लोगों की मांग की पूर्ति के लिये कदम उठायेगी, इस प्रकार का आश्वासन आप दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस गांव की ज्योग्राफिकल पोजिशन मुझे मालूम नहीं है कि तत्काल क्या किया जा सकता है, पर मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी पूरे केसेज को डिस्पोज ऑफ करके काम किया जा सके ऐसी व्यवस्था की जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या उन लोगों को कहा जा रहा है कि तुम कांग्रेस के खिलाफ हो, इसलिए तुम्हें बिजली नहीं मिल सकती ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सही नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे मालूम हुआ है और सदन····

श्री हरिदेव जोशी : बगैर किसी के कहे हुए मैंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी के लेवल पर ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। फिर भी यह कहा जाय कि इसके पीछे पोलिटिकल मोटिव है तो यह मेरा दुर्भाग्य है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कहते हैं उसको कहने का आपको अधिकार है, जो मैं कहता हूं उसके बारे में मुझे अधिकार है मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि इसके पीछे पोलिटिकल मोटिव है।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक दूसरी चीज साबित नहीं हो यह कहना कि पोलिटिकल मोटिव है, उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हीयर से कहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : तीन महीने तक किसी के पैसे जमा नहीं हैं, इस प्रकार की बात आपको निश्चितरूप से मालूम है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आर्य !

श्री मदनसिंह दांता : अभी कहा जल्दी से जल्दी, आप स्पष्ट क्यों नहीं फरमाते तीन महीने के नोटिस का है, लोगों को पता ही नहीं लगेगा और इस तरह से उन लोगों को नुक्सान होगा····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री रामचन्द्र आर्य !

तहसील नोहर में बनबावरियों द्वारा लूट

327. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में बनबावरी नाजायज हथियारों से लैस होकर ग्रामीण जनता को लूट रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो पुलिस थाना नोहर व रावतसर द्वारा कितने मुलजिमों का चालान हुआ व कितने हथियार बरामद कर के मुलजिमों को सजा दिलाई गई है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या सरकार इन लुटेरों पर काबू पाने के लिये कोई सख्त कार्यवाही करेगी ?

(4) यदि हां तो कब तक व्यवस्था होगी ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) कुछ बनबावरी जो खानाबदोश हैं उनके पास बिला लाइसेंस हथियार होने की सूचना थी, किन्तु ग्राम लूट की कोई सूचना नहीं है। दिनांक 25-10-66 को ग्राम जोखासर में इनके द्वारा एक सरकाबिल-जब्र की वारदात की गई थी।

(2) थाना नोहर द्वारा 7 मुलजिमान का चालान ह.द. 512 सी. आर. पी. सी. किया जा चुका है। दोनों थानों द्वारा मुलजिमान की गिरफ्तारी व हथियार बरामदगी के प्रयत्न जारी हैं किन्तु मुलजिमान लापता हैं।

(3) पुलिस द्वारा धारा 87 सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही इनके खिलाफ की जा रही है गश्त जारी है व दविशें भी दी जा रही हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस इलाके में सैकड़ों की तादाद में नाजायज हथियारों से लैस बनबावरिये लोगो की फसलों को, भेड़ों, बकरियों को ले जाते हैं, और पुलिस में रिपोर्ट देने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है। उनको कहा जाता है कि जीप लेकर आओ फिर चलेंगे। उसके लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि सिर्फ एक मुकदमा दाखिल हुआ है। बाकी जो बातें कही गईं कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं ली जा रही है, यह सही नहीं है। आप मेरी जानकारी में लाएं। अगर स्पेसिफिक फैक्ट्स किसी केस में हैं तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मामला नहीं है अनेक ऐसे हैं, आप जांच करवाइए।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरे नोटिस में लायें।

श्री अध्यक्ष : आप अनेक ही लाइये।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या जिनके पास अनलाइसेन्स्ड हथियार हैं उनकी छानबीन करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए सरकार चेष्टा कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी गिरफ्तारी के लिए बराबर कोशिश हो रही है, निगरानी रखी जा रही है और जो कुछ बरामदगी और गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही होनी चाहिए, वह की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार के कितने आदमी हैं जिनके पास नाजायज हथियार हैं और जो लोगों को तबाह कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि बनबावरियों के पास कुछ बगैर लाइसेन्स हथियार हैं। पता लगा रहे हैं कि कितने हथियार हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने समय के अन्दर सरकार की ओर से…

श्री दामोदरलाल व्यास : एक ही वारदात पुलिस में रजिस्टर हुई है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय सदस्य ने कहा है कि अनेक वारदातें हो रही हैं। लेकिन मंत्री महोदय तो पता लगायें कि उनके विभाग की ओर से क्या व्यवस्था है ? पुलिस के अधिकारी जागरूक है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया न कि आप नोटिस में लाएं। I will take action against the Police Officers who were guilty.

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह !

धौलपुर क्षय-निवारक केन्द्र में एक्सरे आदि की व्यवस्था

328. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि धौलपुर के क्षय निवारक केन्द्र के लिए स्वतंत्र रूप से एक्सरे मशीन, प्रयोगशाला तथा मरीजों के रहने के लिए भवन इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों, तथा इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक हो जाने की संभावना है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : क्षय निवारक केन्द्र, धौलपुर, दिनांक 4 मार्च, 1966 से सदर अस्पताल धौलपुर के एक कमरे में चल रहा है। सदर अस्पताल के एक्सरे मशीन व प्रयोगशाला से ही क्षय रोगियों की जांच होती है। 8 (आठ) क्षय रोगियों को शैयाओं की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या नए भवन निर्माण आदि की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। इसलिए नहीं कि धौलपुर टी.बी. क्लिनिक नहीं है बल्कि उपकेन्द्र बना रखा है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार टी.बी. क्लिनिक जिला हैड क्वार्टर्स पर ही हो सकती है। इसलिए धौलपुर की आबादी को और वहां की आवश्यकता को देखते हुए खासतौर पर एक सब-सेन्टर बना दिया गया है जिसमें डाक्टर और स्टाफ दिया गया है। उसमें सारी सुविधाएं अस्पताल की उपलब्ध होंगी। अलग बैड्स, अलग ट्रीटमेंट बाकी मकानों की सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलती हैं, वह जिला हैड क्वार्टर्स पर ही होंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या टी.बी. के मरीजों को दूसरे मरीजों के साथ रखना मुनासिब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिए अलग कमरा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटा-सा कमरा है। आप वहां की जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त !

ग्राम बड़वा, तहसील मांगरोल में चन्दन के वृक्षों को कटाई।

329. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मांगरोल तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़वा में कितने सरकारी चन्दन के पेड़ थे

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

श्रौर वे चन्दन के पेड़ कब काटे गए श्रौर किसने किस कारण से काटे श्रौर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस चन्दन के पेड़ काटने के कांड में किसी राज्याधिकारी का हाथ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कांड की जांच को दबाया जा रहा है ? यदि नहीं तो अब तक उस मामले में क्या कार्यवाही किस किस के विरुद्ध हुई ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) खसरा गिरदावरी संवत् 2010 में 26 पेड़ चन्दन के थे। संवत् 2011 में 23 पेड़ चन्दन के रह गए। 3 पेड़ के बाबत कार्यवाही तहसीलदार मांगरोल द्वारा की गई। सं० 2014 में फिर 2 पेड़ आंधी से गिर गए जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई। सं० 2017 में 2 पेड़ सूख जाने पर कटवा कर नीलाम की कार्यवाही तहसील द्वारा की गई। पुनः सं० 2017 में 2 पेड़ सूख जाने से तहसील द्वारा कार्यवाही हुई। 7 पेड़ इन्चार्ज तहसीलदार, तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेंट के हुक्म दिनांक 19-5-65 द्वारा दर्ज रजिस्टर मालखाना जमा की है। बाकी पेड़ों को बिना किसी आदेश के कटवाए जाने में श्री अल्ली मोहम्मद व नूरमोहम्मद पटवारी की साजिश होना जांच अधिकारी की रिपोर्ट से प्रतीत होता है। इस मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(2) इसकी प्रारम्भिक जांच नगर दण्ड नायक द्वारा करवाई गई है जिसमें प्राइमा फैसी पटवारी श्री अली मोहम्मद नूर मोहम्मद की साजिश पाई गई है।

(3) जी नहीं। इस बारे में नगर दंड नायक, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनकी प्रारम्भिक जांच समाप्त हो चुकी है। आगे कार्यवाही जारी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या पुलिस द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी और क्या पुलिस ने जांच करते समय पटवारी अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद क्या डी. वाई. एस. पी., बारां को एस.डी.ओ. ने रिमांड नहीं दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी जांच सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा करवाई गई और इन्क्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। यह मामला पहले कलेक्टर के यहां रिपोर्ट हुआ तो कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुकर्रर करके डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करवाई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है कि क्या पुलिस द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी और पुलिस ने पटवारी अल्लीमोहम्मद को गिरफ्तार किया था और क्या डीवाई. एस. पी. को एस. डी. ओ. बारां ने रिमांड नहीं दिया और छोड़ दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि पटवारी की दिनचर्या और डायरी में यह पेड़ गायब होने के कागजात थे, वह गायब कर दिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास जो प्राइमाफेसी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आई है। उसको पढ़कर मैंने मालूम किया है कि एक घटना वहां पर हुई है जिनके कागजात में कुछ मशकूकियत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सरकारी संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक ही स्थान यह ऐसा है जहां चंदन के पेड़ थे। पुलिस ने हीरालाल भारतीय, कादर बक्ष, नाथूलाल, भंवरलाल गूजर, माधो, रामनाथ और दूसरे मजदूरों के बयान लिखे थे। उन बयानों के अंदर उन्होंने बताया था किस-किस अधिकारी ने और किस माध्यम से पेड़ कटवाये थे। उस जांच रिपोर्ट को ये दबाना चाहते हैं। इतना ही नहीं चंदन के पेड़ जो काटे गये थे उनका वजन 45 मन था और उसकी कीमत 9 हजार रुपए थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने 8 दिन पहले रिपोर्ट भेजी। सिटी मजिस्ट्रेट ने वहां के मजदूरों को बुलाकर कहा ......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट जो उस समय 8 दिन पहले वहां पर गए वहां के मजदूरों को बुलाकर कहा कि हीरालाल भारतीय मेरे पास नायब तहसीलदार के रूप में रहे हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं ..

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी सूचना मैं कैसे दे सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष: (मंत्री महोदय से) प्रश्न यह है कि क्या इन्वेस्टीगेशन चल रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अब इन्वेस्टीगेशन के लिए मैटर दिया जायगा। विभागीय जांच के बाद ही मैटर ....

श्री देवीदत्त गाड़िया: पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया ?

श्री मदनसिंह दांता: मंत्री महोदय छिपा रहे हैं ? ऐसे अधिकारियों को दंड देना चाहिए।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या पुलिस द्वारा बाकायदा आइ. पी. सी. के तहत केस रजिस्टर कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरे पास सूचना नहीं है। कलेक्टर के पास रिपोर्ट आते ही उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को केस इन्क्वायरी के लिए भेजा। सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइमा फैसी इन्क्वायरी करके दो पटवारियों की साजिश इसमें बताई है।

श्री अध्यक्ष: वह तो ठीक है लेकिन पुलिस ने कॉग्नीजेंस ली है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे सूचना नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल: जब पुलिस ने कॉग्नीजेंस ले लिया तो रुकवाना नहीं चाहिए और प्रोसेस चलना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल: तो स्थगित कर दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं स्वयं फाइल मंगाकर, उचित कार्यवाही कराऊंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): सरकार की नीति चंदन के पेड़ लगाने की है या नष्ट करने की ?

श्री अध्यक्ष: यह अलग सा प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या प्रश्न स्थगित करेंगे ?

Page No. 17

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: तो जो पहले पुलिस द्वारा जांच करवाई गई उस जांच का क्या हुआ और सरकार इस केस को क्या पुलिस को देने का विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : निश्चितरूप से जिन दो आदमियों के खिलाफ जो आरोप प्रमाणित हुए हैं, पुलिस में रिपोर्ट की जायगी और कार्यवाही की जायगी।

श्री मदनसिंह दांता: पहले जांच हो चुकी है। डी. वाइ. एस. पी. की वजह से सारा घोटाला हुआ है तो क्या यह विश्वास दिलायेंगे कि उस डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. ओ. को सजा दी जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको अदालत अपने आप सजा देगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या सरकार प्रारम्भिक जांच के लिये इसको पुलिस में देने का विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्राइमाफेसी के लिये पुलिस में दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह !

श्री मदनसिंह दांता: मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि सदन के सदस्य इस तरह से इसके लिये खामोश नहीं रह सकते हैं। स्पष्ट कहें कि जांच नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद पुलिस में दे दूंगा। प्राइमाफेसी देख कर पुलिस में दिया जायगा, डिफाल्टर्स को सजा दी जावेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: प्राइमाफेसी जांच हो चुकी है और जिनके खिलाफ दोषारोपण आया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये और भी दोषी पाये गये उनके लिये पुलिस में जरूर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह !

एस. एच. ओ. के तबादले के आधार

330. श्री दिग्विजयसिंह(उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार किसी भी एस. एच. ओ. या अन्य किसी अधिकारी का दो साल से पूर्व तबादला नहीं किया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक में एस. एच. ओ. के तबादले 6 महीने के अन्दर अन्दर ही कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? जिला टोंक में सन् 1965-66 व 66-67 में कितने एस. एच. ओज. को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया और बदलने के क्या कारण रहे ?

(3) टोंक जिले में ऐसे कितने एस. एच. ओज. हैं जिनका दो साल से भी अधिक होने पर भी अभी तबादला नहीं किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) जी हां। साधारणतया।

(2) जी नहीं, सिर्फ कुछ प्रशासनिक कारणों से 2 वर्ष से पूर्व भी तबादले किये गये हैं।

सन् 1965-66 में 11 व 1966-67 में 16 एस. एच. ओज. के प्रशासनिक कारणों से ऐसे तबादले किये गये।

(3) कोई भी नहीं।

Page No. 18

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कहा कि प्रशासनिक कारणों से तबादले किये जाते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब चाहते हैं तब तबादले कर देते हैं। या तो कोई खिलाफ रिपोर्ट हो या थानेदार के खिलाफ कोई चार्जेज हों तो करें। राजनैतिक कारणों में लपेट कर उसको प्रशासनिक कर देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक का मतलब प्रशासनिक है। प्रशासनिक का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल सब-इन्स्पेक्टर को नहीं पाया गया, उसके प्रति असंतोष हो यह एस. पी. अपने मुआयने में देखता है और हायर ऑथोरिटीज से परमीशन लेकर ही उसका तबादला करते हैं। राजनैतिक कारणों से तबादला नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा व्यापक मसला है और इसमें गवर्नमेन्ट के डिस्क्रीशन को क्वेश्चन करना हमारे लिये बहुत मुश्किल है। किन्तु विरोधी दल बड़ा डिसएडवान्टेज में है यह प्रक्रिया है किन्हीं कारणों से तबादले किये जाते है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेन्ट तबादले होते हैं इसमें राजनैतिक कारण निश्चित रूप से हम साबित नहीं कर सकते। सरकार की, मेरे खयाल से, एक संकीर्ण मनोवृत्ति है। कम से कम यह तो चाहिये सरकार को कि अमुक आदमी जाय तो साधारणतया तबादला न करें। एक आदमी आया थोड़े दिनों में तबादला कर दिया, दूसरा आदमी आया तबादला कर दिया, फिर तीसरा आदमी आया उसका फिर तबादला कर दिया और उसके विपरीत ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि कई साल से वहीं के वहीं जमे हुए हैं और उनका तबादला नहीं हुआ है। सरकार अपनी इच्छानुसार तो तबादला कर देती है और विरोधी दल की ओर से ठोस कारण बताये जाते हैं तो भी तबादला नहीं करती है। ऐसी व्यवस्था सरकार के लिये अनुदार है और यदि सरकार उदारतापूर्वक निष्पक्षता से व्यवस्था करेगी तो हम को कॉन्फिडेन्स आवेगा वरना यह कॉन्फिडेन्स यह मुंशीयाना वृत्ति के प्रति उठता जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विरोधी दल के नेता से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि उनका सोचना सही नहीं है। सब-इन्स्पेक्टर्स के जो ट्रान्सफर्स होते हैं ट्रेनिंग की वजह से, रिटायरमेन्ट या छुट्टी चले जाने के कारण होते हैं। ये ही प्रशासनिक कारण हैं। राजनैतिक कारण नहीं है। राजनैतिक कारण से किया जाता है, सरकार के पास आते हैं यह सोचना आपका सही नहीं है। एस. पी. तक ही कर दिये जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मेरा अनुभव है, अध्यक्ष महोदय। छोटी २ बातों पर कांग्रेस के नेता शिकायतें करते हैं। 24 घंटों में, 36 घंटों में 48 घंटों में वहां से उनका तबादला कर दिया जाता है। मैं इस सिद्धान्त के खिलाफ हूं कि सरकार पर जोर दिया जाता है कि फलां आदमी का तबादला करो। प्रिन्सिपली इसके बिलकुल खिलाफ हूं, क्योंकि यह सरकार के अधिकार का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रश्न है किन्तु विरोधियों की तरफ से कोई आक्षेप आया उसकी ओर सरकार बिलकुल आंख बन्द करके कुछ नहीं करे यह व्यवस्था जनतन्त्र के प्रतिकूल है और आपके लिये अशोभनीय है, और धीरे-धीरे विश्वास छोड़ रहे है। आपकी नीति न्याय संगत नहीं है और वह पक्षपात पूर्ण है।

श्री मदनसिंह दांता : जनतन्त्र को माना ही इन्होंने कब था ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस तबादले और प्रशासनिक कारणों को नियमबद्ध करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार यह मानती है कि बगैर डिफाईन किये उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या सरकार ऐसे नियम बनायेगी कि धीरे २ उनको पंजीबद्ध किया जा सके ताकि उन पावर्स का मिसयूज न हो सके। हैल्दी ट्रेडिशन होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक कारण तो वैल डिफाइन्ड हैं जिसके लिए अलग नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक कारण एक नहीं अनेक हैं। नियम बना दें हार्ड एन्ड फास्ट यह ना मुमकिन है। प्रशासन करने वाले समय पर डिटरमिन करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई रूल्स नहीं बन सकते हैं। मैं भी चाहूंगा कि रूल्स बनाने के लिये बाध्य न किया जाय आज यह सरकार है और कल दूसरी सरकार होगी उसके लिये यह उचित नहीं होगा। कोई न कोई कन्वेंशन हो, अन्डरस्टेन्डिग हो उसकी अनुपालना करें कमिटमेंट न करें फॉर्मली यह कह सकते हैं कि साधारणतया दो साल में तबादला नहीं करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : यही मैंने कहा कि साधारणतया तबादला नहीं करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गवर्नमेंट के कन्सीडरेशन के लिए यह पॉइन्ट प्रेस करूंगा और आप के आचरण के द्वारा हमें विश्वास प्राप्त कराइये यही मैं कह सकता हूं और क्या कह सकता हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तबादले प्रशासनिक कारणों से करते हैं और कोई बात ध्यान में लावेंगे कि राजनैतिक कारणों से तबादले हुए हैं तो हम उनको ठीक करेंगे।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री दांता !

श्री मदनसिंह दांता : इसके नियम है कि 3 साल से अधिक कोई कर्मचारी नहीं रह सकता। यह स्पेसिफिक ववेश्चन था, इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय यह फरमाते है कि अमुक कारणों से उसको रखा या अलग किया। नियम तो तीन साल के लिये है···

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मेरा जवाब सुना ही नहीं इसीलिये दुबारा पूछ रहे हैं। मैंने यह कहा कि साधारणतया ऐसा नहीं होता है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अजमेर में भी······

(व्यवधान) (आश्रय)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट

(व्यवधान होने पर)

मेरे पास अभी 22 सवाल और हैं।

श्री नंदलाल !

पंचायत समिति, अटरू क्षेत्र में किसानों को बिजली

331. श्री नन्दलाल (किशनगंज) (श्रीकेसरीसिंह हाड़ा हिन्डोली) द्वारा, पूछा गया): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अटरू, जिला कोटा की पंचायत समिति को राज्य सरकार की ओर से बिजली देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति से बिजली हेतु 25000 रुपया जमा कराने के लिए कहा गया गया था ? यदि हां, तो पंचायत समिति, अटरू द्वारा इसके लिये क्या किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि अटरू क्षेत्र का तमाम क्षेत्र कृषि क्षेत्र है ? यदि हां, तो फिर कृषि-उत्पादन हेतु किसानों को किन कारणों से अभी तक बिजली नहीं दी गई ?

(4) अटरू क्षेत्र में क्या सरकार ने बिजली ले जाने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कब तक बिजली पहुंच जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) (1) जी नहीं । ऐसे कोई आश्वासन की जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं । इसकी जानकारी नहीं है।

(3) अटरू पंचायत समिति का अभी तक कोई ग्राम किसी भी स्कीम में नहीं था अतः उसका विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

(4) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: अटरू के आसपास बारह बारह मील तक जब लाइन आ गई है तो वहां लाने में क्या दिक्कत पेश हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, विद्युतीकरण की स्कीम डिस्ट्रिक्ट को माध्यम मानकर तैयार की जाती है, पंचायत समिति को माध्यम मानकर नहीं, इसलिये जब एक लाइन आगे बढ़ती हुई, चलती है तो पंचायत समितियां पीछे की ओर हैं तो पीछे और बाद में आवेगी निश्चित रूप से, मगर यह चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेचुरेट किया जावे ।

जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी और प्रोग्राम होगा सारी पंचायतें और जिला सेचुरेट होगा ही ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : फिर नक्शे वगैरह बने क्यों ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं पूछ रहा हूं, फिर ये बनाये क्यों ?

श्री हरिदेव जोशी : एडवान्स स्कीम तैयार करने के लिये ।

गांवों में दवाखाना खोलने का आधार

332. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिन ग्रामों में दवाखाने नहीं है, वहां पर दवाखाने खोलने की योजना बनाई है ? अगर हां, तो इस योजना में अजमेर जिले के कितने ग्रामों को शामिल किया गया है ?

(2) क्या सरकार मिशनरी दवाखानों के द्वारा ग्रामीण जनता को धर्म परिवर्तन के आधार पर दवाइयां दी जाती हैं वहां पर सरकार दवाखाने खुलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किस अधार पर ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) राजस्थान के प्रत्येक ग्राम में दवाखाना खोलने की कोई योजना नहीं है। नये दवाखाना खोलने के लिये विभाग ने कुछ क्राइटेरिया नियत कर रखा है। जहां तक हो सकता है इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर नई संस्थाएं खोलने की जगहें चुनी जाती हैं यह क्राइटेरिया यह है:—

(1) ग्राम की जन संख्या कम से कम 300 हो। (2) व 5 से 10 मील की परिधि में चिकित्सा सुविधा न हो। (3) संस्था के लिये भवन निर्माण हेतु दान में धनराशि व कर्मचारियों के लिये आवास गृह उपलब्ध हों, उस स्थान को प्राथमिकता दी जाती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के 25 नये चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अभी तक 24 नये चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। अजमेर जिले में सन् 1966-67 में दो ग्रामों में चिकित्सालय खोलें हैं। दांतरा, तिहारी।

(2) सरकार की जानकारी में ऐसे दवाखाने नहीं है जहां पर धर्म परिवर्तन के आधार पर दवाइयां दी जाती है, हां कुछ मिशिनरी दवाखाने हैं परन्तु धर्म परिवर्तन के आधार पर दवाइयां मिलने वाली शिकायत नहीं आई है। नई डिस्पेन्सरी खोलने के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इस प्रकार के स्थानों को प्राथमिकता दी जावे, इसके लिये जो क्राइटेरिया निर्धारित किये गये हैं वे ऊपर बताये जा चुके हैं।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : चालू वित्तीय वर्ष में और कितनी डिस्पेन्सरियां खुलेंगी अजमेर जिले में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सुना नहीं।

श्री फतेहसिंह : चालू वित्तीय वर्ष में क्या अजमेर जिले में डिस्पेन्सरियां या दवाखाने खुलेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी इसका कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि केसरपुरा, लाडपुरा, नरपत खेडा, तख्तपुरा भवानीपुरा में मिशन की ओर से दवाखाने चल रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, चल रहे हों, डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री फतेहसिंह : कहां-कहां चल रहे हैं ?

Page No. 22

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने कहा कुछ मिशनरी की ओर से दवाखाने काम कर रहे हैं अब वे कहां पर कर रहे हैं इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर किस आधार पर आपने यह कहा है कि मिशनरी के लिये कि वे दवा देकर धर्म परिवर्तन नहीं करते। अब जब आपके पास यह प्रश्न आया तो उन दवाखानों की जांच पड़ताल करनी चाहिये थी। वरना तो आपका यह उत्तर अधूरी जानकारी के अधार पर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। मुकम्मिल जानकारी के आधार पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुकम्मिल जानकारी इसी को आप कह रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं कितने कहां-कहां उनके दवाखाने हैं ? फिर आपने कैसे जानकारी की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट भी साथ लाऊं यह आवश्यक नहीं था। जितने भी दवाखाने मिशनरियों के काम कर रहे हैं उनमें इस प्रकार की शिकायत कि दवा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, सरकार के नोटिस में नहीं आई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप जांच करेंगे नहीं, और यह मानेंगे भी नहीं कि वहां धर्म परिवर्तन होता है। तो बिना जांच के आधार पर आप गलत जानकारी सदन को दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सवाल ही बड़ी से बड़ी शिकायत है इसको शिकायत नहीं मान रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने की शर्त पर इलाज करते हों या दवा देते हों ऐसी कोई इन्स्टान्स हमारे नोटिस में नहीं आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न आने के बाद क्या आपने इन मिशनरी दवाखानों की जांच कराने की कोशिश की कि आया किसी दवाखाने के द्वारा ऐसी बात की जाती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने के बाद ही जवाब दिया है कि इस प्रकार की कोई शर्त रखकर वे दवा नहीं देते किसी को।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदयः—

(श्री विजयसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान के गृह मन्त्री इस तरह की बातें कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न करिये।

श्री विजयसिंह रावत : मैं कह रहा हूं कि जो गृहमन्त्री ने कहा है वह गलत है। उन्होंने मेरे प्रश्न को लेकर कोई जांच नहीं करवाई। नरपतखेड़ा, केसरपुरा, लाडपुरा, तखतपुरा, भवानीपुरा, में दवा ही नहीं देते, फ्री भोजन, फ्री मेडीसन भी ये मिशनरी देते हैं और उसका क्राईटेरिया जो हम कह रहे हैं उससे भी ज्यादा है। मगर ये इन सब बातों की जांच नहीं करवाकर के सदन को गुमराह करना चाहते हैं। ये मिशनरी लालच देकर, सहानुभूति दिखाकर और दवा दारू मुफ्त भोजन देकर धर्म परिवर्तन कराने में आगे

(श्री विजयसिंह रावत)

बढ़े हुए हैं। क्या मन्त्री महोदय इस सब की जांच कराने को तैयार हैं, या जांच कराई है, खुफिया जांच कराए तो उनको भी सब पता लग सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): धर्म परिवर्तन हुआ क्या आज तक ?

श्री श्रवणलाल: सैकड़ों हुए हैं। मैं बताता हूं। आप मेरे साथ चलें।

श्री विजयसिंह रावत: आप लोगों को नहीं दिखेगा, आप चलिये मेरे साथ। मैं बताऊंगा आपको क्या हो रहा है और क्या हुआ है ?

उनके दवाखाने खुले हुए हैं, लंगर भोजनालय खुले हुए हैं, जो उन अकाल पीड़ितों की, गरीबों की बेबसी का नाजायज लाभ उठाकर उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर आकृष्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर देते हैं। इसके प्रत्युत्तर में एक ही उपाय है अभी तो कि सरकार अपनी तरफ से वहां दवाखाने खोले तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में वहां दवाखाने खोलने का प्रावधान रखने का आश्वासन दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप दुबारा रिपीट करते हैं। सरकार के नोटिस में यह बात नहीं है कि किसी मिशनरी के दवाखाने में ऐसा कार्य किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की शर्त पर दवा दे रहे हों। अगर कोई रजामन्दी से करता भी है उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती।

श्री विजयसिंह रावत: सरकार ने आधार बताया कि दस मील के बीच में दवाखाना होना चाहिये क्या उस आधार पर भी वहां डिस्पेन्सरी बनाने को तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: साथ में यह भी है कि सरकार के पास पैसा भी होना चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत: इससे स्पष्ट होता है सरकार क्या चाहती है। मुख्य मंत्री ने कहा था वहां ढाबे खुले हुए नहीं है। मैं बताऊं अजमेर जिले में चलकर देखें तो आप लोगों को मालूम होगा कि मिशनरी लोग बाहर से आये हुए गेहूं, चावल, दाल और तेल आदि बांटकर उन अकाल पीड़ितों के लिये राहत कार्य खोलकर, उनको फुसला कर, उनकी मजदूरी से फायदा उठा कर उनसे धर्म परिवर्तन कराते हैं और यह धर्म की बात है कि इस सरकार को यह भी जानकारी नहीं है। मैं अब भी सरकार से यह आश्वासन चाहता हूँ कि वह कम से कम उनकी राहत के लिए एक सरकारी डिस्पेन्सरी उस इलाके में खोलें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर!!

श्री मदनसिंह दांता: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सवाल क्या था सरकार जवाब क्या दे रही है, मान लीजिये धर्म परिवर्तन के हेतु दवा नहीं दी जा रही है, पर मैं समझता हूँ कि अगर इसके लिये दी भी जाती हो तो आपके पास क्या कानून है कि धर्म परिवर्त वह नहीं कर सकते। आपके विधि विधान में ऐसा है क्या ?

Page No. 24

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सवाल सुन लीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार मिशनरी दवाखानों के द्वारा ग्रामीण जनता को धर्म परिवर्तन के आधार पर दवाइयां दी जाती हैं, वहां पर सरकारी दवाखाने खुलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, मैंने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। कोई अगर रजामन्दी से धर्म परिवर्तन करता है तो सरकार दखल नहीं दे सकती।

श्री विजयसिंह रावत: हमें कोई आपत्ति नहीं है. कोई अगर खुशी से धर्म परिवर्तन करता है जैसा मंत्री महोदय फरमाते हैं, शिकायत नहीं है। राजस्थान सरकार के पास इस बारे में एक डेपूटेशन गया था रावत राजपूत महासभा की तरफ से, पत्र लिखे गये थे। इस बारे में उसी के द्वारा राष्ट्रपति को भी लिखा गया था। उसकी फाइल पूरी की पूरी मेरे पास मौजूद है। आज्ञा फरमावें तो सदन की मेज पर उसे रख सकता हूँ। और ये कहते हैं कि सरकार के पास कोई शिकायत नहीं। इस तरह का जवाब देकर तो ये सदन को गुमराह करते हैं केवल।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न लिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और। क्या यह बात सही है कि सरकार की यह मान्यता तो अवश्य है कि क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन के कार्यक्रमों में दवाखानों को भी माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी सरकार को बिल्कुल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है, धर्म परिवर्तन का उनका कार्यक्रम है, उसमें दवाखानों की मार्फत भी इस काम को करने के लिये वे जगह जगह इस प्रकार के दवाखाने खोल रहे हैं, क्या यह सरकार की जानकारी में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो सीधी बात यह जानता हूँ कि मिशनरीज ने दवाखाने केवल चेरिटेबल परपजेज के लिये खोल रक्खे हैं, धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में वे हैं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज आर्य, 169, 384 !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कई प्रश्नों को लम्बा वक्त मिल जाता है और हमारे प्रश्न यों ही रह जाते हैं। उनको क्या समझा जावे ?

श्री अध्यक्ष : वे समाप्त समझे जावेंगे।

श्री खेतसिंह : जो समाप्त कर देते हैं उनका जवाब ?

श्री अध्यक्ष: जवाब मिल जावेंगे।

श्री खेतसिंह : आज दिन तक तो आये हैं नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह मैं देख लूंगा। आपको मिल जावेंगे। जवाब दे दिये जावेंगे। श्री हंसराज, 344 !

(12 मध्याह्न)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आप और समय बढ़ाने की कृपा नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर। प्रश्नोत्तर के लिए एक घन्टे का समय निर्धारित किया जाता है और अभी दो प्रश्न जो स्थगित हैं उनको लेंगे और उसमें 10 मिनट के करीब या 5–7 मिनट के करीब और लगेंगे। आगे का भी बिजनेस बहुत ज्यादा है। जब कट-मोशन्स आयेंगे तो माननीय सदस्य समय के लिए कहेंगे तब समय का महत्व मालूम होगा इसलिये मैं विवश हूँ इस प्रश्नोत्तर के समय बढ़ाने में।

श्री आर्य !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं मेरे प्रश्न हमेशा इस तरह से रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हंसराज आर्य!

स्थगित प्रश्न

भाखरा नहर क्षेत्र में भूमि का आवन्टन

169. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भाखरा नहर क्षेत्र में कुल कितनी सरकारी भूमि थी जो खाली पड़ी थी और उसमें से कितने एकड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया और कितने एकड़ इस समय नीलामी से बाकी बची हुई है ?

(2) जो भूमि भाखरा क्षेत्र में इस समय तक नीलामी से बची हुई है वह किस किस तहसील के किस किस चक में कितने एकड़ है ?

(3) क्या भाखरा क्षेत्र में बची हुई सरकारी भूमि का भविष्य में भूमिहीनों को ही एलॉट किया जायेगा ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) भाखरा क्षेत्र में कितने एकड़ सरकारी भूमि को आज तक भूमिहीनों को एलॉट किया गया है तथा किस-किस तहसील में कितने-कितने एकड़ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत लम्बा-चौड़ा है और जवाब अभी भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

स्थगित प्रश्न (1-6-67)

जयपुर, जोधपुर आदि में अस्पताल निर्माण पर व्यय

170. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार-पुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1950 से मार्च, 1967 तक खास जयपुर, जोधपुर उदयपुर व बीकानेर में स्थित अस्पतालों पर कितनी कितनी लागत के नये भवन बनाये गये हैं ?

(2) जोधपुर के अस्पतालों पर दूसरी जगह के अस्पतालों से कम खर्च किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) खास जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर स्थित अस्पतालों पर सन् 1950 से 1967 तक जितनी लागत के नये भवन बनाये गये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जयपुर में रु० 74,60,506.60 नये पैसे
जोधपुर में रु० 7,61,837
उदयपुर में रु० 24,56,140
बीकानेर में रु० 11,42,535.45 न.पैसे

(2) क्षेत्रीय आधार पर रकम एलॉट नहीं की जाती है आवश्यकता के आधार पर रकम एलॉट की जाती है।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जोधपुर के अस्पताल में कितने इन्डोर पेशेन्ट्स हैं क्या बीकानेर, अजमेर और उदयपुर से ज्यादा नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जानते हैं कि जोधपुर में मेडिकल कॉलेज खोला है और उसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा है। बीकानेर का मेडिकल कॉलेज उदयपुर और जयपुर के मेडिकल कॉलेज से पुराना है इसलिए उनके ऊपर पैसा खर्च हो गया। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के ऊपर अलग से खर्च हो रहा है वह भी हॉस्पिटल का एक्सटेन्शन है।

श्री खेतसिंह : आपने कहा कि आवश्यकतानुसार खर्च किया जाता है तो उस हिसाब से जब जोधपुर का मेडिकल कॉलेज नया है और उदयपुर का पुराना है तो उदयपुर में तो 24 लाख रुपये खर्च हुए और यहां जोधपुर में 7 लाख ही हुए यह भिन्नता क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 1950 से 1967 तक का हिसाब दिया है। मैंने यह नहीं कहा है कि जो खर्च हो रहा है वह ज्यादा हो रहा है। इसलिए जोधपुर के मेडीकल कॉलेज के ऊपर जब से खुला तब से खर्च हो रहा है। उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। मैंने जानबूझ कर नहीं दिया है क्योंकि वह कम्पलीट नहीं है। जब कम्पलीट हो जायेगा तो जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

जो अब शेष प्रश्न रहे हैं उनके उत्तर माननीय सदस्यों के पास भेज दिये जायें और जो शिकायत आई है वह बाद में नहीं आये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप समय निश्चित करदें कि कितने समय में इन शेष प्रश्नों के उत्तर पहुंच जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बसवा तहसील के गांवों में बिजली सप्लाई

317. (611 उ.मं.) **श्री बी० एन० जोशी** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिले की बसवा तहसील में अब तक ऐसे कितने गांव हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि बारबार मांग की जाने पर भी बिजली के तार व खम्भे पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाये जा रहे हैं ?

(ग) बसवा में कितने किसानों को अब तक पम्पिग सेट्स लगाने के लिये बिजली दी गयी है ?

(घ) अब और कितने प्रार्थना-पत्र हैं जिनमें बिजली दिये जाने की मांग की गई है ?

उत्तर

तीन गांवों के अतिरिक्त अन्य किसी गांव को बिजली नहीं पहुंचाई गई है।

तार या खम्भे केवल उन्हीं गांवों में पहुंचाये जाते हैं जिनका विद्युतिकरण किसी भी योजना के अन्तर्गत आ जाता हैं और जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है उनमें बिजली की लाइनों के विस्तार के लिये जितनी मात्रा में धन राशि उपलब्ध होती है सामान पहुंचा दिया जाता है।

बसवा गांव में पांच कुओं को बिजली दे दी गई है।

बसवा ग्राम में कृषि हेतु बिजली के लिये कोई प्रार्थना-पत्र बाकी नहीं है।

राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में कोलायत निर्वाचन क्षेत्र का भाग

325. (157/रा.मं.) श्रीमती कान्ता कथूरिया—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र की कृषि भूमि का कोई भाग राजस्थान नहर की सिंचाई योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल क्या है तथा इसमें कौन कौन से गांव आयेंगे ?

उत्तर

जी हां। कुल क्षेत्रफल 20,36,814 बीघा होता है। इसमें कुल 68 गांव आयेंगे जिनकी सूची संलग्न है।

(12.07 म. प.)

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर में दुग्ध वितरण की अव्यवस्था संबंधी विषय पर श्री दुर्गालाल बाढदार ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है यह मामला इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, इस कारण मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता। आज पशुपालन विभाग की मांग पर सदन में बहस हो रही है अत: श्री दुर्गालाल बाढ़दार इस मामले को बहस के दौरान उठा सकेंगे।

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 26-5-67 को एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी जिसमें यह बताया कि दिनांक 24-5-67 को 4 बजे से उनके निवासस्थान बंगला नम्बर 'सी'-6 में बिजली बन्द है और उनके प्रयत्न करने पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बंगला सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है और इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करने का भार उसी विभाग का है। बिजली के अभाव में उन्हें विधान सभा सम्बन्धी कार्य करने में अत्यन्त बाधा उपस्थित हुई और उक्त विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं करने पर उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मेरे द्वारा इस संबंध में जानकारी करने पर मुझे यह बतलाया गया है कि बिजली की मेन लाइन से जो लाइन उपरोक्त बंगला नम्बर 'सी'-6 में आती है उसमें कुछ फाल्ट था और यह इस कारण बिजली बन्द रही है और यहां दुरुस्ती करा दी गयी है और बिजली चालू हो गयी है। भविष्य में विश्वास दिलाया गया है कि इस बंगले में और आइन्दा माननीय सदस्यों के बंगलों में ऐसी बाधायें उपस्थित न हों। इस सम्बन्ध में प्रश्न तो विचारणीय यह है कि इस प्रकार के विषय में क्या सदन का हस्तक्षेप उचित है या नहीं मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाना उपयुक्त नहीं होगा अत: मैं उपरोक्त विशेषाधिकार प्रस्ताव को यहां उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर के सिवाय मैं अपनी ओर से कहता हूं कि जब कभी इस प्रकार की बाधा उपस्थित हो तो मैं आपके पड़ोस में ही हूं तो उस समय अपने कागजों सहित मेरे पास पहुंच जायें।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल बिजली बन्द होने का नहीं है। आपने जब सदन में इसे ले ही लिया तो मैं इस

Page No. 28

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न के ऊपर इस सदन का निर्णय चाहूंगा कि जो इस प्रकार के प्रिवलेजेज हैं वह प्रिवलेजेज यदि नहीं मिलते हैं तो एक तो यह डिसाइड करना पड़ेगा कि यह हमारे प्रिवलेजेज हैं या नहीं ? अगर हैं तो बाद में ववेश्चन आता है कि किसी प्रकार से प्रिविलेजेज का ब्रीच होता है – इस सदन में जब प्रश्न आ गया तो मैं जानकारी चाहूंगा कि यह बिजली, पानी, मकान यह जो सारी सुविधायें हमको मिलती हैं वह प्रिविलेजेज हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह निश्चय रूप से प्रिविलेजेज हैं जो फेसेलिटीज में दाखिल होते हैं। इसलिये जो प्रिविलेज का उल्लेख हमारे यहां है संविधान में उस हद तक हम इनको प्रिविलेजेज में नहीं ले सकते। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसके अभाव के कारण जो माननीय सदस्यों को दिक्कतें और बाधायें उपस्थित होती हैं वह उनके अध्ययन में, अध्यापन में जरूर दखलन्दाजी करती हैं। इसलिए मैंने इस प्रिविलेज मोशन को मूव करने की अनुमति नहीं देते हुए यह विभाग को आगाह किया है कि मुख्यतः जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, उस स्थिति में इस तरह की दिक्कतें माननीय सदस्यों को पहुँचाया जाना उपयुक्त नहीं है। और मुझे खुशी है कि विभाग के मंत्री महोदय ने भी इस बात पर पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और मेरे ख्याल से विश्वास भी दिया है ......

श्री भैरोंसिंह : वह तो विभाग के मंत्री हैं। उनके यहां जब कभी फाल्ट होता है तो फट से आदमी पहुंच जाते हैं और ठीक हो जाता है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : केवल सेशन के ही चलने का प्रश्न नहीं है। हर समय बिजली, पानी आदि का रहना आवश्यक है। जब सेशन चले तभी इस प्रकार की व्यवस्था हो ऐसा नहीं होना चाहिये, सभी समय यह रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने साधारणतया कहा है, उसमें यह सम्मिलित है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में.....

श्री अध्यक्ष : इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह दांता : यह विचार का प्रश्न है, मैं कई सालों से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य मैंने अनुमति नहीं दी है और उस पर व्यवस्था हो गई है। उस पर बहस नहीं होगी।

एक प्रश्न और है पोइंट ऑफ आर्डर का। 30-5-67 को जिला बांसवाड़ा में अकाल सहायता कार्य से सम्बन्धित श्री हीराभाई के प्रश्न सं. 111 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री महोदय ने अकाल सहायता से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी के निर्णय के सम्बन्ध में कुछ सूचना दी थी।

इस पर श्री भैरोंसिंह ने एक औचित्य प्रश्न के जरिए यह चाहा था कि उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि सदन के नियमों के अनुसार यदि किसी कमेटी की रिपोर्ट या किसी डाक्युमेंट

का हवाला दिया जाता है तो नियमानुसार यह जरूरी है कि सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उसे सदन की मेज पर रखा जाय।

इस बारे में वित्तमंत्री ने यह बतलाया कि सदन की मेज पर उस कमेटी की रिपोर्ट रखी जाती है जो कमेटी इस सदन द्वारा बनायी जाती है। भारत सरकार के एक्सपर्ट्स यहां पर आये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। राज्य सरकार को तो उसकी प्रति केवल सूचना के लिये भेजी गयी है और इसलिए उक्त रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

इस विषय में मैंने अपनी व्यवस्था रिजर्व रखी थी।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 268 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उद्धृत पत्रों को सदन की मेज पर रखे जाने के संबंध में प्रावधान है। यह नियम इस प्रकार है:—

उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना: यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करें जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा।

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बतलाये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा।

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

इसका अर्थ यह है कि सिवाय दो स्थितियों में— एक तो जनहित के प्रतिकूल होने की स्थिति में तथा दूसरी संगत पत्र का सारांश बता देने पर प्रत्येक पत्र जिसका सदन में हवाला दिया जाय, सदन की मेज पर रखना होगा।

उपरोक्त नियम का उल्लेख प्रक्रिया के सामान्य नियमों के अध्याय में किया गया है और मैं समझता हूं कि यह प्रावधान सदन में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के बारे में पूर्णतः लागू नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में यह प्रणाली प्रचलित है कि यदि जनहित में शासन चाहता हो कि किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है तो शासन को पूरा अधिकार है कि उसका उत्तर न दे।

इस विषय में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व सचिव, विधान सभा श्री ए० आर० मुकर्जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक "भारत में संसदीय प्रक्रिया" के पृष्ठ 61-62 पर जो उल्लेख किया है उसको भी मैं यहां बतलाना चाहूंगा:—

"A Minister is not bound to answer a question and the Presiding Officer has no power to compel a Minister to answer a question or to answer it in any particular way. In the British House of Commons, a Minister is not bound to answer a question if it is not in

the public interest to do so. The same practice is followed in India and Ministers answer questions unless they think that public interest would suffer by answering the question".

इसके अतिरिक्त किसी मामले में यदि शासन द्वारा यह कहा जाय कि किसी डाक्युमेंट को पब्लिक इन्टरेस्ट में मेज पर नहीं रखा जायगा तो आया वह उचित पब्लिक इंट्रेस्ट है या नहीं, इसका निर्णय भी शासन ही करता है, अध्यक्ष नहीं। इस सिलसिले में एम. एस. मोरे ने अपनी पुस्तक "Practice and Procedure of Indian Parliament" के पृष्ठ 504 पर 1939 में भारत की लेजिसलेटिव असेम्बली में दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया है उससे उसकी पुष्टि होती है। उक्त निर्णय इस प्रकार है :-

"When a Member asked the Government to lay on the table a list of books and publications forfeited by Government, the Government Member replied that it was not in the public interest to lay them on the table.

A Member wanted to know that 'public interest' meant. The President observed :—

'The Chair understands 'public interest' is a well-known phrase, but whether a particular matter is or is not in the public interest, it is entirely for the Government to judge.'

When the Member for the Government says it is not in the public interest, it must be taken as such."

ऐसी स्थिति में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में हवाला दिए गए कोई डाक्युमेंट या रिपोर्ट को जिसके लिये राज्य सरकार सदन की मेज पर रखने को तैयार न हो, ऐसा करने के लिए चेयर द्वारा राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, विशेषकर उस स्थिति में जब कि सदस्यों को किसी प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर न देने पर तथ्यों के आधार पर आधे घण्टे की चर्चा उठाये जाने या गलत उत्तर दिये जाने पर अध्यक्ष को लिखे जाने की व्यवस्था है।

मेरे उपरोक्त विचारों की पुष्टि उत्तर प्रदेश विधान सभा के श्री अध्यक्ष द्वारा 28 अगस्त 1957 में दिये गये निम्न निर्णय से होती है :

गृहमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा यह उत्तर देने पर कि तार को सदन में पढ़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, श्री नारायणदत्त तिवारी ने श्री अध्यक्ष से पूछा :—

"श्री अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी के पास जो कागजात हों और जो कॉन्फिडेंशियल डाक्युमेंट न हों उनके बारे में क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है?"

श्री अध्यक्ष ने कहा—

"किसी प्रश्न का जवाब वे न भी दें अथवा वे स्थान से उठें ही नहीं, जब वे कर सकते हैं तो इसका भी उनको अधिकार है।"

ऐसी स्थिति में पोइन्ट ऑफ आर्डर को रूल आउट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक जानकारी करना चाहूंगा कि आपके पास या इस सदन में इस प्रश्न के संबंध में मंत्री महोदय की तरफ से पब्लिक इन्ट्रेस्ट का या यह डाकुमेंट पेश नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रिविलेज क्लेम किया गया है?

श्री अध्यक्ष : उनका ऐसा लिखा हुआ कुछ जरूर आया है कि वह उचित नहीं समझते उसको रखना।

श्री भैरोंसिंह : किस प्रकार का लिखा हुआ आया है?

श्री अध्यक्ष : यही कि वे उचित नहीं समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने पब्लिक इन्ट्रेस्ट के इस प्रिविलेज को क्लेम किया है?

श्री अध्यक्ष : मैंने इसमें दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। अगर कोई डोकुमेंट जिसका प्रतिपादन अन्य प्रक्रिया अपना कर किया गया हो, मिनिस्टर अगर नहीं रखना चाहते हैं या उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं। इस व्यवस्था के बाद...

श्री भैरोंसिंह : बाध्य करने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इसके अतिरिक्त भी माननीय मंत्री महोदय ने मुझको यह जानकारी दी और लिख कर दिया कि वह इसको उचित नहीं समझेंगे। क्योंकि यह डाक्युमेंट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से उनके पास देखने के लिए आया है। इसके अलावा यह कमेटी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित भी नहीं है। इसलिए मैं उनको कागज सदन की मेज पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : on a point of order, sir आपकी इस व्यवस्था को तो खैर मानना पड़ रहा है लेकिन इस व्यवस्था के अन्दर एक दूसरा पोइन्ट रेज हुआ है कि इस सदन में कोई मंत्री अपने किसी अधिकार को क्लेम नहीं करे और न ही यहां पर क्लेम किया है फिर क्या उस मंत्री को इस प्रकार का अधिकार है कि उस पोइन्ट पर अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में जाकर, जो क्लेम उसके सदन में नहीं किया है उसके विपरीत किसी प्रकार का क्लेम अध्यक्ष के चेम्बर में कर सके।

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा चेम्बर के लिए निवेदन किया वह उन्होंने अपने पत्र में भी क्लेम किया है और उन्होंने...

श्री भैरोंसिंह : हाउस में क्लेम नहीं किया है। जिस चीज को हाउस में क्लेम नहीं किया गया हो उसी चीज को अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में जाकर क्या क्लेम कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह पोइन्ट दूसरे ढंग से भी कहा है कि भारत सरकार का यह पत्र है और उसकी प्रति हमारे पास तो देखने के लिए आई है। यह प्रश्न उन्होंने उठा लिया था, जिसको मैं मानता हूं कि

Page No. 32

(श्री अध्यक्ष)

उन्होंने क्लेम किया कि सदन की मेज पर न रखा जावे और उसकी पुष्टि में अपना पत्र लिखा दिनांक 21-5-67 को।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको इतना वेग नहीं बनाया जाय। मैं यह मानता हूं कि अगर इस तरह से किसी भी पोइन्ट के इम्प्लीकेशन को लेकर चलने लगेंगे तो किसी भी बात में जनहित आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी यह सारी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि वह किसी भी बात पर जनहित के प्रिविलेज को क्लेम करके और सदन से किसी डाक्यूमेंट को रखने से विरक्ति कर लें, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने प्रिविलेज-हाउस में क्लेम नहीं किया था और आपने दूसरे आसपेक्ट के आधार पर मेरे पोइन्ट को रूल आउट किया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे उन्होंने कहा :

"I have to submit that the Government is not in a position to place the document on the table of the House as the report comes from an officer of Government of India."

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : मैं इस व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस व्यवस्था को क्लेरीफाई तो करें।

(श्री हीराभाई बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : (श्री हीराभाई की ओर मुखापेक्ष) : आप बैठिए, यह बहुत ऊंचा प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो आपने व्यवस्था दी है उसके अतिरिक्त भी आपकी व्यवस्था यदि हो कि या तो मंत्रीगण उसमें जनहित की दृष्टि से उसके प्रिविलेज को क्लेम करें या उसका जो पूरा सेब्सटेन्स उन्होंने सदन के समक्ष रख दिया है तो भी ऐसी सूरत में उसको टेबल आफ दी हाउस पर नहीं रखा जा सकता है। यदि यह बात न हो तो दूसरी स्थिति में उनको टेबल ऑफ दी हाउस पर रखना चाहिए। तो इस व्यवस्था के अनुसार तो अध्यक्ष महोदय, कोई मंत्री यह भी कह सकता है कि जनहित की दृष्टि से अमुक स्टेटमेंट, अमुक रिपोर्ट टेबल ऑफ दी हाउस पर रखना उचित नहीं है।

लेकिन यह नहीं कह सकते कि चूंकि यह रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया की है, चूंकि यह रिपोर्ट ऐसी कमेटी की है जो इस सदन द्वारा नियुक्त नहीं की गई, इस लिए मैं उसको रखना उचित नहीं समझता। यह व्यवस्था आपकी जो व्यवस्था है उसके विपरीत अपना एक नया इन्टरप्रिटेशन उनके द्वारा करना है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस आधार पर कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी की एक रिपोर्ट है, इस सदन के द्वारा नियुक्त एक कमेटी की रिपोर्ट नहीं है इस बिना पर नहीं रखें तो यह ठीक नहीं होगा इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बृजेन्द्रपाल ने 5 जून 1967 से 21 जून 1967 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदक, इसके बारे में व्यवस्था मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था उसमें सम्मिलित है। It is not a separate point.

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उस व्यवस्था के सम्बन्ध में हम समझ नहीं सके हैं इसलिए हम विरोध करेंगे कि हमको समझाया नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर ! आर्डर !!

श्री मदनसिंह दांता: कम से कम हम समझें नहीं तो रात-दिन दिक्कत आयेगी इसलिए क्लेरिफिकेशन मांगा था। भारत सरकार की तरफ से अन्न की समस्या के सम्बन्ध में कई कमेटियां आयेंगी और सदन में कहा जायगा इसके लिए अच्छा हो ···

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ! अनुदानों की मांगों पर विचार हो रहा है उनमें मतदान दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: वह आज ही 11 बजे प्राप्त हुआ । उस पर कल निर्णय दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी: मेरा भी एक स्थगन-प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रस्ताव भी कल ले लिया जायगा ।

वाद-विवाद के लिए समय का बटवारा

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): पाइंट आफ आर्डर, सर। ऐसा है कि कल, अध्यक्ष महोदय, आपने यह निर्णय किया था कि अनुदान की मांगें ली जायगीं और जिस प्रकार से उनका क्रम होगा उसी प्रकार से उन लोगों को बोलने की इजाजत दी जायगी। अगर कल इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रही और बहुत से माननीय सदस्यों को मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का समय नहीं मिला। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि हरेक आदमी को अपने कटमोशन्स पर बोलने का समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया। मैंने कल यह निवेदन किया था कि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में बोलने का अवसर मिले। इसलिए विरोधी दल के माननीय सदस्य और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन सब दलों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन सदस्यों की नामावली दे दें। मेरे पास उसी आधार पर मुख्य सचेतक स्वतन्त्र पार्टी के द्वारा नामावली आ गई है। मैं विश्वास रखता हूं कि कांग्रेस की तरफ से भी आजायगी ।

(श्री अध्यक्ष)

जनसंघ की तरफ से आने वाली होगी। । उन नामावलियों में जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको घोषित करके उनको मौका दिया जाता रहेगा । तब तो सुविधाजनक हो सकता है, अन्यथा कोई भी आधार मेरी समझ में नहीं आता कि जिससे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके ।

श्री गिरधारीलाल व्यासः अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है, मगर इसके सम्बन्ध में मेरा यह अर्ज करना है कि जिस प्रकार आपने पार्टियों के लेवल पर टाइम मुकर्रर किया और वहां के मुख्य सचेतकों को आदेश दिया कि नामावलियां प्रस्तुत करें तो कटमोशन पेश करने का कोई सिद्धान्त नहीं रहता कि ये कटौती के प्रस्ताव सदस्यगण अपनी इच्छा के अनुसार जिस प्रकार की भावना से पेश करना चाहते हैं उसके अनुसार वे पेश किये जा सकें। कल भी समय का निश्चय हुआ था लेकिन किसी पार्टी के नेता को बोलने के लिए घन्टा भर दे दिया और किसी को आधा घन्टा दे दिया । इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होकर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जितने भी बोलने वाले हैं उनको उसके अनुसार 5-7 मिनट जो भी आप तय करें, दिलाया जाय।

श्री अध्यक्षः वैसे ही किया जा रहा है दलीय स्तर पर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा नहीं किया जा रहा है । कल एक घन्टे तक बोले हैं । वह व्यवस्था ठीक नहीं रहती है । माननीय सदस्यों को हरेक को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ।

श्री अध्यक्षः हरेक सदस्य के बोलने का समय नहीं है । इतने सदस्य हैं 40 के करीब सदस्य हैं इसलिए दलीय स्तर पर ही यह हो सकता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यासः अगर 5-5 मिनट हरेक सदस्य को दिये जायं तो हो सकता है ।

श्री अध्यक्षः 5 मिनिट में जमता नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहताः आपने दल वालों के लिए तो फर्मा दिया लेकिन जो दल वाले नहीं हैं उनका क्या ?

श्री अध्यक्षः उनका भी ख्याल रखा जायगा ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था कर दें कि जिन माननीय सदस्यों को इस बात का मौका नहीं मिला कि अपने कट-मोशन्स को अपनी स्पीच के दौरान मूव करके बोलें तो जितने भी कटमोशन्स हैं उनको मूव्ड समझा जाय ।

श्री अध्यक्षः वह सारा कल कह दिया गया है ।

माननीय मंत्री महोदय मांगें उपस्थित करेंगे ।

अनुदान की मांगों का उपस्थापन और उन पर विचार

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): अध्यक्ष महोदय,....... ...

श्री भैरोंसिंह: ऑन ए पाइंट आफ आर्डर, सर ....

श्री अध्यक्ष: (उपाध्यक्ष द्वारा स्थान लेते समय) The point of order is existing in between you boths.

(अध्यक्ष पुनः आसीन)

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग प्रस्तुत की जा रही है वह कृषि, पशु-पालन, कृषि-उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत, और सहकारिता इन चार विभागों के सम्बन्ध में है । माननीय मंत्री महोदय, जो इस समय मांग प्रस्तुत कर रहे हैं वे उन विभागों के मंत्री नहीं हैं । इस सदन में पहले भी कई बार व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री-मंडल की तरफ से इस सदन के सम्मान की कोई चिन्ता नहीं की जाती है । जिस समय कोई मंत्री जाना चाहे, उस समय चला जाता है । उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि उनसे सम्बन्धित विभाग की कोई मांग प्रस्तुत की जाने वाली है । यदि यही प्रक्रिया इस सदन में यों ही चलती रही कि माननीय मंत्री महोदय सदन के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा का भाव बतायें तो इस सदन की प्रतिष्ठा तो गिरेगी ही लेकिन जो सदन की मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं उनके ऊपर भी भयंकर रूप से आघात होगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को मांग प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाय और यदि इसमें यह भी आवश्यकता महसूस हो कि सदन की कार्य-वाही को स्थगित करना पड़े तो इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय, लेकिन इस गलत परम्परा को जिसके कारण इस सदन का हमेशा अपमान किया जाता है इसको एक बार कड़े हाथों से, कड़ी जबान से रोकने की चेष्टा की जाय, इसी दृष्टि से यह पाइंट आफ आर्डर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मंत्री-मंडल के सदस्य निश्चितरूप से इस बात की ओर सावधान रहते हैं......

श्री भैरोंसिंह: कोई भी सावधानी नहीं रखता है ।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरी बात सुन लें । यह सदन एक सोवरिन बोडी है, और इसका सम्मान स्वयं हम नहीं करते हैं तो वह एक प्रकार से गवर्नमेंट का स्वयं का अपमान करते हैं । इसलिए यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि मंत्री चाहे इन्डिविजुएली अथवा कलेक्टिव रूप में सदन के अपमान की बात कभी कल्पना में भी ला सकें ।

जहां तक इन मांगों से सम्बन्धित मंत्री महोदय अर्थात् कृषि मंत्री जी का सवाल है मुझे अभी तत्काल ही सूचना मिली है कि वे घर से रवाना हो रहे थे कि उन्हें चक्कर आया और उन्हें एक जोर से उल्टी हुई । थोड़ी सी तबियत सम्हल जाय तो वे आ जायेंगे अथवा कैसे क्या होगा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है । वे जहां तक, अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी लापरवाही नहीं बरतते हैं, बल्कि सावधान रहते हैं और उनके ववेश्चन्स होते हैं तो 5-10 मिनट पहले ही आकर बैठते हैं । यह एक ऐसी स्थिति है जिसके अन्दर उनकी आकस्मिक रूप से तबियत खराब हुई कि वे लेट हो गये हैं । इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न उनकी ओर से और न और मंत्रियों की ओर से

(श्री हरिदेव जोशी)

कभी सदन को अवज्ञा करने की भावना है। (श्री परसराम मदेरणा के आने पर) और माननीय मंत्री महोदय अब पहुंच भी गये हैं। अब उनका भाषण····

श्री भैरोंसिंह: पहले आप उनकी तबियत का हाल तो बता दें। हमें बड़ी चिन्ता हो रही है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न विथड्रा किया गया ?

श्री भैरोंसिंह: विथड्रा नहीं आयन्दा के लिए फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना को माननीय मंत्रीगण समझ सके हैं। यह आवश्यक है कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन विशेष परिस्थिति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

माननीय मंत्री अपनी मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि इत्यादि प्रस्तुत करें।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वे सदन में बैठेंगे तो सही लेकिन इन मांगों को मैं प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप प्रस्तुत कर दें।

मांग संख्या 18

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,72,65,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 19

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 32, पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,91,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 39

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95 कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य पाल महोदय को 31,41,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 20

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को 1,27,03,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(12.31 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष-पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से जितने भी कटौती के प्रस्ताव उपरोक्त मांगों के संबंध में पेश किये गये हैं उनको सदन में पेश कर दिया गया है यह मान लिया जाय।

(उपरोक्त मांगों पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।)

मांग संख्या 18

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

1. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान्य उत्पादन उन्नति हेतु किसानों को प्रोत्साहन न देने के बारे में चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाइब्रिड सीड के संबंध में कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय पर सहायता न कर पाने पर चर्चा के लिये)

3. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसल बीमा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

4 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33--पशु पालन में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (भेड़-ऊन विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के काम पर न लगाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

5. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी सरकार की प्रणाली का खाद्य विभाग द्वारा की गई अवहेलना पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के प्रबंध में बढते हुए राजकीय हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों आदि की धनराशि को केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जमा न होने देने पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी सहकारी प्रशिक्षणयोजना में की गई कमी पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों में भूमि-मूल्यांकन अधिकारियों के प्रभाव पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणदिये जाने की प्रणाली के सरलीकरण पर चर्चा के लिए)।

Page No. 38

मांग संख्या 18,

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

11. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की पंचायत समितियों को कृषि विभाग, कोटा द्वारा बीज, खाद, दवा के वितरण में भारी धांधली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

12. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण में किये जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) :

14. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (प्रकृति प्रकोप द्वारा फसल नष्ट हो जाती है, किसान भिखमंगा हो जाता है अतएव किसान की फसल का बीमा सिस्टम लागू करने पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग को अकर्मण्यता के कारण व्यय अधिक होना एवं उत्पादन गिरने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

16. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में पशुओं की गिरती हुई दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

17. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रुपया करके कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा इत्यादि के कारण कृषि उन्नति पर कुप्रभाव पड़ने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 20

18. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुभवहीन व्यवस्थापकों के कारण सहकारिता का लाभ प्रत्येक साधारण सदस्य नहीं उठा सकता, अतएव व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री शंकरलाल (जैतारन) :

19. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में सघन कृषि कार्यक्रम में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

20. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोरिंग, ब्लास्टिंग मशीनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

Page No. 39

मांग संख्या 20

21. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समितियों की सहायतार्थ अनुदान समय पर न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री रावतराम (छापर) :

22. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक31- कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को खेतों में कुए बनाने आदि जैसे महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31- कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में निरन्तर गिरावट केकारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

24. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंकों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

25. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31- कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज में गिरावट के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31- कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की गलत नीतियोंके कारण-प्रति एकड़ उपज में कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

27. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33 पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु पालन उद्योग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

28. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (एग्रीकल्चरल वर्कशाप, जयपुर, में मशीनरी खरीदने में गड़बड़ियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(एग्रीकल्चरल वर्कशाप,जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

30. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की सहकारिता के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक34- सहकारिता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की सहकारिता नीति शोषण करने वाले तत्वों की पोषक हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No. 40

मांग संख्या 18

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी):

32. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उन्नति के लिये दोषपूर्ण योजनाओं के कारण बाधाएं उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) :

33. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

34. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु विपणन भण्डारी के पंजीकरण बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) :

35. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में फसलों को समय समय पर कीटाणुओं से बचाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि हेतु कृषि औजार व बैल देने में विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अनुदान की राशि के आवंटन के पश्चात् यह सत्यापन नहीं किया गया कि जिस कार्य हेतु जो राशि आवंटित की गई है उसका उपयोग सही प्रकार से हुआ है या नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को समय पर खाद्य, बीज व पानी दिलाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

39. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (विभाग की ओर से लगाये जाने वाले पशु मेलों में अधिकारियों द्वारा मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गांवों में विभाग द्वारा अच्छी नस्ल के सांड रखे जाने की योजना को क्रियान्वित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता को अपने पशुओं की बीमारी से बचने में विभाग द्वारा ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य में दुग्ध शालाओं में खर्च किये गये धन से लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

43, मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों की देख रेख में ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

44. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सहकारी समितियों की बकाया वसूल करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

श्री मुन्नालाल चौधरी (दूदू) :

45. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि का उत्पादन निरन्तर घट जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

46. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 25-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मशीनरी के क्रय में हुए घोटालों के कारण कृषि उत्पादन में कमी हुई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 20

47. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा सरकारी पैसे का सही उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

48. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि में वांछित सफलता न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 19

49. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु धन का आवश्यक विकास न होने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भेड़-बकरी के लिये संतुलित मिक्सर को उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के लिये पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये जो धनराशि दी गई, उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

52. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी का वांछित फल न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 20

53. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में फैली हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पाली में बुनकर सहकारी संस्थाओं को ऋण न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री शोभाराम (रामगढ़):

55. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर):

56. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सांड वितरण समुचित ढ़ंग से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

57. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नकली (Bogus) सहकारी समितियों की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

58. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर कृषि साधन पर्याप्तरूप से उपलब्ध न होने के कारण कृषि उत्पादन गिरता जा रहा है। तत्सम्बन्धी बहस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

श्री हीरालाल (कुम्भलगढ़):

59. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के माध्यम से कृषि ऋण वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री सहदेव (आमेर):

60. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में मुख्य सिंचाई की योजनाओं के अभाव में कृषि विभाग द्वारा कूप निर्माण हेतु विशेष धनराशि का प्रावधान करने पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग की अन्वेषण शाखा द्वारा मूंगफली के उत्पादन में दिन प्रति दिन गिरावट के मुख्य कारण, कीड़े के नाश करने, बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में कृषि के क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण में राज्य सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में 100 रु० कम कर दिया जाय (फसल बीमा योजना शीघ्र ही लागू करने के मामले पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण की नगद भुगतान की प्रणाली से अधिक अन्न उपजाओ योजना पर काफी धक्का लगने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

65. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिन गांवों में विद्युतिकरण का कार्य पूरा हो चुका है वहां पर पशु पालन के धन्धों के लिये सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

66. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंक द्वारा ऋण देने की प्रणाली को और अधिक सरल करने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा अल्पकालीन ऋण समय पर वितरित न करने और उपरोक्त अल्प कालीन ऋण के स्थान पर मध्यकालीन ही रखना अधिक महत्वपूर्ण होगा इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर):

68. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (टिड्डी निरोधक कार्यवाहियों में वास्तविक खर्च के बजाय फिजूल खर्च हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उद्यानों के विकास के खर्च में मनमानी व अनावश्यक जगह राशि खर्च की जा रही है, वह सही दिशा में खर्च की जाय इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को अनुदान की रकम काफी कम है, इसे बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु०कम कर दिया जाय (ग्राम तालाबों के विकास के लिये इस वर्ष कोई रकम नहीं रखी गई है इस पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु०कम कर दिया जाय (हरे खाद के लिये कोई रकम नहीं रखी गई है उससे अधिक अन्न उत्पादन में बाधा होगी इस पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मैले से खाद बनाने के मद में इस वर्ष कोई रकम नहीं रखी गई है इस तरफ ध्यान देने से कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है इस पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया

जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल के लिये रखी हुई राशि के उपभोग में काफी असफलता रही है इसे पूर्ण उपयोगी बनाया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (फसल काटने की योजना पर रखी हुई खर्च की राशि का कोई उपयोग नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि शिल्पशाला के विभिन्न सब हैड्स में खर्च होने वाली राशि का सही दिशा में उपयोग पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नगर के लिये खाद बनाने की योजना तथा उसका परिवहन और विकास के हेतु रखी हुई राशि बहुत कम है और उसका सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टियों का कृष्यकरण के लिये जो भी रकम इस मद में खर्च की जा रही है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीन श्रमिकों के पुनः स्थापन हेतु पिछले वर्ष रखी हुई राशि खर्च नहीं की गई व इस वर्ष राशि नहीं रखी गई अतः इस पिछड़े वर्ग के हितार्थ राशि रखी जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में कृषि उन्नति के लिये सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नगरों के आस पास की भूमि के कृषि हेतु उपयोग में लाने तथा गन्दे नालों के पानी के उपयोग पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि के एक्सपेरीमेंट हेतु पिछले वर्षों में काफी रकम रखी गई थी, इस वर्ष नहीं रखी गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेलों को सम्मिलत करते हुए प्रदर्शन तथा प्रचार पर यह राशि बहुत ही ज्यादा खर्च की जा रही है, इसे कम करने पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि संबधी संपरिक्षण और अन्वेषण में काफी फिजूल खर्ची हो रही है, उसे कम करने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खजूर और निम्बू प्रजाति अनुसंधान की असफलता पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खरबूजे व तरबूज के सुधार में जो राशि खर्च की जा रही है, उस पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 81-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (समकक्षी ग्वार पालन योजना के ऊपर जो रकम खर्च की जा रही उसकी असफलता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (दीमक के अन्वेषण के हेतु समकक्षी योजना पर की जाने वाली राशि में कमी पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मुख्य कार्यालय पर हर वर्ष खर्चा बढ़ता जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (साधारण खाद के मद में कर्मचारियों के वेतन के अलावा कोई खर्च नहीं है, इस राशि के खर्च का कोई उपयोग नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि स्वीकृति ट्रेनिंग सेन्टर पर खर्च होने वाली राशि का कोई उपयोग नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्राम स्तर युवक कार्यकर्ता कार्यकलाप पर खर्च होने वाली राशि इतनी कम है, इसे बढाये जाने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गृह विज्ञान शाखा पर खर्च होने वाली राशि का कोई उपयोग नहीं इसे तुरन्त बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों के प्रशिक्षण में खर्च होने वाली राशि को कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रखी हुई राशि बहुत ही कम है, इसे बढाये जाने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मंडल के माध्यम से खर्च होने वाली राशि का सही उपयोग करने में सरकार असफल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

97 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ऊन कटाई केन्द्रों पर होने वाली खर्च की अधिक राशि को कम करने पर, चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में पशुपालन के विकास के लिये विभाग द्वारा फिजूल खर्ची कम करने पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण प्रशिक्षण स्कूल, ऊन कटाई स्कूल पर होने वाले खर्च में कमी पर चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ऊन सुधार योजना में अनियमितता तथा फिजूल खर्ची को कम करने पर चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भेड़ तथा ऊन विकास योजना में होने वाली फिजूल खर्ची व अनियमितता को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

102. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा पर होने वाले खर्च को उपयोगी बनाने पर चर्चा के लिये) ।

103. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान पर होने वाले खर्च की उपयोगिता पर चर्चा के लिये) ।

104. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (केन्द्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला के खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (डेरी विकास के लिये कोई राशि नहीं रखी गई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग से बहुत बड़ी रकम की कटौती की गई है जिससे पशु धन को काफी हानि होने की आशंका है, इस पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (डेरी विकास योजना पर बहुत ही कलील रकम रखी गई है जिससे व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

108. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नलकूपों के खर्च को सन्देहात्मक रखा गया है जिससे दुर्भिक्ष के समय मिलने वाले पानी की आशा पर आघात हुआ है, इस पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (इस मद में खर्च होने वाली राशि 1,51,60,000 से घटाकर 11,91,000 कर दी गई है इससे काफी असन्तोष व्याप्त होकर कृषि उन्नति में नुक्सान होने की सम्भावना है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

110. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मुख्य कार्यालय का खर्च एक वर्ष में ही बढ़कर 8,72,000 से 13,18,200 हो जाने से फिजूल खर्ची की आशंका है इस राशि को कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये सहकारी संस्थाओं को सहायता देने में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहायतार्थ अनुदान की राशि में कमी की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भंडारों की आर्थिक सहायता में की गई कमी पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अधीक्षण का खर्च 43 लाख से बढ़कर 61 लाख होने से फिजूल खर्ची की सम्भावना बढ़ी है, इस पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सबसिडी टू स्टेट को-आपरेटिव यूनियन को ट्रेनिंग हेतु दी जाने वाली राशि को कम करने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (श्रम संविदा समितियों को आर्थिक सहायता के लिये बहुत ही कम रकम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नवीन व्यय (आयोजना के बाहर) में खर्च के लिये बहुत बड़ी रकम रखी हुई है, इसे कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अन्य स्थापनायें (आयोजना भिन्न) के लिये 12,67,000 की राशि बहुत ही ज्यादा है, इसे कम करने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उपभोक्ता सहकारी भंडारों के राज्य संघ को दी जाने वाली आर्थिक सहायता उपयोगी साबित न हो सकी, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No. 48

मांग संख्या 18

श्री रामकिशन (बैर) :

120. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बनेड़ा तहसील में भू-संरक्षण के नाम पर खर्च किये गये 40 हजार रुपयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

121. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

122. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खारोलिया खेड़ा सहकारी समिति, तहसील बनेड़ा की बकाया रकम वसूल न करने पर चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गुलाबपुरा में खोली जाने वाली सहकारी स्पिनिंग मिल के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये शेयरों पर चर्चा के लिए)।

124. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समिति, बलदरखां, तहसील बनेड़ा, के बकाया रकम की वसूली व बैंक द्वारा दिये गये ऋण की रकम सदस्यों को वितरित न करने पर चर्चा के लिए)।

श्री जसराज (भिनाय) :

125. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को अनुदान-संबंधित धनराशि की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर):

126. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सरकार काश्तकारों की पैदावार बढ़ाने के लिए समुचित प्रोत्साहन देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

127. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सरकार काश्तकारों में सहकारी खेती की भावना पैदा करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री दुर्गालाल बादशाह (हवा महल) :

128. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अच्छे बीज की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

129. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अच्छी नस्लों के जानवरों के संरक्षण हेतु सरकार ने ठीक कदम नहीं उठाये, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

130. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

131. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कृषि उन्नति के लिए सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वैज्ञानिक तरीकों से कृषि उन्नति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भूतल जलबोर्ड द्वारा किये गये अधूरे कार्यों के बारे में चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति के लिए ट्रेक्टर ऋण देने की प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

135. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशु नस्ल सुधार की योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

136. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी आन्दोलन के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

137. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गौ नस्ल को विकसित करने में विभाग की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पंचायतों के लिए सांड बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

139. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि यन्त्रालय के खर्चे पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (साइट सलेक्शन कमेटी द्वारा स्वीकृत होने पर भी RVGWB द्वारा गांव फूलदेसर के कुए के बोरिंग में अत्यधिक विलंब पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

141. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (प्रस्तावित गहन पशु विकास प्रोजेक्ट को बीकानेर जिले के लिए भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति हेतु प्रयत्न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

142. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० लूणकरणसर को योजना में लेकर राजकीय सहायता देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) :

143. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (फसलों को कीड़ों व बीमारियों से बचाने में कृषि विभाग द्वारा किये गये विलम्ब व अदूरदर्शिता पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा कृषि उन्नति के लिए असफल प्रयत्नों पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि एक्सटेन्शन आफिसर्स द्वारा बरती गई अजागरूकता पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (फर्टीलाइजर के अभाव पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सरकारी अन्वेषण फार्मों पर किये गये खर्चे पर चर्चा के लिये)।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :

148. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा औसत पैदावार बढ़ाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित सघन खेती Programme की कमियों पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्राम देगनिया लाला हेड़ा, त० सांगोद, जिला कोटा, में बगड़ा नाला से बढ़ रहे कटाव व जमीन की खराबी की ओर ध्यान दिलाने व संरक्षण हेतु कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग की अव्यवहारिक भू-संरक्षण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

152. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सरकारी Poultry Farm's की असफलता व अव्यवहारिकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :

153. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

154. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु धन की नस्ल नहीं सुधर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

155. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि विकास के लिये नये खाद, बीज व नये औजारों की कमी पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पंचवर्षीय योजनाओं पर विपुल धन खर्च करने पर भी कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

157. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु धन के विनाश को रोकने तथा उनकी नस्ल में सुधार करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

158. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

159. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि उत्पादन पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करील (जमवा रामगढ़):

160. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों को खाद व बीज उधार देकर उनसे ब्याज न लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

161. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियों में जो ऋण कई सालों से बकाया है उसकी वसूली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा):

162. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा तहसील में भूमि अन्वेषण करने हेतु चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा तहसील के किसानों को 3,000 रु० तक की राशि को कुआ खोदने के लिये देने पर चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

164. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (यथा समय खाद, बीज का वितरण नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति की योजनाओं के प्रसार के बारे में चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के लिये बजट में अपर्याप्त प्रावधान होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

167. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

168. मांग संख्या 39- मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी के लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जयपुर में उन्नत कृषि उपकरणों की योजना की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में नलकूपों (Tube Wells) के निर्माण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा):

170. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

171. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में अच्छी किस्म के जानवरों की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

172. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर):

173. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (योजनाओं में कृषि के विकास के लिए ठोस कदम उठाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल):

174. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पाली "सघन खेती क्षेत्र" की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

175. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग के कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्थायी न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

176. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि को भी एक Industry मान कर उसके लिये Banking व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

177. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग द्वारा सांडों की देखभाल ठीक नहीं होने से पशुओं की गिरती हुई नस्ल पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

178. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम दिया जाय (हर गांव में खेती की व्यवस्था के लिए पाताल फोड़ कुओं की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द क्षेत्र में कृषि उन्नति के लिये बिजली के खम्भे लगाने व ट्यूब वैल्स बनवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

180. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसीलवार मार्केटिंग सोसाईटीज की स्थापना व उन्हें मजबूत बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री देवीलाल (सराड़ा):

181. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में कृषि उत्पादन के साधनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

182. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सहकारी समितियों की आर्थिक स्थितियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

183. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए अलवर जिले में ट्यूब वैल खोदने की आवश्यकता पर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

184. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर बांस – उद्योग सहकारी समिति में हुए गबन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री यशवन्त सिंह नोहर (बनेडा):

185. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि अधिकारियों की कार्य कुशलता के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :

186. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुओं की चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

187. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (फसली ऋण प्रणाली को क्रियान्विति से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):

188. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पशु की नस्ल सुधारने पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

189. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि शिल्प—शालाओं के लिये मशीनरी क्रय के सम्बन्ध में मनमानी करने एवं उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं):

190. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनुं जिले में नल कूपों के लिये कुछ भी खर्च न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार):

191. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण में गड़बड़ पर चर्चा के लिए)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

192. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों व छोटे खातेदारों में सहकारी खेती में निष्ठा पैदा करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री हीरा (कुशलगढ़):

193. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के आधार पर हो रहे व्यापार में धन का दुरुपयोग होता है इस पर चर्चा के लिए)।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता):

194. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारिता आन्दोलन में धन की अपव्ययता पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

195. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सीकर के सहकारी होलसैल उपभोक्ता भण्डार को अधिक पूंजी न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की मांग के सम्बन्ध में मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनमें से पहला खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में किसानों को प्रोत्साहन न देने के बारे में हैं। मैंने जो प्रस्ताव किया हैं इस सम्बन्ध में पहले भी मैं अपने विचार कई बार व्यक्त कर चुका हूं जिनका माननीय मन्त्री महोदय ने बजट पर बोलते हुए उत्तर भी दिया है। जहां तक फसल बीमा योजना का सवाल है उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई बात चल रही है। उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि इस प्रकार की घोषणायें तो बहुत बार होती है और हम उन घोषणाओं के सुनने के आदी भी हो गये हैं। लेकिन ये घोषणाएं क्रियान्वित नहीं होती है।

दूसरी बात यह है कि खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ कदम उठाती है उसके बारे में सरकार को सचेष्ट रहना चाहिये यह सही बात है कि इरिगेशन पर जो सरचार्ज लगाया गया था वह वापिस ले लिया गया है कृषि मन्त्री महोदय से मैं कहूंगा कि इस बात की सख्त जरूरत है कि जो किसान खेतों पर अपना जीवन यापन करते हैं और जो अपने खेतों में कोमर्सियल क्रोप्स न बोकर खाद्यान्न बोते है, उन किसानों को निशुल्कः सिंचाई सुविधा दी जानी चाहिये। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगे।

इसके साथ साथ मैं हाई ब्रीड सीड के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि कृषि विभाग से योजना तो बनती है लेकिन इस विषय की सूचना नहीं रहती किस किस जगह के लिये ऐसी सीड की व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों को अन्त समय तक सूचना नहीं दी गई कि कौनसे किसान है जिनको यह सीड दिया जायगा। उसका नतीजा यह हुआ

(श्री नत्थीसिंह)

कि इस योजना के अन्तर्गत जो ऋण मिलने वाला था उससे वे लोग वंचित रह गये। इसके साथ साथ जब खाद्यान्न के विषय में बहस हो रही थी उस समय भी मैंने यह सवाल उठाया था इसके वितरण में भी देरी हो रही है उसके बाद कुछ उसमें प्रगति आई है। लेकिन पहले भी जिस प्रकार लिमिट में अन्दाज बनाकर बीज जिनको दिया गया उसमें भी काफी देरी हुई है। जो उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में योजनायें बनायी जाती हैं उसमें इतनी सुस्ती एक सोचनीय विषय है। कृषि विभाग को सहकारी विभाग से मिल कर पूर्ण सचेष्ट होकर समय के पूर्व यह निर्धारित करना चाहिये कि किन-किन गांव और कृषक समूह को इसमें लिया जायगा, यह योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात सहकारिता के संबन्ध में है इस सबन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बार बार एक बात कहती जाती है। तथाकथित समाजवादी सरकार यह सरकार अपने को मानती है लेकिन इनके जो कार्य हैं वे इस तरह के रहे हैं जो समाजवादी कदम नहीं कहे जा सकते। इस सरकार ने समाजवाद की दिशा में कोई भी कदम उठाया है तो उनको एक तरह से शैशवावस्था में उनका गला घोटने की कोशिश की जाती है। यही बात मैंने प्रथम कटौती प्रस्ताव में कही है जो सहकारिता से संबन्धित है। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकार के दूसरे जितने विभाग हैं जो सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों के काम करना चाहते हैं उनको सहयोग देना तो दूर रहा उनके प्रयासों को इस तरह से निष्फल करने की चेष्टा करते हैं ताकि वह खड़ी न हो सके।

दूसरा विभाग है खाद्यान्न सप्लाई का विभाग। इसकी हालत यह है कि यह तो सहकारी क्षेत्र में अड़चन डालती ही है। जैसे चीनी का सवाल था यह विभाग चीनी का कोटा देता है अगर उसको परमिट दे दिया गया तो समय पर उसको नहीं काटेंगे या स्टाक होल्ड ओन कर दिया जायगा। अगर कहीं रोकने का काम भी किया है तो उनको समय पर रेट नहीं दी जायगी इस बात के कारण सहकारी समितियों को बहुत ही घाटा उठाना पड़ा है। भरतपुर की सहकारी समिति का चीनी का मामला है वह मैं खाद्य मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हू जहां पर पूरे एक साल तक कोटा रोक कर रखा गया, उस समय तक रेट्स निकाल नहीं भेजे। उसके बाद जब उन्होंने बेचना आरम्भ कर दिया तो उनका लाईसेन्स कैन्सल कर दिया, बिना रेट निकाले पुराने रेट पर चीनी कैसे बेच दी। उन्होंने कहा तुम्हारा टेलीफोन आया था उसका रेकार्ड नहीं। मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिनमें दो चार नहीं एक साल तक कोई रेट्स निकाल नहीं भेजे गये। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जब भरतपुर में कुछ खाद्यान्नों को पकड़ा गया वह कन्ट्रोल का गेहूं था उसको व्यापारियों को बेचने के लिये सरकार देना चाहती थी किसी व्यापारी ने नहीं लिया। उस समय वहां जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसने उसको लिया उस समय कहा गया कि इसमें जो कुछ टोटा होगा वह सरकार की तरफ से दिया जायगा। उसमें उस सहकारी समिति को चार हजार का टोटा गया। उस बारे में कलेक्टर भरतपुर ने राज्य

(श्री नत्थीसिंह)

सरकार को लिखा लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि सरकार इस टोटे के लिये जिम्मेदार नहीं है। व्यापारी ने जब काम नहीं संभाला तो समिति ने किया। उस लोस को जहां कलेक्टर ने आश्वासन दिया सरकार भरेगी वह सरकार नहीं दे रही है उसको आज चार साल होगये। तो सहकारी समितियों के साथ जो आपके विभागों का रवैया रहा है वे सरकारी समिति की अपेक्षा प्राइवेट व्यापारी को प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण क्या है ? कारण एक हैं जैसे ट्रान्सपोर्ट विभाग को लीजिये, चाहे कन्डक्टर्स की सहकारी समिति हो ड्राइवर्स की हो उनको ट्रान्सपोर्ट विभाग परमिट नहीं देगा। जंगलात में भी यही बात है। वहां भी को-आपरेटिव सोसायटीज को कोई महत्व नहीं है। इस दिशा में विभाग वाले व्यक्तिगत जो लोग हैं उनको प्रायःदेते हैं, वे उनको परमिट देकर उनको कई प्रकार से ओब्लाईज करते हैं। उस तरह सहकारी समितियां उनको ओब्लाईज नहीं कर सकती। इस बारे में सहकारी मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व है आज जहां अन्य विभाग के लोग सहकारिता को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां सहकारिता प्रश्रय देने की बात कही जाती है लेकिन प्रश्रय देने का और कोई कदम नहीं उठाया जाता आज स्थिति यह है कि हमारी सरकार भी ऐसे कदमों से दूर जा रही है।

जब मैंने मांग देखी सहकारिता की उसमें काफी कट किया गया है। जहां तक सहकारी शिक्षा में कटौती करने का सवाल है गैर सरकार सहकारिताओं को शिक्षण देने के लिये जो अनुदान दिया जाता है अब उसको काटकर आधा कर दिया गया है। एक तरफ सदस्य कहेंगे सहकारी समितियों के हिसाब में घोटाले रहते हैं, मीटिंगे नहीं होती हैं। लेकिन आप यह जानते है, इससे सहकारी विभाग का बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। जब तक गैर सरकारी सहकारी कार्यकर्त्ताओं को हम प्रशिक्षण नहीं दे सकेंगे तब तक हम सरकारी आदोन्लनों को सफल नहीं कर सकेंगे। इस साल जहां और अधिक प्रशिक्षण देना चाहिए था, और अधिक धनराशि में रखनी चाहिए थी वहां आपने गैर सरकारी सहकारी कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए पहले जो धनराशि आप देते थे उसको काट कर आपने आधा कर दिया है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या कारण है। हो सकता है कि आज जो सहकारी यूनियन है उसमें एक तरह के काम करने वाले लोग हों और वह पुराने सहकारिता मंत्री के विरुद्ध हो सकते हैं या कि अर्थमंत्री के विरुद्ध हो सकते हैं। या उनसे वह चुनाव लड़ सकते है। लेकिन इस बात का ताल्लुक योजनाओं से नहीं होना चाहिए। संस्थाओं में तो एक आदमी आता है, दूसरा जाता है। तो यह जो कटौती की गई है इस मांग के अन्दर, जो मूलभूत काम है उसके अन्दर जो अड़चन डाली जा रही है, गैर सरकारी सहकारी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण देकर जो सहकारिता के पक्ष में जन मानस तैयार करना है ताकि सहकारी समितियों का काम अच्छी तरह से चल सके और इस काम के लिए जो लोगों को तैयार करना है, उसमें जो कटौती की गई है, मैं समझता हूं कि यह सहकारिता आन्दोलन के पक्ष में नहीं हैं। आप हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स से राजस्थान का मुकाबला करके देखिये, आप देखिये कि मध्यप्रदेश में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, इन स्टेट्स में

(श्री नत्थीसिंह)

कितनी मदद दी जाती है सहकारी संस्थाओं को उनके सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए। जो प्रान्त हमारे से कई दूसरे कामों में पीछे है, मध्यप्रदेश वहां पर प्रशिक्षण का काम हमारे से बाद में प्रारम्भ हुआ है, लेकिन वह आज हमसे आगे हैं। राजस्थान में दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में बिलकुल उल्टी बात है। मैंने देखा है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान देने में कटौती की गई है, इसके अलावा दूसरी सहकारी संस्थाओं के संबंध में भी कटौती की गई है। यदि किसी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है तो हम देखते हैं कि केवल उपभोक्त भंडारों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार यह समझ बैठी है कि राजस्थान के अन्दर सहकारी आन्दोलन इतना बलवान हो गया है कि अब इसे सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। या फिर आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप सहकारिता आन्दोलन को पंगु बनाना चाहते हैं। यदि राज्य सरकार की सहकारिता को बढ़ावा देने की नीति है तो राज्य सरकार को इसके लिए कमर कस कर तैयार होना होगा, और जो हम समाजवाद को देश में लाने के लिए नारे लगाते हैं तो उसके लिए हमको एक तरफ तो प्राइवेट सैक्टर के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा और दूसरी तरफ यह मान्यता देनी पड़ेगी कि राज्य में अधिक से अधिक हम सीधे तौर पर कोआपरेटिव सैक्टर को हर तरह के काम के लिए मुकर्रर करेंगे, जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के अन्दर सहकारिता को बढ़ावा देंगे और दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में को-आपरेटिव सेक्टर को प्राथमिकता देंगे। मुझे, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान आज भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन देश के अन्दर बढ़े तो उसमें कटौती करने के बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि हम कितनी और धनराशि को सहकारिता के लिए मुहैया करके इस काम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं।

मैंने पिछली बार इस सदन में एक बात कही थी। वैसे भू-बन्धक बैंकों के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा है और इसके बारे में कहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा न कह कर केवल इतना कहूंगा कि मैंने भू-बंधक बैंक के सम्बन्ध में उस समय दो तीन बातें कहीं थी। उसके बाद में एक माननीय सदस्य ने ढ़ोल पिटवाने की बात के लिए कहा था कि मैं इस कानून को दुबारा देख लूं। मैंने इस कानून को दुबारा देख लिया है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश में ही केवल ऐसा नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भू-बंधक बैंक से ऋण लेगा तो उसका ढोल पीटा जायगा गांव में कि फलां आदमी भूमि को रहन रखकर कर्ज ले रहा है। मैं समझता हूं, इस प्रकार उस किसान को निरुत्साहित किया जायगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में घोषणा करें। कि जो कानून है, या जो एक्ट हैं, इसके लिए आपको उन्हें नहीं बदलना है, केवल आपको नियम बदलना होगा। यदि आप किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो भू-बंधक बैंक

(श्री नत्थीसिंह)

से ऋण लेने की स्थिति में गांव में ढोल पीटने की मुमानियत करनी पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था रहने से भू-बंधक बैंक से कोई भी आदमी मदद नहीं ले सकता है। दूसरी बात इसी भू-बन्धक बैंक के सिलसिले में मुझे यह कहनी है कि आप कहते हैं खाद्यान्न अधिक उत्पादन कराने के मामले में किसानों को ऋण के मामले में प्राथमिकता देना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आपके लैण्ड वेल्यूएशन आफिसर की आवश्यकता होती है, उस लैण्ड वेल्यूएशन आफिसर के लिए हमें चिल्लाते हुए कई साल हो गए, और सहकारी संस्थाओं को चिल्लाते हुए भी काफी समय हो गया, इस सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं ने कई बार राज्य सरकार को एप्रोच किया है लेकिन आज की तारीख तक उसके सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं हुआ है। और लैण्ड वेल्यूएशन आफिसर के नहीं होने के कारण ही यह भू-बन्धक बैंक प्रगति नहीं कर पा रही है। उनके पास दरख्वास्तें पहुंच जाती हैं लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं हो पाता है। इसका कारण एकमात्र यही है कि आज से काफी समय पहले जो भूमि मूल्यांकन आफिसर मिल जाने चाहिए थे वह नहीं मिले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी इस पद्धति की जरूरत नहीं है। अभी हमने भरतपुर में इस विषय पर विचार किया था। उसके बाद में भरतपुर के जिलाधीश ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि रोजाना जमीन का वेल्यूएशन कराया जाय उससे अच्छा तो यह है कि कलेक्टर अपने जिले में सर्वे करा कर प्रत्येक प्रकार की भूमि का वर्गीकरण कर ले, सिंचित जमीन का, चाही जमीन का, समस्त प्रकार की जमीनों की औसत कीमत यह है, बारानी, नहरी लैंड सबका करा ले। तो इस तरह का वर्गीकरण जिलाधीश द्वारा करा दिया जाय उसके बाद में रोज रोज इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तहसील में जाकर देख लें कि पांच वर्ष में कितने ऐसे मामले हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग जमीन की बिक्री करने के लिए आते हैं वह महज स्टाम्पस बचाने के लिए पांच सौ रुपये में यदि बेचते हैं तो कागज में उसको चार सौ दिखाते हैं। इसलिए जो मदद उनको आप देना चाहते हैं वह भी नहीं दे पाते हैं और साथ ही साथ आपको भी नुक्सान होता हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में यह तय कर लेना चाहिए कि जिलाधीश द्वारा प्रत्येक जिले में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय, उसके द्वारा भूमि का वर्गीकरण कर दिया जाय और उस वर्गीकरण के अनुसार जमीन की कीमत निर्धारित कर दी जाय। और दस साल के बाद में कीमत का दुबारा निर्धारण करा दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोजाना भूमि का वेल्यूएशन आफिसर के द्वारा कराया जाय उससे तो यह अच्छा रहेगा और इसमें दिक्कत भी नहीं आयेगी।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बीस मिनट मेरी पार्टी के लिए दिये हैं। अभी तो मैंने शुरू ही किया है---

श्री खेतसिंह : दस दस मिनट !

श्री नत्थीसिंह : एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि आपका जो सहकारिता का कानून है, वह आपके सहकारिता के मूवमेंट के माफिक नहीं है। राजस्थान में वर्तमान सरकारी कानून बना हुआ है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर वर्तमान सहकारी कानून इस प्रदेश में सहकारिता के आन्दोलन को पीछे ले जाने वाला है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ा कर कानून के माध्यम से सहकारिता की संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सरकार का प्राबल्य दिखाया गया है। हर क्षेत्र में हर वक्त जब सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप कर सकता है। तो उससे आप सहकारी संस्थाओं का गला घोंट सकते हैं। मैं सहकारी कानून का बार बार पारायण करता हूं, और जब इस एक्ट के सम्बन्ध में इस सदन में वाद-विवाद हुआ था उस समय मैंने कहा था कि इसके अन्तर्गत इतनी पावर दी गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश सब कुछ अधिकारी को बना दिया गया है। इसके बाद में जब इस एक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियम देखने में आये तो उसमें सरकार एक कदम और आगे निकल गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात का फैसला लें नीति विषयक कि आप आखिर क्या चाहते हैं, सहकारिता के आधार पर चलने वाला एक संगठन और आन्दोलन चाहते हैं या केवल सरकार के ऋण पर पलने वाला खिलोना चाहते हैं। यदि आपकी दूसरी तरह की नीति है तो आप फिर सहकारिता का नाम मत लीजिये, आप इसके बजाय सहकारिता का नाम लीजिये तो अच्छा है। यह आपकी नीति स्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कानून में तो परिवर्तन कभी करना लेकिन अभी जो कानून में प्रावधान है इसको आप जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिये। इसमें कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार की पावर्स हैं सहकारी संस्थाओं की देख रेख करने की, उनको वह सेन्ट्रल सहकारी संस्था को हस्तान्तरित कर दे जिससे वह अच्छी तरह उनका सुपरवीजन कर सके और मदद कर सकें। अभी तक किसी भी क्षेत्र के अन्दर ऐसा नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से आप यह कदम उठायें, सहकारी संगठन को एक आन्दोलन का रूप देने के लिए और कम से कम राज्य सरकार का हस्तक्षेप करने के दृष्टिकोण से जो पावर सेन्ट्रल सहकारी संस्थाओं को दे सकते हैं वह आप दें। आज स्थिति यह है कि चाहे जितनी आपने सहायता दी हो या और कोई चीज दी हो, लेकिन जो सीधा हस्तक्षेप सरकार का है, इसलिए सहकारी सस्थाओं की प्रगति नहीं रही ही है। इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

आज सुनते हैं कि जो क्रय विक्रय सहकारी संस्था है उनमें गड़बड़ी है और उसके कारण उनकी बहबूदी नहीं हो पाती है। लेकिन जो नीचे काम करने वाली सहकारी संस्थाएं हैं उनको भय रहता है कि कहीं ऐसी गड़बड़ी न हो जाय जिससे वह सरकार के हाथ में चली जाय इसके साथ उनको और सुविधाएं देंगे तो इसमें और सुधार हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जब चर्चा हुई थी, आज भी हमारा जो क्रय विक्रय संघ हैं, या जो सहकारी समितियां हैं, या जो उपभोक्ताओं को सामान मुहैय्या करने के लिए उपभोक्ता भण्डार है–यह सब सहकारिता के आन्दोलन के अंग हैं। इनको लेकर कई वार सदन में

(श्री नत्थीसिंह)

चर्चा होती है। मैं मानता हूं कि कई बात में कई गलतियां हो सकती हैं लेकिन मूल रूप से, नीति के रूप से यह बात सही है कि जो प्राईवेट ट्रेडर होता है उसके मुकाबले में सहकारी संस्थाओं पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा है। जब कंट्रोल ज्यादा है तो उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। गुड़ के मामले को लेकर इस सदन में बैठने वाले भाइयों ने चर्चा की, और उन्होंने सहकारिता के मूवमेंट के बारे में कहा, उसमें कुछ कमियां और गलतियां भी बतलाई। मैं इन बातों से गुरेज नहीं करता। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज बाजार में गुड़ का भाव क्या है? उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आज प्राइवेट ट्रेडर के हाथ में यह बिजनेस है तो उसके संबंध में कोई आवाज नहीं उठाते हैं। उसका कारण है कि सरकारी संगठन के जरिये हम को समाज का रूप बदलना पड़ेगा, सरकार को उसे आगे आने देना पड़ेगा, और समाजवाद में आस्था है तो समाज को आगे आने देना पड़ेगा। इसके साथ ही गलत काम करने वाले लोग हैं उनको आप सजा दें और उन पर नियंत्रण करें-इस बात को भी मानना पड़ेगा। हमें यह मानना होगा कि प्राइवेट सेक्टर की जगह सहकारी सेक्टर को मदद दी जाए और बहुत से काम प्राईवेट से लेकर सहकारिता में रखते हैं। मगर अबकी बार यह क्रय विक्रय को कैसे दे दिया, बड़ी गड़बड़ी हो जावेगी। मगर मेरी शिकायत दूसरी है। मेरी यह शिकायत है कि सरकार सहकारिता को बढ़ाने के लिए मदद नहीं देती। जैसा कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, और मध्यप्रदेश में और दूसरे प्रान्तों में सहकारी संघों को मजबूत बनाने के लिए 20-20 करोड़ रुपये दिये गये हैं। आपने 40 लाख का अनुदान दिया उस पर आप कहते हैं कि अब तक हम मजबूत बना रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह नीति का प्रश्न है और आज इस बारे में राजस्थान सरकार का हाल है वह एक बिल्कुल ढिलमिल आदमी का जो हाल होता है उस प्रकार का हाल है। उनको नाम के लिए समाजवाद से प्यार है, समाजवाद का वे नाम लेते हैं मगर हम देखते हैं कि आज सहकारिता की बहुत दुर्दशा हो रही है। उनको प्रोत्साहन और सहायता जो मिलनी चाहिये नहीं मिलती है। जैसे तैसे जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत होता है और सरकारी हस्तक्षेप के कारण उसकी तरक्की में घुन लग गये हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि उसको दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। दूसरे लोगों को आना होगा और पूंजी वालों को हटाना होगा और साधारण लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से सुधार होगा और सरकार को अपना आज का जो रवैया है उसको बदलना होगा। आज सहकारिता की जो हालत है वह हम देखते हैं जो पिछड़ी हुई दिखाई देती है और सरकार ने उसको आगे बढ़ाने के और ऊपर उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी इसका अनुभव है, सहकारिता समितियों का ज्ञान है। हम चाहते हैं कि आपके जमाने में सहकारिता को नया रास्ता मिले। मगर आज फाइनेन्स मिनिस्टर और इनके सेक्रेट्री यह मान कर चलते है कि जो उसके लिए उनको रुपया मिलता है वह राज्य का मान कर

(श्री, नत्थीसिंह)

चलते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है और वे गलत राह देते हैं इसलिए आप हिम्मत के साथ मांग करें कि जो बड़े सेक्रेट्री हों उसके लिए यह शर्त जरूर रखें कि सहकारिता विभाग से वह कम से कम तीन साल तक उच्च पद पर काम किया हुआ हो। तभी वह फाइनेन्स मिनिस्ट्री में बैठे तो मालूम होगा कि सरकार कैसे चलेगी। आज वित्त मंत्री कहते हैं कि हम इसमें कटौती करेंगे और उसमें करेंगे मगर मैं यह कहूंगा कि प्रकृति का चरण था उनमें आपने बाधा डाली है।

मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय की घंटियों का मुझे ध्यान है, इसलिए मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि आज राजस्थान में सरकार जो मुंह से सहकारिता का नाम जपती है और उसकी उन्नति के लिए आश्वासन देती है मगर वास्तव में उसको प्रोत्साहन नहीं देती है। मैंने देखा है और कई लोग कहते हैं इसके लिए और एक सज्जन का पत्र है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अनुदान दिये जा रहे है उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। पिछली बार अनुदान दिया गया था 1 लाख 80 हजार 600। इसलिए सहकारिता पर सबसे बड़ा वज्रपात आपके यहां हुआ है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी आंखों में सहकारिता खटकती है। इसलिए सहकारिता के दुश्मन हैं वे सरकारी नौकर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं चाहते है और इसी खतरे का सहकारिता को सामना करना पड़ता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें और सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उचित रूप से इसको प्राइवेट ट्रेडर्स से ऊंचा स्थान देगी तभी सहकारिता में हम आगे बढ़ सकते हैं अन्यथा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त।

श्री दुर्गालाल बाददार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे प्रथम कटौती प्रस्ताव है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के ऊपर गम्भीरता से विचार करके देखा जावे तो सेवा सहकारी समितियों में पेड सेक्रेट्रीज काम करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई नियम नहीं है। सरकार की ओर से नियमों से कोई उनकी नौकरी की जिम्मेदारी नहीं है जो मैट्रिक पास लड़के वहां सेक्रेट्री की जगह आकर काम करते हैं और जिस सहकारी समिति में वे काम करते हैं उनको किसी भी समय नौकरी से वंचित कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकारी आन्दोलन जो बहुत बड़ा और व्यापक आन्दोलन हो रहा है हजारों की संख्या में पेड सेक्रेट्री काम कर रहे हैं उनका आज भविष्य अंधकार में है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज ही सहकारिता मन्त्री यह घोषणा करेंगे कि पेड सेक्रेट्री की नौकरी को किसी तरह सरकारी नौकरी और पी.एफ. लागू करेंगे। आज अगर वह सर्विसेज में काम करते हुए सोसाइटी में उसकी मृत्यु हो गई या वह अपंग हो गया तो न सोसाइटी का और न विभाग का कोई दायित्व है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि आज कितने बैंक और सहकारी बैंक हैं उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है उसमें कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। किसी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

भी सहकारी बैंक में नये आदमी की नियुक्ति की जावे तो पहले पेड सेक्रेट्री की की जावे जिसका भविष्य अन्धकार में है और जिसके लिए कोई गारन्टी सर्विसेज की नहीं है, उनको पहले लिया जावे ताकि उनको विश्वास हो जाए कि उनको पोस्ट मिलेगी।

आज हमारी सरकार बराबर यह नारा लगाती है कि ग्रो मोर फूड के लिये को-आपरेटिव फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जावे और को-आपरेटिव फार्मिंग की स्थापना की जावे। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप कोटा जिले में देखें तो वहां पर जितनी को-आपरेटिव फार्मिंग हैं उसमें अधिकांश शाहबाद क्षेत्र में हैं। उसमें इस प्रकार की सोसाइटीज बनाई जाती हैं तो उसमें आदिवासियों का सहारा लिया जाता है मगर होता यह है कि सहारिया लोगों से मिलकर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आप देखेंगे कि टुचियार नामक स्थान पर को-आपरेटिव फार्मिंग के नाम पर 300 बीघा जमीन, 15 हजार का कर्जा ट्रेक्टर के लिये और सोसायइटी के भवन के लिये 11 हजार का सहकारी विभाग से अनुदान लिया गया। अनुदान लिया जाता है उसके बाद इन सहारियों को सोसायटी से हटा दिया गया और शाहबाद के पंचायत समिति के प्रधान को रजिस्ट्रार ने अध्यक्ष बना दिया और उन्होंने सब सहारियों को हटाकर अपने रिस्तेदारों को रख दिया।

(1 म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन गरीब सहारियों के नाम से गरीब भीलों के नाम से एक नहीं अनेकों इस प्रकार की सोसाइटीज रजिस्टर करवाई हुई हैं, जिनमें इन गरीबों में से कोई भी नहीं है, इन गरीबों के नाम से फर्जी सोसायटियां बनाकर जमीनें ली गई हैं, अनुदान लिये गये हैं, और ऋण लिये गये हैं। दीगोद ग्राम के सहारियों की सोसायटी है, उनके पुराने इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, उसके पुराने इतिहास को अगर खोद कर निकाला जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा उस को-आपरेटिव फार्मिंग के अन्दर एक मंत्री महोदय की श्रीमती-जी का नाम दिया गया, मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम है और उस सोसायटी में इसलिये दर्ज किया गया कि उस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो जाय। दीगोद सोसायटी का रजिस्ट्रेशन सहारियों के नाम पर हुआ उसके नाम से हजारों रुपयों का लोन लिया गया, जमीनें ली गई, पर आज उस पर कब्जा किसका है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दीगोद कोआपरेटिव फार्मिंग में एक भी सहारिया नहीं है, उस पर पंजाब से आये हुए सरदारों का कब्जा है। आज इस प्रकार की एक नहीं अनेकों फर्जी सोसायटीज हैं सहारियों के नाम से जिन्होंने सरकार से हजारों रुपये अनुदान में लिये हैं, हजारों रुपयों के लोन लिये हैं, भवन निर्माण के लिये लोन लिये हैं, और जमीनें ली हैं। आपके विभाग में इस प्रकार से काम किया जाता है।

इतना ही नहीं देलवाड़ा की को-आपरे-टिव सोसायटी है, वह गुड़ खण्डसारी का काम करती है, जिसमें 36 हजार रुपया गरीबों का बकाया है, उनको रुपया नहीं दिया जाता। उस सोसायटी में कोई भी आदिवासी सहारिया या किसान नहीं है, सब बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े जागीर-दार और जमीदार उसमें जमे हुए हैं।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

आज इस प्रकार को-ग्रापरेटिव मूवमेंट सफल नहीं हो रहा है, को ग्रोपरेटिव मूवमेंट फेल होने जा रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की बड़े बड़े जमींदारों, जागीरदारों और बड़े आदमियों से सांठ गांठ है, जो गरीब सहारियों की सूरत नहीं देखना चाहते वे लोग सहारियों के नाम से सोसायटीज बनाकर सरकार से रुपया लेते हैं, जमीनें लेते हैं और अनुदान प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोसायटीज बनी हुई हैं, उनकी बनाई हुई चीजों को सरकारी विभाग द्वारा नहीं खरीदा जाता है। कुंभकार सोसायटी बारा में बनी हुई है। मैंने सम्बन्धित विभाग से पूछा कि आपके विभाग में पानी पीने के लिये मटके आते हैं, आपके मकानों पर पानी पीने के लिये मटके आते हैं, जितने आपके यहां कर्मचारी हैं उनके पानी पीने के लिये मटके आते हैं तो उस सोसायटी से कितने मटके खरीदे गये ? एक भी मटका नहीं खरीदा गया। जंगलात में हजारों मिट्टी के गमले खरीदे जाते हैं, पर उस सोसायटी से एक भी मिट्टी का गमला नहीं खरीदा गया। तो फिर ये सोसायटीज कैसे चलेंगी। विभाग के अधिकारियों को अपनी तनख्वाह से मतलब, इन सोसायटीज को बढ़ाने में उनका कोई अनुराग नहीं हैं।

जो बैंक सरकारी सोसायटीज को लोन देते हैं उसकी लोन एप्लीकेशन तैयार करने में इन सोसायटीज को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि गांवों की सोसायटीज के अध्यक्ष, मंत्री आदि अनपढ़ होते हैं। आज इन सोसायटीज को ऋण लेने के लिये इन्स्पेक्टर, सहायक इन्स्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती है, जब तक ए. आर. को रिश्वत नहीं देते तब तक लोन नहीं ले सकते। जो लोग चलाक हैं, रिश्वत देते हैं, उन लोगों पर सोसायटीज की ड्यूज भी हैं तो उनको दुबारा ऋण मिलते हैं। इस सारी व्यवस्था में सुधार होना चाहिये।

मैं सहकारी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार नगर पालिकाओं के चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं उसी प्रकार इस सहकारी आन्दोलन को पवित्र और सुदृढ़ बनाने के लिये इनके चुनावों के लिये हमें एक नई व्यवस्था करनी होगी। सहकारी सभाओं के चुनाव भी चुनाव आयोग के अन्तर्गत होने चाहिये। दलगत आधार पर इस सहकारी मूवमेंट में काम होते हैं वे ए. आर. के मार्फत होते हैं, यह एक बड़ा आन्दोलन है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसके चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा करवाये जायें, जिससे कि यह आन्दोलन आगे बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज आप अपने कटौती प्रस्ताव हैं उसी सीमा में बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उसी पर बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

बारां में मार्केटिंग सोसायटी है। उसकी जांच हमारे भूतपूर्व ए. आर. ने की थी मुझे मालुम हुआ है कि उनकी रिपोर्ट बहुत विस्तृत है। उन्होंने 26 पेज की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष ने भारी गोलमाल किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस चीज का

(श्री देवीदत्त गाडिया)

धंधा मार्केटिंग सोसाइटी करती है, वह अध्यक्ष स्वयं कर रहे हैं। पर राजनैतिक पार्टी से वे सम्बन्धित हैं, इस कारण जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल रखी है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

जितनी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं गुड़ का धंधा कर सकती हैं, बादाम, काली मिर्च, पिश्ते का धंधा कर सकती हैं पर मेरी समझ में नहीं आता कि पम्पिंग सेट, बिजली का आवश्यक सामान जो किसानों को प्राइवेट फर्म्स से खरीद कर लाना पड़ता है, उनका धंधा क्यों नहीं करती। मार्केटिंग सोसाइटीज गुड़ में घोटाला करती है, उसको बंद करके यह धंधा उनसे करवाना चाहिये जिससे कि किसानों को उनकी आवश्यकता की चीजें सस्ते भाव पर दे सकें।

इतना ही नहीं मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खाद वितरण की व्यवस्था क्रय-विक्रय संघ के द्वारा की है और इसमें यह शर्त रखी है कि उसी किसान को खाद दिया जायगा जो क्रय विक्रय संघ का सदस्य है और जिसमें ऋण का पैसा बकाया नहीं है। हमारे राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते हैं, इसलिये कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये हर एक किसान को खाद मिलना चाहिये, चाहे वह क्रय-विक्रय संघ का सदस्य हो या नहीं हो, उसको बिना इस भेद-भाव के खाद मिलना चाहिये। सदस्यता का जो यह बंधन रखा है इसे हटा देना चाहिये। क्रय-विक्रय संघ को 5 प्रतिशत का कन्सेशन दिया गया है वह बन्द करके वह कन्सेशन किसानों को देना चाहिये और खाद का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि सभी किसानों को गांवों में खाद मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बीज और खाद का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ग्रामों में ग्राम सेवकों के पास जो खाद रखा जाता है वह बाहर पड़ा है, पानी बरस गया तो खाद खराब हो गया, ग्राम सेवक भवन है, उसमें खाद रख दिया जाता है, बरसात है मकान फट जाता है, खाद भी खराब होता है और मकान भी नष्ट होता है। ग्रामों में किसानों को खाद डालने का तरीका ठीक तरह से नहीं बताया जाता, कई किसानों को जबरन खाद दिया जाता है और इस तरह उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में आज सुधार करने की आवश्यकता है।

पंचायत समितियों के अधिकारी जो बीज खरीदते हैं वे गांवों में नहीं खरीद कर मंडियों से खरीदते हैं और फर्जी बिल बना कर व्यापारियों से सांठ-गांठ करके ऊंचे दामों पर किसानों को देते हैं। तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि इसकी खरीद के लिये कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिये, उस कमेटी के मार्फत ए. ई. ओ. बीज की खरीद करें।

अब मैं मंडी कमेटीज के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। जो मंडी कमेटीज बनी हुई हैं, उनमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है न वहां पानी की व्यवस्था है, न सुरक्षा की व्यवस्था है और न प्रकाश की ही व्यवस्था है। बारां मंडी में 3 लाख रुपये का सामान रोजाना बिकता है, जो किसान बारां की नगरपालिका को चुंगी देते हैं, मंडी कमेटी को टैक्स देते हैं, उन किसानों के बैलों को पानी पिलाने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है, तीन-तीन चार-चार

(श्री देवीदत्त गाडिया)

फर्लांग दूर जाकर उन्हें अपने बैलों को पानी पिलाना पड़ता है। लानत है ऐसी सरकार को और ऐसी मंडी कमेटी को। जो गरीब किसानों की पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, उस सरकार को मंडी कमेटी के नाम पर, नगरपालिका से चुंगी के नाम पर टैक्स लेने का हक नहीं है। कई बार किसानों ने आन्दोलन किया। उप जिलाधीश, बारां के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि पीने का पानी दो, हमारे बैलों को पीने का पानी दो। इतना ही नहीं आज वे गरीब किसान अपनी प्यास बुझाने के लिए कठोर परिश्रम करके भूख प्यास की चिंता नहीं करते, पापी पेट की प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए फिरते हैं, उनको आप दो चार अन्न के दाने देते हैं, इस प्रकार की लूट किसानों की हो रही है।

इतना ही नहीं, आज किसानों की चारों तरफ से लूट हो रही है। आज गांव के अन्दर लेवी के नाम पर जो इस तरह की लूट मचाई जा रही है, उसमें किसानों की आमदनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम किसान को दाता जरूर कहते हैं लेकिन आज उसका शोषण हो रहा है। उसको बीज कम और खराब दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि सरकार जिस समय किसानों को बीज दे, उसके बदले में बीज ही ले। आज पंचायत समितियां जो बीज देती हैं तो उसके दाम चार्ज करती हैं और जिस समय बीज दिलवाया जाता है तब भावों से लिया जाता है, इस तरह की दुधारी तलवार का शिकार किसान को बनना पड़ता है।

पशुपालन विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि पाली के अन्दर पशुपालन विभाग के अन्दर डाइरेक्टर से चपरासी तक जितने कर्मचारी हैं सारे के सारे....

श्री उपाध्यक्ष : आपका पशुपालन विभाग के बारे में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तय हो चुका है दलों की तरफ से कि सम्बन्धित चीजों पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इस तरह का जनरल डिस्कशन ही करना है तो फिर प्रोसीजर से कट मोशन्स के प्रोवीजन को ही निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : 40 मिनट का समय जनसंघ को है। 20 मिनट आपने ले लिये हैं। जब 40 मिनट हो जायेंगे तो घंटी बज जायगी। अगर वह इस समय ही 40 मिनट लेंगे तो उनके दूसरे साथियों को अवसर नहीं मिलेगा।

श्री पी० के० चौधरी: But he must confine to the cut motions moved by him.

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने अपने कट मोशन्स पर बोल दिया। उनका कहना है कि दूसरे कट मोशन्स के बारे में उनके दल की तरफ से कुछ बातें कहनी हैं, तो कहने दीजिए।

श्री देवीदत्त गाडिया : पशुपालन विभाग में डाइरेक्टर से लेकर चपरासी तक तमाम के तमाम अन्कन्फर्म्ड हैं। यह बड़े दुःख की बात है और आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय सोते रहे हैं, सरकार खुर्राटे मार रही है और इसकी कोई जांच नहीं की है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दूसरे पाली सघन खेती में 3 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन तमाम के तमाम व्यर्थ हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जिस सघन खेती पर 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, तो इस कांड की जांच तो होनी चाहिए। सरकार एक तरफ कहती है कि मजबूरन किसान पर टैक्स लगाना पड़ता है, गरीब नागरिकों पर टैक्स पड़ा है क्योंकि उनके कहने के अनुसार सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति क्यों नहीं खराब होगी यदि इस प्रकार 3-3 करोड़ रुपए का दुरुपयोग होगा ?

गंगानगर की पंचायत समिति ने एक लाख रुपये खर्च किये जिनका उपयोग खेती के काम में नहीं हुआ और उन रुपयों का कोई हिसाब किताब नहीं है। विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दें, तो यह बहुत ही गंभीर बात है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार विचार करे।

सहकारी विभाग को, जो भ्रष्टाचार बारां ए. आर. के द्वारा हुआ है, जो गंभीर आरोप रिश्वतखोरी के उन पर हैं जिनकी डिप्टी रजिस्ट्रार ने जांच की है, उस पर ध्यान देना चाहिए, इस मामले को दबाना नहीं चाहिए। ऐसा करना सहकारिता आन्दोलन को नीचे गिराना है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग नं० 18, 19 26 के बारे में वादविवाद हो रहा है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव और कुछ ऐतराजात पेश करूंगा। मेरा पहला ऐतराज यह है कि आज 20 वर्ष देश को स्वतन्त्र हुए हो गए, अपना भारतवर्ष खेतीहर देश माना जाता है और महात्मा गांधी ने भी इसको किसानों का देश माना है तो ऐसी हालत में आज किसानों की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण हमारे प्रशासन की अव्यवस्था है। प्रशासन से इस बारे में यह अनुरोध किया गया है कि किसानों की फसल का बीमा किया जाय।

आज अगर यह व्यवस्था पहले ही होती तो जो ऐतराज पेश करना पड़ रहा है, जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, शायद यह बीमा होने के बाद एकाएक हमको दुर्भिक्ष का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि जो फसल बोई जाती है वह केवल भगवान और ईश्वर पर निर्भर होती है कि उस किसान को फसल पर्याप्त रूप से मिलेगी या नहीं। इस आधार पर सरकार को मेरा सुझाव है कि किसानों की फसल का प्रारंभ से ही बीमा करा दिया जाय ताकि कहीं अगर हालत खराब हो जाय तो उसकी राहत किसानों को मिल सके।

सरकारी कर्मचारियों की अयोग्यता के कारण जो कृषि भूमि के अन्दर उत्पादन वृद्धि का अभाव हो रहा है उसका कारण सरकारी अधिकारी हैं। मैं आपको उदाहरण दूं। गनेरा गांव में अजमेर के अन्दर पानी लाने के लिए योजना बनाई गई थी। गनेरा के अन्दर झरना बहता था और उसके कारण पानी इतना ज्यादा था कि वहां पर गन्ने की फसलें पैदा होती थीं, अमरूद के बगीचे थे और गन्ने का गुड़ अजमेर जिले में पर्याप्तरूप से मिलता था लेकिन अधिक-

(श्री विजयसिंह रावत)

कारियों की गलत प्लान के कारण उस कृषि भूमि का ऐसा सत्यानाश किया गया है कि वहां पर जो कुएं खोदे गये हैं उनको खोद कर सारा पानी खींच कर अजमेर को दिया गया है और उन कुओं में वापस पानी लाने के लिए एक बांध की योजना थी। सरकार उस योजना को 10 वर्ष में पूरा नहीं कर सकी। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जहां एक तरफ कृषि भूमि में कुआं खोद कर सरकार बड़े शहरों को पानी दे, उससे पहले आप विचार करें कि निकटतम भूमि पर क्या असर पड़ेगा। किसानों को पानी सिंचाई के लिए मुहैया करके उसके बाद उस योजना को लागू किया जाय और पानी बड़े शहरों को दिया जाय। यह कृषि का हनन है।

तीसरे पशुओं के बारे में मेरा सुझाव है कि जो दफा ९१ के मुकदमे हैं और नए जंगल बनाने की सीमाएं निर्धारित की हैं. इससे राजस्थान के पशुओं पर तो असर पड़ा ही है। लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे अजमेर जिले के जानवरों पर पड़ा है। अजमेर जिले में वैसे ही भूमि इतनी पर्याप्त नहीं है कि जो चरनोट के काम में आ सके, तो उसके साथ साथ सरकार ने अन्धाधुन्ध बिना गांव वालों की कन्सेंट के नये जंगलों का डिमार्केशन किया है। उसका नतीजा यह हुआ कि आज वह जंगल भी नहीं पनपे और पुराने जंगल भी नष्ट हो गये। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि कोई नया जंगल बनाने से पहले और धारा 91 लगाने से पहले और उस भूमिहीनों को जमीन एलाट करने से पहले, तीनों चीजों को रखने से पहले वहां के पशुओं की जनगणना करे और चरनोट भूमि देने की व्यवस्था करे जिससे पशु चर सकें।

वर्षा ऋतु के अन्दर जो पुराने जंगल हैं जहां पेड़ काफी मैच्योर हो चुके हैं, वहां इन जानवरों के चरने के लिए फ्री छूट दी जाय। जिससे कि वह जानवर अगर अकाल भी पड़ जाय तो वर्षा के बाद उनमें चर्बी और खून इतना आ जाय कि कम से कम दो महीने बिना घास मिलने पर भी जिन्दा रह सकते हैं।

चौथा मेरा सुझाव है कुओं के बारे में। सरकार की गलत नीति और गलत योजनाओं के कारण सिंचाई में बाधा पड़ती आ रही है और यह डिपार्टमेन्टल असुविधायें हैं जिनके कारण ये सारे काम होते आ रहे हैं, इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार इस ओर जागरूक है कि हमारे प्रदेश की उन्नति हो, कृषि उत्पादन बढ़े लेकिन दूसरी तरफ वह नहीं देखती है कि योजनायें बनती हैं वह कहां तक पूरी क्रियान्वित होती हैं। इस वक्त कुओं में पानी गहरा चला गया है, उनको अधिक से अधिक गहरे कराने और खोदने के लिए सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि वहां मशीनें लाये और उसके लिये एक्सपर्ट स्टाफ रखें, यह न हो कि मशीनें आती हैं वे छः महीने के बाद रिपेयरिंग के लिए ही पड़ी रहती हैं। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। वर्षा के अभाव के कारण पानी कुओं में नीचा गहरा चला गया है, उन कुओं को गहरा करने के लिये, उनको खोदने के लिये सरकार जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करे।

इसके अलावा नाडियें और तालाब हैं जिनमे छोटे छोटे किसान अच्छी तरह से

(श्री विजयसिंह रावत)

सिंचाई कर सकते हैं अपनी जमीन की, उन को जब वर्षा ऋतु ही खत्म हो जाती है तब सरकार ठीक कराती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे नाड़ो और तालाब का काम वर्षाकाल शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया जाय जिससे उनमें वर्षा का पानी इकट्ठा होवे। वहां पानी इकट्ठा होने से जानवरों को तो पानी मिल सकेगा। गांवों के लोगों को पीने का पानी पर्याप्त नहीं मिलता है, जानवरों को तो मिलता ही नहीं। तो नाडी और छोटे छोटे तालाब होने से हमारी समस्या हल हो सकती है। ये थोड़े पैसों और थोड़े साधनों से हो सकती है। सरकार आदेश तो जरूर कर देती है कि नाडी पर काम करा रहे हैं, तालाब बना रहे हैं। लेकिन उस योजना को लागू नहीं किया जाता है। लागू किया जाता है तो वर्षा होने से आठ दस दिन पहले किया जाता है। इससे दस पांच लाख रु० खर्च किया जाता है उसका दुरुपयोग होकर पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। इसलिये कृषि उत्पादन की योजना बनाई गई है वह पूरी होती है या नहीं यह सरकार देखे।

सरकार की ओर से कृषि के लिये कर्जा मिलता था। सहकारी समितियों द्वारा अब कर्जा देने के लिये नया कानून किया है। इतने दिन ग्राम सेवक की रिकमेन्डेशन, प्रधान और बी० डी० ओ० तक कार्यवाही सीमित थी। लेकिन सहकारी समिति के नियमों के अनुसार किसान को कर्ज लेने में असुविधा रहेगी। जिस कोओपरेटिव सोसायटी में 40 मेम्बर हैं। 24 मेम्बरों पर कर्जा है और 16 ने वापिस कर दिया तो उस कोओपरेटिव को कर्जा नहीं मिल सकेगा। उस क्षेत्र का किसान कर्जा लेने से वंचित रह जायगा। उसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा। सहकारी समिति से कर्जा दिलाया जाय, खाद वितरण कराया जाय। इसके लिये नियमों में संशोधन कराया जाय। जो मेम्बर समिति के पूरे हैं वे कर्जा वापिस करते हैं, किसान के द्वारा कृषि उत्पादन और सिंचाई के लिये कर्जा मांगा जाता है वह उनको सुलभ तरीके से मिल सके ऐसी व्यवस्था नियमों में करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दफा 91 के लिये और सुझाव देना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : एग्रीकल्चर पर बोल लें।

श्री विजयसिंह रावत : इसी कृषि उत्पादन से सम्बन्ध रखता है। जो किसान कृषि उत्पादन के लिये आस पास की जमीन खोद कर अपनी जमीन में शामिल कर लेता है रिकार्ड में 5 बीघा है लेकिन इस तरह खोद कर आधा बीघा या एक बीघा मिला लेता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए और दफा 91 लागू नहीं की जाय।

बरसात से पहले, किसान को जिन-जिन बीजों की आवश्यकता है, सरकार जागरूक होकर एक महीने पहले उन बीजों को मुहैया करे ताकि किसान उनका अच्छी प्रकार से उपयोग कर सके और सरकार की योजना जो बनी हुई है, किसी प्रकार सफल हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि की मांग पर 2 कटौती

(श्री शंकरलाल)

प्रस्ताव रखे हैं और सहकारिता की मांग पर भी मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के संबंध में एक विशेष योजना जो इस राजस्थान के अन्दर पाली जिले में लागू की गई और जिसे सघन कृषि कार्यक्रम कहा गया उसके विषय में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय 1961 में जब यह योजना पाली जिले में आरम्भ की गयी थी तो राजस्थान के पूरे इस जिले के लिये लागू हुई थी यह सघन कृषि कार्यक्रम ऐसी सफलता देगा कि दूसरे हिस्सों में भी इसके लिये प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात सही है कि सन् 61 के बाद 67 में इस योजना की उपलब्धियों की ओर देखते हैं तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है लेकिन इस योजना को बिलकुल पाली जिले से हटा दी जाय यह सरकार के लिये न्यायोचित कदम नहीं कहा जा सकता। यह बात सही है कि 61 के बाद 62-63 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि पाली जिले में इस योजना से काफी वृद्धि हुई है। 64-65 और 66 ये तीन वर्ष ऐसे रहे हैं जो पाली के अन्दर अकाल क्षेत्र रहा है और उसमें यह आशा करें कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये था वह नहीं बढ़ पाया, इसके लिये यह कहा जाय यह योजना पाली जिले में असफल रही है उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वहां के किसान ने इस योजना को नहीं समझा। वहां पर अकाल पड़ा है यही मुख्य कारण है।

जब इस योजना का बीजारोपण किया गया तो इसकी सफलता के लिये सरकार को ऐसा वक्त देखना चाहिये था जोकि अकाल का वक्त न हो तो मालूम हो जाता कि कितनी पैदावार बढ़ती है। 67 के बाद आशा की जानी चाहिये थी कि वर्षा अच्छी हो तो उसमें कितनी पैदावार होती है। उपाध्यक्षजी, आप अन्दाज लगाइये कि 5 साल में कितना स्टाफ वहां रखा होगा, कितने बड़े पैमाने पर मकान बने हैं और कितना रुपया लगा है और उसको यकायक हटा देना यह सही बात नहीं है। एक पौधा लगाते हैं, उसके लिये चार-पांच साल के बाद ही आशा करें कि फल देने लग जाय जबकि उसकी अवधि ही सात आठ साल हो, फिर उसको उठा कर फेंक देना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है।

इसके दूसरे कारणों पर भी निवेदन करना चाहूंगा। पहला कारण तो यह रहा कि इसमें जितना भी सरकार की तरफ से टेक्निकल स्टाफ आया वह ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था, किसान को पूरी जानकारी नहीं दे सका कितना खाद डालना चाहिये था किसान को इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता और योजना का पूरा लाभ नहीं उठा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैंने वहां के जिला परिषद् के उप प्रमुख के नाते सुमेरपुर पंचायत समिति का निरीक्षण किया और फील्ड पर किसानों से मिला तो पता लगा कि एक तरफ जिस किसान के खेत में खाद डाला गया उसमें उत्पादन नहीं बढ़ा पर पास ही जिसमें नहीं डाला तो उस खेत में उत्पादन अच्छा था। जांच से मालूम हुआ कि ए. ई. ओ. ने मिकदार नहीं बताई कि कितना खाद डाला जाय। ज्यादा डाल दिया गया इसलिये फसल नष्ट हो गई। इसलिये जब ट्रेण्ड और टेक्निकल स्टाफ नहीं हो तो योजना सफल नहीं होती।

(श्री शंकरलाल)

दूसरा कारण यह भी था। जवाई बांध के एरिया को लीजिये। इससे सिंचाई के लिये पानी जो दिया जाता है उसमें यह नीति अपनाई जाती है कि सभी किसानों को खुश रक्खा जावे। इसका परिणाम यह होता है कि जिस खेत को चार पाण की जरूरत होती है उसे तीन ही मिल पाता है और जो खेत दूर हैं उनको भी यदि तीन पाण देते हैं तो उसको भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पहुँचते-पहुंचते काफी पानी नष्ट हो जाता है। तो नीति इस बारे में यह होनी चाहिये थी कि कम से कम एरिया लिया जावे, पर जिसे आप धपाऊ प्रोग्राम कहते हैं उसके अनुसार उस एरिया को हर तरह की सुविधा दी जावे। पूरा पानी, पूरी खाद, पूरा बीज आदि। फिर पता लगता कि इस योजना से लोग लाभ उठा सकते हैं या नहीं फिर जिले में भी एक पर्टिकुलर एरिया लेना चाहिये था।

समय कम है, इसलिये मौजूदा योजना के बारे में यही कहना चाहूंगा कि एकदम उसको वहां से उठा लिया गया है तो उस पर पुर्नविचार करें। कम से कम जहां इरिगेशन की फेसिलीटी हैं वहां के किसान को सब सुविधाएं मिलती रहें जो पेकेज प्रोग्राम में मिलती थी। उनको जारी रखने के बाद देखें कि आने वाले समय में उत्पादन बढ़ता है या नहीं। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि कृषि उत्पादन बढना चाहिए, दूसरी तरफ उत्पादन की योजनाएँ बन्द करके नाम बदनाम करते हैं, सही कारणों को दूर नहीं करते और फिर कहते हैं कि योजना सफल नहीं हुई तो यह सही नहीं है।

सरकार कृषि के मामले में इरिगेशन की सहूलियतों का प्रबन्ध करें। खास कर जहां ये सहूलियतें आसानी से उपलब्ध न हो सकें तो वहां कुओं को गहरा करने के लिये या नए बनाने के लिये बोरिंग मशीनों का प्रबंध करें। दूसरे दूसरे कई प्रकार के फालतू कामों में तो सरकार बहुत पैसा खर्च कर देती है। पर इसके लिये भी सरकार थोड़ा ध्यान दें। गांव गांव में इसकी मांग है।

इससे कुओं में पानी आ सकता है। इससे सैकड़ों किसानों के कुए ऐसे हो सकते हैं जिससे काफी सिंचाई हो सकती हैं और लाखों मन अनाज पैदा हो सकता है। आज गरीब किसान के पास उतना पैसा नहीं कि मशीन की पूरी कीमत दे सके या उससे किराये पर खुदाई कराने के लिये ला सकें। इससे काफी खर्चा आता है। अब इतना खर्चा करने के बाद भी अगर पानी नहीं निकले तो किसान तो कहीं का नहीं रह जाता। इसमें 1500-1700 रु० का खर्चा आता है। तो सरकार इसके लिये सबसिडी दे सकती है। खोदने के बाद भी अगर पानी न निकले तो सरकार उनकी मदद करे। यह ब्लास्टिंग और बोरिंग मशीनों की योजना ऐसी है कि अकेले पाली जिले में सैकड़ों किसानों को इससे लाभ हो सकता है और कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है।

सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। गत वर्ष में इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे देखते हुए आशा थी कि सरकार इस बजट में अधिक धनराशि का प्रावधान करेगी। इसे एक जन आन्दोलन बनाकर समाजवाद की स्थापना की नीति पर यह बजट आधारित होगा। पर खेद है कि इसके लिए 6 लाख से घटाकर 3 लाख ही बजट में रखा गया है। सहकारिता की शिक्षा का प्रचार आप नहीं करेंगे तब तक जन आन्दोलन इसे कैसे बनावेंगे।

(श्री शंकरलाल)

कहते हैं सहकारी समितियां हिसाब ठीक नहीं रखतीं। सहकारी बन्धु नियमानुसार काम नहीं करते। इसका कारण क्या है ? केवल नीति पर आक्षेप करना उपयुक्त नहीं होगा। सहकारी शिक्षा भी इसके लिये जरूरी है। अगर इसको बढ़ावा देना चाहती है यह सरकार अगर वह चाहती है कि सहकारिता प्रगति करे तो उसे सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

आज जो युनिट्स हैं, सहकारी शिक्षा की पुस्तकें या शिक्षक हैं वे इतने कम हैं कि पहले ही वे सहकारी समितियों को शिक्षण नहीं दे पाते आप उसमें भी कटौती करना चाहते हैं। होना तो यह चाहिये था कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक इन्स्ट्रक्टर आप रखते जिसके अन्तर्गत 15-20 सोसाइटियों से ज्यादा न हों। वे उनको सही तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं और तब सहकारी समितियां पनप सकती हैं।

मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि हम चाहते हैं कि खाद्यान्न वितरण में कम से कम भ्रष्टाचार हों। इसके लिये मैंने देखा है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार उपयुक्त साबित हुए हैं। मैं पाली जिले का उदाहरण देना चाहता हूं पाली खास का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां इन्डिविजुअल आदमियों को धान और शक्कर का कोटा दिया हुआ था और जितने राशन कार्ड आते थे पूरा महीना होने से पहले ही कह देते थे कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब सहकारी भण्डार ने धान के वितरण का काम शुरू किया तो हम देखते हैं कि सब कार्ड वालों को देने के बाद भी किसी महीने में 10 बोरी बच रहती हैं किसी महीने में 20 बोरी बच रहती हैं। इसमें वे फर्जी आदमियों को वितरण कर नहीं सकते। फर्जी राशन कार्ड वालों को कर नहीं सकते। उनका ऑडिट होता है, उनका अपना बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स होता है, मेम्बर होते है। हिसाब की पूरी पूरी जांच पड़ताल होती है।

इनका प्रसार करने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे और पूरे राजस्थान के अन्दर इनकी स्थापना करे तो बहुत बड़ी समस्या सरकार की हल हो सकती है।

सप्लाई के मामले में कोआपरेटिव को ठेका देने में प्राथमिकता दो जानी चाहिये। ये यह काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, आर्थिक दृष्टि से भी। पर इनका काम व्यक्तिगतरूप से दिया जाता है, इसका कारण समझ में नहीं आता। सरकार जिलाधीशों के नाम आदेश जारी करे। एक तरफ सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की बात करते हैं दूसरी तरफ नियन्त्रित वस्तुओं को बितरण के लिये सहकारी भण्डारों को नहीं देना चाहते, व्यक्तियों को देना चाहते हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। या फिर आपकी सर्विस के लोग आपकी नीति से सहमत नहीं हैं, उसको सफल नहीं होने देना चाहते।

सहकारिता हमारी समाजवाद की रीढ़ की हड्डी है। इसके द्वारा ही आप समाजवाद ला सकते हैं। इसलिए इसको पनपाने के लिये बजट में आपको अधिक प्रावधान रखना पड़ेगा।

श्री रावतराम (छापर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव कृषि विभाग के सम्बन्ध में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देखा जाये तो राजस्थान में कृषि का

(श्री रावतराम)

उत्पादन सरकार जिन लक्ष्यों को लेकर चलती है उसके मुताबिक लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं और उसकी वजह वर्षा का अभाव और सूखे की स्थिति यह सारे कारण बताये गये हैं। यह ठीक है मैं मानता हूं इस बात को कि अनावृष्टि के कारण फसल की स्थिति पर फर्क पड़ता है, कृषि उत्पादन पर फर्क पड़ता है लेकिन जिस गति से सरकार को कृषि उत्पादन के लिए चलना चाहिए या ध्यान देना चाहिए उस तरीके से सरकार नहीं चल रही है। मैं आपको बताऊं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 65-66 में जहां हमारा लक्ष्य था 37.20 लाख टन 1966-67 में बढ़ा नहीं बल्कि उतना ही रहा 37.87 लाख टन। इसी तरह से 1966-67 में जो कृषि उत्पादन का लक्ष्य हमारा था 4.51 लाख का उसकी जगह हमारा उत्पादन बढ़कर 1.88 लाख रहा। तो इसका मतलब यह है कि हर साल जितना लक्ष्य हम लेकर चलते हैं उसके मुताबिक हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाये हैं। हम यह कहकर नहीं चल सकते कि वर्षा की कमी रही या सूखे कि स्थिति रही। मैं इस बात को पहले ही मानता हूं कि इससे फ़र्क पड़ता है लेकिन हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जिस हालत में आज हम कृषि उत्पादन की तरफ ध्यान दे रहे हैं उस तरीके से यदि हम चलते चलें तो हमारे इस प्रान्त में जो कि हम एक सरप्लस स्टेट मानकर चलते हैं और भी हमारे सामने दिक्कतें पैदा हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि आज हमारे सामने राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने अनाज की प्रोब्लम है। उस अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार जो फोरेन से अनाज मंगाती है अमेरिका से, कनाडा और आस्ट्रेलिया से और दूसरी दूसरी जगह से हम लाल गेहूं मंगाकर इस देश के अनाज की कमी को पूरा करते हैं यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने वर्षों के बावजूद जब कि हमारे यहां पर लोकप्रिय सरकार बनी और उसके बावजूद भी आज हम दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसारने के लिए जाते हैं आज यह सोचनीय विषय है जिसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, हिन्दुस्तान के लोगों को विचार करना चाहिए और जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उनको विचार करना चाहिए। हमारा उत्पादन दिन प्रतिदिन क्यों गिरता जा रहा है? इसका कारण यह है कि क्योंकि हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है। हम डरते इसलिए हैं कि यह करना जरूरी है और इसलिए हम इसको फर्ज मानकर पूरा करते हैं और उस फर्ज के नाते उस काम को समाप्त कर देते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या स्थिति है। आज किसानों के साथ क्या बीतती है? आपका कृषि विभाग आज किसानों को क्या देता है? किसानों को क्या स्योरिटी है? अन्न पैदा करने वाले किसान को कौन संभालता है? आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो अनाज पैदा कर सकता है उसको आप क्या दें। आज यदि कोई अनाज पैदा कर सकता है तो वह किसान ही पदा कर सकता है। इसलिए हम जितनी ज्यादा सहायता, जितनी ज्यादा सहूलियतें दे सकते हैं उतनी किसानों को देनी चाहिए। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय यहां तक कहूंगा कि हमारी जो दूसरी स्कीम्स चलती हैं,

(श्री रावतराम)

डेवलपमेंट की चलती हैं और दूसरी दूसरी सोशियल वैलफेयर की स्कीम्स चलती हैं मैं चाहता हूं कि उनको किसी भी तरह से, किसी भी हद तक कट किया जा सकता है और उनको कट करके देश के सामने जो महत्वपूर्ण प्रोब्लम है भूख की उसको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक योजना बनाकर चलना पड़ेगा कि जिस मशीनरी के द्वारा जिन लोगों के द्वारा और किसानों के द्वारा हम चाहते हैं हमारे देश की अनाज की समस्या का हल हो। उसके लिए किसानों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज किसानों को गाइड करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए जो एग्रीकल्चर विभाग से लिट्रेचर निकलता है खाद के लिए, बीज कहां से मिलता है, कौन से समय में कौनसी फसल बोनी चाहिए इस तरह का लिट्रेचर आता है वह सारा का सारा अंग्रेजी में आता है और वह डिस्ट्रिब्यूट होता है पंचायत समितियों में, पंचायतों में और वहां पर कोई अंग्रेजी पढ़ही नहीं सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि अनाज का उत्पादन बढ़े तो हमको किसानों को एक तरह की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आज हमारे किसानों की स्थिति यह है कि उनके पास खेत में हल नहीं है, उनके पास बीज नहीं है, खाद नहीं, उनके पास चारा नहीं है, तो सरकार के पास भी ऐसी प्रायोरिटी कोई नहीं है कि आज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यह बात बताना चाहता हूं कि जिन इलाकों में नहरों से सिंचाई होती है, जिन इलाकों में छोटे बांधों से सिंचाई होती है, इसके अलावा जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है जैसे मैं चूरू का नाम ले सकता हूं बीकानेर का नाम ले सकता हूं। और दूसरी जगह जैसे सीकर और झुंझुनू का नाम ले सकता हूं यदि इन जिलों में भी प्रयास किया जाय तो वहां भी छोटी सिंचाई योजनायें किसी तरह से चालू हो सकती हैं। उन इलाकों में जहां मीठा पानी है और जहां 150-140 फुट पर पानी मिलता है वहां पर खेतों में कुए बनाने के लिए किसानों को लोन देना चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कि जहां भी लोन दिया गया है, जहां भी थोड़ा बहुत खाद और बीज वगैरह दिया गया है वहां स्थिति यह है कि जहां आपने कुओं का लोन दे दिया और यदि वहां पर कुआ बन गया और बिजली की लाईन पास में खड़ी है पर उनको बिजली नहीं मिलती है, यदि बिजली का कनेक्शन मिल गया है तो पम्पिंग सेट का लोन नहीं मिलता, पम्पिंग सेट का लोन मिल गया है तो आपको उन्नत बीज नहीं मिलते, खाद नहीं मिलती और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कृषि मंत्री महोदय इस बात की जानकारी करालें तो आज चूरू में जो आपका डिपार्टमेंट है वहां पता लगायें कि एक क्विंटल भी यदि रसायनिक खाद या कम्पोस्ट खाद वह देने की स्थिति में हैं तो आप जानकरी कर लें। हम जाते हैं वह कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। बीज के लिए, खाद के लिए जाते हैं, उनकी सलाह लेने के लिए जाते हैं कि हमारे कुअ में पानी कैसा निकला है, हमारे खेत की जमीन कैसी है लेकिन वह इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। मैं कहता हूं कि आपको इन सब चीजों की

(श्री रावतराम)

जानकारी करनी चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है। पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारी हैं, पंचायत समितियों में ग्राम सेवक हैं, आपने कितनी ही बड़ी मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक लगा रखी है क्या किसी ने किसान के घर जाकर या उसके खेत पर जाकर किसी किसान को यह सलाह दी कि इस खेत में किस तरह की खाद देने से और किस तरह के औजार काम में लाने से खेत का उत्पादन बढ़ सकता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार शुरु शुरु में जिला प्रमुख था। उस समय मुझे राजगढ़ पंचायत समिति में जाने का मौका मिला तो वहां के आंकड़े देखे। फिर गांव में भी गया तो विकास अधिकारी ने गवर्नमेंट को आंकड़े भेजे उसमें उन्होंने दिखाया कि रबी की फसल के लिए प्रयास किया और इतने एकड़ में फसल बोई गई। वह कोई विकास अधिकारी के प्रयत्न से नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि वहां के किसान जो कि हरियाणा के करीब रहते है, जब उन्होंने देखा कि वहां पर रबी की फसल अच्छी होती है तो राजगढ़ की देखादेखी तारानगर के लोगों ने भी रबी की फसल बोना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह से जो किसान स्वयं इनीशियेटिव लेकर कोई काम करता है तो वह तो अलग बात है बाकी डिपार्टमेन्ट की ओर से किसी तरह की एडवाइस या कोई जानकारी मिलने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे गांव का जिक्र मैं करना चाहता हूं। मैंने प्रयत्न किया 4-5 कुए बनाने का और कोई 5 कुए बने हैं और उनमें मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में हैं और आपको आश्चर्य होगा कि बिजली का एक ट्रान्सफोर्मर उनके पास में ही है। 6 महीने हो गए किसानों ने एप्लीकेशन दे रखी है बिजली विभाग में लेकिन 6 महीनों के बाद भी आज उन कुओं को कनेक्शन नहीं मिला है। एक फसल चली गई, क्यों नहीं आपने बिजली को मुहैया किया! क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? जब आपको जानकारी नहीं है कि कहां कुए बने हैं, कहां बिजली पहुंची है और कहां पर नहीं पहुंची है। तो इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपकी इस तरह की सुस्ती से, आपकी इस तरह की ढिलाई से यह सब हो रहा है हम चाहते हैं कि हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं सकेगा। पर्सनली आपको इन बातों की ओर इंटरेस्ट लेना होगा, पर्सनली आपको इनको चैक अप करना होगा कि कहां कुआ है, बिजली कहां पर नहीं पहुंची है, कहां पर किस तरह की दिक्कत है। इन सारी बातों की ओर उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव को ओपरेटिव के बारे में है, और उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे चुरू जिले में एक भूमि-बन्धक बैंक हैं जिसे खुले हुए 6-7 साल हो गए हैं, इस दर्मियान में न मालूम कितने ही लोगों ने वहां पर दरख्वास्तें दी हैं कि उन्हें बैंक से कर्जा दिलाया जाय। वे आशा करते थे कि कर्जा मिलेगा और कर्जा मिलेगा तो उससे जमीनों का सुधार करेंगे, खेतों में कुआ बनायेंगे, खेतों में नालियां बनायेंगे, खेतों में मेड़बन्दी करेंगे, इन बन्धक

(श्री रावतराम)

बैंकों से कर्जा मिलेगा तो और और बातें करेंगें। उन्होंने एप्लीकेशन्स दीं, उनका पैसा खर्च हुआ। मेरा ख्याल है कि हजारों दरख्वास्तें वहां पर आई होंगी। आपका भी भूमि बन्धक बैंक के ऊपर पैसा खर्च हुआ होगा। वहां के अफसरों पर, वहां के कर्मचारियों पर, उनके टी० ए०, डी० ए०, पर लेकिन आज तक उस भूमि-बंधक बैंक के जरिये कितना कर्जा दिया गया, क्या मन्त्री महोदय यह बता सकेंगे कि कितने लोगों को आपने लोन दिलवा दिया? सिवाय दो चार के किसी को इन छः सात साल में लोन नहीं दिया होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बैंक खोलने से फायदा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है, लोन देने के लिए धन नहीं है, फिर आप बैंक खोल कर जनता को परेशान क्यों करते हैं।

(समयसमाप्तिसूचक घण्टी)

इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे चुरू जिले में जो भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किया गया है उससे अगर कर्जा नहीं दे सकते तो फिर जनता को क्यों परेशान किया जाता है, इस बात की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि जब मन्त्रीजी जवाब दें तो इस बात का खास तौर से जिक्र करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में मैंने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रश्न जिसकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कृषि की उपज बढ़ नहीं रही है। अपन ने काफी बहस की है दो रोज तक। यह एक गंभीर मसला है और विशेष तौर से देखें तो पर एकड़ यील्ड हमारे प्रान्त में बढने के बजाय गिरती जा रही है, इसको दुरुस्त करने की दिशा में हमारी सरकार का ध्यान खास तौर से मालूम नहीं पड़ता। सरकार को पता नहीं है कि यह स्थिति क्यों बनती जा रही है और इसका हम सुधार कैसे करें। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पर एकड़ यील्ड के गिरने का कारण या कृषि उपज नहीं बढने का कारण केवल सूखा, केवल वर्षा नहीं होना ही नहीं है और आज हमारी सरकार केवल इस सूखा और अना-वृष्टि की ओट में अपनी इन कोम्प्लीकेशन्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जो कि इस के अलावा इसका कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मुख्य यह समझता हूं कि जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है और वह लैंड रिफार्म्स से ताल्लुक रखता है। उसका जिक्र कल भी मैंने किया था कि जब तक कांस्टीट्यूशनली चैंजेज परमानेण्ट तरीके का नहीं कर देंगे तब तक निश्चित रूप से लैंड रिफार्म नहीं ला सकेंगे। टेम्प्रेरी एलाटमेंट हम कर रहे हैं केनाल एरिया के अन्दर और दूसरे एरियाज में। यही कारण है कि आपकी उपज उस पोटेंशियल के मुताबिक बढने नहीं पाती। इस प्रश्न पर मैं समझता हूं कि इस सदन में काफी बातचीत हो चुकी है और यह सार्वभौमिक बात है, इसका जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरी कुछ ऐसी प्रशासनिक बातें हैं जिनके प्रति उदासीनता के कारण आज आपकी उपज नहीं बढ़ रही है। आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। आपके पास कितनी पोटेंशियलिटि है इलेक्ट्रिक देने की,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस बात की श्रोर ध्यान दिये वगैर अनाप शनाप तौर पर लाईन दे रहे हैं। नतीजा यह है कि किसान आपके भरोसे में अपने चड़स हटा देता है श्रौर उसके बाद उसको बिजली भी नहीं मिलती है। नतीजा यह होता है कि फसलें सूख जाती हैं। मुझे अपने जिले का यह अनुभव है कि जहां बिजली आई है। आम तौर पर काफी इलाकों के अन्दर पैदावार बढ़ने के बजाय घट गई है, क्योंकि बिजली लोगों को वक्त पर मिली नहीं, फसलें सूख गईं और इस कारण हमारी पैदावार बढने के बजाय उन जगहों के अन्दर घटी है।

इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी ही जगह जंगली जानवर हैं, मवेशी हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। हमारे अलवर जिले के अन्दर सिरस्का सेन्क्चुरी है उसके बड़े से बड़े क्षेत्र के अन्दर हमारे वन विभाग ने लैंड अलाटमेंट करना बन्द कर दिया है। मवेशियों के द्वारा और जंगली जानवरों के द्वारा किसानों को हर तरह से परेशान किया जाता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को प्रायोरिटि देना होगा। या तो कृषि की उपज को प्रायोरिटि दें, या फिर शेर बघेरों को रख कर और उनका शौक पूरा करने का प्रयास करें। कृषि मन्त्रीजी इस बात का उत्तर दें कि महाराजा नेपाल आये या रानी एलीजाबेथ आए या और कोई अमेरिका की रानी आए तो उनको दिखाने के लिए आपको शेर और बघेरे रखना जरूरी है तो आप किसानों को उजाड़ दीजिए और अगर आप एग्रीकल्चर में इन्टरेस्टेड हैं, इस बात में आपकी दिलचस्पी है कि कृषि का उत्पादन बढाया जाय तो जो आपने कानून बना रखा है उसको बदल दीजिए। आप शेर बघेरों पर तो मुकदमा चला नहीं सकेंगे कि उन्होंने किसानों की फसलें खराब क्यों की ? लेकिन अगर किसान उन पर बन्दूक चला कर अपनी खेती की रक्षा करता है तो आपका वन विभाग, आपके वन विभाग के कर्मचारी कहेंगे कि तुमने इस सेन्क्चुरी में आकर बन्दूक चलाई है, उस पर मुकदमा कर सकते हैं, इस तरह से उसको परेशान कर सकते हैं, तो इस बारे में आपको निर्णय करना होगा।

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माईनर ईरिगेशन की तरफ भी गवर्नमेन्ट का ध्यान नहीं है। हमारे अलवर जिले का जब फोर्थ फाइव ईयर प्लान डिस्कस हुआ तो पंचायत समितियों और जिला परिषद्, हर पंचायत समिति और हर पंचायत में सभी लोगों ने यह कहा था कि आप और प्रोजेक्ट में जो प्रावधान हैं उनको डिफर कर दें लेकिन कुओं के लिए और बिजली के लिए हमको आप पैसा दे दीजिये। लेकिन आज हालत क्या है। आज आप कुआ बनाने के लिए सीमेंट की गारन्टी किसान को नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई नेशनल आउट लुक होता तो क्या सरकार किसानों को इस तरह से दिक्कत आने देती। आज सीमेंट का उपयोग पैलेशियल बिल्डिंग्स बनाने के लिये किया जाता है। रेजीडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, क्यों नहीं इसको बेन कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है उन कोठियों पर चूने का प्लास्टर हो जावेगा। लेकिन अगर नेशनल तरीके से कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सिवाय इन्डस्ट्रीज के और किसी प्रकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की इमारतों पर सीमेंट का उपयोग करना बन्द कर देते हैं तो यह कृषि के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आप सीमेंट को कृषि कार्य के लिये डाईवर्ट कर दीजिये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं देखता हूं कि किसान बिजली के लिये, सीमेंट के लिए मारे मारे फिरते हैं और जो लोग पैलेशियल बिल्डिग बना रहे है उनके चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट लगाए जा रहे है सरकार की आंखों के सामने। उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं।

दूसरा जो मैंने कटौती प्रस्ताव यहां के एग्रीकल्चर वर्कशाप के बारे में दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां एग्रीकल्चर वर्कशाप की बहुत दुर्दशा होती जा रही है। एक वक्त था जब इसके पास अपनी मशीनें नहीं थीं अपनी बिल्डिग नहीं थी, यह चौमू हाउस में था उस वक्त यहां पर सब चीजें बनाई जाती थी आज उसी एग्रीकल्चर वर्कशाप की यह हालत है कि उसकी खुद की मशीनें भी आ गई हैं, अपनी बिल्डिग भी हो गई है पर फिर भी वहां पर एग्रीकल्चर के उपयोग की चीजें नहीं बन रही है, कल पुर्जे तक बाहर से खरीदे जाते हैं, और इसका कारण यह है कि कुछ ऐसे वेस्टेड इन्टरेस्ट कायम हो गये हैं कि जिनको सेटिस्फाई करने के लिए बाहर से चीजें खरीदी जाती हैं और उन पर एग्रीकल्चर वर्कशाप की मोहर लगाई जाती है और वहां पर उनकी मरम्मत वगैरा कराके और फिर उसको दिया जाता है। ... ...

(2 म. प.)

और भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है कि जो योंही पड़ी रहती हैं जो इस्तेमाल के योग्य नहीं है। इस एग्रीकल्चर वर्कशाप से हमारे जिले की रहन पंचायत समिति को कुछ इम्प्लीमेंट्स गये थे और वहां पर काम में नहीं आये क्योंकि बेकार है। वे पड़े हुए हैं। इस तरह की चीजें हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की चीजें कुछ लोगों से खरीदी जाती हैं जिनसे इस विभाग से अफसरान मिले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक कार्पोरेशन हैं, पी. सी. इन्डीस्ट्रीयल कार्पोरेशन उसकी एक अजीब कहानी है। यह एग्रीकल्चर वर्कशाप इस पी. सी. इन्डीस्ट्रीयल वर्कशाप को फीड करने के लिए जसे एक फीडिग ग्राउन्ड बना हुआ है। इस तरह की हालत है। इस पी. सी. इन्डीस्ट्रीयल कार्पोरेशन के सर्वेसर्वा श्री पी. सी. कौशिक हैं। इनको इन डिपार्टमेंट से आर्डर्स दिये जाते हैं। श्री पी. सी. कौशिक गवर्नमेन्ट की तरफ से एग्रीकल्चर इन्जिनियरिंग बोर्ड की एक कमेटी जो एपाइन्टेड है उसके भी सदस्य हैं। वे अपनी उस पोजीशन का फायदा उठाते हैं और वे सप्लाई करते हैं। वे सप्लाई अपने कार्पोरेशन के जरिये करते हैं। वे बड़े होशियार आदमी हैं। देखा कि कोआपरेटिव की बात बहुत होती है तो उन्होंने एक कोआपरेटिव सोसाइटी भी बनाई हुई है वे उस कार्पोरेशन से उस कोआपरेटिव सोसाइटी को माल देते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी उस एग्रीकल्चर वर्कशाप को माल देती है। वे एग्रीकल्चर वर्कशाप को इस तरह से सप्लाई करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय वे इस तरह से यह शख्स एक्सप्लाइट कर रहा है स्टेट को एक्सप्लाइट कर रहा है इस डिपार्टमेंट को और मैं समझता हूं कि उसकी पूरी छान-बीन की जाने की जरूरत है। सन् 1966 में वहां पर हल के अन्दर लगाने के ट्यूब खरीदे गये तो उन्होंने आधा इन्च की डाईमीटर के बजाय पौण इन्च की डाई-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मीटर के खरीद लिये। वे पड़े हुए हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं है और 25 हजार रुपये बेकार गये। यह भी मालूम हुआ कि इन ट्यूब्स की सप्लाई का मामला एन्टीकरप्शन के पास गया हुआ है तो उसको दबाया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 11 होवर 65-66 में खरीदे गये वे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो स्टाक खरीदा गया उसकी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों लाखों रुपया बरबाद किया गया? इसकी जांच करने की जरूरत है। 29 बुलडोजर्स वैसे ही पड़े हुए हैं इस एग्रीकल्चर वर्कशाप के पास। एक एक बुलडोजर का किराया एक एक घंटे का 34 और 35 रुपये से लेकर 45 रुपये तक होता है। उपाध्यक्ष महोदय, और ये कितने अर्से से बेकार पड़े हुए हैं इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर और वहां पर इस तरह से एक तरफ तो अधिकारियों की यह हालत है दूसरी तरफ मजदूरों को काम से बाहर कर रहे हैं। जो काम वहां पर हो सकता है उसको भी नहीं करते हैं और मजदूरों में छंटनी कर रहे हैं। जो मजदूर खुशी से काम कर सकते हैं और जो चीज वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस एग्रीकल्चर वर्कशाप के वर्किंग के बारे में जांच कमेटी बैठाई जाय, बाकायदा कम्पीटेन्ट आफिसर्स की कम्पीटेन्ट अथोरिटीज की जांच कमेटी बैठाई जाय जो इसमें जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो गोलमाल हैं उनकी पूरी जांच की जाय और जो लोग इसके लिए दोषी हों उनको सजा दी जाय।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं कुछ बातें सहकारी समितियों के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा यह आरोप है कि सरकार सहकारिता की बात करती है, लेकिन सहकारिता का जो सही दृष्टिकोण है उसके बारे में उदासीन ही नहीं बल्कि इस तरह की नीति अपनाती है कि सहकारिता पनप ही नहीं सकती और एक एन्टी कोआॅपरेटिव मूवमेंट तक को इस समाज में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसी सदन के अन्दर मनीलेन्डर्स एक्ट पास किया था। कोआपरेटिव एक्ट में हमने यह धारा रखी थी कि मनीलेन्डर्स मैनेजिंग कमेटी के सदस्य नहीं हो सकेंगे। क्या आपने अपनी तमाम कोआपरेटिव सोसाइटीज में से मनीलेन्डर्स को निकाल दिया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाऊंगा मंत्री महोदय को रिजर्व बैंक की एन्क्वायरी कमेटी की तरफ जिसमें कहा है कि जितनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें 75 फीसदी पर ऐसे तत्व हावी हो रहे हैं जो दरअसल बिचोलिये एक्स्प्लायटर्स हैं और एक्स्प्लायट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मनीलेन्डर्स इस तरह की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के खजांची बन जाते हैं और किसानों के नाम से और गांव के लोगों के नाम से कर्जा ले आते हैं और जो कर्जा दिया हुआ है अपना उसको अपनी बही में जमा करके कोआपरेटिव सोसाइटी में उन किसानों के नाम लिख लेते हैं। वे उनसे वसूली वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं और अपने पास से 20 हजार जमा करा दिया और कह दिया कि वसूली हो गई और 50 हजार रुपया और ले आये। इस तरह से सस्ते ब्याज पर रुपया लेकर अपना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काम करते हैं। इस तरह से आप कहते हैं कि कोआपरेटिव्ज का बड़ा भारी फैलाव कर दिया और इतना रुपया क्रेडिट पर दे दिया, लेकिन आप किसानों को फाइनेन्स नहीं कर रहे हैं, मजदूरों को नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेन्स इस तरह के एक्स्प्लायटिंग तबके को कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट हैं जिनसे प्रोत्साहित नहीं होती है कोआपरेटिव सोसाइटीज, बल्कि उनको निरुत्साह मिलता है। डिपार्टमेंटल हस्तक्षेप इतना होता है कि डिपार्टमेंट किसी को चाहे नये चुनाव हो गये और नये चुनावों से आये हुए मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को नहीं पसन्द करें तो डिपार्टमेंट उसको घूंसा लगाना शुरू कर देता है। हमारे जिले में एक बारां लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी है। अलवर जिले में सबसे बड़ी सोसाइटी तो है ही शायद राजस्थान में भी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है जिसका कि लाखों का प्रोफिट होता है। पिछले दिनों चुनाव हुए। बहुत अर्से से उसमें एक राजनैतिक पार्टी के लोग चुनकर आते थे। उसमें उनको चुनाव में फायदा मिलता था। 10 वर्षों के बाद उस कोआपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी बदली गई। पहले कांग्रेस के लोग अध्यक्ष वगैरह थे और पिछले साल से कुछ और लोग भी आये। कुछ कांग्रेसी भी थे। जब वे लोग चुनकर आ गये तो उनको नोटिस पर नोटिस दिये जा रहे हैं। खजांची को नोटिस दे दिया, प्रेसीडेन्ट को नोटिस दे दिया। उनको अदालतों के अन्दर जाना पड़ा। अदालतों से स्टे आर्डर्स मिले हैं। अदालतों का फैसला उनके पक्ष में हुआ है, लेकिन बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को परेशान किया गया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से कोआपरेटिव मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट को उल्टा नुकसान देता है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग और भी हैं जो एक्स्प्लायटर लोग हैं जो कोआपरेटिव में घुसकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहां एक फार्मिंग सोसाइटी है माधोगढ़ की। वहां पर एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसाइटी को जमीन एलाट हुई तो जो उसमें शुरू से मेम्बर थे वे सब गायब हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर कुछ बड़े बड़े जागीरदारों ने जमींदारों ने, उसके बाप को छोड़ कर बेटों के नाम से जमीन नहीं है तो, उन्होंने कब्जा कर लिया और उस पर हावी हो गये। और वह 400 बीघा जमीन जो भूमिहीन लोगों को मिली थी उस पर वे जागीरदार और उनके रिश्तेदार हावी हो गये हैं। मैं समझता हूं कि इस बात की देखभाल होनी चाहिए। ऐसे आदमियों को इस तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए।

सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन, खास तौर से फार्मिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में ऐसी बड़ी दिक्कत है। डिपार्टमेंट तो यह कहता है कि जब तक जमीन नहीं मिल जायगी तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायगा और तहसील में यह कहा जाता है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया जायगा। तो यह एक बहुत ही अजीब बात है। और दरअसल रूल्स वगैरह देखें कोआपरेटिव

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिपार्टमेंट के रूल्स भी यही कहते हैं और उनके रूल्स भी यही कहते है। तो जो एनोमली है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सरकार ने जितने भी कायदे कानून या जितनी भी योजनाएं कृषि के लिए बनाई है वे सारी असफल रहीं और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि सरकार ने कृषि की पैदावार को किसानों से बढ़ाना नहीं चाहा और कागजों पर ही बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर दरअसल में स्वयं सरकार का यह इरादा है कि राजस्थान में कृषि की पैदावार बढ़े तो उसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और उन कदमों के रूप में उस को सबसे पहला यह कदम उठाना पड़ेगा कि वह किसानों को जमीन का मालिक घोषित करे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं। जब मैं पटवारी के कागज के अन्दर इस बात को देखता हूं कि इस कागज के अन्दर जमीन का मालिक सरकार को लिखा हुआ है तो यह बात मेरी छाती में खटकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी किसानों की छाती में यह बात खटकती होगी। इसलिए किसानों के दिमाग में जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिये इसलिए सब से पहले किसान को उसकी जमीन का मालिक बनाया जाना चाहिये।

दूसरी बात सरकार को गारंटी देनी चाहिये कि वे किसान पर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगायेंगी। हम देखते हैं कि जब भी बजट पेश होता है, टैक्स के रूप में किसान पर हमला होता है। उस में कुछ टैक्स वापिस लेकर के किसान को खुश करने की कोशिश की जाती है। यह बात ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिस आदमी पर हर साल बजट बनाते समय हमला हो और फिर आप उनसे यह आशा करें कि वह हमारी मदद करेंगे यह असंभव बात है।

तीसरी बात मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को कितना ही घाटा हो, वह उसको किसी प्रकार से पूरा करे, किसान को भू-राजस्व मुक्ति मिलनी चाहिये, किसान भू-राजस्व जब माफ हो जायगा तो इस बात का उस पर गहरा असर पड़ेगा। आखिर सरकार इतने सालों से जो उससे भू-राजस्व लेती आई है वह यदि एकदम माफ कर देती है तो किसान इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सरकार चाहती है कि किसान देश में पैदावार बढाये। इस तरह से किसान प्रभावित होगा।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको किसान की आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा। सारे माननीय सदस्यगण इस बात को जानते हैं कि आज किसान किस तरह से कर्ज के भार से दबा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरी समझ में ग्राम में दो चार किसान के अलावा कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिस पर पांच या सात हजार रुपया कर्ज न हो। जिस पर कर्ज का इतना बोझ हो, जो दो रुपया सैंकड़े के हिसाब से लिया हुआ हो, वह किसान उत्पादन बढ़ाने की ओर कैसे ध्यान देगा।

(श्री मूलचन्द कटेवा)

उसको तो कर्जा ही कर्जा दिखाई देगा। वह हमेशा उसको अदा करने की बात सोचता रहेगा। हमारी सरकार यह कहकर कि हम किसान को कर्ज से राहत दिलाना चाहते हैं, इसलिये कानून बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने कानून बनाकर किसान की दिक्कतों को और बढ़ा दिया और उनको ज्यादा कर्ज के दल दल में फंसा दिया। जिस समय कर्जा कानून बना उस समय अठारह परसेन्ट ब्याज आमतौर पर गांवों में था। सरकार ने क्या किया कि बारह परसेन्ट से ज्यादा कोई ब्याज नहीं ले सकता। कर्जा देने वाला भी परेशान है वह किसान को कहता है कि हम इस कानून से परेशान है सरकार हम लोगों को तंग करती है इसलिये अगर आपको कर्जा लेना हो तो 18 परसेंट की जगह चौबीस परसेन्ट ब्याज लगेगा। रकम फलाकर उस पर एक रुपया सैंकड़ा ब्याज पर रकम लिख दी जाती है। इस तरह से कर्जा कानून की तहत किसान को और ज्यादा मुसीबत में फंसा दिया गया है। उससे किसान को मिलने वाले कर्ज पर छः परसेन्ट ब्याज ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त कर्जा कर की लिमिट है वह लिमिट अधिक होने के बाद, किसान को कर्जा ज्यादा नहीं मिल पाता। आजकल बोहरों ने इस प्रकार की व्यवस्था बना ली है जिससे हरसाल किसान से खत लिखा लेते है, नकदी में लिखाते हैं उसको आगे छांट कर नहीं ले सकते। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर किसान को कर्ज से बरी नहीं किया तो इस युग में तो क्या दूसरे युग में भी किसान से पैदावार बढाने की बात मत सोचिये। जो कर्जदार रहा है वह यह जानता है कि उसको कितना कष्ट होता है। जब तक किसान की यह परेशानी दूर नहीं होगी, उस समय तक किसान पैदावार नहीं बढ़ा सकता।

तीसरी बात, जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है वह भी दूर होना चाहिये। जिस समय फसल उसकी बाजार में आती है, उस समय भाव नीचे रहते हैं और उसके बेचने के चार छः महीने के बाद ही उसकी पैदावार की कीमत पचास प्रतिशत बढ़ जाती है। सरकार को यह चाहिये कि वह भावों पर इस तरह से नियंत्रण करे, जिससे किसान ने जिस भाव से अनाज बेचा है उससे अधिक रेट नहीं होनी चाहिये। ताकि किसान यह नहीं सोच पाये कि यदि वह चार महीने बाद बेचता तो उसको ज्यादा नफा मिलता। इस तरह की व्यवस्था से किसान को नुकसान होता है। वह बचत की हालत में होता हुआ भी उस समय बचत के अनाज को बेचने का इरादा छोड़ देता है।

दूसरी बात जो मैं सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं पैदावार बढाने के लिये। हमने यह सोचा था कि जिस समय बिजली आयेगी, उस समय हमारे खेतों की पैदावार बढ़ेगी, किसान सुखी होगा। लेकिन किसी न किसी रूप में बिजली के आने से पैदावार बढ़ी है लेकिन जितना हम सोचते थे उतनी नहीं। आज कई किसान तो इससे तबाह हो गये। बिजली कुओं में दे दी उसके बाद किसान सोचता है कि वह इससे इतनी काश्त कर लेगा, लेकिन आगे चल कर क्या देखता है कि दिन में अधिकतर हिस्से में बिजली या कम वोल्टेज होता है इतने कम वोल्टेज में यह आवश्यक होता है या तो किसान कुए को बन्द करदे या चलाता रहे तो मोटर जल जाती है। अगर कुए को

(श्री मूलचन्द कटेवा)

बन्द कर देता है तो फसल जल जाती है। तो मजबूर हो कर कुएं को चलता है उसका नतीजा यह होता है कि मोटर जल जाती है। इस तरह से आप एक एक तहसील में यह देखेंगे कि रोज पांच छः मोटरें जली हुई मिलती हैं। मोटर जल जाती है तब किसान की फसल तबाह हो जाती हैं।

इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि बिजली का जो विभाग है वह या तो सोया हुआ है या राजस्थान छोड़ कर चला गया है। मुश्किल हो जाती है। आज सुबह प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न के रूप में हाउस के सामने इसका मामला रखा। इसी प्रकार एक कस्बेके करीब 75 किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दिये। सन् 65 से वे प्रार्थना-पत्र पड़े हैं उनमें से एक का भी एस्टीमेट नहीं बनाया। यह एक जगह की हालत नहीं, सभी जगहों का यह हाल है। उदाहरण की तौर पर हमारे जिले के अन्दर हजारों दरख्वास्तें पड़ी हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। एक एक कनेक्शन के लिये दो-दो सौ, तीन-तीन सौ रुपया बिजली विभाग मांगता है। तब जाकर कनेक्शन मिलता है।

ट्रान्सफोरमर लगा दिया जाता है और आदमी नहीं रखते हैं। आदमी रखते हैं तो दूसरा काम करते हैं। ट्रान्सफोरमर से फ्यूज उड़ जाता है तो बिजली एक दम बन्द हो जाती है। सब स्टेशन पर जब सूचना जाती है वहां से आदमी फ्यूज लगाने के लिये आता है तब कुआ स्टार्ट होता है। इस तरह से बिजली विभाग की जो धांधली है उससे किसान बरबाद हो गया है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पर्याप्त मात्रा में किसान को कुओं के लिये, पम्पिंग सेट के लिये ऋण नहीं मिलता। आप यह देखेंगे मैं अपने जिले की बात कहता हूं सैंकड़ों की तादाद में कुए पड़े हैं। उसके लिये ऋण की दुबारा किश्त आयी, उन लोगों को किश्त न देकर के नये कुओं वालों को रकम दे देते हैं और पहले का काम अधूरा पड़ा रह जाता है। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि इस तरह का नियम होना चाहिए, जब भी पंचायत समिति की तरफ से किसी को ऋण, कुए के लिए दिया जाय तो विकास अधिकारी उसके बिल पर इस बात का सर्टिफिकेट दे कि पहले किसी को कोई ऋण की दूसरी किश्त देना बाकी नहीं है और इसलिए नये ऋण को दिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि मैं यह चाहता हूं, हमारे प्रान्त के बारे में कुछ बता दूं। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय एक घण्टा है, उसमें आपके लिये दस मिनिट के लिए सचेतकजी ने लिख कर दिया है, इसलिए मैं अधिक समय नही दे सकता।

श्री मूलचन्द कटेवा : मेरा निवेदन है कि मेरे दल के समय में से पांच मिनट का समय मुझे और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपके सचेतकजी लिख कर भेजेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सचेतकजी लिख कर भेजें तो हो सकता है। वैसे आपका भाषण बड़ा सफल रहा है और आयन्दा भी बोलने के अवसर आयेंगे।

श्री मूलचन्द कटेवा : मुझे कुछ जरूरी बातें कहनी थीं।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी बातें कहने के और अवसर आयेंगे। कल भी बहस चलेगी परसों भी चलेगी।

स्वतन्त्र पार्टी के दो तीन सदस्य : इन्हें और समय दे दिया जाय।

श्री मूलचन्द कटेवा : मेरी पार्टी के सारे आदमी कह रहे हैं। अब सचेतकजी तो हैं नहीं। पांच मिनट का समय और दे दिया जाय।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान जिस फसल को पैदा करता है उस किसान पर कानून के जरिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि वह राजस्थान के बाहर या जिले के बाहर अपनी फसल को ले जाकर नहीं बेच सकता, दूसरे जिले में जहां महंगे भाव हैं, वह वहां ले जा नहीं सकता। मैं निवेदन करूं, जहां भाव का फर्क होता है और यदि बोर्डर का जिला होता है तो वहां का सारा का सारा माल तस्कर व्यापार के जरिये और राज्य कर्मचारियों से मिलकर बाहर भेजा जाता है। मैं आपको अपने जिले का हाल बताना चाहता हूं। मेरे जिले के किसानों को जिस भाव में अनाज बेचना पड़ता है उससे तीस रुपये प्रति क्विन्टल ज्यादा भाव में तस्कर व्यापारी लोहारू उस अनाज को ले जाकर बेच देता है। लेकिन इसकी कोई रोकथाम नहीं हैं। हमारे झुंझुनूं सर्किल के डी०एस०पी० खुले आम पिलानी जाते हैं, और ट्रक में अनाज भरवा भरवा करके, इस ट्रक के आगे अपनी जीप लगा कर इस ट्रक को, जिसमें गल्ला भरा हुआ है, लोहारू के कांकड़ पर जाकर छोड़ आते हैं। इसका सबूत यदि आप मांगते हैं तो आप उसका रिकार्ड देख लीजिये। वह हर हफ्ते में पिलानी के टूर पर जाते हैं और हर टूर से दस पन्द्रह हजार रुपये वह कमा कर ले आते हैं --

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपका कटौती प्रस्ताव है वह कृषि की दोषपूर्ण योजनाओं के बारे में है। कृषि की जो योजनायें चल रही हैं उनमें जो दोष हैं उसके बारे में आप कहें। अब कौन गड़बड़ी कर रहा है, क्या है—उसके बारे में कहना असंगत है।

श्री मूलचन्द कटेवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां बिजली मिलेगी, कुए बनेंगे वहां एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जिस साल से मेरे गांव के अन्दर बिजली आई है, तब से हमने इस बात को महसूस किया है कि एक ट्रेक्टर की किसान को और आवश्यकता होगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हर एक पंचायत समिति को कम से कम दो ट्रेक्टर के लिए लोन दिया जाय। जिस जगह पर अच्छी जमीन होती है, उसमें हर साल पानी लगता है तो वह जमीन भी सख्त होती जाती है और उस सख्त जमीन को बैल या ऊंट के हल से न तो ठीक किया जा सकता है और न उसकी जुताई हो सकती है। इसलिए ट्रेक्टर की फौरन आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचायत समितियों को दो ट्रेक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाय।

(श्री मूलचन्द कटेवा)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा जो मेरे दिमाग की उपज है। मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में एक स्थिति ऐसी पैदा होने वाली है जब बहुत अधिक गांवों में बिजली मिलेगी और कुछ एक आध गांवों में बिजली नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि वहां के किसानों को उससे बहुत भारी नुकसान होगा। आज हम देखते हैं कि किसी गांव में बिजली मिल गई है तो वहां के मजदूर की मजदूरी बढ़ जाती है लेकिन जिस गांव में बैल से, कूए से सिंचाई करते हैं, वहां के किसान उस बढ़ी हुई मजदूरी को देने की हालत में नहीं होते हैं। इसलिए गांव के मजदूर जाकर बिजली वाले गांवों में काम करते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह समस्या राजस्थान के सामने आने वाली है, और राजस्थान के अन्दर ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष के सामने भी आने वाली है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार बिजली देना शुरू करे, वह हर तहसील के अन्दर एक तरफ से शुरू होनी चाहिए और बढ़ते बढ़ते दूसरी तरफ तक पहुंचनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि दो ग्रामों को कहीं दे दी और चार को कहीं दे दी। इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिनको बिजली नहीं मिलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है, वह ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सिलसिले में है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का कार्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में चल रहा है, वह सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मैंने इस सिलसिले में मंत्री महोदय से भी बात की है, और मैं उनके नोटिस में यह खास तौर से बात लाना चाहता हूं कि ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है।

श्री खेतसिंह : अन्डर ग्राउन्ड नहीं है। ग्राउन्ड वाटर बोर्ड हो गया है। रघुनाथजी को मालूम नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, मंत्री महोदय, आप इस खुदाई के काम को दो तरह से करवाते हैं— एक तो ब्लास्टिंग से और दूसरा बोरिंग से। बोरिंग का जहां तक सवाल है, आपके पास में बहुत कम मशीनें हैं। बोरिंग कराने की दरख्वास्त लेकर जब आते हैं तो आपका यह विभाग कह देता है कि हम बोरिंग जरूर करा देंगे, जिनको बोरिंग कराने की जरूरत है वह पैसा जमा करवादें। मैं आपको बताऊं कि आपके डिपार्टमेंट के पास में हमारे एक जिले से साठ हजार रुपये जमा पड़े हैं लेकिन हमारे यहां पर समय पर बोरिंग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि आपके पास में मशीन ज्यादा न होने के फलस्वरूप आप बोरिंग का काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और जिन काश्तकारों के चार चार साल से रुपये आपके यहां पर पड़े हैं वह काश्तकार लोग परेशान हो गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बोरिंग की मशीन ज्यादा से ज्यादा और उपलब्ध करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। हमको भूतपूर्व कृषि

(श्री खेतसिंह)

मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम यू० एस० एस० आर० से नई रिग्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि इस मामले में क्यों डिले की जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिग्स खरीदनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बोरिंग का काम कर सकें। आज काश्तकार को बोरिंग कराने की सबसे ज्यादा जरूरत है और यह बात आपसे छिपी हुई नहीं है। आपकी खुरकी तहसील में ऐसी हालत पैदा हो गई है कि आज जिन कुओं में बोरिंग नहीं हुआ है, उनके सब सोइल पानी से काम चलाते हैं। आज लोग इलेक्ट्रिसिटी पानी निकालने के लिए काम में लेते हैं लेकिन कुओं में पानी नहीं रखता है इससे काश्तकारों की।

(२. २५ म. प.)

(श्री जसवन्तसिंह नाहर सभापति पदासीन)

परेशानी बढ़ गई है। मैं निवेदन करूंगा कि बोरिंग के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय।

दूसरे ब्लास्टिंग के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम यह है कि एक फुट गहरा कर देंगे तो उसके लिए चालीस रुपया लेंगे। लेकिन वह करते क्या हैं कि धमाका लगाते हैं और चालीस रुपये ले जाते हैं, चाहे उस धमाके से आधा फुट या तीन इंच पत्थर ही टूटता हो। वह तो अपना पूरा पैसा ले लिया करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपके विभाग को खास तौर से ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सरकारी विभाग है, इस तरह से काश्तकारों का पूरा काम न करके पूरा रुपया ले लेना उचित नहीं है। साथ ही जब आपके विभाग से ब्लास्टिंग की बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मशीन है वह लोड हुआ करती है फोर व्हीलर ट्रक पर। आपके पास में इन ट्रक्स की बहुत कमी है। इस वजह से डेजर्ट के इलाके में यह मशीन नहीं भेजी जा सकती। इसलिए आप फोर व्हीलर ट्रक्स की व्यवस्था का और ज्यादा से ज्यादा कुए खोदने का प्रयास कीजिये। इसके साथ ही साथ वहां पर पीने के पानी की भी भारी समस्या है। आप इन मशीनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता खेती के लिए कुओं के लिए देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मनुष्य की जान खेती से ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिकता आप पीने के पानी को ज्यादा दीजिये उसके बाद में सिंचाई को दीजिये। इसके साथ ही आप इस तरह का मशीन का कार्यक्रम बनायें कि जब यह मशीनें किसी पंचायत समिति में काम करे तो आपके विभाग को यह सूचित कर देना चाहिए कि वह पंचायत समिति के माध्यम से काम करावे। अक्सर यह देखा गया है कि जिस वक्त पंचायत समिति के क्षेत्र में मशीन काम करती है तो वह इमीजिएट आफिसर के इस्ट्रक्शन के माफिक काम किया करती है। इस वजह से पंचायत समिति और आपके अधिकारी हैं उनके बीच में कोई तालमेल नहीं रहता है इस कारण सारे किसान मशीन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था आप कर दें।

इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं डिजर्ट के अन्दर ट्यूब वैल्स खोदने की आपको कोशिश करनी चाहिए। एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे की है

(श्री खेतसिंह)

उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उनका कहना है कि डेजर्ट में कई स्थान ऐसे हैं जहां 8 से 16 हजार गेलन पर आवर पानी निकल सकता है। और एक स्थान तो ऐसा है जहां 50 हजार गेलन पानी पर आवर निकल सकता है। ओसियां, फलोदी, शेरगढ़ आदि के लिए सर्वे रिपोर्ट में है कि यहां 8 से 16 हजार गैलन पानी पर आवर के हिसाब से निकल सकता है। यहां पानी की सिंचाई की दृष्टि से तो कमी है लेकिन वैसे पानी बहुत काफी है........

और जैसा कि आपको मालूम ही है कि डेजर्ट में पशु धन ही मुख्य लोगों का धन होता है और उन पर ही वे ज्यादा निर्भर रहते है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर पास्चर लैंड बहुत है और घास हो सकता है और पीने के पानी की कमी रहती है इसलिए अगर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है तो वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सर्वे रिपोर्ट आपके पास पड़ी है उसको देख कर डेजर्ट में ट्यूब वेल्स अपने डिपार्टमेंट के मार्फत या और किसी के मार्फत बनवाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि डेजर्ट में पशु पालन ही लोगों का मुख्य धन्धा है। इसलिये मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका पशुपालन विभाग यों तो काम करता ही है लेकिन आज वह एक भी ऐसा गांव नहीं बता सकता जहां जानवरों में कम्पलीट तौर से केस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया हो। जब तक कम्पलीट केस्ट्रेशन न हो जाए तब तक नसल सुधार का काम अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। इसलिये आपके विभाग में सुचारू रूप से केस्ट्रेशन का काम चलना चाहिए जो पंचायतों में चल नहीं रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में जो अच्छी नस्ल के सांड नहीं हैं उनका केस्ट्रेशन कराना चाहिये और जिस तरह से महाराष्ट्र में सांडों को रखने के लिए आधा खर्चा पंचायतों को दिया जाता है और आधा खर्चा पंचायतें वहन करतीं हैं उसी तरह से आपको भी आधा खर्चा देना चाहिये क्योंकि डेजर्ट एरिया में पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरा रिजल्ट जैसा निकलना चाहिये निकलता नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको भी पंचायत समितियों को अलाउन्स देना चाहिये और इसके साथ साथ जिस तरह से महाराष्ट्र ने तीन तीन गायें अनुसूचित लोगों को मुफ्त में सबसीडी के तौर पर दी है उसी तरह से आप भी दें। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर में आये थे उनका यह कहना था कि भारत सरकार के पास ऐसी स्कीम है जिसमें एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को तीन गायें सबसीडी के तौर पर दी जावे और उसकी मेन्टीनेन्स के लिये कुछ सबसीडी देते हैं। इसलिये जहां पर ज्यादा जानवर हों वहां पर इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो सफलता मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी।

भेड़ों के लिये आप कुछ सबसीडी देते थे। अब आपने वह बिल्कुल बन्द कर दिया है। रेगिस्तान में लोग सदियों से भेड़ें पालते आये हैं और भेड़ों पर ही अपना जीवन बिताते हैं। उनको आपने कर्ज देना बन्द कर दिया है इसलिये यह आपने उन के साथ जुल्म किया है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिये भेड़ बहुत

(श्री खेतसिंह)

जरूरी है। इसलिये आपको चाहिये कि भेड़ पालकों के लिये भी लोन की व्यवस्था होनी चाहिये और जो अच्छी नस्ल की भेड़ें पालते हैं उनको विशेष रूप से सबसीडी दी जावे। और मैरिनों का इन्तजाम करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं आपने जो केमल ब्रीडिंग स्कीम रखी है उसके बारे में भी निवेदन करूंगा। आपने यह स्कीम केवल बीकानेर में रख छोड़ी है। मगर मैं यह कहूंगा कि बीकानेर के ऊंट ही सबसे अच्छे हों यह बात नहीं है। हमारी तरफ भी बहुत अच्छे ऊंट होते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप बाड़मेर, नागौर, और जोधपुर के लिये भी इस स्कीम को रखिये। जैसलमेर के ऊंट भी बहुत अच्छे होते हैं जो गंगारिसाले में हैं।

सहकारिता के सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है। आप फसली लोन देते हैं मगर यह फसली लोन अच्छा सिद्ध नहीं हुआ है हमारी तरफ। क्योंकि जब वर्षा नहीं होती और अकाल पड़ जाता है तो काश्तकार रुपया चुका नहीं सकता और काश्तकार पर मय ब्याज के रकम बढ़ती जाती है। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे भली भांति परिचित हैं और मैंने कई दफे रजिस्ट्रार कोओपरेटिव से भी निवेदन किया है कि आप फसली लोन के बजाय मीडियम टर्म और लोंग टर्म लोन की व्यवस्था कर दें ताकि अगर एक साल में नहीं दे सके तो दूसरे साल और दूसरें साल नहीं दे सके तो तीसरे साल में चुका सके।

इसके साथ साथ जिस साल अकाल पड़ जाता है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि डेजर्ट में लोगों को बिल्कुल भगवान के भरोसे रहना पड़ता है और अकाल हो जाता है तो वे फसली लोन को नहीं चुका सकते हैं।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां सहकारी समिति और पंचायतों का जुरिस्डिक्शन ठीक नहीं हो उनको एमलगेट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिये जिनको आप अभी नहीं कर सके हैं। इसलिये कई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : (श्री श्रवणलाल के खड़े होने पर) आप जनसंघ की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी तरफ से 4 नाम दिये गये हैं। एक बोल चुके हैं और दूसरे श्री श्रवणलाल हैं।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय.... .....

श्री सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से नाम आये हैं। श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : मेरे दो तीन मिनट तो यों ही चले गये।

श्री सभापति : दो तीन मिनट और ले लीजिये।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है। सबसे पहले मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान कृषि के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा।

(श्री श्रवणलाल)

जहां तक भूमि की समस्या है। आज किसानों के लिए कृषि के सम्बन्ध में जिला परिषदों के अन्दर और पंचायत समितियों में कमेटियां बनी हुई हैं। अगर कोई इस बात के लिए देखे कि पंचायत समिति के अन्दर किस किसान के लिये किस चीज की जरूरत है और जिस जरूरतमंद को अनुदान या औजार के रूप में या अन्य किसी तकावी के रूप में पैसा दिया जाना चाहिये वह उसकी वास्तविकता को देखते हुए उसे नहीं मिलता है। जहां कहीं देखा जाता है तो पक्षपात की नीति अपनाई जाती है और उसके सिवाय कोई चीज नजर नहीं आती है।

सभापति महोदय, एक नहीं अनेकों मामले इस प्रकार के मिलेंगे कि आज पंचायत समितियों में किसी ने कुए के लिये किसी समिति की मार्फत अनुदान के रूप में पैसा ले लिया और मकान बनाने के लिये खर्च कर दिया, और कुए हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको कुओं की जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी मकान बनाने की इसलिये उस पैसे से मकान बना लिये, उन्हें जरूरत थी बिजनेस में पैसा लगाने की इसलिये कुआ न खुदवा कर कुए के लिये मिले अनुदान को बिजनेस में लगा दिया। इस प्रकार के अनेकों मामले आपको मिलेंगे। जिस किसान को फायदा पहुंचाने के लिये सरकार से पैसा स्वीकृत होता है, उसे ठीक तरह से यही कारण है कि इस प्रकार की अव्यवस्था के फलस्वरूप हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। किसान को बीज की जरूरत है तो जिस समय उसे बीज की आवश्यकता होती है उस समय बीज नहीं मिलता है, खाद की जिस समय किसान को जरूरत है उस समय उसे खाद नहीं मिलता, दो चार महीने का समय निकल जाता है, जिस समय उसे खाद की जरूरत नहीं होती है, बीज की जरूरत नहीं होती है उस समय उसे खाद और बीज मिलता है। इस प्रकार की किसानों के साथ धांधलेबाजियां होती हैं, उनसे किसान बहुत परेशान है, कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अधिक अन्न उपजावो आन्दोलन के लिये सरकार की तरफ से अनेकों साधन किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं, बिजली गांवों में पहुंचाई जा रही है। पर मैं मंत्री महोदय को कहता हूं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं, मेरी तहसील में गांवों के ऊपर होकर लाइन ले जा रहे हैं पर कई गांवों को बिजली नहीं दी जा रही है, चार कदम पर भी लाइन होगी तो भी वहां बिजली नहीं दी जा रही है, गांवों के गावों को बिजली नहीं दी जा रही है, और जहां बिजली का किसी प्रकार का यूटीलाइजेशन नहीं वहां जाकर देखिये बिजली की चकाचौंध नजर आयेगी। जिन किसानों के कुओं में पानी अधिक है, जो अपने कुओं पर बिजली लगा कर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उनको बिजली नहीं दी जाती है, क्यों नहीं मिलती ? इसलिये नहीं मिलती कि यह कहा जाता है कि यहां से तो विरोधी जीत कर जाता है इसलिये इस क्षेत्र को बिजली नहीं दी जायेगी। बिजली की लाइन निकाल दी जायेगी उस क्षेत्र में से पर लोगों को बिजली नहीं दी जायेगी। इस प्रकार की पक्षपात की नीति किसानों के साथ बरती जा रही है। जो किसान एक अर्से दराज से यह आशा लगाये बैठा था कि जब मेरे यहाँ बिजली आवेगी तो मोटर लगाऊंगा, अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाऊंगा और अपने बच्चों

(श्री श्रवण लाल)

को शिक्षित करके सुयोग्य बनाऊंगा, उस किसान को आप बिजली नहीं दे रहे हैं। किसानों को समय पर अच्छे बीज का वितरण नहीं किया जाता, खाद का वितरण नहीं किया जाता है। अच्छे बैलों का वितरण किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है, मैं हमारे यहां की पंचायत समिति का उदाहरण बताता हूं, 600 रुपयों में बैल आये थे उनको किस प्रकार 1300 रुपयों में खरीदा, जो बैल दिये जाने चाहिये थे किसी किसान को, जो पैसा खर्च कर के बैल नहीं खरीद सकता था, जिस किसान को बैलों की जरूरत थी, उनको बैल नहीं दिये, देते हैं सरपंच के भाई को, प्रधान के सगे-सबन्धी को। इस तरह के व्यक्तियों को बैल देते हैं।

एक माननीय सदस्य : बैलों के लिये तकावी नहीं दी जाती है।

श्री श्रवणलाल : बैलों का वितरण किया जाता है।

श्री सभापति : आप सीधा उधर जवाब मत दीजिये। आप सीधा इधर एड्रैस कर के बोलिये, मैं उन्हें रोक दूंगा।

श्री श्रवणलाल : अच्छा साहब। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, चाहे खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, या बैलों का मामला हो, हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सभापति महोदय, इस आडिट रिपोर्ट में एक फार्म का जिक्र किया है कि हमारी सरकार कृषि फार्मों के जरिये फलों का उत्पादन करना चाहती है, उसमें यह सरकार किस तरह असफल रही है, आडिट रिपोर्ट का छोटा सा उदाहरण पेश कर देना चाहता हूं। इसमें लिखा है: एक फलों की नरसरी 1960 में अजमेर में स्थापित की गई, चार वर्ष बाद 64 में बन्द कर दी गई उसमें खर्चा हो गया 14,984 रुपया। उस की स्थापना पर 13,900 रुपया खर्च कर दिया। आमदनी कितनी हुई ? आमदनी कुछ नहीं हुई। उसको बन्द कर दिया।

सरकार को कृषि फार्मों के लिये इस प्रकार आडिट रिपोर्ट में दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार इन कृषि फार्मों को चलाने में फैल हो रही है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव पशु पालन के सम्बन्ध में है। मुझे किशनगढ़ रेनवाल में जाने का मौका मिला। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां के भूतपूर्व सरपंच ने बताया कि पंचायत समिति जोबनेर में जो हमारे सरपंच है उनको दो सांड ट्रेनिंग के लिये दिये हैं। मुझे पता नहीं उन सांडों को क्या ट्रेनिंग देगें, क्या योजनाबद्ध अनुसंधान खोल रखा था, फिर मैं असलियत पर पहुंचा, लोगों से सुना, सोचा और समझा तो मालूम हुआ कि ट्रेनिंग देते देते यहां तक पहुंच गये कि उन दोनों सांडों की जान ले ली, आज पता नहीं उन दोनों सांडों का, एक बैल और एक भैंसा था, पता नहीं कहां हैं, किसके पास हैं, किस जगह हैं, कोई पता नहीं। इस प्रकार की ट्रेनिंग देने वाले सरपंच हैं, पशु पालन विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग सरपंच ने खोल रखी है तो आप किस लिये बैठे हैं ?

श्री विरदीचन्द (बाड़मेर) : नाम बातइये।

श्री श्रवणलाल : नाम है मेरे पास पर मैं बाद में बता दूंगा ।

इसके साथ ही साथ पशु पालन विभाग के अन्दर अनेकों घोटाले हैं, एक घोटाला हो तो कहा भी जाय पर कई घोटाले हैं । कहीं दुग्ध वितरण में घोटाला है तो कहीं कुक्कुट शाला में घोटाला है । घृत के मामले में एक नहीं अनेक घोटाले हैं । सभापति महोदय, इन्होंने तीन केन्द्र खोले, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में घृत केन्द्र 61 में स्थापित किये गये । 745 खर्चा किया, नफा तो दूर रहा लेकिन 65-66 तक 6750 रुपये का खर्चा हो चुका है और आमदनी का तो पता ही नहीं है । तो इस प्रकार के केन्द्र चला रहे है, ऐसे केन्द्र हैं, जिनमें आमदनी का जरिया नहीं, सब गड़ बड़ घोटाले के केन्द्र हैं ।

इसी तरह गायों का दूध कम पड़ गया तो देखा कि दुग्ध वितरण योजना फैल होगी लोन दिये और गायों के लिये समितियां बनाई । 33 समितियां बनाई और सभापति महोदय, उन 33 समितियों में से 25 तो लेप्स हो गई, 25 का तो पता हीं नहीं है, सिर्फ 8 समितियां काम कर रही हैं । यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं यह निरीक्षण विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट दिया हुआ है ।

इसके साथ ही साथ इन मामलों में एक नहीं अनेकों घोटाले हैं । दुग्ध वितरण योजना में किस प्रकार चोरियां होती हैं । दूध के क्रय करने में 4200 की आय का गबन पकड़ा गया । 65 व 66 तक 6345 रुपये के गबन के मामले पकड़े गये जिसमें 9,331 लिटर दूध पकड़ा गया । याने 9,331 लिटर जिसकी कीमत 6345) थी इस प्रकार के मामले जो कहीं भी दर्ज नहीं हैं, किसी भी कागज में रिकार्ड नहीं है, ऐसे मामले आये दिन होते हैं । गाड़ियों में भी चोरियां होने लगी । सन् 1965 तक 7,263 रुपये की चोरियां हैं और वह कैसे ? भंडार की वस्तुओं की चोरियां । मोटर की बैटरियां, डीजल, तेल, पेट्रोल इत्यादि । तो इस प्रकार हमारी दूध वितरण योजना के अन्दर भी एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे । इस प्रकार की खामियां सरकार की निगाह में होते हुए भी रात दिन चल रही हैं और मैंने तो एक दो दिन पहले यही सुना कि दूध में पानी मिलाया जाता है । अब तो वह भी शुद्ध नहीं मिल रहा है ।

मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जब दूध बेचने वाले इस दूध से पैसा कमाते हैं लेकिन यह सरकार उल्टे पैसे गंवा रही है···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सहकारिता के विषय में मुझे यही कहना है कि जगह-जगह सहकारिता का ढोंग पीटा जा रहा है । किसी भी जगह चले जाइए एक नहीं अनेकों सहकारी समितियां मिलेगी । आप तो कुनबापरस्त हो गए । एक कुटुम्ब में चार व्यक्तियों ने मिलकर समिति बनाई चाहे मकान लेना हो, चाहे बिजनेस करना हो, पैसा मिल जायेगा । आज से मैंने चार वर्ष पहले एक हमारे क्षेत्र की तेल घानी सहकारी समिति का सवाल उठाया था ।

(घंटी)

लेकिन आज तक उस समिति का पता नहीं कि किस जगह वह है । वह समिति आज तक कोई कार्य नहीं कर रही है, कौन उसके सदस्य हैं । सरकार सहकारिता को सही ढंग से नहीं चला रही है, अनियमितताएं हो रही हैं । पैसे लेना ही इनका एक मुख्य धन्धा रह गया है । मैं एक दो बात और कहूंगा ।

श्री सभापति : 17 मिनट तो आप पहले ही ले चुके हैं।

श्री श्रवणलाल : सिर्फ दो मिनट लूंगा तो सभापति महोदय, जिस तरह से मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव रखे उनके लिए मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं उनकी ओर ध्यान दें। जिन चीजों की जरूरत है वे नहीं मिल रही हैं और बिना जरूरत वाली ली जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर इन समितियों के अन्दर देखें कि कौनसी समितियां काम कर रही हैं, कौनसी नहीं कर रही है, किस समिति पर कितना बकाया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी तरह से इसके लिए कार्यवाही करें।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : सभापति महोदय, मेरे कृषि और सहकारिता के संबंध में दो प्रस्ताव हैं। प्रथम तो मैं कृषि के संबंध में कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। आज किसान को खेती की उपज बढ़ाने के किए बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके बारे में मेरे सुझाव हैं वे इस प्रकार हैं।

जयपुर जिले को राजस्थान सरकार की ओर से देखें तो उसके लिए कोई योजना नहीं है। यहां की 'जमीन सारे जिले की बहुत अच्छी है लेकिन पानी की कमी की वजह से आज जिस ंग से खेती करना चाहते हैं। जो धान पैदा करना चाहते हैं, वह पानी की कमी की वजह से नही हो रही हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा कि हमारी तहसील दूदू में और दूसरे क्षेत्रों में भी कई स्थान हैं। जहां पानी के नाले बहते हैं। पिछली बार मैंने दरख्वास्त दी थी और आपसे निवेदन किया और मंत्री महोदय चाहें तो मौके पर ले जाकर बता सकता हूं और वह स्थान दिखा दूं। कभी अजमेर जाते हुए देख में वबुर का थाना के पास सड़क के नीचे पानी बहुत इकट्ठा हुआ मिलेगा। तो जहां मीठा पानी इतनी मात्रा में मौजूद हो और ट्यूबवेल्स की स्कीम को लागू नहीं करते, सर्वे नहीं कराते, तो इसका क्या कारण हो सकता है। दूदू तहसील में यदि आप जायं, जो अधिकारी हैं, उनको मैं कम से कम 10-15 जगह ऐसी बता सकूंगा जहां जमीन पर पानी बहता हुआ मिलेगा। यह तो रहा ऊपर का पानी। इसके अलावा यदि जमीन में कुए खुदवायें तो अच्छी मात्रा में पानी मिल सकता है। यदि उत्पादन बढ़ाना है तो जहां आप बड़ी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते, तो कम से कम जयपुर जिले की दूसरी जगह जो आपने बड़ी योजना के लिए बजट रखा है, उसमें से चाहे आधा बजट रखें लेकिन सारी तहसील के हर ग्राम के अन्दर बंध या कुएं बनाने से सिंचाई के साधन बढ़ा सकते हैं। इस समय कई जगह छोटे छोटे नाले और कुएं लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हैं। पिछले 20-30 साल में कई नाले बन गए हैं। गांव-गांव में बंध थे, जिनमें बरसात के दिनों में पानी रहता था और जिनसे सारे कुओं में पानी रहता था लेकिन इन बांधों और नालों की हालत यह है कि पानी के रोकने का कोई सवाल नहीं क्योंकि वे सारे टूटकर खतम हो चुके। इस लिए आपको ट्यूबवैल्स की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे आप करोड़ों रुपए बड़ी योजना में खर्च करें, आप मुनाफा चाहते हैं, आप धान पैदा करना

(श्री सुवालाल चौधरी)

चाहते हैं, लेकिन सारी योजनाएं असफल हुई हैं। इसलिए यदि आप सर्वेक्षण कराएं तो थोड़े पैसों में खेती का उत्पादन बढ़ेगा सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि जयपुर जिले से कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर सही ढंग से नहीं आते हैं। यदि आप मेरे कहने से नहीं मानते तो हैं आप किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच करा सकते हैं।

किसानों को दूसरी समस्या है। आज कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो हर साल अपनी जमीन को जोतना नहीं चाहता। जमीन हर साल जोतनी है। आज जमीन में पैदा करने की जो ताकत थी वह खतम हो चुकी है। तो आज खाद्यान्न के साधन बढ़ाना चाहते हैं, खेती से ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो जमीन में पैदा करने की शक्ति बढ़ाने के लिए उसके अन्दर सही ढंग से प्रबन्ध करना पड़ेगा।

खाद के लिए सारे जिले में और खास तौर से मेरी तहसील में जब बीज का समय आता है उस समय, समय पर खाद नहीं मिलता, बाद में मिलता है और वह जितनी मात्रा में चाहते हैं उतनी मात्रा में नहीं मिलता।

(3 म० प०)

इसलिए जमीन की उत्पादन की जो ताकत है उसको कायम रखने के लिए आपको खाद का भी खास तौर से प्रबन्ध करना चाहिए।

इसके अलावा ट्रैक्टर जो खेती के काम में आते हैं उन पर भी आपने टैक्स लगाया है। एक तरफ तो आप खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं किसान को सहूलियत देना चाहते हैं, दूसरी तरफ गाड़ियों पर जिस प्रकार टैक्स लगा रखा है उसी प्रकार खेती के काम में आने वाले ट्रैक्टर आदि हैं उन पर भी आपने 20 रुपया 60 रुपया टैक्स लगा दिया है। खेती के काम में आने वाले औजार और ऐसे औजार जो सही माने में खेती के काम में आते हैं उन पर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए और किसान को सस्ते से सस्ते ट्रैक्टर और खेती के काम में आने वाले अन्य औजार मुहय्या करना चाहिये ताकि वह उनको उपयोग में ला सके और खेती की पैदावार बढ़ा सके। इस प्रकार के साधन आप जुटा सकेंगे तो खाद्य समस्या एकदम आसानी से हल हो जावेगी।

और भी सुझाव देना चाहता हूं। आज किसान के साथ नित्य प्रति प्रशासन की ओर से गड़बड़ियां होती है उनकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। नामांकन के लिए पंचायत को ही अधिकार मिलना चाहिए। आप देखेंगे की पटवारी को नामांकन भरकर पंचायत में पेश करना चाहिए वह न होने से सही लाभ जो आप किसान को देना चाहते हैं वह उसको नहीं मिल रहा है। पटवारी लोग नामांकन नहीं भरते हैं जब तक कि प्रति किसान से उनको सो रुपया नहीं मिल जाता है। पंचायत को चाहिए कि कोई नामांकन कराना चाहे तो वह पंचायत को दरख्वास्त दे इस प्रकार के अधिकार आपको पंचायत को देने चाहिये। पंचायत पटवारी को तलब करके नामांकन कराये। सही रूप में अधिकार देना ही चाहते हैं तो आपको पंचायत को यह अधिकार देने चाहिये बजाय पटवारी के। पटवारी गिरदावर को रिपोर्ट करता है और गिरदावर तब ही रिपोर्ट को मानता है जब कि दूना पैसा पटवारी से

(श्री सुवालाल चौधरी)

गिरदावर को मिले किसान के द्वारा। इसके लिए होना यह चाहिये कि गिरदावर आवश्यकतानुसार मीटिंग में जाकर गिरदावरी पर सही करे। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और किसान को भी सस्ता न्याय मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सिवाय चक की भूमि के बारे में यह कहना चाहता हूं कि पिछले टाइम सरकार ने सिवाय चक के कुओं और चारों तरफ जमीन थी उसको किसान को देने की आपने घोषणा की थी उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसमें कुछ कमी रह गई है। कुछ कुए बेकार पड़े हैं भरड़ों के नाम से, चारों तरफ किसान की जमीन है, सिवाय चक के नाम से रह गई है, चारों तरफ किसान की जमीन और सिंचाई है तो 20-25 रु० लेकर किसान को खातेदारी राइट्स दे देने चाहिये। जिस किसी किसान की जमीन के बीच में भरड़ों के नाम से बेकार पड़े हुए हैं कुए और किसान की जमीन के बीच में आते हैं तो 20) 25) रु० लेकर किसान को खातेदारी राइट्स मिल सकते हैं तो मिल जाने चाहिये। हजारों कुए इस प्रकार के बेकार पड़े हुए हैं। उनको किसान तैयार कर सकता है सिंचाई के साधन बढ़ा कर पैदावार को बढ़ा सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आपको 15 मिनिट हो गये हैं। सचेतक महोदय ने तो लिखा था कि दस मिनिट से अधिक नहीं दें।

श्री सुवालाल चौधरी : दूसरों का थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री सभापति : 15 मिनिट हो गये हैं। दस मिनिट के लिए ही सचेतक महोदय ने लिखा था।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं एक बात चाहता हूं नये कृषि मंत्री हैं और नई कृषि नीति का पालन करेंगे और मुझे आशा है नयी कृषि नीति के लिए नये काम करने होंगे। सबसे पहले यह काम सजेस्ट करूंगा कि विलेज का प्लान बन जाना चाहिये। गांव में पंच है, सरपंच है, पटवारी है, तहसीलदार हैं और बी०डी०ओ० हैं। जिस गांव का प्लान नहीं है, सर्वे नहीं है उसका तत्काल करना चाहिये। कितनी काश्त की जमीन है एक एक इन्च जमीन हल के नीचे आ जानी चाहिये और एक एक बूंद पानी का उपयोग करना चाहिये यदि प्लान न हो गांव का तो गलत बात होगी।

दूसरा जो मेरा सुझाव है वह यह है कि गांव-गांव के अन्दर खेती के मजदूर हैं, बहुत से शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे लोग हैं। एक तरफ हम खेती के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ गांव गांव के अन्दर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खेत के अन्दर काम करते हैं उनको मजदूरी का पूरा मुनाफा नहीं दिया जाता। कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि केवल उनको तनख्वाह ही नहीं देनी चाहिये बल्कि उनको उपज का हिस्सा भी दिया जाना चाहिये ताकि उनमें इन्सेंटिव पैदा हो। खेत में काम करने वाले लोग हैं उनको पूरा मिलता नहीं है।

तीसरी एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन की है उसकी तरह बहुत बड़ा ध्यान रखा जाना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिये। उसमें यह बात है कि काश्त करना एक शौक का धन्धा बना लिया है। जयपुर में या पाली शहर में तो बैठे हैं, लेकिन गांवों में काश्त की भूमि ले रखी है, कितनी ही बड़ी २ जमीनें ले रखी हैं। उनको एलॉट नहीं करना चाहिये, उन्हीं को एलॉट कीजिये जो एग्रीकल्चरिस्ट बाई प्रोफेशन हों। उन्हीं को जमीन दी जाय जो खेती करना जानें। जो खेती न करना जाने उससे वापिस जमीन छीनी जाय। लैंडलेस टेनेन्ट की जो भावना है उसको अमली रूप देना होगा। जिन लोगों के पास धन है, दौलत है, उसको एक जगह धन डालने के लिये धनी लोगों को जमीन दे दी है। गरीबों को जमीन देनी होगी। पंचायतों के पास से किसान को कर्जा दिलाना चाहिए। गाड़ी जाय उसमें खाद बीज और पैसा भी जाय। जितना मांगे उतना पैसा दीजिये। चाहे सड़क हो चाहे पाठशाला हो इसको अभी फिलहाल आप बन्द कर दीजिये। केवल खेती पर ही पैसा लगा दीजिये। कालेजेज हैं वे काफी हैं। कोई आवश्यकता नहीं अभी। हैं जिनसे ही काम चलाइये। एक-एक पाई कृषि पर लगा दीजिये।

(3.08 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां उत्पादन करने का सवाल होता है वहां पर आप किसान को बिजली की आवश्यकता हो तो पूरी कीजिये। आज शहरों में घरों को जगमगाने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं जितनी कि आज कुओं को बिजली चाहिये। पक्षपात और भ्रष्टाचार बहुत सुन चुके हैं। एक मिशन के रूप में लीजिये। योजनाएं होती हैं, काम होते हैं, दौलत होती है। बनाने वाले की कला पर निर्भर करता है। आटा दे दीजिये, घी दे दीजिये और शक्कर दे दीजिये। हलवा तो बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसे बनाता है। यह वही कर सकता है जिसमें अच्छी कला हो। जिसका काम करने में इनिशियेटिव नहीं है, दिलचस्पी नहीं है उसको सख्ती के साथ हटा दीजिये। जो बी०डी०ओज० इतना अनाज पैदा नहीं करा सकें, जो तहसीलदार इतना अनाज पैदा नहीं करा सकें उनको हटा दीजिये। आप क्रांतिकारी क़दम उठा कर इस प्रोग्राम को करिये।

आपने कर्जा दिया। लाखों रुपया दिया। उनके ट्रेक्टर ट्रॉली सारे काम आते है। पर वे खाद पैदा नहीं करते। अगर नगरपालिका ऐसा न करे, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जावे। वह म्युनिसपेलिटी एग्जिस्ट न कर पावे जो गन्दगी से खाद पैदा न करे। नगरपालिका गायें रखें। डेयरी रखे अपनी। पूरी योजना बनावे।

गांवों में गोचर भूमि कायम की जावे। आपने नदियों के किनारे या दूसरी जगह थोड़ी सी जमीन इनके लिये दी है। आप उसके लिये उपयुक्त जमीन का प्रबन्ध करें। भेड़ और बकरी के चरने के लिये टेनेन्सी एक्ट में प्रावधान नहीं है। जो रिजेन्ट क्लाज है। चाहता हूं कि कस्टम के आधार पर उन जगहों पर जहां मवेशी चरते हैं वहां पर भेड़ बकरी चर सकें। भेड़-पालक आज भेड़ लेकर जाता है तो काश्तकारों और थानेदारों का उसको मुकाबला करना पड़ता है। ये

(श्री मूलचन्द डागा)

सही माने में भेड़ पालक तभी होंगे जब उनके पास चराने के लिये जमीन होगी। जमीन ऐसी हो जहां कुछ पैदा होता हो और भेड़ और पशु चर सकें। तो यह सवाल बहुत बड़ा है और महत्व का है।

सीड खरीदने का सवाल है। कई काश्तकार अच्छा सीड पैदा करते हैं तो उन से खरीदिये। खाने के लिये उसको अनाज और पैसा दीजिये। पर फिर भी सारे का सारा उससे मत छीनियेगा, मेरा यह सुझाव है। आपका इसके लिये प्लान है। इसे फोर्थ प्लान में भी लिखा है :—

"The crux of planning for agricultural development is to make village block and district plans a reality."

एक एक विलेज की स्कीम और योजना होनी चाहिये।

हमारी गायों का प्रश्न है। हम चाहते है कि कोई स्ट्रे कैटल जो शहरों में और गांवों में घूमती है, वे न घूमें। जिन मालिकों के जानवर घूमते हैं उनको सजा दी जावे। अगर गायों के लिये कुछ करना चाहते हैं तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हिन्दुस्तान की गायें तभी टी कप काऊ कहलाती हैं। भारत के अन्दर गाय केवल एवरेज 413 पौंड दूध देती है, भैंस 1100 पौंड देती है जब कि हालेण्ड में गाय 8000 पौंड दूध देती है। उनको भी देखिये। इसकी नस्ल को ठीक करने के लिये कैटेस्ट्रेशन को कम्पलसरी करिये। गांवों में कुछ करना चाहते नहीं हैं आप। मैं चाहता हूं कि आप इन मामलों में उन्हीं को नौकर रखिये जिनको इन कामों में दिलचस्पी हो। जिन्होंने इन मामलों में कुछ सीखा ही नहीं है, उनको क्यों इस महकमे में डालते हैं ? खेती आदि के महकमों में उनको डालें जिनकी रुचि उन विभागों के कामों में हो। भावना जिनकी हो, जिनमें इन्सेन्टिव लेने की केपेसिटी हो। बाकी दूसरों को ऊपर फेंक दीजिये, बाहर फेंक दीजिये। तहसीलदारों और कृषि वालों में कोआर्डिनेशन का झगड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एग्रीकल्चर लैण्ड के एलॉटमेंट के सवाल हैं। इनको आप निपटाइये जल्दी से। 15 बीघा आप देंगे, क्या स्टेण्डर्ड है आपके पास इस जमीन के नापने का ? इकोनोमिक होल्डिंग वह होगी या नहीं ? आपने जो स्टैण्डर्ड किया है वही यहां कायम करिये। आप यह देखें कि कल्टीवेबल लैंड की एक एक इन्च जमीन काम में आवे।

सागड़ी प्रथा को खत्म करने की बात आप कहते हैं। इसमें आपने कितनों को चालान किया ? जो जमीन ले बैठे हैं और काम में नहीं लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बुनकर सहकारी संस्थाओं को भी आप लोन दीजिये। इतना ही कहकर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, थोड़े से समय में कुछ बातों की ओर हमारे मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा और यह अपेक्षा करूंगा कि जब भी वे उत्तर दें तो कुछ शंकाएं हमारे दिमाग में हैं उनका समाधान हो सके।

(श्री शोभाराम)

चार पांच वर्षों से सहकारी क्षेत्र में काम करने का मुझे मौका मिला है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान सरकार क्या वास्तव में इस सहकारी क्षेत्र को गति देना चाहती है अथवा नहीं। मेरे मन पर यह असर पड़ा कि सहकारिता को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है और मैं इसके लिए प्रमाण पेश करूंगा।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : थोड़ा जोर से बोलें साहब।

श्री शोभाराम : प्रमाण पेश करने से पूर्व मैं यह मान कर चलता हूं कि इस वर्ष भी हमने सहकारिता के क्षेत्र में अधिक काम लेने की कोशिश की है। जैसे फर्टिलाइजर के वितरण का। पब्लिक सेक्टर से भी बड़ा प्रोजेक्ट इसमें लिया जावे और फर्टिलाइजर के वितरण की बात करते हैं तो नीचे तक के सेन्टर को और सब-सेन्टर को कैसे वितरित किया जावे इसकी व्यवस्था की बात सोचते हैं।

हम इस क्षेत्र में अब तक काफी फासला तय कर चुके हैं। जो तकावी लोन पंचायतों के माध्यम से या दीगर विभागों के माध्यम से दिया जाता था वह अब सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जावेगा। इससे जाहिर होता है कि इस क्षेत्र में सरकार काम तो देना चाहती है, और इस क्षेत्र में हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं सीमित थीं उनको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्षजी, अगर आप आंकड़ें देखें तो थर्ड प्लान में जो प्लान एक्सपेन्डीचर और आउट ले प्रपोज किया गया था वह चार करोड़ का था और वहां साथ में जब कि ज्यादा आवश्यकता सहकारिता क्षेत्र को बढ़ाने की है वहां 345 लाख का प्लान बना। और जहां 57-58 में दश वर्षों में 27 लाख रुपया एक वर्ष में खर्च किया गया वहां 67-68 में 25 लाख का एस्टीमेट आया। इसमें भी कटौती करने की बात हो रही है। 66-67 में 31½ लाख खर्च हुआ इसके मुकाबले में 67-68 में मुझे जैसा मालूम पड़ा है 25 लाख से भी कम की योजना है।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जो इम्प्रूवमेंट की बात करना चाहती है सरकार वहां उसके विभाग इसमें सहयोगी नहीं हो रहे हैं। कृषि विभाग, राजस्व विभाग और यहां तक की सहकारी विभाग में तालमेल नहीं है। हमने देखा कि गत वर्ष फाइनेन्स विभाग में महीनों कागज पड़े रहे और आश्चर्य तो तब होता है जब सेक्रेटेरियट के आर्गेनाइजेशन और मैथड्स का जो सेक्शन है उसमें लिखा है कि जो विभाग सैल सिस्टम में काम करते हैं वे अपने यहां 16 दिन से ज्यादा किसी कागज के डिस्पोजल में नहीं लगायेंगे। तीन दिन डिस्पोजल कल्र्क, सात दिन मंत्री महोदय और 6 दिन बाद में आर्डर और इश्यू होने में, पर मैं बताऊं कि हैण्डलूम कोआपरेटिव के लिये रिजर्व बैंक ज्यादा रुपया देना चाहता है पर कागज सरकार के कल्र्क के पास पड़े रहे काफी अर्से तक। बाद में तलाश करने पर वे एक कल्र्क के पास दबे कागज निकले। सर्कुलर अनुसार 16 दिन में जो कागज निकल जाना चाहिये वह नहीं निकला।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार के आपके यहां एक एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण हुआ। उसकी छठे महीने मीटिंग होती है। मैंने एक प्रश्न किया था उपाध्यक्षजी,

(श्री शोभाराम)

कि मुझे बताया जाये कि गत तीन वर्षों में कितने निर्णय लिए गए और कितने निर्णयों को क्रियान्वित किया और कितनों को नहीं कर पाये और कितनों को करना चाहते हैं और जिनको करना चाहते हो उनको कितने समय में करना चाहते हो। लेकिन इस सम्बन्ध में एक महीने से आपका कोई उत्तर नहीं मिला। आप न दें लेकिन बतायें तो सही कि कब तक देंगे? क्योंकि हमारी मान्यता है कि हम सहकारी क्षेत्र को सक्षम बनाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि हमारे सहकारी मन्त्री के हाथ मजबूत हों। हम जानते हैं कि कई इनकी परेशानियां हैं और हम यह भी जानते हैं कि जब केबीनेट में इनका मामला आता है तो इनकी बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है किन्हीं कारणों से इसलिए नहीं कि कोई व्यक्तिश: नाराजगी है। इसलिये हम समझते हैं कि सहकारी क्षेत्र को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि क्यों मैं रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से अपेक्षा करता हूं कोआर्डीनेशन की और समन्वय की। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी अभी 50 ब्लाक्स में जितने प्राईमरी लैण्ड मार्टगेज बैंक हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आ गयी कि पहले जो तकाबी पंचायत समितियों के मार्फत मिलती थी वह अब इन बैंकों के माध्यम से मिलेगी। 1 अप्रेल के बाद पंचायत समितियों ने यह तकाबी बांटना बन्द कर दिया क्योंकि 50 ब्लाक्स में यह अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। मैंने, उपाध्यक्ष जी, मुतवातिर लिखा और अभी 5–7 रोज का तो पता नहीं हमारी राजस्थान सरकार को लिखा कि हमको बतायें कि कितने ब्याज पर और किन शर्तों पर यह रुपया मिलेगा और कहां कहां पर हमारा मार्जिन किस प्रकार होगा? हम यह पूछते हैं लेकिन आज तक कोई निर्देशन इस सम्बन्ध में नहीं दिया गया। मैं इसलिए भी कहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का कहां सहयोग अपेक्षित है। कॉपलोन की पद्धत्ति में भूमि रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने कृषि उत्पादन पर अब जोर दिया है। ऋण अदायगी की क्षमता को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि किसके पास कितनी भूमि है, और उसकी मैक्सीमम क्रेडिट लिमिट कितनी हो सकती है। हमने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने तहसीलदार को लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी कि हमारे डिपार्टमेन्ट के पुराने अधिकारियों के लगाने के बाद भी पटवारियों ने कोई परवाह नहीं की और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि एस० डी० ओ० का काम जो इतना महत्वपूर्ण बना रखा है उसको चाहिये कि प्रत्येक किसान के लिए एक पासबुक बनवाये और उसमें बता दें कि किसान के पास कितनी चाही जमीन है, कितनी बारानी जमीन है और कितनी पैदावार होती है और ऋण अदायगी की क्षमता उसकी कितनी बनती है, कितनी मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण के लिए हम उस क्षमता का उपयोग करते हैं। अगर ऐसी पासबुक है तो हमको क्या जरूरत है इस तरह की इन्क्वायरी करने की? मैं, उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 232 बी०डी०ओ० आपने हटाये और इनमें से 24 के करीब मॉडल पंचायत समितियों के नाम पर रखा जायेगा। मैं कहता हूं कि शायद कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्तर्गत

(श्री शोभाराम)

ऐसे बहुत से आदमी जो यह काम कर सकेंगे और मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग में इतने बड़े स्टाफ की जरूरत नहीं है। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं— एक तो सहकारी विभाग से कहना चाहता हूं कि हमारी यह कोशिश कि हमारे रिजर्व बैंक के आफिसर्स ने कान्फ्रेन्स की उसमें यह तय किया कि जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को-ऑपरेटिव बैंक्स के लिए आपने बना दिये उनके ऊपर डुअल कन्ट्रोल नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ आपरेशनल कन्ट्रोल से बैंक का मैनेजमेन्ट आज सक्षम नहीं बन पायेगा। अगर इसको सक्षम बनाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल होना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि जो खर्चा आप कर रहे हैं उसको सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के डिस्पोजल पर रख दिया जाये, और फिर मैं समझता हूं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल फिर सक्षम हो सकेगा, और जब रिजर्व बैंक के अधिकारी और गवर्नर तक इस बात के लिए कहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। आखिर में यह बात महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं कि मुतवातिर हमने कोशिश की कि म्युनिसिपल, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायतें, युनिवर्सिटीज और अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट इनके जितने फण्ड्स हैं वह फण्ड्स इन सहकारी बैंक्स के पास रखने चाहिए, और मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की एक मीटिंग हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे, फाइनेन्स सेक्रेटरी भी थे, फाइनेन्स मिनिस्टर भी थे उसमें यह तय हुआ कि अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के जितने फण्ड्स हैं वह इन सहकारी बैंकों में रखे जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद ट्रस्टों के पास आर्डर्स आते हैं कि इससे वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन खराब होगी। इसलिये वे अपने फण्ड को ऑपरेटिव बैंकों में न रखें।

उपाध्यक्ष जी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट को देखा वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन तो हमारी लापरवाही की वजह से ज्यादा खराब होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर लोन्स एण्ड एडवान्सेज की स्थिति देखें तो मालूम पड़ेगा कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओवरड्यूज लोन्स एण्ड एडवान्सेस की आपको मिलेगी। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा था कि यह बतायें कि 15 साल में कितनी-कितनी ओवरड्यूज हैं और कितना तो प्रिंसिपल अमाउन्ट चढ़ गया और कितना इन्ट्रेस्ट चढ़ गया, हम देखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन खराब नहीं होती ? मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स को देखा है "आफिसर्स ऑन अवेटिंग ऑर्डर्स" महीनों तक पड़े रहते हैं, और उनकी तनख्वाह एक साल में लाखों रुपयों की बनती है। इसके अलावा मैंने देखा है कि काफी अर्से के लिये लोग सस्पेन्ड रहते हैं और उनको तनख्वाह दी जाती है, तो क्या वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन खराब नहीं होती है ? मैंने यह भी देखा कि जब भी रिकवरी नीचे के महकमे से होती है स्टे-आर्डर्स ऊपर से होते हैं। उसमें समय नहीं होता है। नीचे वाले इसलिये खुश हो जाते है कि चलो हमको वसूली नहीं करनी है और ऊपर वालों के स्टे ऑर्डर्स देने के बाद भी पांच-पांच और छः छः साल तक स्टेऑर्डर्स पड़े रहते हैं और रिकवरी भी वहीं की वहीं

(श्री शोभाराम)

पड़ी रहती है तब वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन खराब नहीं होती ? अगर वेज एण्ड मीन्स का बहाना नहीं हो, क्योंकि हमारी सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक को चलाने की सरकार की भी जिम्मेदारी है और जो सिस्टम काम करने का चल रहा है मैं, उपाध्यक्ष जी, यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि एक साल में 337 केसेज ऐसे थे जहां कि लोनीज की रसीद तक नहीं थी। यह ऑडिट रिपोर्ट की बात है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं दो बातें कह कर समाप्त करता हूं। एक तो यह कि सेक्शन 2 के अन्दर लिमिटेड लाइबिलिटी को डिफाइन करते समय सिंगल टाइम मल्टीपल वाली बात कही है। पहले ऐसा था कि नाट मोर देन 5 टाइम्स शेयर मनी से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। अब आपने यह कर दिया कि 5 गुना से कम नहीं होगा, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। दूसरा सजेशन सेक्शन 19 में देना है। जिसको श्री रामानन्द जी ने भी रखा है। मैं समझता हूं कि मनी लेन्डर्स के लिये कहा गया है कि कर्जा नहीं दिया जायेगा। यह ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज या इसी प्रकार की सर्विस रनिंग सोसाइटीज या मनी लेन्डर्स का इन्ट्रेस्ट कान्ट्रेडिक्ट होता है वहां मेनेजमेन्ट में तो क्या साधारण मेम्बर भी मनी लेन्डर्स को नहीं बनने देना चाहिये। क्योंकि जो कुछ खामियां हमको मिलती हैं हम देखते हैं कि कुछ लोग जो संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं वह हमारी सरकारी संस्थाओं में घुस गये और वह सहकारी संस्थाओं को बदनाम करते हैं। और अन्त में मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन के लिये कोई अारग्यूमेंट की जरूरत नहीं है और हम समझते हैं कि जो आॅर्डर्स हैं वह रिवाइज करें। हम सरकार को अपना दृष्टिकोण समझाना चाहते हैं लेकिन हमको विश्वास में नहीं लिया जाता है और मैं समझता हूं कि अगर कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सब प्रकार के फण्ड्स हमारी डिस्पोजल पर होने चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई सेन्ट्रल बैंक ऐसा नहीं है जहां किसी का चैक आनर नहीं हुआ हो ... मैं समझता हूं कि जो आपने पैसा इसमें लगा रखा है उसका आपको सदुपयोग करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके ऊपर आप अमल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना !

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, मैंने कटौती के जो प्रस्ताव दिये हैं उनके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं। असेम्बली में जो बहुत सारे भाषण सुने तो मालूम होता है कि प्रश्नों के समय में और कटौती के प्रस्तावों के समय में करीब २ इधर के और उधर के दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों की बराबर ही राय रहती हैं और उसी समय वह ठीक २ बातें भी कहते हैं। मुख्य बात यह है इन सारी बातों के पीछे कि इसका एक बैंक ग्राउण्ड है, इसकी एक पृष्ठभूमि है जिसके पीछे ये बातें होती हैं। एक युद्ध होता है और एक क्रांति होती है। क्रांति में वेल्यूज बदलती हैं, मूल्य बदलते हैं, मानवीय मूल्य स्थापित होते हैं और आदमी की प्रतिष्ठा कायम होती है। और युद्ध में एक

(श्री फूलचन्द वाफना)

आदमी को हटा कर दूसरे आदमी को बैठा दिया जाता है। हमारे लोकतन्त्र में वास्तव में युद्ध भी चला है और एक आदमी को हटा कर दूसरा आदमी बैठा है, और बैठता है, परन्तु इससे वेल्यूज नहीं बदलती, मूल्य अर्थात् मानवीय मूल्य नहीं बदलते, मानव की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, इसी वजह से सारी इस तरह की बातें होती हैं, सारे कटौती के प्रस्ताव आते हैं और प्रश्नों के समय इस तरह की चर्चाएं होती हैं और हमारे सामने सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसलिये ये सारी कमियां रह गई हैं, सारी जो बातें कही जाती हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि ऊपर से सारी बातें ठीक हैं, ऊपर से मंत्री आदि सब पवित्र हैं और नीचे के अफसर ही सब बेईमान हैं। तो ऐसा मालूम होता है ऊपर से गंगोत्री बह रही है और नीचे ही सारा गन्दा पानी हो रहा है। जब चारों ओर से एक ही प्रकार की राय सामने आती है तो मालूम इस तरह से होता है कि लोकतन्त्र मिटकर तंत्रलोक हो गया है। पंचायत राज की जगह राज की पंचायत बन गई है और इसलिये यह सारी हमारे सामने आपत्तियां पैदा होती है। इस पृष्ठ भूमि में ही मैं भी ये सारी बातें कह रहा हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ भी बुराई है, चाहे पशुपालन के सम्बन्ध में हो, चाहे सहकारिता के सम्बन्ध में हो चाहे किसी और सम्बन्ध में हों, सारी पृष्ठभूमि बुराई की भी एक ही है और अच्छाई की जो पृष्ठभूमि है वह भी एक ही है। आज पशुपालन के सम्बन्ध में जो बातें हमारे और भी सज्जनों ने कही है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पशुपालन में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह यह वेजीटेबल घी है। यह जो वेजीटेबल के नाम से घी चलता है उसका जो उत्पादन होता है और इसका एक पर्यायवाची नाम है "गायमार घी" या "दुधारू पशुमार घी", ये नाम भी इसके पर्यायवाची चलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि उसके सामने असली घी भाव में ठहर नहीं सकता और इसी वजह से पशुपालन खत्म हो रहा है। अगर हमको पशुपालन को प्रोत्साहन देना है, अगर पशुपालन की अधिक तरक्की करनी है तो आपको वेजीटेबल घी को बन्द करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया ऐसे लोगों का लगा हुआ है जिनसे कि रुपया चुनावों में मिलता है, और इसी वजह से हम इतनी हिम्मत का कदम उठा नहीं सकते और उठा भी नहीं पा रहे हैं। जब तक यह वेजीटेबल घी चलता रहेगा, गोपालन और पशुपालन कभी भी चल नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मजबूर होकर आपको कहना पड़ेगा कि पशुपालन बेकार है और पशु तो केवल मार कर खाने योग्य रह गए हैं। क्या इतना ही मूल्य है इनका ? इसीलिए यदि आपको पशु पालन करना है, पशुओं को बढ़ाना है तो यह सारा इन्तजाम होना चाहिए कि वेजीटेबल घी हमारे यहां पर नहीं रहे और आप देखेंगे कि अंततोगत्वा घी दूध की नदियां फिर से अपने आप बहेगी। अभी अमेरिका का अनाज आता है इस वजह से भी बाधा पड़ती है। अमेरिका के अनाज के कारण खेती की जो हमारी उपज है जो हमारा अनाज है वह कभी भी उस भाव में टिक नहीं सकता है और इसलिए एक दिन यह भी आएगा कि सारा का सारा अनाज अमेरिका से ही आएगा। हमारे यहां का अनाज कभी भी इसके मुकाबले पड़ता नहीं

(श्री फूलचन्द बाफना)

खा सकता, अमेरिका के अनाज से हमारे यहां अधिक मूल्य बैठेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि किसान खेती करना छोड़ देगा और खेती करेंगे तो वैसी चीजों की खेती करेंगे जिसको कार्मशियल क्रॉप या कैश क्रॉप्स कहते हैं। रोकड़ियां फसलें पैदा होंगी और हमारे यहां अनाज की खेती होना बन्द हो जाएगा।

सांडों के विषय में भी बता देता हूं। हर गांव में कम से कम एक सांड होना चाहिए परन्तु आज तक भी हम यह नहीं कर पाये हैं और इसलिए पशुपालन में जब सांड ही नहीं है, जब विकास के कार्यों के नाम पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं लेकिन हजारों गांव बिना सांडों के पड़े हैं तो ऐसी हालत में बिना सांडों के नस्ल-सुधार का कार्य बराबर किस प्रकार हो सकता है और इसलिए यह काम बराबर नहीं हो पाता है और पशुपालन में इस तरह से सारी बातें आती हैं। अब मैं इस विषय में क्योंकि निश्चित समयानुसार मैं काफी कह चुका हूं, अतः ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

सहकारिता के विषय में जो आपके नियम हैं उनके विषय में मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव दिया हुआ है। आज सहकारिता में यह होना चाहिए कि एक सब के लिए और सब एक के लिए हों। सहकारिता का आधार भी यही है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसका मतलब यह है कि एक परिवार की तरह सहकारी समितियों के सदस्य हों, जैसे एक परिवार में होता है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए। अगर एक परिवार की भावना इस सहकारिता आन्दोलन के अन्दर पैदा होती है तब तो वह बराबर सहकारी आन्दोलन है लेकिन अगर केवल पैसा प्राप्त करने के लिए सहकारी आन्दोलन है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। केवल एक ही घर के मिल कर सहकारी समिति बना लें और उस कमेटी के मेम्बर बन जायं और उस सहकारी समिति के मार्फत केवल पैसा प्राप्त करना ही उद्देश्य हो तब तो यह एक बेकार की बात होती है। आज भी उसी तरह से होता है कि सहकारिता के नाम पर मांग कर खाते हैं। जिस प्रकार एक शनिश्चरजी का भगत, शनिश्चरजी की तस्वीर हाथ में लेकर उनके नाम पर तेल मांग कर खाता है इसी तरह से भलाई के नाम पर बुराई चलाई जाती है। नाम बोलेंगे सहकारिता का और उस सहकारिता की भलाई के नाम पर अपनी बुराई चलाते हैं और जब कोई नाम चल जाता है तो उस नाम से अपना पेट पालते हैं। जैसे हमारे वर्तमान राजनैतिक जीवन में होता है कि हर बात में गांधीजी का नाम लेते हैं। जैसे गांधीजी साग हैं जिनके नाम को राजनैतिक रूपी रोटी से लगा लगा कर खाये। जायं इसी तरह से सहकारिता के नाम पर रुपये खाये जा रहे हैं। कई ऐसे अच्छे अच्छे नाम चलते हैं उनको सब तरह तरह की सब्जी से लगा लगा कर पेशेवर राजनीतिज्ञ राजनैतिक रोटी खाये जा रहे हैं और सहकारिता को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। यह बर्ताव सहकारी समितियों के साथ किया जाता है और यही हाल सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन का है। जो सहकारी समितियां किसी के इशारों पर चलती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नहीं तो सहकारी सहमितियों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाता है। बारह-बारह महीनों तक अच्छे अच्छे आदमियों की सहकारी समि-

(श्री फूलचन्द बाफना)

तियां रजिस्टर्ड नहीं होतीं और जो कोई ऐसी सोसायटीज होगी जो ऐसी योजना बना कर चलती है कि इस तरह से पैसा ले लेंगे और इस तरह से पैसा बंट जायेगा तो उन आदमियों की सोसायटीज जल्दी रजिस्टर्ड करदी जाती हैं। यह तो एक तरह से जागीरें हो गई हैं। राजाओं के जमाने में, जागीरदारों के जमाने में जिस तरह से जागीरें दी जाती थीं उसी तरह से इस युग में सहकारी समितियां बख्श दी जाती हैं कि तुम लोग ऐसे कमा कर खाओ। सहकारी समितियों में भी एक एक आदमी केवल एक ही समिति का मेम्बर नहीं होता बल्कि तीन-तीन, चार-चार समितियों का एक ही व्यक्ति मेम्बर हो जाता है और तीन चार जगहों से लोन उठा लेता है और उन हजारों रुपयों का पता नहीं चलता और जैसे ही लोन ज्यादा हुआ उसको माफ कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपकी सहकारी समितियों का काम चल रहा है। इस तरह से हम सहकारिता के केवल नाम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जो सब एक के लिए और एक सब के लिए का सिद्धान्त था, एक परिवार की भावना पैदा करना सहकारिता का उद्देश्य था और जिसके द्वारा हम राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते थे वह हमारा सारा उद्देश्य समाप्त हो गया है। हम क्या कर रहे हैं कि उस मूल चीज को तो हम खत्म कर रहे हैं और अन्धेरे में हाथ-पांव मार रहे हैं। इस तरह से सहकारिता का आन्दोलन पनप नहीं सकता।

मार्केटिंग सोसायटी की जो व्यवस्था कृषि की पैदावार को बेचने के लिए की गई थी उसका उद्देश्य यह था कि एक जगह पर कृषकों की उपज को संग्रह करके रखा जाय और जब अच्छा भाव आए तो उस समय उनके माल को बेचा जाय ताकि किसानों को पूरा पैसा उनकी उपज का मिल सके। अब मार्केटिंग सोसायटी की जगह कृषि-उपज मण्डी और हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मार्केटिंग सोसायटीज अच्छी तरह से सफलता के साथ चलाई जावे तो ये कृषि उपज मंडी क्या सामान बेचेगी? अगर मार्केटिंग सोसायटीज सफल हो तो कृषि उपज मण्डी का क्या काम रहेगा। यह लाखों रुपयों का खर्चा बिल्डिंग और आफिसरों वगैरा पर क्यों किया जा रहा है? अगर मार्केटिंग सोसायटीज सफल हो जाती हैं तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु हमको हमारे अन्दर विश्वास नहीं है। ज्ञात होता है कि अब हमको हमारे आन्दोलन में विश्वास नहीं रहा है।

मैं एक—दो मिनिट में जगह ले लूंगा।

तो मैं आपका ध्यान.......

श्री उपाध्यक्ष : आपका 10 मिनिट का समय था वह खत्म हो गया।

श्री फूलचन्द बाफना : खत्म हो गया तो मैं भी चर्चा खत्म कर रहा हूं। 10 मिनिट खत्म हो गये तो मैं एक मिनिट में ही बन्द कर देता हूं, क्योंकि यह अच्छी चीज है कि दूसरों को भी समय मिले।

तो मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे हर काम के पीछे एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन के पीछे काम चलता है, खाली काम काम की बातें करते हैं वे जिनके दिमाग में उसका दर्शन या उस की फिलासफी नहीं होती है उस काम के पीछे, और केवल दिखाऊ काम की बात ही

(श्री फूलचन्द बाफना)

उनके दिमाग में रहती है तो उससे समाजवाद, राष्ट्रीयकरण ये सारी बातें उन स्वार्थी आदमियों के हाथों में चली जायेगीं और एक लिमिटेड कम्पनी बन जायगी और इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर चीफ मिनिस्टर होंगे, अन्य मिनिस्टर डाइरेक्टर होंगे और शेयर होल्डर्स पैसे खाऊ लोग बन जायेंगे, और यह सारी कम्पनी चलती रहेगी। इससे लोकतन्त्र नष्ट हो जायगा, राष्ट्रीयकरण नष्ट हो जायगा, समाजवाद नष्ट हो जायगा। इस लिए हर वस्तु के पीछे जो दर्शन होता है उसको समझ कर सारे कामों को चलायें।

बस मैं इस बात के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ?

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज काश्तकारों को इस सरकार की ओर से ये लेक्चर दिये जाते हैं, उनके अधिकारी जाते हैं और कहते है कि उत्पादन बढ़ाया जाय और खेती के लिए ऐसा सोचते हैं, मगर किसानों की मौजूदा परिस्थिति में कितना अभाव है उसके बारे में कभी कोई ध्यान नहीं जाता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके बजट में जो प्रावधान कृषि के लिए रखा गया है उस रकम का सदुपयोग होता है या नहीं होता है यह गवर्नमेंट को देखना चाहिये। उसके अधिकारियों को देखना चाहिये। मैं इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के पास केवल जमीन है, उसका शरीर है। किसान शरीर से श्रम कर सकता है, लेकिन खाद, बीज, आधुनिक खेती के उपकरण और सिंचाई के लिए साधन उसको चाहिए तथा ऐसे खाद और साधन चाहिए जिससे कृषि की उन्नति कर सके। वैसे पंचायत समितियों के द्वारा और सहकारी समितियों के द्वारा जो थोड़ा बहुत इमदाद के रूप में खाद, बीज वगैरह मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में जितनी यह रकम मन्जूर होती है वह उन आदमियों को मिल जाती है जिनकी सिफारिश होती है, सरपंच के जो आदमी होते हैं, प्रधान जिनको दिलाना चाहता है, उनको मिल जाती है। ऐसे छोटे व्यक्ति, गरीब काश्तकार उससे महरूम रहते हैं इन साधनों से। इसकी वजह से जो साधन हैं वह पर्याप्त मात्रा में उनको प्राप्त नहीं हो पाते और सिंचाई का जहां तक कुए वगैरह की इमदाद में तकावी के रूप में रकम नहीं मिल पाती है वहां पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृषि फार्म पर सरकार की ओर से लाखों रुपयों के टेक्टर होते हैं, सिंचाई के साधन होते हैं, बीज अच्छा होता है उनकी देख-रेख विशेषज्ञों द्वारा होती है तो उनकी तनख्वाह में, पेट्रोल में जो खर्चा होता है और लाखों रुपये खर्च करके उनमें हजारों की पैदा होती है। हजारों रुपये खर्च करने के बाद सैकड़ों की पैदावार होती है। मगर गरीब काश्तकारों को जिनको आवश्यकता के समय बीज मिलना चाहिये खाद मिलना चाहिए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये, वे नहीं मिल पाते हैं और सरकार केवल यह शो करती है कि पर्याप्त मात्रा में बजट मन्जुर किया है। ये सारी बातें थोथी हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो काश्तकारों के जो अभाव हैं उनको देखना चाहिये। जिम्मेदार अधिकारियों को समय पर भेज कर खाद समय पर मिलता है कि नहीं इसको देखना चाहिये, मगर होता क्या है कि एग्रीकल्चर के

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

जो अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे यह नहीं समझते है कि रबी की फसल में कौन कौनसी चीजें पैदा होती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण पेश करूं कि मेरे गांव में मेरे घर के पास बगीचा था तो एग्रीकल्चर का एक कर्मचारी आया और उसने ऐसा खाद उसमें दिलवाया कि जो पपीते के पेड़ लग रहे थे और उनमें बड़े जोरों से पपीते आने वाले थे मगर उस खाद के कारण ऐसी चीज पैदा हो गई कि फल सारे गिर गये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे किसान आपके विशेषज्ञ से ज्यादा चतुर हैं। उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको आज साधन उपलब्ध कराने की जो बात है वह होनी चाहिये।

और दूसरी चीज मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायत समितियां हैं वे राजनैतिक दृष्टिकोण से इन काश्तकारों को ये चीजें उपलब्ध कराती हैं। उन लोगों की पार्टीबन्दियों के कारण गरीब आदमी उनसे महरूम रहते हैं। इसलिए पक्षपात नहीं करते हुए सरकार को हर प्रकार से किसान को साधन सम्पन्न बनाना चाहिए।

जमीनों के एलॉटमेंट में इसी प्रकार से तहसीलदार, प्रधान आदि जाते हैं वे उनके माध्यम से एलॉटमेंट करते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे आदमियों को जिनको जमीन मिलनी चाहिए थी उनको जमीन नहीं मिलने से कृषि नहीं कर पाते तो वह बेकार है। छोटे आदमियों को जो नाम मात्र की जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी गई है तो उनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया। वे खेती करने से महरूम हो गये। इस तरह से खाली योजनाएं बनाते हैं जो कागजों में रह गईं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। असल में आपको वहां जाकर देखना चाहिए। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलाना चाहिए तभी कृषि की उन्नति हो सकेगी और हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल !

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव सहकारिता की मांग पर दिया है। सहकारिता के सम्बन्ध में अभी इस सदन के माननीय सदस्य शोभाराम जी द्वारा काफी प्रकाश डाला गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता को काफी महत्व देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। लेकिन वास्तविकता को जब हम देखते हैं तो मुझे यह निवेदन करना पड़ता है कि जो प्रगति हमें इसमें प्राप्त कर लेनी चाहिये थी, वह प्रगति हम इसमें प्राप्त नहीं कर पाये। इसके कारण की तरफ जब हम देखते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसके फैलाव के लिए, इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए काफी नियम, कानून सब कुछ बनाये। कागजों में हमने बताया कि हम क्या क्या फायदे इसके द्वारा आम लोगों को खास तौर से काश्तकारों को देना चाहते हैं। यह सब कुछ किया लेकिन उसका परिणाम पूरा नहीं निकल पा रहा है। इसका मूल कारण हमारी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के आधार पर हम चल रहे हैं, वह इसमें बाधा डालती है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर अभी रखा गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय उस पर अवश्य ध्यान दें। एक दूसरे महकमों में एक दूसरे विभाग में जो कोआर्डीनेशन होना चाहिए, सहकारी विभाग से उनको कोआॅपरेटिव करना चाहिए सहकारिता जिसको हम कहते हैं कोआॅपरेशन उसमें तो सहकार की भावना होती है, लेकिन, इसके साथ जो दूसरे विभाग से कोआर्डीनेशन होना चाहिए, वह कोआॅपरेशन नहीं मिलता है।

मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्षजी ऋण-व्यवस्था के ऊपर दिया है, और उसी को लेकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक इसी मुद्दे को हम देखें और खासतौर से मैंने इसको इसलिये लिया कि आज हमारी सहकारी समितियां जो कुछ भी काम कर रही हैं उसमें प्रमुख काम ऋण वितरण का है। एक सामान्य काश्तकार का जो सम्बन्ध एक सहकारी समिति से रहता है वह ऋण की वजह से रहता है। आज जो भूमि बन्धक बैंक द्वारा वितरित किये जाने वाला ऋण है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने उसमें काफी प्रावधान किया है। यह सही है कि दूसरे माध्यम से जो काश्तकारों को ऋण नहीं मिलता है, उन सीमाओं तक ऋण नहीं मिल पाता जो कि भूमि बन्धक बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। लेकिन आज जब हम उस ऋण की प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें महसूस करना पड़ता है कि जो काश्तकार को जितने कम समय में जितनी आसानी से ऋण प्राप्त हो जाना चाहिए वह उसकी उस प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होगा। ऋण के प्रार्थना-पत्र के बारे में काश्तकार को रेवेन्यू विभाग की ओर देखना पड़ता है। कई कागजात उसके साथ नत्थी करके, शामिल करके, ऋण का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है उसमें काफी समय लगता है और काफी खर्चा आने-जाने में करना पड़ता है। मूल पर जो इन्ट्रेस्ट वह देता है उसके साथ मैं अब ऐसे खर्चे जोड़े जांय तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब हिसाब यदि लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि जिस काश्तकार को हम कोआॅपरेटिव की ओर खींचना चाहते हैं, साहूकार के हाथ में से निकालना चाहते हैं तो उस साहूकार के हाथ में से उसको निकालने में हम सफल नहीं हो सकेंगे। काश्तकार इन सब हिसाबों को नहीं लगाता है। उसके कारण बार-बार प्रार्थना-पत्र देता है, और रुपया प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब वह यह समझेगा कि वहां पर क्या इन्ट्रेस्ट पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो प्रक्रिया है, आज जो तरीका है उस तरीके से हम कामयाबी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। जिस मुद्दे को बढ़ाना चाहेंगे उसको नहीं बढ़ा पायेंगे और जो लाभ काश्तकारों को देना चाहते हैं वह लाभ नहीं दे पायेंगे।

दूसरी ओर इसके साथ-साथ हम जहां काश्तकारों को ऋण देने की व्यवस्था करते हैं वहां उनको ऋण प्राप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके लिये रेवेन्यू विभाग से अगर प्रमाण-पत्र लाना होता है, सब-रजिस्ट्रार के यहां वह उसको रहन रखने जाता है लेकिन इस विभाग द्वारा उसको कोई सहयोग नहीं। अगर विभाग से सहयोग मिले तो एक दो दिन के अन्दर ही काम बन जाय लेकिन पन्द्रह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पन्द्रह दिन तक प्रमाण-पत्र नहीं मिलते इस तरह से उनका समय काफी बरबाद हो जाता है। जो लैन्ड काश्तकार रहन रखने जाता है, उसकी वेल्युएशन के लिये सब-रजिस्ट्रार का मुंह देखना पड़ता है, उससे जानकारी लेनी पड़ती है। किस हिसाब से उस क्षेत्र में जमीन बिकी है, किस कीमत में उसने उसको हासिल की है, उसके आंकड़े उसके समय पर उपलब्ध नहीं होते। हमारे अधिकारीवर्ग जो हैं वह लैन्ड रेवेन्यू को आधार मानकर वेल्युएशन निकालते हैं, उससे काश्तकारों को फायदा नहीं मिलता वह मार्केट वेल्यू से बहुत कम होता है, क्योंकि लैन्ड रेवेन्यू का मल्टीपल जिसके आधार पर भूमि का मूल्य निकाला जाता है। मैं आपके सामने डूंगरपुर जिले के बांसवाड़ा जिले के और उदयपुर जिले के उस इलाके के उदाहरण रखूंगा जहां आदिवासी लोग रहते हैं। उनके पास जो अधिकतर भूमि है वह पहाड़ी है, कानून के अन्तर्गत वे भूमि का क्रय नहीं कर सकते। इस वजह से वहां के सेल स्टेटिक्स नहीं मिलते हैं। दूसरी ओर उनकी भूमि को उपजाऊ करने के साधन प्राप्त नहीं थे। इसलिये वे उसको उपयोगी नहीं बना पाये। रद्दी भूमि है सेटलमेंट के अन्तर्गत लैंड रेवेन्यू कम आया है। वहां लैन्ड रेवेन्यू नीची है और उसी के मुताबिक मल्टीपल के आधार पर उसको कर्जा मिलता है, तो कर्जा बहुत कम मिलता है इस तरह से वे ऋण लेने से महरूम रह जाते हैं। इस प्रणाली में अगर हमने सुधार नहीं किया तो जो लाभ हम किसानों को देना चाहते हैं वह नहीं दे पायेंगे। इस का नतीजा यह होगा कि जो किसान पहले से ही खुशहाल हैं, शक्तिशाली हैं या जिसके पास पैसा खर्च करने को है वही अपनी भूमि को डेवलप करने हेतु ऋण ले सकेगा और गरीब किसान उससे वंचित रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों पर विचार करने के बाद हमें ऐसी स्थिति से पार होना पड़ेगा जिसकी वजह से आज काश्तकार को जो समय पर ऋण चाहिये वह नहीं मिल पाता। आज काश्तकार बोहरे से इसीलिए ऋण लेना ठीक समझता है क्योंकि बोहरा तुरन्त उसको ऋण दे देता है और उसके बाद में दस पन्द्रह दिन बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने कानून में तरमीम करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस कानून को पास किया उसके बाद उसमें हमने तरमीम की और संशोधन किया और नियम बनाये, यह मान कर कि इन नियमों के अन्तर्गत राहत मिलेगी। राहत मिलने के बजाय उससे हुआ क्या कि उल्टी उनको दिक्कत हो गई। आज भी जितने कागजात ऋण के लिये पहले एकत्रित करने पड़ते थे उतने ही एकत्रित करने पड़ते हैं उसके अनुसार इन्क्वायरी आफिसर उसके स्वामित्व के बारे में जांच करेगा कि उसका उस पर स्वामित्व है या नहीं उसके लिए पन्द्रह दिन का समय दिया है। उस समय में वह भी पूरी तरह जांच नहीं कर पायेगा और जांच न होने के कारण उसको ऋण मिलने में और देरी हो जायगी। महीना डेढ़ महीना तो उसको जांच करने में लग जायगा। तो इस तरह से संशोधन करने से फायदा नहीं हुआ और जैसा कि नत्थीसिंह जी ने कहा ढोल पीट पीट कर यह एलान किया जायेगा कि फलां काश्तकार ऋण लेना चाहता है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एक तरफ वह गिरवी रखकर ऋण लेता है उसका ढोल पीटकर प्रसार करना वह उसके लिये बड़ी खराब हरकत समझता है। ऐसी स्थिति में जो प्रोविजन हमने इसे कानून में रखा है उसको निकाल दिया जाना चाहिये। इसके अलावा प्रोसीजर जो लम्बा है उसको भी सरल करना पड़ेगा।

इस संबंध में एक हल यह सुझाया गया कि हर किसान के पास पासबुक होनी चाहिये। उसमें उसकी पूरी हैसियत उस जमीन का नक्शा, कहां से खरीदा आदि सब विवरण दिया हुआ होना चाहिये। अगर उसने उसमें से कुछ भाग किसी को बेचा है तो वह भी दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार पास बुक देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, लेकिन उसके लिये यह किया कि जहां पैमाइश हो रही है वहीं वे पासबुक दी जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरी जगह पासबुक देने के लिये सेटलमेंट का इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये तत्काल सभी जगह पासबुक दे देनी चाहिये। वर्तमान आधार पर दे देनी चाहिये बाद में सेटलमेंट होगा तो बदलदी जायगी। इससे यह होगा कि किसान को समय पर ऋण तो मिल जायगा। और उसको रेवेन्यू विभाग या अन्य की ओर नहीं देखना पड़ेगा। सही रेकार्ड उनके पास ही मिल जाय तो ऋण प्राप्त करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से हम इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे कटौती प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभागों के बारे में हैं। पहले मैं राज्य सरकार द्वारा जो कृषि सम्बन्धी नीतियां चल रही हैं उनके संबंध में कहना पसन्द करूंगा। वित्त मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान यह कहा था कि हमारा कृषि-उत्पादन निरंतर गिरता जा रहा है और इस बात को मानने के लिये भी उन्होंने अकाल का सहारा लिया। मेरा यह मानना है कि अकाल ही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से हमारा कृषि–उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उसके साथ-साथ सरकार की अनिश्चित नीतियां भी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग ने जिस प्रकार की नीतियां अपना रखी हैं वे यदि ऐसे चलती रहीं तो एक दिन ऐसा आयेगा कि हमारा सारा का सारा अनाज अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। हम किसी प्रकार की नीतियां अपनाते रहे हैं तो उसके लिये प्रसार करते रहे हैं लेकिन उस प्रचार को पूरा करने के लिये हमारे पास साधन भी मिल सकेंगे या नहीं इस बात की चिंता नहीं करते हैं। मैं फर्टिलाइजर्स के बारे में कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब शुरू-शुरू में रासायनिक खाद के बारे में पंचायती राज्य संस्थाओं ने यह काम करना शुरू किया था, आरम्भ में यह कार्य ब्लाक समितियों ने ही किया था, तो उनसे कहा गया था कि बहुत जोरों से इसका प्रचार करें और प्रचार करते समय मैं, उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन करूं कि बहुत से काश्तकार खाद के बोरे पंचायत समिति से तो ले जाते लेकिन बाहर ही फेंक जाते थे और प्रायः शाम को चपरासी द्वारा वह बोरा अन्दर रखवाना पड़ता था। धीरे-धीरे जब रासायनिक खाद लोकप्रिय बनी तो हमने उसको तकाबी के रूप में देना आरम्भ किया। तकाबी के बाद में जब किसान को पूरी जानकारी हो गई तो आज हमारे पास सुपर फासफेट खाद की कमी है।

(श्री सहदेव शर्मा)

मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट पंचायत समिति, जयपुर जिले में एक ऐसी पंचायत समिति है जहां मूंगफली का उत्पादन, मैं कह सकता हूं, भारत में सबसे ज्यादा लालसोट में हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां पर आपके कृषि विभाग द्वारा समरेला मूंगफली का प्रचार किया गया। उस समरेला मूंगफली के लिये सुपर फासफेट की जरूरत होती है। अब प्रचार किया गया कि इस मूंगफली में आइल का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिये लोगों ने इस मूंगफली की किस्म को अपनाया।

(4 म. प.)

उसका समा बनने के बाद उस सुपरफासफेट की कमी महसूस होने लगी। मैं आपको बताऊं कि 1965–66 के अन्दर जो सुपर फासफेट अवेलेबल था और जो टार्गेट जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए फिक्स किया गया था वह एक पंचायत समिति अकेले ही कन्ज्यूम कर सकती थी। वह टार्गेट अब राजस्थान के लिए तेजी से बढ़ गया होगा–इस बात को मैं जानता हूं। फिर भी मैं मानता हूं कि वह टार्गेट राजस्थान प्रान्त की डिमाण्ड के मुताबिक नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आज जो महसूस की जा रही है रासायनिक खाद के सम्बन्ध में, वह है एक तरफ तो हमने सुपर फासफेट की डिमाण्ड बढ़ाने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई लाइन को मेन्टेन करने की और सप्लाई बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मेरा मानना है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे डिमाण्ड के मुताबिक सप्लाई लाइन बनी रहे। अगर सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हमसे डिमाण्ड बढ़ाने के लिए भगवान के वास्ते आप मत कहिये।

चाहे ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले हों और चाहे विरोधी पक्ष में बैठने वाले हों, सबने पंचायती राज की आलोचना अवश्य की है। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि पंचायत राज्य को जो पावर्स राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जयपुर जिले में एक विशेष रुख अपनाया जा रहा है, कर्ज देने के बारे में और तालाब के निर्माण के बारे में। जो तालाब निर्माण के लिये धनराशि दी जाती है वह ऐसे मानी जाती है जैसे कोई बड़ी इर्रिगेशन की योजना के लिए दी जाती है। इर्रिगेशन के मामले में होता क्या है, वह मैं सदन के समक्ष थोड़ा रख दूं। इसके लिए जयपुर जिले की भौगोलिक स्थिति बताना बहुत जरूरी है। आप मुझ से सहमत होंगे यदि मैं कहूं कि जयपुर जिले में तीन चार पंचायत समिति ऐसी हैं जहां पर थोड़ा बहुत पानी तालाब से मिलता है। खेती के लिए वैसे सिर्फ तालाब ही आबपाशी का साधन है--यह मेरा मानना है। लेकिन केवल कुछ पंचायत समिति ऐसी हैं, जैसे दूदू, लालसोट, फागी वगैरह – जहां तालाब हैं, वर्ना बाकी की सब जगह पर कुए से खेती होती है। मेरा यह कहना है कृषि मंत्री जी आपसे कि जब इस प्रकार आपका विकास कृषि की उन्नति के लिए, कुए बनवाने के लिए पैसा बांटे तो ऐसे जिले के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिये जहां पर रेतीली जमीन है। मुडीली जमीन में तो कुए कम से कम बनाना आसान है क्योंकि वहां पर पानी का भंडार भी मिल सकता है। इसलिये जब कभी पानी के लिए प्रावधान करें तो मेरा

(श्री सहदेव शर्मा)

मानना है कि जयपुर जिले को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसी प्रकार एक अर्ज और करना चाहता हैं जहां कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहते हैं वहां पर इरिगेशन के टाइम के लिए कुए का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके लिए सीमेंट की कितनी घोर अव्यवस्था आज है। इसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां भी जांय आज सीमेंट एक दो रुपये ब्लेक से मिल रही है। पिछले साल भी पंचायत समिति की मीटिंग में यह बात आई थी। मैं आपसे यह अर्ज करूं कि जब हम पंचायत समिति की मीटिंग में बैठते हैं तो छोटी सी बातों को लेकर हमें काफी परेशानी फालतू भुगतनी पड़ती है। जयपुर जिले में लाखेरी सीमेंट की एजेन्सी है, लेकिन गांवों में एजेन्सी ना के बराबर है, केवल एक दो जगह पर लाखेरी सीमेंट की एजेन्सी है, जो वहां दे रखी है। इस मामले में किसानों के अन्दर एक प्रकार का भ्रम है-यह मेरा मानना है लेकिन मैं भी यह मानता हूं कि लाखेरी सीमेंट कुओं के निर्माण के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी व्यवस्था करवायें कि लाखेरी सीमेंट हैं उसको आप कृषि के उपयोग के लिए रखवायें। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आपको कोई विशेष बाधा आयेगी। खासकर होली के बाद में मार्च, अप्रेल, मई, जून तक सीमेंट का कोटा कृषि के लिए रखा जाय। पिछली साल जब जयपुर के अन्दर सेमीनार हुआ था उस वक्त में मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि चार महीने में सीमेंट की तीन चौथाई सप्लाई हम किसानों को कुओं के लिए देंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह घोषणा घोषणा रह गई। आज व्यापारी लोग उस घोषणा के अनुसार सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वह आज तीन चौथाई मकानों के लिए सीमेंट दे रहे हैं और एक चौथाई सीमेंट कृषि के लिए दे रहे हैं।

अब मैं कृषि मंत्री से एक प्रार्थना, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा करना चाहता हूं कि बीमा योजना को आप जल्दी से जल्दी से लागू करें। अगर बीमा योजना लागू नहीं होती है तो हम किसान को बिल्कुल कुदरत के हाथ में खेलने का दे देते हैं। अगर आप कोशिश करें तो बीमा योजना लागू हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि इससे बहुत सी बातों में किसान को निजात मिल जायगी। आज स्थिति यह है कि यदि किसान की दोनों फसल अच्छी हो जाती हैं तो किसान अपने घर का राजा हो जाता है और फसल कुदरत के हाथ में जाकर खराब हो जाती है तो किसान कुदरत की चपेट में आजाता है। यदि ओला वृष्टि हो जाय, या अकाल की स्थिति हो जाय तो किसान बिल्कुल मोहताज बन जाता है, वह राज्य सरकार का आश्रित हो जाता है। इसलिए मैं यह आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीमा योजना को हमें जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। यह हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है।

मैं सहकारिता के लिए दो तीन मिनट में आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और

श्री उपाध्यक्ष : समय का बहुत अभाव है। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। मैं मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम मिलना चाहिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त मैं कह सकता हूं कि अनाज की उपज देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई है लेकिन खाने वाले जितने हैं उनके हिसाब से वह ज्यादा नहीं मानी जा सकती। हमें इसके लिए कुछ काम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने इस संबंध में कितना ध्यान दिया है, इसके लिए वह बतायेगी तब ही मालूम पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि मरु अनुसंधान कार्य केन्द्र की तरफ से हमारे यहां पर चल रहा है और उसके तहत राजस्थान की हजारों बीघा जमीन उसके कब्जे में दे रखी है लेकिन उसकी रिपोर्ट सदन में हमें कभी नहीं मिलती जिससे मालूम हो कि वह क्या अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं मिलने से वह मालूम नहीं पड़ता है। राजस्थान में ज्यादातर मरु भूमि हैं, आप किसी तरफ भी चले जायं। और इसके लिए अनुसंधान केन्द्र भी बना रखा है अलग से। लेकिन उसमें क्या होता है ? रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, वह क्या कार्य करते हैं ? यह सदन को आज तक नहीं बताया गया है। जब तक यह सब नहीं बताया जायगा तब तक कृषि के लिए भूमि हमें कितनी और उपलब्ध हो सकेगी, कितने वर्षों में कितनी उपलब्ध हो सकेगी-यह मालूम नहीं पड़ता है। उनके पास जितनी जमीन है, मैं समझता हूं कि अपने पशुओं को चरने के लिए वहां छोड़ देते हैं और दूसरे पशुओं के लिए चरने को भी वह काम में आ जाती है। दूसरा कोई काम उसमें नहीं होता। वैसे राजस्थान गवर्नमेंट से उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन जमीन तो राजस्थान की अपने कब्जे में रख रखी है और कृषि अनुसंधान के लिए राज्य सरकार लाखों रुपये खर्च करती है। वैसे इस साल का जो बजट है उसमें कृषि की उन्नति के लिए सरकार ने बहुत कम रुपया रखा है। बजट में काफी राशि कृषि उन्नति के लिए इनको रखनी चाहिये। गये साल तो 1 करोड़ 51 लाख रुपये थे लेकिन इस बार केवल 11 लाख 9 हजार रुपये हैं। गई दफा से अब के दसवां अंश भी नहीं रखा है जबकि उद्योग की उन्नति की बात है वहां दुगने से भी ज्यादा राशि रख दी गई है और इसमें एक बटा दस भी नहीं रखा गया है। तो आप कृषि की उन्नति कैसे कर पायेंगे ? हरी खाद के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है, खाद बनाने के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है। इस तरह पैसा नहीं दिया जाय तो कृषि की उन्नति कैसे कर पायेंगे ? गांवों के लिए राजस्थान भूमि जल मंडल है, उसके तहत इन्होंने रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है, लेकिन जितने भी ट्यूब वैल्स खोदे हुए हैं वह ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और कुछ समय के अन्दर वह खराब हो जायेंगे। आज जितने भी ट्यूब वैल्स खोदे हुए है उनमें से एक भी काम में नहीं आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में फलौदी से लेकर जोधपुर तक और बीकानेर से लेकर बाड़मेर तक रास्ते में जगह जगह ट्यूब वैल्स खुदे पड़े हैं लेकिन काम में एक भी नहीं लिया गया है। कहने को कह देते हैं कि जब तक हमें पाइप नहीं मिल जायेंगे तब तक यह काम में नहीं आ सकते। साल दो साल इनको खुदे हुए हो गये हैं, और मैं समझता हूं कि इनको काम में नहीं लिया गया तो यह पम्प के बिना खराब हो जायेंगे। आपने योजना बनाई थी कि ट्यूब वैल्स खोदने हैं, तो उस वक्त ही अक्ल होनी चाहिये थी कि पम्प कहां से उपलब्ध होंगे। लेकिन

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

यह न सोच कर कुए खोदे गये और वह आज खराब हो रहे हैं। आज ट्यूब वैल्स इसलिए बेकार पड़े हैं क्योंकि पम्प नहीं हैं। पम्प में कितने रुपये लगते हैं, केवल दस बारह। क्योंकि वह मिल नहीं रहे हैं इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं। आपके लिए कृषि की उन्नति करना जरूरी है लेकिन जो ट्यूब वैल्स हैं उनके 30 प्रतिशत पर आप खर्च करना चाहते हैं लेकिन फिर भी एक भी काम में नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं ट्यूब वैल्स के लिए अर्ज करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल्स खुदवाये जायं और उनको चालू किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो मरु की तरक्की नहीं होगी और जो लोग हजारों वर्ष से प्यासे मर रहे हैं वह प्यासे मरेंगे।

अब इसमें जो खर्च किया जाने को है उसके लिए मैं छोटी सी बात बतला दूं। यह तय किया गया है कि टिड्डी निरोधक के लिए एक सब-हैड होगा। इसमें जो हजारों रुपये खर्च होंगे। वह केवल स्टाफ के लिए खर्च होंगे। वह जयपुर में बैठे बैठे क्या टिड्डी निरोधक कार्य करेंगे? ऐसे खर्च में कमी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है।

दूसरे आपने दीमक के अन्वेषण के लिए रखा है वह कई वर्ष से चला आ रहा है। मुझे पता नहीं कि उसमें क्या अन्वेषण कर रहे हैं। दीमक खेतों में होती है तो उसका किसान इलाज जानता है, वह खेत में नमक डाल देता है। उससे दीमक खत्म हो जाती है। लेकिन आप क्या अन्वेषण करा रहे हैं। अन्वेषण करना है तो एक वर्ष में कीजिये, दो वर्ष में कीजिये। यह अन्वेषण का काम कई वर्ष से चल रहा है। अब आपने एक खर्चा रखा है रसोई उद्यान के लिए इसमें हजारों रुपये आप लगाते हैं। कहां रसोई होती है और कहां पर रसोई उद्यान के लिए खर्च करेंगे। आप इस तरह जो खर्च कर रहे हैं यह कोई काम में नहीं आ रहा है! ....

उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में जितना गंदा पानी और मैला पानी जाता है उस पानी का उपयोग किया जावे और आस पास की जमीन में कृषि की जावे तो मैं समझता हूं कि फलों की खेती सबसे अच्छी हो सकती है। आज लाखों गैलन पानी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि में योंही जाता है। इसका उपयोग किया जा सकता है और यह खाद के रूप में काम आ सकता है। लेकिन आप खाद बनाने के नाम पर एक पैसा नहीं देंगे और स्टाफ आपने काफी लगा रखा हैं, उस पर आपका काफी खर्चा होता है। मैं आप से यह कहूंगा कि आपके कर्मचारी यहां बैठे बैठे कैसे खाद बना लेंगे? आज हम देखते है कि आपके हैड आफिस का खर्चा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। दफ्तरों में जावें तो हम देखते हैं कि यह मैले की खाद का कमरा है और उधर देखते है तो यह टिड्डी मारने वालों का कमरा और उधर किसी और का कमरा नजर आवेगा मगर फील्ड में आप का खर्चा नहीं होगा। समयाभाव में मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मुझे कहना तो बहुत था मगर जल्दी समाप्त कर दूंगा। अगर इसको काम में लेने का प्रबन्ध करें तो मैं कहूंगा कि खाद की समस्या तो काफी हल हो सकती है।

इस साल पशुपालन में एक लाख की कमी की गई है। हम उद्योग धन्धों में खर्च करेंगे, कर्जा देने में खर्च करेंगे मगर पशु

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

पालन में आपने कमी की है। आपने पोल्ट्री पर 60 लाख तो गायों पर 67 लाख। तो आपको गायों पर ज्यादा खर्च करना चाहिये या मुर्गों पर ज्यादा खर्च करना चाहिये? आज हम मुर्गों पर ज्यादा खर्च करते हैं और आधे से ज्यादा ऊन कटाई पर खर्च करते हैं। यह तो इसमें नहीं आना चाहिए बकरी और भेड़ की ऊन कटाई का खर्चा तो उसमें जाना चाहिये जिसमें हम ऊन लोगों को बेचते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि ग्रेडिंग आदि का सारा खर्चा इसमें पशुपालन में नहीं आना चाहिये।

आज हम देखते हैं कि दवाइयों के नाम पर 10 या 20 लाख रुपये नहीं है। यों तो जो घाटा होता है उस घाटे को इधर से रेवेन्यू से खर्च करवा कर भी पूरा नहीं कर पाते हैं।

मैं यह कहूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग बुरी बात नहीं है लेकिन इसके लिये जो लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं उनको लगाना चाहिये। मगर आप ऐसे लोगों को लगाते हैं जो अफसर आफिसेज में बैठकर काम करते हैं और दफ्तरों को चलाते हैं। दफ्तर करों की आय के द्वारा चलते है और यह व्यापार व्यापार की आय के द्वारा चलेगा। इसलिये इसमें जो बिजिनेस को जानते हैं उसको रखा जावे और मेरा यह निवेदन है कि अलग से विभाग खोलने चाहिये जिससे मालूम पड़ेगा कि कितना घाटा है और उसको टैक्स लगा कर पूरा कर सकेंगे?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं। इस पर हम एक करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं और मुख्य कार्यालय में पिछले साल 8 लाख, 72 हजार खर्चा था और इस साल 13 लाख, 18 हजार रुपया हो गया है। अब हम 50 परसेन्ट से भी ज्यादा मुख्य कार्यालयों पर कार्यालयों को चलाने में लगाते हैं तो आगे कार्य कैसे चल सकता है? आज सहकारिता का नारा लगाते हैं कई लोग कहते है कि यह सहकारिता का नारा रूस से चला है और कोई कहता है कि कहीं से चला है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि यह कहीं से नहीं चला। मैं कहता हूं कि यह तो भारत से ही चला है। यहां 60 हजार वर्ष पहले देवता और दानवों में लड़ाई हुई थी तो काफी समय लड़ते लड़ते बीत गया तो देवता और दानवों ने ब्रह्मा से पूछा कि हम दोनों लड़ते क्यों हैं तो उन्होंने कहा यह सब एक हैं और सब एक दूसरे के लिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म जल्दी कर रहा हूं इसलिये जल्दी कर रहा हूं। मैं सब के लिये और सब मेरे लिये यह नारा हमारे लिये बहुत प्राचीन है और ब्रह्मा का दिया हुआ है। मगर आज आप उनको अधिकार देते हैं जो अफसर हैं और जिनके घर पर हजारों बीघा जमीन है। वे मंत्री बने हुए हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। मगर इस प्रकार का वर्ग इसमें जावेगा तो हम सहकारिता में सफल नहीं होंगे। आज सहकारिता के नाम पर एक करोड़ या सवा करोड़ रुपया खर्च खजाने से होता है मगर इसमें कार्य नहीं हो पाता है। इसका दोष कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट को नहीं है मगर इनका दोष उनको हैं जिनके हाथों में यह चल रहा है। और इसी से आज यह कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा हैं। इसलिये आप इसके लिये एक कमीशन बैठाकर जांच करायें और जो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

खराबियां हैं उनको दूर करें तो यह कोऑपरेटिव मूवमेंट फल-फूल सकता है, अन्यथा यह कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल होगा। इसको पैसे वाले और पैसे वालों के हिमायती बुरी तरह से फेल करने में लगे हुए हैं। सरकार को चाहिये कि इसके लिये कोई न कोई उपाय निकाले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय खत्म हो गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊंगा। कोऑपरेटिव बैंक के लिये मैं कहूंगा कि एक-एक आदमी को डेढ़-डेढ़ लाख रुपया दिया गया है। 1 करोड़ 31 लाख रुपया खर्च करने वाले थे। इस तरह से रुपया लुटाया जाता है। उसकी जांच नहीं करते। जब कभी किसी को करेन्ट लोन दिया जाता है तो सामान रखा कर कर्जा दिया जाता हैं, मगर ऐसा नहीं होता, और लोग इसकी जांच नहीं करते। इसके लिये जो सरकारी अधिकारी है उनकी जांच होनी चाहिये और उनको अपराध साबित करना चाहिये। इसके सदस्य तो बाजार के आदमी होते हैं, वे तो गड़-बड़ी कर सकते हैं लेकिन डाइरेक्टर्स बोर्ड में सरकारी अधिकारियों को भी रखते है ताकि वे गड़बड़ी को न होने दें। हो सकता है कि उनका भी इस प्रकार की गड़बड़ी में हिस्सा हो। इन सारी बातों पर आप ध्यान देंगें तो आप को मालूम होगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई बुरी चीज नहीं है। वैसे जो कोऑपरेटिव बिजनेस करते हैं उनको करोड़ों रुपये कर्ज देगें, किसी को 8 लाख और किसी को 12 लाख मिलेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि आपका ध्येय गरीब किसानों के साथ होना चाहिये। जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं और उनमें गड़बड़ी होती है उसकी जांच नहीं कराते हैं। करोड़ों की गारन्टी उन्होंने दे रखी हैं और वह कभी वसूल नहीं होती हैं। तो आप कोऑपरेटिव का खर्चा किसानों से लेते हैं और उसका ब्याज 18 परसेन्ट पड़ जाता है। चाहे किसान अपने पास से दे दें फिर भी इतना ज्यादा ब्याज कहां से देंगे? आप का कोऑपरेटिव तो हैसियत तस्दीक करता है पटवारी के कहने से.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सहकारिता को अच्छे लोगों के हाथ में देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। जहां तक सहकारिता का संबंध है, यह राज्य के आफिसर और सहकारिता कार्यकर्ताओं की अज्ञानता और आलस और प्रतिदिन के भ्रष्टाचार की वजह से सहकारिता की दुर्दशा हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार बहुत जोरों शोरों से सहकारिता के बारे में बातें करती है, लेकिन यह सारे देश में नारा मात्र है। सन् 57 में सरकार ने यह नारा लगाया था कि सहकारी क्षेत्र में खेती जारी की जावे। वह हिन्दुस्तान की भूमि राजनीति का मुख्य नारा बन गया था लेकिन आज सारे देश में 32 लाख एकड़ पर खेती होती है जिसमें से 3 लाख एकड़ भूमि पर सहकारी खेती होती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह केवल नारे के रूप में ही था। मैं जानना चाहता हूं हि आखिर सरकार की नीति क्या है?

(श्री रामकिशन)

जो पार्टी राज्य चलाती है वह मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती है, कुछ स्वतन्त्र व्यवसाय की बात करते हैं, और इस तरह आज दो नारों के बीच में, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी का नारा और दूसरा स्वतन्त्र व्यवसाय का नारा, इन दो राजनैतिक नारों के बीच में इकोनॉमी फंसी हुई है। पर किसी भी समाजवादी सरकार के लिये जो समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, उसकी उद्योगों के बारे में क्या नीति हो, इस सम्बन्ध में राजस्थान में पिछले 15 वर्षों में देखें तो कोटा में चीनी का कारखाना सहकारी क्षेत्र में खोलने के विचार के अलावा और कोई प्रयत्न सहकारी क्षेत्र में नहीं किया गया है। सहकारी क्षेत्र में ऐसे हजारों छोटे-मोटे उद्योग हो सकते हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोटी-रोजी का साधन मिल सकता है, हमारे प्रान्त का उत्पादन बढ़ सकता है, और हम प्रगति कर सकते हैं, पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, वह तो केवल राजनैतिक नारे बाजी में फंसी हुई है।

आज सहकारी आन्दोलन में भ्रष्टाचार की बात होती हैं। शैशव काल में ही जो आन्दोलन भ्रष्ट हो जाय वह आगे जाकर पनप नहीं सकता। जो इसका काला पक्ष है उसको तो देखते हैं, पर इसका जो अच्छा पक्ष है उसको नहीं देखते। गरीबी, अशिक्षा और पूंजीवाद में जकड़े हुए हमारे समाज को उठाने के लिये, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिये व्यापक प्रशिक्षण की सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिये थी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसकी सहकारी आन्दोलन में निष्ठा है तो सहकारी आन्दोलन इस आधार पर, इस निष्ठा के साथ में स्थापित करके आगे बढ़ाना चाहिये। अगर यह सरकार का केवल राजनैतिक नारा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। नारेबाजी से देश का कोई हित नहीं किया जा सकता, देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। सहकारी क्षेत्र के राजनैतिक भ्रष्टाचार को प्रशिक्षण ही समाप्त कर सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी आन्दोलन को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाना है तो इसमें काम करने वाले लोगों को व्यापक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

सहकारी कार्यक्रम लेकर कोई सहकारी समिति आगे आई है तो उसके साथ सरकार ने क्या व्यवहार किया है। हमारे इलाके में बंसी पहाड़पुर की अच्छी पत्थर की खान है, जिसके पत्थर से आगरे का किला और दिल्ली का किला वगैरह इमारतें बनी हैं। उस खान को दस पन्द्रह वर्ष से प्राइवेट ठेकेदार चलाता था, लाखों करोड़ों रुपया कमाता था, किसी तरह ठेकेदार को नुकसान हुआ, परिवार के आपसी झगड़े से नुकसान हुआ। वहां लोगों ने सहकारी समिति बनाई, उस ठेकेदार ने 1 लाख की बोली पर पहले ले लिया इसलिये लिया कि उस खान को सहकारी समिति न चला सके। हमने इस्तीफा दे दिया, तो उसी ठेकेदार ने दरख्वास्त दी कि 40 हजार में लेना चाहता हूं, मुझे यह खान 40 हजार में दे दी जाय, सहकारी समिति ज्यादा देने को तैयार थी। जो खान ठेकेदार को 40 हजार में दी जा रही थी, वही सहकारी समिति को 65 हजार में दी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की निष्ठा किसमें है? यह तो केवल राजनैतिक नारों को लेकर चलती है, सहकारी आन्दोलन में इसकी निष्ठा नहीं है।

(श्री रामकिशन)

बयाना में गिट्टी और पत्थर तोड़ने का काम होता है। वहां के मजदूरों ने सहकारी समिति बना कर मन्त्री महोदय को, और विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये कि यह काम हमें दीजिये। एक ट्रक गिट्टी फोड़ने की लागत आती है 18 रुपया और ठेकेदार बेचता है 200 रुपये में, इस प्रकार के भयंकर शोषण की मिसाल दुनियां के किसी हिस्से में नहीं मिल सकती, कहीं अबीसीनियां में इस प्रकार के शोषण की मिसाल मिलती हो तो मिलती हो पर और जगह मुझे मालूम नहीं है। पर वास्तव में राजनीति में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है। 96 हजार उस ठेकेदार में बकाया है, इसके बारे में विधान सभा में कई बार प्रश्न उठाये गये थे तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाता है कि उस ठेकेदार का पता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके 15 लाख के बढ़िया बढ़िया मकान हैं, पर जबाब देते हैं कि ठेकेदार का पता नहीं है।

तो मेरे ख्याल से सरकार की सहकारिता में कोई निष्ठा नहीं है। सबसे पहले मैं सहकारी मंत्रीजी से कहूंगा कि कौन-कौन से उद्योगों को, कौन-कौन से कामों को सहकारी समितियों को सौंपना है, जिनको कि ये अच्छी तरह से चला सके। क्योंकि बचपन में, प्रारम्भ में ही यदि इसमें रोग लग गया तो इसके परिणाम सहकारी आन्दोलन के लिये घातक होंगे।

भीलवाड़ा के मैं दो तीन मामले रखना चाहता हुं। गुलाबपुरा में स्पिनिंग मिल खोल रहे हैं, उसमें यह तय हुआ था कि मिल अगर 5 लाख के शेयर बेच देगा तो राज्य सरकार $9\frac{1}{2}$ लाख के शेयर ले लेगी पर चुनावों के दिन थे सरकार ने $9\frac{1}{2}$ लाख के शेयर ले लिये। इस प्रकार की चीजें होंगी तो ये इसकी प्रगति के लिये घातक होंगी।

वहां खारोलियां सहकारी समिति हैं, उसके कोई भाभाई प्रधान है, सहकारी समिति ने रुपया लिया पर लोगों में बांटा नहीं, वह सहकारी समिति डिफंक्ट हो गई, जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिये था, मिला नहीं। इस तरह के अनेकों मामले देखने को मिलते हैं। चुनावों के समय में राजनैतिक आधार पर इस तरह के कार्य किये जाते हैं जहां राजनीति का ज्यादा जोर है, उस क्षेत्र में अधिक किये जाते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार को इस सहकारिता के आन्दोलन में निष्ठा नहीं है, इसे राजनैतिक नारे के रूप में यह ले रही है।

कुशलगढ़ में क्रय-विक्रय सहकारी समिति है वहां चुनावों के समय में लाखों का अनाज बांट दिया। आज अनेकों शिकायतें आ रही हैं, लोग बाग आते हैं, मिलते हैं, शिकायतें करते हैं पर सरकारी पक्ष उन शिकायतों को दबा रहा है। जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को उठाते हैं तो सरकार हम से सीधा सवाल करती है कि सहकारिता में विश्वास करते हैं या नहीं तो हमें मुश्किल होती है। तो हम काले पक्ष को देखते हैं इसका जो अच्छा पक्ष है उसको नहीं देखते। 20 साल तक आपने बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, इस भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप आप तो डूबोगे ही, इस सारे समाज को भी ले डूबोगे, इसलिये मैं आपको सलाह और चेतावनी देना चाहता हूं। सलाह इसलिये कि जिन्दगी के बाकी दिन आपके आराम से गुजर सकें और चेतावनी इसलिये कि संसार

(श्रीराम किशन)

में सबसे बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, आपको बेईमानी के लिये पुलिस, खानें और दूसरे मामले ही बहुत है, कम से कम एक दो काम तो ऐसे छोड़ दो, सहकारी पक्ष को तो छोड़ दो कि आने वाली सरकार कोई अच्छा काम करना चाहे तो इस क्षेत्र में कर सके। कम से कम इस क्षेत्र को तो छोड़ जाइये।

भ्रष्टाचार और सहकारिता एक चीज नहीं है पर मुश्किल यह है कि सरकार द्वारा बगैर ज्ञान के, बिना निष्ठा के, राजनैतिक लाभ उठाने के लिये यह सारा कार्य किया जाता है। एक एक इलाके में सारे केसेज को देखा जाय तो पता चलेगा कि हमारा सारा पक्ष बहुत काला होता जा रहा है।

मैं सहकारी मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चमड़े का, सूजी, मैदे का काम सहकारिता में शुरू कराइये, जिससे लोगों के दिमाग में सहकारिता के आन्दोलन के प्रति आस्था जमे। पर आप तो यह करते हैं कि जब कोई उद्योग प्राइवेट सेक्टर में फैल हो जाता है, उसको सहकारी क्षेत्र में दे देंगे। माथुर साहब ने कहा था कि धोलपुर का हाईटेक हमने बन्द कर दिया, हाईटेक ग्लास फैक्टरी के बन्द हो जाने से लोग बेकार हो गये, रिक्शे चला रहे हैं, वहां के मजदूर चाहते हैं कि ग्लास फैक्टरी को हम सहकारी आधार पर चलाने को तैयार हैं। मजदूरों ने मुख्य मन्त्रीजी को, सम्बन्धित मन्त्रीजी को प्रार्थना-पत्र दिये कि हम इस ग्लास फैक्टरी को चला सकते हैं तो सरकार ने उनके सामने यह शर्त रख दी कि इस फैक्टरी पर 20 लाख की लायेबिलिटी हैं, उसे दे दीजिये फिर चला सकते हैं। सेठ सारा पैसा समेट कर बम्बई, कलकत्ता में कारखाना खोले उसका सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है और जब मजदूर कहते हैं कि हम इस कारखाने को चलाने को तैयार हैं तो उनको कहा जाता है कि 20 लाख रुपया दे दो। 20 लाख ही उनके पास होता तो वे आपकी तरह मन्त्री नहीं बन जाते। उनको रिक्शा चलाने की जरूरत क्या थी? आप तो शांतिप्रसाद जैन के शह से मन्त्री बन जाते हैं तो वह तो उपमन्त्री तो बन ही जाते। आज वे मुझ से मिले, मैंने कहा क्यों बात करते हो तुम घर जाओ और बैठो। उन्होंने जवाब दिया कि 1200 मजदूरों को 20 लाख का कर्जा दिला रहे हैं या तो मन्त्री साहब ने मजाक किया लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार का दिमाग चलता है। तो मैंने दो तीन मिसालें भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार की दीं। जवाब देते समय मन्त्री महोदय जवाब दें और सहकारी क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग सरकार चलाना चाहती है, इन पर रोशनी डालें। तो इससे राज्य के दूसरे लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, उनको राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मैं पर्सनल एक्सप्लैनेशन देना चाहता हूं। श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने राजस्थान हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दी है जो पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया अकाल राहत कार्यों के लिए, पूरा विवरण नहीं है। मैंने आज भी विशेषरूप से उठाने की कोशिश की .....

श्री नत्थीसिंह : यह जवाब तो मन्त्री महोदय दें। It is not a case of personal explanation. इन पर आरोप नहीं है, मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि हाईकोर्ट के सामने एक मैटर सबजुडिस है, चाहे इलेक्शन पिटीशन हो चाहे किसी भी रूप में हो इसलिए उसको राजनैतिक रूप में न लें और उन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31 कृषि विभाग के सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मुझे इस सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण पर मुझे 20 मिनट मिले और बजट पर भी कम समय बोलने को मिला और अब ढाई मिनट आपने दिए हैं। मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष में एक कृषक वर्ग ही ऐसा है जिसको दो जगह काम करना पड़ता है। उधर तो पूरे भारतवर्ष में फौजी जहां मोर्चे हैं वहां जाकर उनको काम करना पड़ता है और दूसरे कृषि का कार्य करना पड़ता है और दोनों में दुर्भाग्यवश उनको कष्ट आते हैं, साधन नहीं हैं। चाहे जहां लड़ना पड़ता है वहां भी उनकी तनख्वाह नहीं है और यहां आकर जब धरती का पेट चीरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती हैं। जो आपने अनुदान कृषि के लिए रखा है उसको सही रूप से उसके अनुसार उस वर्ग को पैसा नहीं मिलता है। मैंने बजट पर तीन बातें कही थीं। एक तो जिन जिन मुद्दों पर आप पैसा खर्च करते हैं, वह सही मुद्दों पर खर्च हो रहा है या नहीं। दूसरे हमारे कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के जरिए जो पैसा दिया जाता है वह कानून इतने जटिल हैं कि जब तक उनको सरल नहीं बनायेंगे तब तक आप चाहे करोड़ों रुपये खर्च कर दें, वह पैसा उस व्यक्ति के पास नहीं जायगा। तीसरी बात मैंने कही थी भ्रष्टाचार। संसार के किसी भी प्रशासन में जब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जायगा तब तक करोड़ों रुपये भले ही आप खर्च करें वह पैसा सही रूप से नहीं खर्च होगा। राजस्थान सरकार ने लाखों रुपये और लाखों नहीं करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पंचायतों के जरिए, चाहे सहकारिता के जरिए, चाहे नगरपालिकाओं के जरिए खर्च किया है और बहुत रुपया खर्च अब भी हो रहा है।

मैंने पहले भी निवेदन किया था। आज भी कह रहा हूं कि तकावी की रकम पंचायत समितियों में जितनी होनी चाहिए थी, वह नहीं है, और मैंने शायद मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया था। 20 हजार रुपये की तकावी की व्यवस्था अब रखी गई है।

मैंने दांता रामगढ़ के सम्बन्ध में सुझाव रखा था कि हमारी 88,000) की दौरों की रकम कुओं के लिए दी जाय। आपको ताज्जुब होगा कि डाइरेक्टर साहब की भी इस सम्बन्ध में सहमति है। परन्तु नीचे के अधिकारी न मानें और यह सारी रकम ग्राम सेवकों की तनख्वाह में दी जाती है। अफसोस है कि कृषि के लिए, कुओं के लिए जो रकम एग्रीकल्चर परपज के लिए दी जाती वह आज ग्राम सेवकों की तनख्वाह पर खर्च होती है, उन ग्राम सेवकों पर जिन्हें हम नहीं चाहते थे। इसलिए मन्त्री महोदय को मैं आपके जरिए फिर याद दिलाता हूं कि यह 88,000) की रकम उन कृषकों को दें जो कुएं बनाना चाहते हैं। तो समझेंगे कि मन्त्री महोदय ने कुछ किया है।

(श्री मदनसिंह)

मैं समझता हूं कि राजस्थान का वह अभागा किसान जिसको साधन नहीं दिये जाते हैं उनसे इस अकाल में लेवी ली जाती है। आप जब यह मान चुके हैं कि हमारे यहां पर उतनी पैदावार नहीं है जितने खाने वाले हैं तो उस पैदावार में से तकावी लेने से वह अनाज ज्यादा कैसे हो जायगा ? जब आपके पास पैदा कम है तो कमी से ही अगर आप तकावी लेंगे और उसकी पूर्ति करना चाहते हैं लेवी लेकर तो उसकी पूर्ति कैसे होगी ? होना तो यह चाहिए था कि जिनके पास से 20-20 हजार बोरी गल्ले की पकड़ी जाती है, जिनको लाईसैन्स दिया जाता है उनसे भी लेवो ली जाय।

जिस किसान के बल पर आज शासन चलता है वह सबसे ज्यादा दुःखी है। क्या पानी की जरूरत होती है ? बीज की जरूरत होती है, इसके कानून ठीक नहीं। जितने कानून बने हुए हैं वह ऐसे हैं जो किसान की समझ में नहीं आते। आज एक किसान खातेदार होते हुए भी उसमें आज अगर कोठी का थोड़ा सा हिस्सा खाता होते हुए भी रह जाता है तो उससे 25-25 रुपए 51-51 फिर वसूल होते हैं। वह काश्तकार क्या सोचता है। हर तरफ से वह करों से पिटता है। खाता 20-20 वर्ष से है लेकिन फिर पैसा लिया जाता है अगर पटवारी या तहसीलदार की नजर में कमी रह गई है। मंत्री महोदय आज भी समझ ले अगर कानून में कमी हो तो ठीक करे और जिस मुद्दे पर खर्च करना चाहिए उस पर करे। आपके रुपये बीच में जाकर अगर खाए जायं, चाहे पंचायत समिति हो या कार्पोरेशन चाहे सहकारिता उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक लाखों और अरबों रुपये खर्च करेंगे तो कुछ नहीं होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा तर्क पेश किया जिससे मैं सहमत नहीं हूं। किसने कहा कि महकमे कम कर दिए जायं सेक्रेटरी कम कर दिये जायं। मैं समझता हूं कि अगर सेक्रेटरी या महकमे कम कर दिये जायं तो ये ही लोग हैं जो मंत्रियों की तरफ से सब कुछ बनाते हैं। अगर महकमे कम कर दिये जायेंगे तो सारा काम ठप्प हो जायगा। मैं समझता हूं उन लोगों से ही काम चल रहा है। राजाओं के टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरीज अच्छे थे। यह एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं। सेक्रेटरीज पर ही सारा काम चलता है। इनका खर्चा ज्यादा नही है। खर्चा तो वहां हो रहा है, अरबों रुपया खर्च करते हैं, घोटाले होते हैं, लेप्सेज होते हैं। मैं आशा करता हूं कि कृषकों के लिये और कुछ रुपया निकालेंगे। तकावी के लिये तत्काल मांग की गई है। भारत सरकार से अधिक रुपया लें और पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उनका दुरुपयोग न हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री।

कई माननीय सदस्य : हमारे कटौती प्रस्ताव हैं। हमें समय दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 18, 19, 20 और 39 पर माननीय सदस्यों के करीब 150 कट मोशन्स है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं मुझे टाइम ही नहीं दिया गया है।

श्री जसराज (भिनाय) : पांच सात मिनट ही अर्ज करना चाहता हूं। बड़ा अहम मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया। आपके दलों की ओर से काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। ऐसी हालत में मजबूरी है। आप कृषि मंत्रीजी को सुनिये।

श्री जसराज : 7, 8 मिनट का ही समय दीजिए। उसी में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे साथ अन्याय है। मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री जसराज : पार्टीज को जितना टाइम दिया है उसके अनुसार तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टीज को जितना समय दिया गया था उसके अलावा भी अधिक समय का उपयोग किया गया है।

श्री जसराज : केवल पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री रामकिशन : अनाज नहीं, पानी नहीं मिले पांच मिनट की भी तो क्या कंजूसी।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्यों को पांच पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री जसराज।

श्री जसराज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने पांच मिनिट का समय दिया। मैं पांच मिनट में ही अपने विचार प्रस्तुत कर देना चाहूंगा।

सहकारी आन्दोलन पर बहुत चर्चा हो गई है। किन्तु सहकारी शिक्षा पर चन्द शब्द निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार सहकारी आन्दोलन समाजवाद की रीढ की हड्डी है उसी प्रकार सहकारी शिक्षा सहकारिता की रीढ की हड्डी है। हमारा सहकारी आन्दोलन इसलिये असफल रहा है कि इसमें सहकारिता की शिक्षा होनी चाहिये वह नहीं है पूरी तरह से सहकारिता भी एक टेकनिकल विषय है और उसका ज्ञान नहीं होगा और लोगों को पता नहीं होगा कि यह क्या है, क्यों आया है, किस प्रकार ऋण प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हिसाब किताब रखते हैं, क्या कानून हैं, उनको तोड़ते हैं तो क्या जुर्म बनेगा तब तक आप इस सहकारी आन्दोलन पर कितना ही खर्चा कर दें यह पंगु ही बना रहेगा। जब बजट देखते हैं तो 6 लाख सहकारी आन्दोलन पर रखा गया था उसको 3 लाख ही कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इस आन्दोलन को पंगु रखना चाहते हैं, इसके प्रति आस्था नहीं है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान इस सहकारी शिक्षा के माने में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैसूर में 60, केरल में 80, मद्रास में 60, महाराष्ट्र में 45, गुजरात में 40 और राजस्थान में 12 से 15 प्रतिशत शिक्षा है वहां पर प्रशिक्षण नहीं हो तो भी लोग प्रशिक्षित अधिक हैं और राजस्थान में अशिक्षित इतने ज्यादा हैं कि यहां इसकी अधिक आवश्यकता है। राजस्थान सारा का सारा गांवों में बसता है गांवों में शिक्षा का भी कम प्रचार है। सहकारी शिक्षा की आज नितान्त आवश्यकता है। यह नहीं रहा तो आन्दोलन गिरेगा

(श्री जसराज)

और समाजवाद की आस्था समाप्त हो जावेगी। गुजरात में 58 इन्स्ट्रक्टर्स हैं और 5 जोनल आफिसर्स हैं इसके अलावा हर जोनल आफिसर के पास एक सिनेमा वाहन है महाराष्ट्र में 72 इन्स्ट्रक्टर, मध्य प्रदेश में 80 और राजस्थान में केवल 8 हैं। तीसरी योजना में भी संख्या नहीं बढ़ायी गई। चतुर्थ योजना में नेशनल इन्स्टीट्यूट का लेटर आया 600 से 800 करना चाहते हैं। दूसरे प्रान्त फायदा उठा लेंगे और राजस्थान महरूम रह जायगा। राजनैतिक कारण तो कोई नजर नहीं आता। आप चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन पनपे और फिर भी वफादारी न आये। सहकारी आन्दोलन में काम करने वाले थोड़े बहुत आपके यहाँ हो सकते हैं वह सही रूप में न हो। साल भर तक आप उनको तनख्वाह नहीं देते। कमरतोड़ मेहनत करें, गांवों में जायं उस प्रशिक्षक को प्रोविडेन्ट फन्ड की फेसिलिटि न दें उससे चाहें आप कि वह देश का भला करे और इस आन्दोलन को चलाये, यह संभव नहीं है। मैं भी सहकारी प्रशिक्षण में रह चुका हूं। मैंने देखा है इस आन्दोलन को 6- साल से और गरीबों की केवल आशा है सहकारी आन्दोलन अवश्य सफल होगा। अगर इसको पूरा सफल करना है, गरीब की दशा को सुधारना है, गरीब की गरीबी को मिटाना है तो आपको इस आन्दोलन को पूरी तेजी के साथ चलाना होगा। आन्दोलन को तेजी से चलाना है तो आपको सहकारी शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा आपको बजट को कट करना तो दूर रहा इसके लिये आपको और देना होगा पटवारी आदि को आप स्टिपेन्ड देते हैं यहां स्टिपेन्ड की कमी कर रहे हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में टारगेट्स कुछ रखे हैं। 4½ करोड़ जनता सहकारी आन्दोलन में आ पायी, उसको संख्या को डबल करना चाहते हैं। उसको डबल करने के बाद सहकारिता में काम करने वाले कार्यकारिणी के सदस्यों को काफी रखना पड़ेगा। प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है। यह फिजूल खर्चा नहीं है, बेकार का खर्चा नहीं है बल्कि इस आन्दोलन के लिये यह बहुत सहायक है। हमने अजमेर में ऐसी समिति चलायी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं। हमने बिना आपकी मदद के ही यह पेड़ लगाए हैं। मजदूर गोटा उत्पादन समिति ने पिछले साल 15 लाख का टर्न ओवर किया है। इस साल अभी 8 लाख 8 हजार का टर्न ओवर किया है। यह बच्चों का आन्दोलन चलाया है। बड़ी सफलता के साथ चलाया है। हमने नहीं देखा कि छोटे 2 बच्चे हैं। समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें उनके दिमाग में पटकना पड़ेगा कि यह सहकारिता है। शोषणविहीन समाज निर्माण का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि शोषणविहीन समाज हो। उत्पादक और उपभोक्ता आपस में मिलें, बिचोलिये समाप्त हों। और अगर उनको समाप्त करना है तो इन आन्दोलनों के द्वारा ही कर सकते हैं।

नेहरू के आप चेले बने हो। गांधी की कल्पना और नेहरू के स्वप्न को आप भूलते जा रहे हैं। आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन आज आप उन महान पुरुषों के सिद्धान्तों को पीछे छोड़ रहे हैं। देश का निर्माण करना है, देश को नई राह देना है, नया मोड़ देना है तो सहकारी शिक्षा और सहकारी आन्दोलन को पनपाइये। बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीरामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उधर की बेंच से उठकर इधर आ जाते । आपका भाषण ही यही कहता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव सहकारी खेती के अन्दर सरकार की नीति काश्तकारों को उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन देने में असफल रही है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सामने अनाज की समस्या है वह काश्तकारों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किये जाने के कारण ही है । काश्तकारों के साथ सरकार की सहानुभूति नहीं है जिसका प्रमाण इस बजट अधिवेशन में आपके सामने पेश हुआ है । एक काश्तकार के ऊपर कितने टैक्स लगाये जाते हैं नये-नये कर लगाये जाते हैं । जमीन का अलाटमेन्ट गलत होना, समय पर बीज, खाद, पानी तथा कर्जा नहीं देना और जमीनों को मौके पर बोली लगा कर नीलाम किया जाता है। दूसरी तरफ बंजर जमीनों को अलाट नहीं किया जाता । तीसरी तरफ कर्जा दिया जाता है वह काश्तकारों को न देकर होटलों को बनाने के लिये, कारखाने वालों को कारखाने लगाने के लिए लाखों रुपये दिए जाते हैं पर काश्तकार को कर्जा प्राप्त करने में भी न मालूम कितने चक्कर अधिकारियों के पास काटने पड़ते हैं और बरबाद होना पड़ता है। फिर भी पैसा नहीं मिलता, सरकार की गलत नीति के कारण जैसे उदाहरण पेश करूं सूरतगढ फार्म पर खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहां के एक भूतपूर्व आई० जी० पी० को मैनेजर बना कर भेजा है। जो आदमी पुलिस का काम जानता हो वह खेती का काम क्या जान सकेगा तो सरकार यह नहीं देखती तो फिर किस प्रकार से यह कृषि उत्पादन की नीति उसकी सफल हो सकती है। और आगे तक इसी प्रकार यह सरकार चलती रही तो जिस तरह से उत्पादन के सालाना आंकड़े गिरते जाते हैं उसी प्रकार न मालूम क्या विकट समस्या सामने आवेगी इसके परिणाम भयंकर रूप से सामने आने वाले हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर और सरकार में किसानों का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। वह होना चाहिए। जो काश्तकारों की तकलीफों को समझ सके। न कि कोई वकील या नवाब आदि जो काश्तकारों की तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। तो इन खेती सम्बन्धी मामलों पर पुनर्विचार किया जावे । पर मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके वश का रोग नहीं है। क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि हर मामले में भ्रष्टाचार और कुनबा परस्ती के सिवाय कुछ रह ही नहीं गया है। विरोधी पक्ष सोचता है कि यह अव्यवस्था कितने दिन चलेगी। ज्यादा दिन इस प्रकार से तो यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। काश्तकारों के साथ अन्याय किया जाता है और उनको गुमराह किया जाता है कि हम टैक्स माफ करते हैं। पांच टैक्स लगाकर दो माफ करते हैं तो तीन फिर कायम कर देते हैं । फिर यह कहते हैं कि हमने तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दिया है। तो इस प्रकार से खाद्य नीति में यह सरकार असफल हुई है। उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अन्यथा भुखमरी बढ़ेगी।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारी कानून में संशोधन करना चाहिए। जिनके खातेदारी हुकूक देकर छीन लिये गये हैं वे उन्हें मिलने चाहिए। काश्तकार पर लेवी और लगान जितना लगता है वह नहीं रहना चाहिए। भूमि पर माल लगता है वह कतई नहीं लगना चाहिए जिससे देश में किसान ज्यादा से ज्यादा अन्न की पैदावार बढा सके।

व्यापारी दृष्टि से एक जमीन नीलाम की जावे और दूसरी जमीन बन्जर पड़ी रहे तो फिर कहें कि अनाज की कमी है तो कमी तो होगी क्योंकि आपकी नीति ठीक नहीं है।

इसी प्रकार सोसाइटियों के बारे में बताऊं कि कितनी गलत नीति इसमें चलती है। सोसाइटियों को लोन देने के लिए ग्रांट इन एड (अनुदान) के खाते में आपने 32 लाख रुपया रखा है और व्यवस्था करने के लिए एक करोड़, तीन लाख रुपया रखा है। इस प्रकार महकमे पर इन्तजाम पर खर्च करें और असल काम के लिए खर्च की जाने वाली रकम से चौगुनी रकम खर्च करके आप समझते हैं कि आप उसका मकसद हासिल कर लेंगे। यह कतई संभव नहीं है।

इसी प्रकार से फिर बोगस सोसाइटियां बनाने से भी कोई लाभ नहीं। राजस्थान में जो सोसाइटियां बनी हैं वे लोन लेती हैं और मौके पर कोई भी काश्त नहीं करती हैं। 70 प्रतिशत ऐसी सोसाइटियां हैं, यह मैं साबित कर सकता हूं।

जोइन्ट फार्मिग सोसाइटियां भी बनी हैं। हजारों का कर्जा ले रखा है इन्होंने पर कोई काश्तकार जोइन्ट फार्मिंग नहीं करता। ये केवल कागजों में बनी हैं। यह तो सरकार के खजाने में कीड़ा लगा है। तो इसमें सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा। करोड़ों रुपया इस तरह पानी की तरह बहाना अच्छा नहीं है। इस बारे में सरकार की नीतियां बड़ी गलत हैं। अगर इन नीतियों को नहीं सुधारेंगे तो यह शासन व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं टिक सकेगी। यह दावे के साथ कह सकता हूं।

आज जैसी महंगाई बाजारों में है आज सामान्य जन का जीवन दूभर हो गया है। काश्तकार को आज कोई भी चीज बाजार से कन्ट्रोल रेट पर नहीं मिलती। जिस प्रकार पिछले अधिवेशन में मेरे साथियों ने यह सवाल रखा था कि काश्तकार को गांवों में स्वयं के खाने के लिये गेहूं अनाज नहीं बचता, बीमारी, शादी, वगैरह में लोगों को गेहूं नहीं मिलते और दूसरी तरफ सरकार वहां से अन्न वसूली कर रही है। शहर वालों को चीनी दी जाती है। पैदा करने वालों को कहा जाता है कि तुम गुड़ खाने वाले हो। इसलिये चीनी थोड़ी दी जावेगी। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया देश के लिये कलंक बना हुआ है। जनता का उनके प्रति इन कारणों से अविश्वास हो गया है। आपने अपने 20 सालों के शासन में भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, अव्यवस्था और महंगाई के सिवाय दिया क्या है? काश्तकार के साथ आपने कौनसा न्याय किया है?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री रामचन्द्र आर्य)

राजस्थान कैनाल में पहले पांच साल पहले खातेदारी दी गई। पर अपने काले कानून के द्वारा काश्तकारों की गरदन काट दी और खातेदारी की उनकी जमीन छीन ली। हमारे काश्तकार हाईकोर्ट के दरवाजे पर गये वहां सफलता मिली पर आज भी वे मारे मारे फिरते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। इस प्रकार की नीति से सरकारें आगे नहीं चल सकती।

आपकी नीयत खराब है, नीति गलत है। इस पर पुर्नविचार करना चाहिये और काश्तकारों को सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो किसान के प्रति कभी भी न्याय नहीं होगा। पिछले बीस सालों का रिकार्ड देख लीजिये। काश्तकारों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा है और सारे के सारे टैक्सों का बोझा भी आखिर में जाकर काश्तकारों पर पड़ता है। किसी व्यापारी पर टैक्स लगावें या कारखाने पर लगावें पर भुगतना मजदूर व किसानों को पड़ता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ज्यादा समय नहीं लेकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन की व सहकारी खेती की नीति पर सरकार पुनविचार करे अन्यथा इसके दुष्परिणाम दूरगामी और बड़े भयंकर निकलेंगे। इसलिये हमें भय है कि इस वातावरण के रहते हुए यह सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी। इस पर आप पुर्नविचार करिये अन्यथा लोकतंत्र को ही खतरा पैदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मन्त्रीजी।

सदन की अनुमति से इस बैठक का समय विचाराधीन मांगें पास न हो जावें उस वक्त तक के लिये बढाया जाता है।

श्री खेतसिंह : आधा घंटा या पौन घंटा ?

श्री विजयसिंह रावत : वे खुद ही कम समय लेंगे। यह आसन की व्यवस्था है, आप चैलेन्ज नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन्स प्रस्तुत किये गये थे उनमें से 21 माननीय सदस्यों ने काफी ठोस सुझाव मांगों पर सदन में प्रस्तुत किये।

मैं यह कोशिश करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने आज की डिबेट में हिस्सा लिया है और खास खास मुद्दे उठाये हैं, मैं उनका जवाब दूं और मैं एक एक माननीय सदस्य ने जिस तरह से हर विभाग के सबंध में बात कही है मैं समझता हूं कि मैं उनका एक एक पोइन्ट लेता जाऊंगा तो बड़े बड़े नीति के प्रश्न भी हल होते जावेंगे।

सबसे पहले भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ठोस सुझाव दिया। उनका जबाब दूं, इससे पहले यह कहना पसन्द करूंगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पिछले कई सालों से इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा काफी बातें कही जाती रही हैं। मैं यह नहीं चाहता कि जो कुछ भी अब तक किया गया है वह परफेक्ट सिस्टम था। पर इतना जरूर कहूंगा कि आंकड़ों में मैंने पढा डिबेट के वक्त। कई तो दोहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़े और ईमानदारी से चाहता हूं कि कृषि उत्पादन में जो कुछ भी योजनाएं ली जावें वार फुटिंग पर ली जावें।

(श्री परसराम मदेरणा)

(5 म० प०)

कृषि का उत्पादन इस देश की प्रथम समस्या है और राजस्थान सरकार इस बात पर जागरूक है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि कृषि के उत्पादन में आने वाले वर्षों मे जो कुछ भी योजनायें आज राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं उनमें तेजी लाई जाये। राज्य सरकार की मशीनरी चाहे एक्सटेन्शन की मशीनरी हो या रिसर्च की हो दोनों ही विंग के कर्मचारी आज इसमें पूरी तरह से जुट जायें। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिये कि आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तीनों योजनाओं के फलस्वरूप खेती के ऊपर जितना खर्चा किया है उससे आज बढ़ा है और जो आंकड़े हम हमेशा सदन में देते हैं और माननीय सदस्यों को वितरित करते हैं। उसमे आपकी शंकाएं हो सकती हैं लेकिन यह कहना कि इन योजनाओं के जरिये जो पैसा खर्च किया गया है वह राज्य सरकार की सभी नीतियां गलत थीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी गलत नीति के साथ चिपके हुए बैठा नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन कुछ बातें प्रत्यक्ष दिखती हैं उनसे कौन इन्कार कर सकता है ? आज राजस्थान में पिछली तीन योजनाओं में हमने हजारों नये कुए बनाने के लिये लोन दिया है, आप खुद भी माननीय सदस्य पंचायत समितियों के सदस्य हैं, आप भी पंचायतों की बैठकों में बैठते हैं आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास किसानों ने कई नये कुए खोदे हैं उन पर बिजली भी गयी है और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है इससे कौन इन्कार कर सकता है ? इससे कौन इन्कार कर सकता है कि राजस्थान के अन्दर सिंचित जमीन के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे कि कोटा जैसे और भाखरा जैसे और दूसरे बड़े बड़े बांध बने हैं और उनके साथ छोटे छोटे तालाब भी बनाये गये हैं उनकी वजह से जहां नहरें चलती हुई दिखती हैं, सिंचाई होती दिखती है और उसी जमीन में किसान की पैदावार आज दुगनी, तिगुनी और चार गुनी बढ़ी है उससे कौन इन्कार कर सकता है ? उससे कौन इन्कार कर सकता है कि राजस्थान के अन्दर जो फर्टिलाइजर्स का कन्जम्पशन पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 33 लाख 74 हजार टन था वह आने वाले साल में 2 लाख 6 हजार टन के आस पास का जो अधिक टारगेट रखा है हमें कितना उपलब्ध होगा कितना नहीं मैं माननीय सदस्यों को यही कह सकता हूं कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है यह दूसरों पर मुनस्सर करेगा लेकिन राजस्थान के अन्दर पिछली योजनाओं की वजह से काश्तकारों को जो आज फर्टि-लाइजर का ज्ञान हुआ है और जिसके फलस्वरूप आज फर्टिलाइजर की भूख बढ़ी है और जो मांग है उसको पूरा करने में राज्य सरकार असमर्थ है। इसको कौन इन्कार कर सकता है कि प्रोडक्शन के लिए हम 80 लाख रुपये की पैस्टीसाइड का हर साल वितरण करते हैं और किसानों को देते हैं काश्तकार आज पैस्टीसाइट को कैश पर खरीदता है। अगर उससे फायदा नहीं होता और काश्तकार को पैस्टीसाइड का ज्ञान नहीं होता या कीटाणु नाशक दवाइयों को वह नहीं समझता या उसके बारे में प्रत्यक्ष मालूम नहीं होता कि इससे फायदा होता है तो आज 80 लाख की पैस्टीसाइट

(श्री परसराम मदेरणा)

को बेचने की क्या आवश्यकता थी। राजस्थान में पिछले वर्षों में एग्रीकल्चर का पोटेंशल तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद बढ़ा है और निश्चितरूप से आगे बढ़ा है। आज काश्तकारों का प्रोडक्शन बढ़ने के लिए उसको तीन चीजों की मुख्य आवश्यकता है। मैं एक्सटेन्शन सर्विस ने क्या किया और उससे क्या अन्तर पड़ा है इसकी लम्बी चौड़ी बात में बाद में जाऊंगा लेकिन मैं शुरू में कहूंगा कि किसान को पानी, बीज, खाद आदि चाहिए और उसके साथ ही साथ काश्तकार को अच्छे बैल या ट्रैक्टर्स चाहिएं। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर के मामले में राजस्थान के अन्दर दूसरे जिले की तो मैं बता नहीं कहता मगर गंगानगर हिन्दुस्तान का वह इलाका है जहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। जोधपुर में आज से पांच साल पहले केवल 5 ही रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स थे वहां अब जोधपुर में 600 ट्रैक्टर्स हैं। आज हजारों ट्रैक्टर्स राजस्थान में है और काश्तकारों के पास हैं। जिस काश्तकार की हैसियत इस इनफ्लेशन के पहले, आजादी के पहले और सन् 46 के पहले ऐसी थी कि एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 25 या 26 हजार है वह राजस्थान के बड़े से बड़े काश्तकार के लिए खरीदना असम्भव था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कितने ट्रैक्टर्स खरीदे गये हैं। यह जनरल तौर पर इस बात की रिफ्लेक्ट करता है कि काश्तकार का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ा है। अगर उनका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग नहीं बढ़ता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप गांवों में जाते हैं और कान्सीटुएन्सी जो कि 184 हैं उसमें ज्यादातर आप गांवों से आने वाले है आप गांवों में देखेंगे कि काश्तकारों के मकान पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। काश्तकारों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, काश्तकार के रहन सहन का ढंग में निश्चितरूप से कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा उसमें सुधार हुआ है, इसको कौन इन्कार कर सकता है? मेरे निवेदन करने का मतलब यह था·······

श्री मदनसिंह (दांता) : On point of information Sir, इससे तो हम इन्कार नहीं करते मगर यह कौन इन्कार करता है कि पहले जो 4 आने में 3 फैमिली धाप कर खाती थी उसमें आज एक फैमिली भी नहीं खा सकती।

श्री देवीदत्त गाडिया : आज काश्तकारों को दूसरी चीज खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है······

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मेरे बोलने के बाद जो भी माननीय सदस्य बोले मैं एक एक माननीय सदस्य के दिमाग में कोई संदेह हो तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से कहता हूं कि चाहे सदन की कार्यवाही रात के 9 बजे तक चले मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को संतोष दिलाऊंगा। माननीय सदस्य मदनसिंह जी दांता रामगढ़ ने एक बात कही कि महंगाई बढ़ गई है, आज चीजें बहुत महंगी मिल रही हैं। मैं इकोनामिक्स का स्टुडेन्ट रहा हूं और मैंने एम० ए० इकोनामिक्स में की है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि इकोनामिक्स में सेलियेन्ट फीचर है कि जब कभी भी इनफ्लेशन आयेगा तो इन्फलेशन में हमेशा काश्तकार फायदे में रहता है। काश्तकार फायदे में रहता है इसलिए रहता है कि वह चीजें तो कम खरीदते हैं लेकिन बेचते ज्यादा हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

आप देखेंगे कि महंगाई के वक्त में मतीरों का बीज का क्या भाव है वह आज 1½ रु० किलो है और महंगाई की वजह से काश्तकार को पहले लेण्ड रेवेन्यू तक देने में मुश्किल थी आज उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए महंगाई कहीं आयेगी तो जो आदमी मनी लेन्डर्स हैं उसने उस समय यदि कोई रुपया दिया था और आज चूंकि महंगाई हो गई है इसलिए घाटे में तो वह बोहरा रह सकता है और काश्तकार किसी तरह घाटे में नहीं है क्योंकि रुपया तो वही है और वही उसको चुकाना है। जिसकी आमदनी फिक्स्ड है इनफ्लेशन होगा तो निश्चित रूप से उनके रहने के मापदण्ड में विपरीत असर पड़ने वाला है। लेकिन जब कभी इनफ्लेशन आयेगा तो इनफ्लेशन के समय काश्तकार हमेशा फायदे में रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सामने आज एक विकल्प है I am in between two horses of dilemma जब मैं कन्ज्यूमर्स की बात देखता हूं तो यह देखता हूं कि कन्ज्यूमर्स को सस्ता अनाज मिलना चाहिए लेकिन जब काश्तकार को देखता हूं तो मेरे सब-कान्शश माइन्ड में आती है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इनफ्लेशन के अन्दर काश्तकार कभी घाटे में नहीं रहेगा। काश्तकार हमेशा इनफ्लेशन में, नुकसान में रहेगा। यह बात यथार्थ है और सत्य है, इसको मानकर चलना चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा काश्तकारों का स्टेन्डर्ड आफ लिविंग उतना ही राइज होगा। इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पिछले सालों से हमारा हाई ईल्डिंग वैराइटी का प्रोग्राम जिसे कैश प्रोग्राम कहते हैं उसको हाथ में लिया है और इसकी वजह से जिन किन्हीं लोगों ने संकर बीज बोया है, चाहे बाजरा, मक्की या मैक्सीकन व्हीट को लिया है निश्चित रूप से उसके खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने बहुत ज्यादा पसन्द किया है और हाई ईल्डिंग वैराइटी सीड बहुत पापुलर काश्तकारों में हुआ है। इसलिए खरीफ के लिए जो भी टारगेट निश्चत किया है उसके लिए काश्तकारों के पास में हाई ईल्डिंग वैराइटी का सीड और जो फर्टिलाइजर की जरूरत है वह उनको टाइम पर मिलेगा बल्कि बरसात के पहले पहले मिल जायेगा। इसकी मैं पर्सनल तौर पर निगरानी रखूंगा। इसी तरह से 1964 के अकाल में मेरे पास में पांच जिले थे और मैं एक एक सड़क को पर्सनली देखता था बराबर जीप में जाकर। और इस बार भी मेरी कोशिश होगी, अगले दो तीन महीनों में मेरी यह कोशिश होगी कि जो हाई ईल्डिंग प्रोग्राम है इसके लिये जहां तक डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन का प्रश्न है, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लास्ट ईयर कुछ कमी रही। अब इस साल के लिए इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मेरी इस बात की पूरी कोशिश होगी कि हाई ईल्डिग प्रोग्राम के लिए जो भी बीज चाहिए, फर्टिलाईजर चाहिए, उनको जगह जगह सेंटर्स पर पहुंच जाना चाहिये और काश्तकारों के पास भी अगले 15-20 दिनों में बारिश होने से पहले पहुंच ही नहीं जाना चाहिये बल्कि उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों का कोआपरेशन चाहता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई सरसों हथेली पर नहीं उगाई जा सकती है, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बडी मेहनत के बाद में खाद्यान्नों का उत्पादन

(श्री परसराम मदेरणा)

किया जाता है। काश्तकारों को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद में अनाज का उत्पादन होता है। जो कुछ भी चीजें किसानों को मुहैय्या करानी है, क्रेडिट मुहैय्या कराना है, चाहे उसको बीज देना है, फर्टिलाईजर मुहैय्या कराना है। वे सब मेरे पास में है। मेरे पास में फर्टिलाईजर है और खरीफ की फसल के लिए जितने फर्टिलाईजर की आवश्यकता है वह आज मेरे पास अवेलेबल है, उसको अब मंगाने की आवश्यकता नहीं है। सीड को जो जरूरत है वह भी करीब-करीब आज मेरे पास मौजूद है और थोड़ा बहुत नहीं है तो उसके लिए मेरे आफिसर सीड पर्चेज करने के लिए गए हुए हैं। उनका कल ही टेलीग्राम मिला है कि सीड एक हफ्ते भर में नेशनल सीड कोरपोरेशन से अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में क्रेडिट का सवाल रहता है। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हाई ईल्ड सीड की और हाई इल्ड वेराइटी प्रोग्राम के लिए जो कुछ भी क्रेडिट की आवश्यकता है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने व्यवस्था करदी है। जो काश्तकार हाई ईल्ड वेराईटी प्रोग्राम को हाथ में ले रहे हैं उन सब काश्तकारों को आइडेंटीफाई करके कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने सब कार्यवाही पूरी करके सबको सेवा सहकारी समिति का सदस्य बना लिया है। सदस्य बनाने के बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अप्लिकेशन्स चली गई हैं और वहां से अपेक्स बैंक में पहुंच गई है सिवाय एक टोंक जिले के। 26 में से 23 जिलों के किसानों की जो हाई ईल्डिंग वेराईटी प्रोग्राम को हाथ में लेने जा रहे हैं उनकी अप्लीकेशन्स अपैक्स बैंक तक पहुंच गई हैं और वह करीब दो करोड़ अस्सी लाख रुपये के क्रेडिट को मुहैय्या करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे विभाग के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ पूरा कोआपरेशन करने की हिदायतें दे दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर्स और डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, सबको हिदायतें दे दी गई हैं, टेलीफोनिक मेसेज दे दिए गए हैं कि इनका आपस में पूरा कोआपरेशन रहना चाहिए और इसमें भी मैं आप लोगों के सहयोग की आशा करूंगा। जब हम यहां पर अगले सत्र में मीट होंगे तब निश्चित तौर से हाईईल्ड प्रोग्राम जो है उसको आप राजस्थान में सफलीभूत होता देखेंगे।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने भूमि बन्धक बैंक के बारे में, जो लोन्स की प्रोब्लम है उसके बारे में जो भी कठिनाइयां हैं, उनके बारे में कहा और इसका जो कानून है उसके सिम्प्लीफिकेशन के बारे में भी कहा। आपने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा। जो कुम्भलगढ़ से माननीय सदस्य आते हैं और जो रामगढ़ से आते हैं माननीय सदस्य शोभाराम जी, उन्होंने भी लैंड मोर्टगेज बैंक की मार्फत जो लोन मिलता है उसका प्रोसीजर टीडियस है, इसके बारे में कुछ बातें कहीं। कुछ अर्से पहले हमने उस प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की थी और यह कोशिश की थी कि इस प्रोसीजर में जितना ज्यादा टाइम लगता है वह टाइम अब नहीं लगेगा। हम लैंड मोर्टगेज बैंक

(श्री परसराम मदेरणा)

की मार्फत यह जो लोग टर्म क्रेडिट देना चाहते हैं, किसानों को मिडियम टर्म और माइनर टर्म लोन फैसेलिटी तो आज अवेलेबल है और लोंग टर्म की आज किसानों को जरूरत है। राज्य सरकार के वित्तीय साधन इस बात को परमिट नहीं करते कि जितने काश्तकारों को लोंग टर्म लोन की आवश्यकता है वह सब की सब राज्य सरकार के खजाने से पूरी कर सके। दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी लैंड मोर्टगेज बैंक को स्ट्रेंग्थन किया गया है वहां पर निश्चित तौर पर किसानों को ज्यादा राहत पहुंची है। महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स के अन्दर जहां पर कि करोड़ों रुपया लैंड मोर्टगेज बैंक की मार्फत काश्तकारों को दिया गया है उसी प्रकार यहां पर भी काश्तकारों की लोंग टर्म लोन की नीड को मीटआउट करेंगे। इसी प्रकार जो लैंड वेल्यूएशन की बात कह रहे थे, पहले जहां 15 लैंड वेल्यूएशन आफिसर थे वहां अब 22 लैण्ड वेल्युएशन आफिसर और अपोइन्ट किये गए हैं और उनके पोस्टिंग आर्डर भी कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक जो इस लैंड के वेल्युएशन के बारे में देरी होती थी यह देरी अब नहीं हो सकेगी।

इसके साथ साथ एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि जो काश्तकारों को ट्रैक्टर लोन देते थे उसके लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस साल ऐसी नहीं है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों को ट्रैक्टर लोन दे सके इसलिए जो लैंड मार्टगेज पर लोन देने की मैक्जीमम लिमिट दस हजार रुपये थी उस लिमिट को बढ़ाकर बीस हजार रुपया कर दिया गया है और इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार ने कल ही रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज को प्रसारित कर दिये हैं। इसके साथ साथ यह फैसला भी किया गया है कि जो काश्तकारों को पहले उसके लैंड रेवेन्यू का टू हण्डरेड टाईम लोन मिल सकता था उसकी मैक्जीमम लिमिट को बढ़ाकर अब लैंड रेवेन्यू के फोर हण्डरेड टाईम की लिमिट कर दिया गया है। यह फैसला भी कर लिया गया है।

श्री नत्थी सिंह : फोर हण्डरेड टाइम वेल्यूएशन का टू हण्डरेड टाइम लोन ले सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके अन्दर जो आज खतोनीज हैं वे 13 साल पुरानी हैं, उस समय के रिकार्ड को, सैटलमैंट के रिकार्ड को प्रोड्यूज करने में काश्तकारों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो अब यह तय किया गया है कि जो आखिरी जमाबन्दी है, लेटेस्ट जमाबन्दी के अन्दर जो रिकार्ड है उसको पेश करने के बाद वह लोन लेने का हकदार हो जायगा। ये आर्डर अभी तक प्रसारित नहीं किए गए है लेकिन राज्य सरकार ने नीति के तौर पर तय कर लिया है और तय करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया है। लॉ डिपार्टमेंट को इसलिए भेजा है कि इस प्रकार के दूसरे एनोलोगस कानूनों में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना पड़े तो इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट से वेट कराना जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह भी आगे चल कर लैंडिंग पोलीसीज का पार्ट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इन सबसे आज काश्तकारों को जो बहुत लम्बा समय लगता है लैंड मोर्टगेज बैंक से लोन मिलने में वह लम्बा समय नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर रामगढ़ से आने वाले...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रजिस्ट्रेशन के अन्दर जो कठिनाई होती है उस प्रोसीजर का सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को पहले भी सिम्प्लीफाई कर दिया था। रजिस्ट्रेशन के लिए जब पूरे कागजात तैयार होकर मोर्टगेज रखने के लिए आ जायेंगे तो बैंक के पास में आने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्टरिंग अथोरिटिज के पास में जाकर ही रजिस्टर करवा सकेंगे लेकिन उसकी कापी बैंक का मैनेजर भेज देगा और अपने आप ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्थिति यह है कि जब तहसीलदारों को पास में जाते हैं तो वह नहीं मानता है। उसका कहना है कि अजमेर से बोर्ड आॅफ रेवेन्यू लिख कर जब तक नहीं भेज देता वे इसको मानने को तैयार नहीं हैं। आपने भले ही यह कर दिया हो लेकिन जब तक बोर्ड आॅफ रेवेन्यू इसके इंस्ट्रक्शन्स जारी नहीं करता, तहसीलदार मानने को तैयार नहीं है। इसमें जल्दी कराई जाय तो ठीक होगा।

श्री परसराम मदेरणा : रजिस्ट्रेशन का मुख्तियार बोर्ड आफ रेवेन्यू का एक सदस्य होता है जिनको रजिस्ट्रेशन जनरल कहते हैं, वही इस काम को देखते हैं। राज्य सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि रजिस्ट्रेशन जनरल की तरफ से शीघ्र से शीघ्र इस तरह के आदेश प्रसारित कर दिये जांय। इसके अलावा भी मैं निवेदन कर दूं कि और भी अगर कोई सिम्प्लीफाई करने की आवश्यकता होगी तो इसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग ले लूंगा और जैसा कि माननीय सदस्य रामगढ़ से आने वालों ने कहा कि जो स्टेट एडवाईजरी कोआपरेटिव कौंसिल है उसकी मीटिंग साल में दो दफा होनी चाहिये, वह नहीं हो सकी है। पिछले साल मीटिंग बुलाई थी तो माननीय सदस्य भी मौजूद थे, जो कुछ भी उसके अन्दर निर्णय लिए गए वे किस स्टेज पर हैं मैंने उनकी काफी जानकारी की है और उसका पूरा ब्यौरा भी रखा है। उसकी भावी मीटिंग जल्दी ही होने वाली थी मीटिंग जल्दी ही बुलाना चाहते थे लेकिन चुनावों की वजह से मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी। मैं स्वयं भी चाहता था कि इसकी मीटिंग जल्दी ही बुलाई जाय, इसकी फाइल भी मेरे पास आ गई थी लेकिन चूंकि इस समय विधान सभा का सेशन हो रहा है और भी दूसरे कार्यों में व्यस्त होने की वजह से और आज जो ठण्डे दिमाग से कोआपरेटिव मूवमेंट के बारे में सारे मुद्दों को कंसल्ट करने की जरूरत है तो इस में कुछ समय चाहिये। दूसरा मैं यह भी चाहूंगा कि इस कौंसिल की मीटिंग एक दो दिन और अधिक चलानी पड़ेगी तो चलाई जाय लेकिन इस पर पूरा विचार हो, इसलिए ही इसमें देरी हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी, जब यह सेशन खत्म हो जाएगा, मैं कोआपरेटिव एडवाईजरी कौंसिल की मीटिंग बुलाऊंगा।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ढोल पीटने वाली बात कही, उन्होंने यह कहा कि पब्लिक एन्क्वायरी आफिसर कोई आदमी लोन लेना चाहता है तो उसकी जमीन पर कोई भार है या नहीं इस बात को आम लोगों को बताने

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिए ढोल पीटता है। ऐसा प्रावधान रूल्स के अन्दर है। एक्ट में नहीं है। मैं यह देखूंगा कि रूल्स के अन्दर प्रावधान है तो यह नियम नहीं रखा जाना चाहिये, उसको बदलना चाहिये उसकी कार्यवाही मैं जल्दी से जल्दी करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोआपरेटिव एक्ट के अन्दर कुछ संशोधन करने की बात कही। राज्य सरकार के सामने रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से एक्ट में और अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव विचाराधीन है, और विचार करने के बाद में यदि आवश्यकता समझी गई तो आर्डिनेन्स के जरिये तो नहीं लेकिन संशोधन बिल के रूप में अगले सेशन में विधान सभा के सामने लाऊंगा।

यहां बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारी संस्थाओं के मैनेजरों, सैक्रेटरीज या जो पेड सेक्रेटरीज हैं उनकी नौकरियों की सिक्योरिटीज के बारे में बात कही। माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इसी सदन के माननीय सदस्य जो रामगढ़ से आने वाले माननीय शोभारामजी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई है। इस बात के लिए उससे रिक्वेस्ट की गई है कि वह राज्य सरकार को अपनी रिकमन्डेशन पेश करें कि यह जो लेकिंग है सोसाइटीज में, जो डिफरेन्ट प्रकार की सोसाइटीज के अन्दर जो सोसाइटीज के नौकर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी क्या सर्विस कन्डीशन होनी चाहिये, क्या योग्यताएं होनी चाहिये। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ऐसा विचार करती है कि इन सोसाइटीज के अन्दर जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी की सिक्योरिटी हो।

यहां पर बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने एनीमल हसबेन्ड्री के अधिकारियों के लिये, कर्मचारियों के लिये यह बात कही की वे कन्फर्म्ड नहीं हुए हैं। मैं यह कहूं कि काफी लोग उसमें कन्फर्म्ड हो गये हैं। सबोर्डिनेट सर्विस में 50 पर्सेन्ट और उसके ऊपर की सर्विस के जो लोग हैं वे सब के सब कन्फर्म्ड हो चुके हैं।

यहां सहरिया लोगों की कोओपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कही कि उस सोसाइटी पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और बड़े बड़े जागीरदारों के साथ विभागीय अधिकारी मिल गये हैं। मैं आफ हैण्ड जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसकी जांच करवा कर और उसका जो यह नतीजा होगा उसकी जानकारी माननीय सदस्य को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा।

चुनावों के सम्बन्ध में उन्होंने बात कही। चुनावों के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं कोओपरेटिव एक्ट के अन्दर नियम की धारा 33 मे इस बात का प्रावधान है कि नामांकन पत्र दे सकते हैं और चुनाव का उन्हें अधिकार होगा। अभी जो चुनाव का प्रोसीजर है उसमें कोई गुन्जाइस नहीं लगती है। नये नियमों के अन्तर्गत हमने यह किया है कि कोई भी आदमी एक सोसाइटी में बिना बहुमत के नहीं आ सकता है, क्योंकि सोसायटीज डेमोक्रेटिक संस्थायें हैं, चाहे वे मार्केटिंग सोसाइटी हों, चाहे बैंक हो, चाहे कान्ट्रेक्ट कोओपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे इन्डस्ट्रियल कोओपरेटिव सोसाइटी हो, ये डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स है तो उनका चुनाव होता है और हर साल

(श्री परसराम मदेरणा)

चुनाव होना चाहिये, और इसमें जो प्रोसीजर रख दिया है उस प्रोसीजर को एडाप्ट करने के बाद अब जो चुनाव होगा वह उस प्रोसीजर के मुताबिक होगा और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात या धांधलेबाजी जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं वह नहीं हो सकेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री परसराम मदेरणा : मुझे पहले सब कह लेने दीजिये।

यहां पर नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने फसलों के बीमा वगैरह की बात कही। जैसा मैंने आपको माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि फसलों के बीमा की बड़ी भारी योजना है। इसको भारत सरकार ने मन्जूर कर लिया है। कृषि मंत्रीजी इसको एक कम्प्रेहेन्सिव आल इंडिया प्रोग्राम पर लेने जा रहे हैं जो देश भर के लिए है, क्योंकि आप जानते है कि फसलें बोने से पहले और फसलें बोने के बाद खड़ी फसलों का बीमा कराने के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी। राजस्थान के फाइनेन्स के वेज एण्ड मीन्स हैं उनको देखते हुए हम आज इन कामों को हाथ में नहीं ले सकेंगे। भारत सरकार राज्य सरकार का क्या हिस्सा रखती है या इस प्रकार का कोई कोपरेशन बनता है या दूसरी चीज बनती है, और उसके बाद में भारत सरकार भी, मैं समझता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स को कान्फीडेन्स में लेगी। उनसे भी बातचीत करेगी। कन्सलटेशन होगा, और उस कन्सलटेशन के मौके पर जो कुछ भी उत्तरदायित्व हमारे पर आता है। इस योजना को भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके क्रियान्वयन में जो राज्य सरकार का कन्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उसमें तत्परता दिखायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो पैकेज का प्रोग्राम था वह पैकेज का प्रोग्राम जो चल रहा था पाली में उसको इस साल हमने बन्द किया है, लेकिन पैकेज प्रोग्राम को कतई बन्द नहीं किया। जो इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के पैटर्न पर ले आये हैं। उसमें स्टाफ की कमी होगी, पर प्रोग्राम पूरा खत्म नहीं किया जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने यहां कहा है कि एक तरफ तो एक्स्टेन्सिव सर्विस चालू रख रहे हैं जो किसी काम की नहीं है और दूसरी तरफ ऐसा कहा कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जायगा। जो एडीशनल स्टाफ कुछ ब्लाक्स में लिया है तो जिन ब्लाक्स में आई० ए० एफ० का प्रोग्राम चलता है, मैं समझता हूं कि स्टाफ काफी होगा और काश्तकारों को एक्स्टेन्सिव सर्विस के अन्दर 4-5 साल से जो पैकेज का प्रोग्राम चल रहा था वहां पर तो काश्तकारों को खेती के तरीके इम्प्रूव्ड मैथड्स की उनको जानकारी मिल गई है। उसके बाद में इन्सेक्टीसाइड्स और दूसरी चीजें होनी चाहिए। अगर इसका ज्ञान बढ़ रहा है उसके साथ साथ बीज को और दूसरी चीजों को इस्तेमाल करने के लिये स्वाइल कन्डीशन्स और स्वाइल टेस्टिंग के काम भी सैंकड़ों की तादाद में वहां किये गये हैं। उसके बाद मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जो कोई भी इस प्रोग्राम के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में धक्का लगा है तो राज्य सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

किसी दूसरी योजनाओं में कट कर के अपने एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के प्रोग्राम को धक्का नहीं आने देगी। हमने यह निश्चय किया है कि हमारे एक्ट के आधार पर और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के बढ़ावे के इस प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिए और अपना पूरा सहयोग देकर एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन को बढ़ायेंगे।

सहकारिता शिक्षा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले सदस्य ने गैर सरकारी कोओपरेटर्स के लिए उनकी शिक्षा के बारे में अभी तक जो व्यवस्था थी और राज्य सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता था उस अनुदान में निश्चित तौर पर कुछ कमी की गई है। इस कमी का कारण मुख्य यह है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें कुछ खर्चों में कमी करनी पड़ी। राजस्थान में ओवर ड्राफ्ट था तो हमें एक सीलिंग बताया गया और हमें कहा गया कि मिनिमम से मिनिमम खर्चा कुछ स्कीम्स के ऊपर हो जब तक कि वित्तीय बैलेन्स्ड पोजिशन न हो जाय तब तक की जाय तो ज्यादा उचित रहेगा। अतः उस कटौती में आपका जो यह गैर सरकारी कोआपरेटर्स की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था उसको हमें करटेल करना पड़ा है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि पूरे राजस्थान में 60 पैरीपेटिक पार्टीज यहां पर शिक्षण का काम कर रही हैं। इस कटौती की वजह से ऐसी पैरीपेटिक 30 पार्टीज काम करेंगी अब राजस्थान के 26 जिलों में। जिन जिलों में कोआपरेटिव मूवमेंट ज्यादा आगे बढ़ गया है जिन जिलों में कोआपरेटिव मूवमेंट कुछ कमजोर भी हो और वहां पर ज्यादा शिक्षण देने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि 30 पार्टी अगर शिक्षण का काम सुचारु रूप से चलायें और सुचारु रूप से जो कुछ पार्टी 3 दिन का या 7 दिन का 38 दिन का जो अलग अलग कैम्प लगाते हैं उन कैम्प्स के अन्दर पूरे कोआपरेटर्स को बुलाकर ट्रेनिंग दी जाय तो मैं समझता हूं कि 30 पैरिपेटिक पार्टीज काफी शिक्षण का काम कर सकती है। पिछले सालों के शिक्षण की वजह से हजारों कोआपरेटर्स ने इसमें शिक्षा ग्रहण की है और ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे कोआपरेटर्स सब के सब को दूसरे लॉट से रिप्लेस कर दिया जाय। उनमें कई सदस्य तो आफिस बियरर्स होते हैं इन सब लोगों को हटाना क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो गई है ठीक नहीं है।

श्री जसराज (भिनाय) : आप कम्पेरेटिवली बता सकेंगे कि दूसरी स्टेट्स ने इसमें कमी की है या केवल राजस्थान में आप कमी कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी स्टेट्स के आंकड़े तो पता नहीं कि शिक्षण का जो प्रोग्राम है उसमें जो खर्च किया जाता है उसमें कटौती की गई है या नहीं।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं भी इस मद में कटौती नहीं की गई है, बल्कि हर स्टेट में बढ़ोत्तरी की गई है और भारत सरकार की यह नीति है कि इस मद में बढ़ोत्तरी की जाय। केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकार इस मामले में कटौती कर रही है।

श्री जसराज : For your information, I can give you one letter from Govt. of India उसमें यह लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें 600 की जगह 900 इन्स्ट्रक्टर्स होंगे। यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लैटर है, वह तो इन्स्ट्रक्टर्स और बढ़ाना चाहती है और इन्स्ट्रक्टर्स को स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाना नहीं चाहती है। For your information Sir उसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट बीग्रर करती है, राजस्थान के एक्स-चेकर पर उसका कोई बर्डन नहीं होगा। यदि आप 60 से कम करके 30 भी कर देंगे तो भी उससे स्टेट के फाइनेन्स या स्टेट के एक्स-चेकर के बर्डन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इनको 60 ही रहने दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप चाहें तो मैं इस लैटर को सदन की मेज पर रख सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सेन्ट्रल असिस्टेन्स की बात कही है, यह योजना ऐसी है जो प्लान सीलिंग के अन्दर है। और इसी तरह से और भी ऐसी योजनायें हैं जिनमें सेन्ट पर्सेंट असिस्टेन्स गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से होता है। लेकिन जो स्कीम्स बहुत जरूरी थी वह इस समय हाथ में रखी गई हैं और जिनमें कटौती करने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्लान सीलिंग है वह बढ़ नहीं सकता था, इसलिए प्लान सीलिंग को रखने के लिए सब डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स में कटौती की गई है. उसी तरह से कोआपरेटिव में की गई है जो योजना ऐसी थी कि उनमें कटौती नहीं कर सकते, जैसे शिक्षा का मामला है, ढाई तीन लाख की दूसरी योजनायें हैं, तो भी उनके कार्यान्वयन में खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसलिए कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में कटौती की गई है। मैं सोचता हूं कि यह कटौती हमने बहुत सोच समझ कर की हैं। हमारे सामने सेन्ट्रल असिस्टेन्स का मसला नहीं है, प्लान सीलिंग का मसला है और उसको ध्यान में रख कर कटौतियां की गई हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो सोच समझ कर ही की गई होगी।

श्री जसराज : जो मैंने गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लेटर बताया है, उसको आप देख लीजिये। और भी कोई सूचना आप चाहें तो वह मैं दे सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बात पर गौर तो कर लीजिये। अगर बर्डन पड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पर पड़ेगा। इस पर जो खर्चा होगा वह उनको करना पड़ेगा।

श्री जसराज : कृपा कर इस लैटर को देखने की तकलीफ तो कर लीजिये। यह लैटर देख लीजिये।

श्री नत्थीसिंह : आप मजबूरी की बात कह रहे हैं वह प्लान सीलिंग की मजबूरी हो सकती है। आप इस पर दुबारा गौर तो कर लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो इसको फालतू की स्कीम समझते हैं।

श्री जसराज : आप इस पत्र को, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पत्र को देख लीजिये। इसमें बिल्कुल उल्टी चीज है। वह यह जानना चाहते हैं कि कितने इन्स्ट्रक्टर्स बढ़ाना चाहते हैं जब कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया बढ़ाने के लिए तैयार है, आप घटा रहे हैं।

(पत्र मंत्री महोदय को दिया गया)

श्री परसराम मदेरणा : यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लैटर नहीं है, यह नेशनल कोआपरेटिव यूनियन का लैटर है। और इसको मैं एक दफा नहीं, दो दफा पढ़ूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य मुझे इजाजत नहीं देंगे कि यहां खड़े खड़े इस लैटर को पढ़ूं। मैं इस लैटर को जरूर पढ़ूंगा।

श्री शंकरलाल : आप इस बात पर दुबारा विचार करने का आश्वासन तो दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी स्टेट्स में कटौती की गई है या बढ़ोत्तरी की गई है, और इस सम्बन्ध में नेशनल कोआपरेटिव यूनियन के क्या विचार हैं इन सब बातों को मालूम करने के बाद यदि आवश्यक समझा गया तो दुबारा मैं केबिनेट के सामने इस मसले को रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो पशु पालन के डाइरेक्टर से चपरासी तक को कन्फर्म करने की बात कही ....

श्री परसराम मदेरणा : बारां से आने वाले माननीय सदस्य .....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि कन्फर्म कर दिया गया है तो कब किया है? यह बताने का कष्ट करें। दूसरे आपने जो चुनाव के बारे में कहा, मैं उसके लिए निवेदन कर दूं कि कोटा कोओपरेटिव बैंक के चुनाव तीन बार स्थगित हुए हैं। जिस रोज चुनाव होने वाला था, उस रोज चुनाव की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन उसके एक घंटे के बाद में चुनाव स्थगित कर दिये गये। इसी तरह से मार्केटिंग सोसाइटी बारां के चुनाव जिस दिन होने वाले थे, उसकी कार्यवाही शुरू होने के एक घंटे के बाद में चुनाव स्थगित हो गये। इस प्रकार की जो अनियमिततायें होती हैं, यदि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव होंगे तो यह सब ठीक हो जायेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें राज्य सरकार क्या करे। स्थगित कर दिये तो कर दिये मिल कर।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और मार्केटिंग सोसाइटी बारां के चुनाव क्यों स्थगित कर दिये गये, उसके बारे में आफ हैंड मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : रजिस्ट्रार साहब को मालूम है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन यह जो प्रश्न है या दूसरे जो प्रश्न आते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर अपील करने का प्रावधान है एक्ट के अन्दर, उस पदाधिकारी के पास, चाहे वह असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हो, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल हो उसके सामने अपील हो सकती है, स्टे हो सकता है। इस मामले में मुझे मालूम नहीं है कि स्टे लिया गया है या नहीं। एक बात मैं और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि हमारे एक्ट की स्कीम आफ थिंग्स हैं, यह 1965 के इसी सत्र में ग्रीष्म-काल सत्र में एक्ट पास हुआ था, जब पास किया था, उस समय चुनाव के सम्बन्ध में भी सदन में काफी डिस्कस किया गया था। इसलिए जो एक्ट की पोजीशन आज है, उसमें कोई

(श्री परसराम मदेरणा)

रद्दोबदल नहीं हो सकती । साथ ही चुनाव का एलाबोरेट प्रोसीजर जो प्रेस्क्राइब किया गया है, वह प्रोसीजर नियम 33 के अन्तर्गत एलाबोरेटली किया गया है । तो जो रूल्स में प्रावधान है उनके अनुसार ही चुनाव होंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पशु पालन के डाइरेक्टर से चपरासी के कन्फर्मेशन के लिए कहा कि कन्फर्मेशन हो गया है तो वह कब हुआ है-यह बताने का कष्ट करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कर दिया । काफी है ।

श्री खेतसिंह : इस प्रकार तो जवाब नहीं दे पायेंगे, मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सुना नहीं । मैंने आपकी बात सुनी नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कहा है कि पशु पालन के डाइरेक्टर से लेकर चपरासी तक, जिसके लिए मैंने कहा था कि वह अनकन्फर्म्ड हैं, आपने कहा, उनका कन्फर्मेशन हो गया है । वह कब हुआ है और कौनसी तारीख को हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : डाइरेक्टर से चपरासी तक के कन्फर्मेशन की बात मैं नहीं कह रहा हूं । मैं निवेदन कर रहा हूं कि सबोर्डिनेट सर्विसेज में काफी लोगों का कन्फर्मेशन हो गया, करीब 50 प्रतिशत के आसपास । और ऊपर की सर्विसेज में, जो 171 ऑफिसर हैं उनका कान्फर्मेशन हो गया है । यह मैंने कहा था । यह नहीं कहा था कि सबका हो गया है आपने कहा था कि किसी का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है और सब प्रोबेशन पर चल रहे हैं ।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय को यह मालूम है कि पिछले सत्र में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि तीन माह के अन्दर इस विभाग की सारी सर्विसेज को कन्फर्म कर दिया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट का हवाला दिया, यह जानकारी मुझे नहीं है । मुख्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया इस सदन के अन्दर, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफीकल्टीज आईं और क्यों नहीं कन्फर्मेशन हो सका-यह जानकारी करके मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं । आज जो पोजीशन बताई है, वह यह है कि 171 कर्मचारी, सबोर्डीनेट सर्विसेज के ऊपर के हैं उनका कन्फर्मेशन हो गया है, और पचास सबोर्डिनेट सर्विसेज का हो गया । बाकी के कैसेज में क्या डिफीकल्टी है, क्या नहीं है-इसकी जानकारी करके बता सकता हूं । माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, वह अहम् प्रश्न था । यदि मुझे थोड़ा समय मिलता तो मैं निश्चितरूप से संतोषजनक जवाब दे सकता ।

श्री मदन सिंह दांता : मैं समझता हूं कि वैसे तो व्यक्तिगतरूप से माननीय मंत्रीजी ने बहुत सुन्दर जबाब दिया है । मैंने एक बहुत गम्भीर सवाल किया था कि क्या आज के किसान, जिस तरह आपने फर्माया कि उसके पास रकम, राशि पहुंची है, तो वैसे तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी और मैं मानता हूं कि आज के किसान ने तरक्की की है । यदि किसान ने तरक्की की है तो आज बिड़ला ने भी की है । लेकिन

(श्री मदनसिंह दांता)

हम देखते हैं कि बिड़ला ने ज्यादा की है और किसान कम बढ़ सका है। मैं समझता हूं यह मान कर चलना चाहिए कि जो किसान के लिए खर्च होना चाहिए तो वह खर्च अभी नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसमें टाटा और साहू जैन भी शामिल हैं।

श्री असराम : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री मदन सिंह दांता : राजस्थान का नमूना तो मैं बीस वर्ष के बाद भी यह देख रहा हूं कि केवल दो किसान मंत्री हैं। यदि किसानों की उन्नति होती तो कोई कारण नहीं था कि राजस्थान के अन्दर एक किसान चीफ मिनिस्टर होता।

श्री राम किशन : और कमी है नहीं।

एक माननीय सदस्य : आपका नेता तो किसान को बनाते।

श्री परसराम मदेरणा : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंजीनियरिंग वर्कशाप के बारे में बहुत सी बातें कहीं थीं। जो मुद्दे उन्होंने उठाये उनके बारे में जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, इसके आधार पर उन्होंने आइल थिनराइप के पर्चेज के बारे में एक बात कही थी और जिसके बारे में जिक्र किया था कि एन्टीकरप्शन के पास केस पेंडिंग है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एन्टीकरप्शन ने उस पर इन्क्वायरी कम्प्लीट कर ली है और अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट के पास वह इन्क्वायरी रिपोर्ट भेज दी है मैं नहीं कह सकता कि इसकी क्या पोजीशन है लेकिन जैसी सूचना मुझे मिली है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह एम्बेजलमेंट नहीं है वह तो फाइनेन्सियल इर्रेगुलेरिटी जरूर है। इसके लिये कानूनी तौर पर जो भी प्रावधान है और जिस किसी ने यह गलती की है उसके साथ रियायत नहीं की जायगी।

दूसरी बात इम्प्लीमेन्ट्स के पर्चेज की कही गई और यह कहा गया कि इंजीनियरिंग वर्कशोप इसलिये कायम किया गया था कि बाहर से पर्चेज नहीं करनी पड़ेगी। पहले न बिल्डिंग थी न वर्कशोप थी उस समय पर्चेज की जाती थी लेकिन अब जब वर्कशोप भी है और बिल्डिंग भी है तो फिर इम्प्लीमेन्ट्स मैन्युफेक्चर क्यों नहीं किये जाते हैं ?

मैं यह कहूंगा कि इंजीनियरिंग वर्कशोप में इम्प्लीमेंट्स मैन्युफेक्चर किये गये हैं और कुछ ऐसे थे जिनके लिये सामान नहीं मिलता तो उनको बाहर से खरीदा गया। और मैं यह कहूंगा कि इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिसमें रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट के कलेक्टर और दूसरे लोग सदस्य हैं। आज आप देखेंगे कि हमने केवल 60 हजार की पर्चेज की है जहां पहले 12 लाख की पर्चेज हुआ करती थी और वह भी 60 हजार की इसलिये की गई कि उनके लिये रा मेटीरियल नहीं मिलता था।

इसके बाद कटौती के बारे में कहा गया। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास अप-टू डेट मशीनें नहीं थीं और ऐसी हालत में सब काम पहले मेनुअल लेबर से होता था। मगर अब हमारे पास लेटेस्ट मशीनें होने के कारण

(श्री परसराम मदेरणा)

इसका असर पड़ा है और साथ ही कोमर्शियल बेसिस पर जब काम करते हैं तो उसमें अगर कम्पनी को कोई नुक्सान होता है तो उनको रखा नहीं जाता इसलिये कटौती की जाती है ।

एक बात रेनी पंचायत समिति में इम्पलीमेन्ट्स पड़े हुए हैं उसके बारे में कहा गया कि काश्तकार उनको पसन्द नहीं करते हैं । इसलिये ऐसे औजार बनाये जाएं जो काम के काश्तकारों के हों । मैं आयन्दा इस बात की कोशिश करूंगा कि ऐसे औजार बनाये जाएं जो काश्तकारों में पोपुलर हों । नहीं तो आंख मींच कर ऐसे औजार नहीं बनाए जाएं जो काश्तकार पसन्द नहीं करते हैं या उनकी कोई रुचि नहीं हो तो उस प्रकार के इम्प्लीमेंट्स नहीं बनाए जाएं । अगर रेनी पंचायत समिति में कोई औजार पड़े हुए हैं तो उसके लिए अभी हमने दो तीन दिन पहले इन्जीनियर को भेज दिया है । और अभी तक वह वापिस लौट कर नहीं आया है । उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कि वे वहां पर क्यों पोपुलर नहीं हुए । यह सब उनकी रिपोर्ट के बाद मालूम होगा । यह कोशिश की जावेगी कि इम्प्लीमेन्ट्स ज्यादा से ज्यादा काम में आएं ।

यह भी कहा गया कि बुलडोजर्स खरीदे गये और वे आज काम नहीं कर रहे हैं । यह बात नहीं है । हमने 16 बुलडोजर्स खरीदे थे क्योंकि हमको एवेलेबल नहीं हो रहे थे । हमने एक एक बुलडोजर 8.8 हजार रुपयों में खरीदा । हमने उनसे 30 हजार गज पर बुलडोजरों से काम किया है और 6 लाख रुपये की रेवेन्यू कम से कम हुई है हमने आठ आठ हजार में एक एक बुलडोजर खरीदा । हमने आज उसको हनुमानगढ़ में भेजा है । और आज दूसरी जगह भेजने की मांग होगी तो स्कीम के अनुसार उनको भेजने वाले हैं । जहां कहीं भी जमीन अलौट होगी राजस्थान में वहां पर भी इसकी मांग आ रही है ।

एग्रीकल्चर वर्कशॉप के बारे में ट्रकों के लिये कहा गया । हमने कहा कि 11 ट्रकों की बोडी बनाई है और 9 में बोडी बनाई वह डिफेक्टिव थी उसके लिये उसके टेन्डर केन्सिल करके दूसरे टेन्डर कॉल किये हैं और जब उनकी बोडी बन जावेगी तब दूसरे ट्रक भी काम में आने शुरू हो जावेंगे ।

यहां पर दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन बातें कहीं । एक तो यह कहा कि तकावी की रकम पंचायत समितियों को बहुत कम मिलती है इसलिये उनको कुएं खुदवाने के लिये और इरिगेशन परपजेज के लिये ज्यादा रकम मिलनी चाहिये । मैं भी यह चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रकम मिले मगर जो रकम मिलती है यह सही उपयोग में आती है या नहीं । इसके लिये पंचायत समितियों का और प्रधानों का कोओपरेशन तो है ही मगर मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि आप लोग भी इसमें सहयोग दें कि जो लोन मिलता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं, देखें, तो जिस प्रकार की रियायत या कन्सेशन चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी के वे क्यों न हों, उसमें रियायत नहीं बर्ती जावेगी । पंचायतों को कुछ अर्से के बाद उनके पिछले साल के काम अधूरे पड़े हैं उनको देखते हुए अलोट हो जावेगी । मगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि माइनर इरिगेशन की मांग ज्यादा है । केनाल बनाने की और कुएं खुदाने के लिये काफी मांग है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके लिये हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि प्लान की मांग पर जो रकम मिली थी उससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिये ज्यादा पैसा दिया जाए। इस प्रकार की मांग भारत सरकार से हमारी अवश्य रहेगी।

दूसरी बात उन्होंने कही कि 80 हजार रुपये जो केनाल बनाने के लिये थे वे ग्राम सेवकों की तनख्वाह में दे दिये जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने पहले भी मुझे इसके लिये कहा था। मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से बात की कि आया, प्रोडक्टिव प्रोग्राम का रुपया तनख्वाह में दिया जा सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि 13 तारीख को जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और मीटिंग होगी तो पता लगेगा। माननीय सदस्य मुझसे मिले ...

श्री मदन सिंह दांता : मैं जिस समय आपसे मिला था उस समय आपने मुझे विश्वास दिलाया था। मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी शक्ति तो भारत सरकार के हाथ में है और यह तो आपके ही हाथ में है। आप दिला सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने बहुत सी बातें लिखने को लिख दी हैं मगर उनसे कोई फायदा नहीं क्योंकि फाइनेन्शियल रूल्स और अकाउन्ट्स रूल्स हैं और जिस परपज के लिये पैसा है, प्लान के लिये और नोन प्लान के लिये उसको देख कर सेंक्शन करना पड़ता है। एकाउन्ट्स के मामले में जैसा दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कहते थे कि उनको क्या आवश्यकता है। आपको सब बात पता है और आप सब जानते हैं उसके बावजूद भी आप इस बात की कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंट की एक्टीविटीज में ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जावे। मेरे हाथ की बात होती तो मैं यह चाहता हूं कि ग्राम सेवकों को ज्यादा वेतन दिया जावे, ग्राम सेविकाओं को ज्यादा तनख्वाह दी जावे और इसीलिये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था।

यहां पर माननीय रामकिशन जी बैर से आ रहे हैं उन्होंने यहां पर भीलवाड़ा जिले की दो तीन कोओपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कहा। एक तो उन्होंने स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा के बारे में बताया। गुलाबपुरा में 1966 में नियमों में परिवर्तन किया है उसमें काश्तकारों को रखा है। पैसेवालों को रखा हो ऐसी बात नहीं है। उस पर एक बहुत बड़े और सीनियर आर. ए. एस. ऑफिसर हैं उनका नाम दिया गया है।

यह $9\frac{1}{2}$ लाख रुपये देने का सवाल है तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस स्पिनिंग मिल की पूरी प्लान बन गई थी उस समय राजस्थान सरकार ने एग्री किया था कि 25 लाख रुपये शेअर केपिटल के रूप में कन्ट्रीब्यूट करेगी। इसलिये यह $9\frac{1}{2}$ लाख रुपये दिये हैं। बहुत से रिप्रेजेन्टेशन्स मेरे पास आये, मैं खुद वहां गुलाबपुरा गया, वहां लोगों को रात को इकट्ठा किया और सारी स्थिति पर विचार किया गया। माननीय सदस्य बार बार कहते हैं कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के अन्दर कोओपरेटिव सेक्टर काम नहीं कर पाया है, केशवराय पाटन की शूगर फैक्टरी है, उसकी शेअर केपिटल को इन्क्रीज किया गया है, 3 मई को डेढ़ लाख रुपया शेअर केपिटल का इकट्ठा कर लिया गया, पौने दो

(श्री परसराम मदेरणा)

लाख रुपया और शेअर केपिटल का इकट्ठा कर लिया है, 5 लाख रुपये अगले तीन महीनों में शेयर केपिटल के होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सहकारी क्षेत्र में शुगर मिल हो। 65 से हम इसके लिये कमिटेड थे, इसे चालू करने के लिये मशिनरी आवश्यक है उसके आर्डर प्लेस करने के लिये आवश्यक है कि गवर्नमेन्ट कन्ट्रीब्यूट करे। गवर्नमेंट अगर कन्ट्रीब्यूट नहीं करे तो 150 लाख रुपये के खर्चे की बात है, वह कहां से आवेगा। आई० एफ० सी० से एक करोड़ रुपया मिलेगा, 25 लाख राजस्थान सरकार की ओर से और ग्रोवर शेअर से 25 लाख। ग्रोवर्स का यह था कि दूसरा स्पिनिंग मिल चल रहा था वह कोग्रोपरेटिव बेसिस पर था पर वह शेअर केपिटल नहीं होने के कारण फेल हो गया। इस स्पिनिंग मिल के संचालकों ने कहा कि पहले जो स्पिनिंग मिल चल रहा था उसमें भी सरकार ने कन्ट्रीब्यूट नहीं किया इसमें भी आप कन्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए हमने $9\frac{1}{2}$ लाख के शेअर लिये।

दूसरी बात बेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खारोलिया की सहकारी समिति के बारे में कही। जो इत्तला मुझे मिल सकी है, क्योंकि कल रात को कट मोशन मिला था, 38,950 रु० शोर्ट टर्म लोन था, 24 हजार ओवर ड्यू हो गया, इसके बाद असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोग्रोपरेटिव सोसायटीज ने तहसीलदार को सर्टिफिकेट इश्यू किया 5600 रुपया और ब्याज का रुपया वसूल किया जाय, तहसीलदार ने कुछ तो वसूल किया और उसके बाद में 5-11-66 को तहसीलदार ने लिख कर भेज दिया कि एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोग्रोपरेटिव सोसायटीज को वसूली करने के अधिकार मिल गये हैं इसलिये उनके द्वारा ही बकाया रकम वसूल की जानी चाहिये। 12 हजार के ऋण की वसूली के आदेश जारी किये गये पर अकाल पड़ गया इसलिये वसूली रोक दी, फिर लगातार 3 साल से अकाल पड़ा। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोग्रोपरेटिव सोसायटीज को कल ही आदेश दे दिये कि पी०डी०आर० के तहत या और कानून के तहत अधिकार हों, सारे अधिकार काम में लेकर 12 हजार के ऋण की वसूली जल्दी से जल्दी करे।

उपाध्यक्षजी, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ऊंटों की नस्ल सुधारने के बारे में और इसके साथ ही साथ सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सांडों के वितरण के बारे में बातें कहीं। मैं निवेदन करूं कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में सुधरे हुए अच्छी नस्ल के सांड वितरित किये गये हैं उनकी संख्या 5595 है। विभाग द्वारा पंचायत समितियों द्वारा ये सांड वितरित किये गये हैं, जिनमें विभाग ने सब्सीडी दी है। आज हमारे यहां कई अच्छे सेन्टर्स हैं, वहां अच्छे बुल्स तैयार होते हैं। आज राजस्थान में जितनी अच्छी ब्रीड्स हैं, चाहे हरियाणा ब्रीड है, चाहे गिल नस्ल है, चाहे थारपारकर नस्ल है, चाहे नागौरी नस्ल है, इन सब नस्लों के कैटल ब्रीडिंग फार्म्स अलग अलग हैं। वहां से हर साल बुल्स निकलते हैं, पंचायत समितियों की मार्फत पंचायतों को देते हैं।

ऊंटों का कैटल ब्रीडिंग फार्म जेसलमेर में है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय कहते हैं कि पंचायत समितियों और पंचायतों को वितरित करते हैं पर इन बुल्स के मेन्टेनेन्स का कोई प्रबन्ध नहीं है। वेटेरीनरी अस्पतालों में बुल्स सप्लाई किये पर उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, लाचार होकर उन्हें वापिस देने पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था है तो किस प्रकार आप हमें कह सकते हैं कि इस प्रकार अच्छे बुल्स सप्लाई करके वहां की नस्ल सुधारते हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, गिरधारीलालजी साहब ने कहा इससे मैं बिलकुल इत्तफाक नहीं करता, सांड मिलते हैं तो बांटने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप मेरे प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं उन्हें कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बहस का समय समाप्त हो गया। मन्त्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं, उन्हें उत्तर दे देने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं और उनसे अच्छे बैल निकलते हैं, उनको वितरित करते हैं। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर क्षेत्र को वितरित करें, पर यह संभव नहीं है।

शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि केस्ट्रेशन के प्रोग्राम को पूरी तरह से लागू किया जाय जिससे कि डेजर्ट एरिया में अच्छी नस्ल के बैल हों। राजस्थान सरकार मानती है कि जहां राजस्थान में 3 करोड़ और कुछ लाख पशु धन है, उस पशुधन की नस्ल सुधारी जानी चाहिये। खासतौर से ऐसी कोई अच्छी नस्ल है वह खत्म न हो जाय, उसको प्रिजर्व रखा जाना चाहिये और उसके प्रजनन का मल्टिफिकेशन होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल तो यह पूछा था कि वेटेरीनरी डिपार्टमेंट में बुल्स सप्लाई करते हैं, उनके मेन्टेनेन्स का प्रावधान नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा था, जो उन्होंने केस्ट्रेशन के बारे में उठाया था, उसको बीच में नहीं छोड़ सकता था। केस्ट्रेशन की हमारी युनिट्स हैं, आप कहते हैं कि उस एरिया में केस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वहां जल्दी से जल्दी केस्ट्रेशन करवाया जायगा, इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिये, केस्ट्रेशन का प्रचार करना चाहिये, इसमें धार्मिक भावना बीच में नहीं आनी चाहिये।

केमल ब्रीडिंग फार्म सिर्फ बीकानेर में है। वहां 100 सांड है, बुल केमल्स है उनके टोडिये होते हैं, उनको दूसरे लोगों को देते रहते हैं, अच्छी ब्रीड्स के टोडिये देते हैं ताकि अच्छे ब्रीडिंग का काम चलता रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे नये फार्म, केमल ब्रीडिंग फार्म खोलने का बजट में धनाभाव के कारण प्रावधान नहीं है। मैं मानता हूं कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में ऊंटों की अच्छी नस्ल हो और इससे काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसमें दो राय नहीं है। कहीं बचत रही,

(श्री परसराम मदेरणा)

हमें धन उपलब्ध हुआ तो इस बात की कोशिश करेंगे कि डिफरेन्ट एरिया में दूसरे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स स्थापित किये जाने चाहियें।

(6 म० प०)

आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि राजस्थान में हमारे जो 204 वेटेरीनरी अस्पताल हैं, उनमें बुल्स की परवाह नहीं की जाती, उनको खाने के लिये नहीं दिया जाता। मुझे यही निवेदन करना है कि बुल्स विभाग द्वारा मेन्टेन किये जाते हैं और जैसी मुझे जानकारी मिली है, जितना जरूरी खर्चा है उन बुल्स को अच्छी हालत में रखने के लिये, वह राज्य सरकार कर रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात बिल्कुल गलत है हमारे यहां जो पशु अस्पताल हैं, वहां से विद्ड्रा कर दिया इसलिए कि उनके पास मेंन्टेनेन्स का खर्चा नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मैं कहता हूं वह गलत है और माननीय सदस्य का कहना सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हां जो मैं कहता हूं, वह सही है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर कहीं डॉक्टर या और कोई आदमी गड़बड़ करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि 204 अस्पताल हैं उन सब में कोई देखभाल करने वाला नहीं है और राज्य सरकार सारा पैसा हड़प कर के ले जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं भी इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि मेन्टेनेन्स का पैसा न होने की वजह से वापस स्थान पर भेज दिए जाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय को चाहिए कि देखें कि वहां मेन्टेनेन्स का पैसा रखा जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): वैसे तो आसीन्द क्षेत्र में सांड मोटे ताजे देखे गए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस बात की जांच करवाऊंगा कि आया मेन्टेनेन्स के लिए खर्चा था या नहीं और जांच के बाद अगर माननीय सदस्य को इस बात से संतोष हो गया कि मेन्टेनेन्स के लिए पैसा नहीं रखा गया तो जो भी दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। मगर जनरेलाइज करना कि 204 अस्पताल में ही ऐसी हालत है, यह सही नहीं है। अगर ऐसी हालत होती तो अस्पतालों में जो बुल्स हैं वे सर्विस दे रहे हैं वे नहीं दे पाते। प्राइवेट आदमी आते हैं, वे पैसे देकर सर्विस कराते हैं, वे सर्विस कैसे कराते, अगर बुल्स को मेन्टेन नहीं किया जाता? एक जगह यदि ऐसी गलती हुई है तो देखेंगे कि दुबारा न हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनकी जगह तो सांड सर्विस कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर सर्विस नहीं करते तो वे सांड ही क्या?

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्री महोदय ने सदन को गलत जानकारी दी है।

श्री परसराम मदेरणा : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो फसली कर्जा मिलता रहता है डेजर्ट एरिया में, वहां हमेशा अकाल पड़ता रहता है इसलिये लोन मिलना चाहिए। यह सही है कि आज जो कुछ भी कर्जा केन्द्रीय सरकार और बैंक्स से दिया जाता है वह अब तक सहकारी बैंक के मार्फत रिजर्व बैंक हमको देता है। रिजर्व बैंक एपेक्स बैंक को देता है और एपेक्स बैंक सेंट्रल सहकारी बैंक को देता है और सेंट्रल कोओपरेटिव बैंक सहकारी समितियों को देता है जो सदस्यों को देते हैं। यह सही है कि वहां अकाल पड़ जाता है तो फसली लोन जो किसानों से वसूल होना चाहिये वह वसूल नहीं हो पाता। हमने किसानों की इस तकलीफ को मीट करने के लिए स्टैबीलाइजेशन फंड स्थापित किया है। हमने पिछले साल और इस साल 76 लाख का जो शोर्ट टर्म कर्जा था उसको मीडियम टर्म में कन्वर्ट किया। इस साल जो प्रोपोजल बना रहे हैं वह 70 लाख की बनी है। इस तरह से राज्य सरकार ने स्टैबीलाइजेशन फंड में इस साल 30 लाख रुपये कन्ट्रीब्यूट किए हैं। जिन्होंने शोर्ट टर्म लिया है और ओवरड्यू हो गया है और समय पर नहीं दिया है, वहां स्केयरसिटी कन्डीशन्स थीं। अगर हम कोशिश करें कि पूरा पूरा मीडियम टर्म लोन रिजर्व बैंक दे तो इसके लिए उनके पास फंड्स लिमिटेड हैं, ज्यादा दे नहीं सकते। आखिर फिस्कल पोलिसी के मामले में जितना उनके पास पैसा होगा उतना ही तो देंगे।

जहां तक शोर्ट-टर्म क्रेडिट देने का प्रश्न है या मीडियम टर्म, चाहे कन्ज्यूमर कोआपरेटिव्ज को गारन्टी देने का सवाल आया चाहे शेयर कैपिटल देने का सवाल आया, तो राज्य सरकार ने 2,40,00,000 शेयर कैपिटल कन्ट्रीब्यूट किया है। उसके साथ जहां डिबेन्चर फ्लोट करने का प्रश्न आता है और राज्य सरकार की तरफ से गैरन्टी स्टैंड करने का सवाल आता है, हमेशा सरकार ने गारंटी दी है और इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि सहकारिता आन्दोलन राजस्थान में फैले कन्सोलीडेड हो, मिडिल मैन आउस्ट हो और यह आन्दोलन आगे बढ़ सके। राज्य सरकार ने कोशिश इस बात की की है कि सहकारी संस्थाओं की फंक्शनिंग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। हस्तक्षेप उतना ही करना पड़ा है जितना आवश्यक है। जहां राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है उसके अन्दर सुपरविजन करना हमारा काम है।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ड्यूअल कन्ट्रोल का जिक्र किया। पहले ड्यूअल कन्ट्रोल था, एक तरफ बैंक का कन्ट्रोल था और दूसरी तरफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार का था। अब 4-5 दिन पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब सिंगल कन्ट्रोल रहेगा। अब असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का न होकर सिर्फ बैंक का रहेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जैसे फरमा रहे थे कि हम मिडिल मैन को आउट्स कर रहे हैं और सहकारी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो असेन्शियल वस्तुएं हैं चाहे गेहूं, शक्कर या दूसरी चीजें उनमें आपने इस प्रकार की व्यवस्था बिठादी है क्या कि प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सब जगह दुकानें स्थापित कर दें ?

श्री शोभाराम : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में आपने मीडियम टर्म लोन के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि प्रश्न यह नहीं था कि शोर्ट-टर्म लोन किस तरह मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित किया जाय क्योंकि जहां पर अकाल घोषित होता है, वहां निश्चित तौर से ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोर्ट टर्म लोन उस इलाके के अंदर मीडियम टर्म में परिवर्तित हो जाता है और एग्रीकल्चरल स्टैबिलाइजेशन फंड का फायदा हो जाता है। प्रश्न यह है कि जो लोन की मात्रा है, वह बढ़नी चाहिए। कन्वर्शन का प्रश्न नहीं है। नीति का सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : सवाल नीति का है और कुछ रिजर्व बैंक की मेहरबानी का है। लोंग-टर्म ओपरेशन्स फंड जो रिजर्व बैंक के पास होता है जिससे मीडियम-टर्म लोन दिया जाता है और लोंग-टर्म ओपरेशन्स फंड रिजर्व बैंक के पास कम है और जितनी मात्रा में है वह मात्रा सीमित है। जितनी मात्रा होगी उतना ही लोन मिलेगा। अगर लोन मौजूद नहीं है और रिजर्व बैंक की पोजीशन नहीं है तो हम देने में मजबूर हैं।

आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स का वितरण कोऑपरेटिव सोसाइटीज से हो इसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार ने इस साल फैसला किया है कि जहां तक हो सके प्राइवेट डीलर्स के मार्फत कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स बिक रहे हैं उनमें से 25 परसेन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सौंप देना चाहिये।

श्री जसराज : क्या क्राइटेरिया है ? एक नीति निर्धारित करें कि जितने कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स हैं वे कोऑपरेटिव्ज के द्वारा देंगे या इन्डिविजुअल्स के द्वारा। दोनों का जहां कम्पीटीशन होगा वहां सहकारी आन्दोलन फैल होगा। कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स इन्डिविजुअल को देंगे वह ब्लेक मार्केट करेगा और कोऑपरेटिव्ज ब्लेक मार्केट नहीं कर सकेंगी वह उसके मुकाबले नहीं टिक सकेंगी। मार्जिन ऑफ प्रोफिट कोओपरेटिव सोसाइटी को कम रहता है वे उनके मुकाबले में स्टेन्ड नहीं रह सकेंगी। इसलिये एक पोलिसी निर्धारित करिये।

श्री परसराम मदेरणा : आज जितनी फेयर प्राइस शोप्स हैं उनके और फूड डिपार्टमेंट के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, जो टर्म्स है उनके पहले आप उसकी शोप रद्द नहीं कर सकते हैं इसलिये यह प्रश्न केबिनेट के सामने पिछली जुलाई में आया था तो 8 जुलाई को निर्णय लिया था केबिनेट ने कि नई शोप्स कोऑपरेटिव्ज को ही दी जानी चाहिये। वायेबिल युनिट हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेन्शियली साउन्ड युनिट है उन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाना चाहिये। प्राइवेट को या दूसरे को नहीं देनी चाहिये। 25 परसेन्ट प्राइवेट डीलर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिप्लेस होने चाहिये। प्रेसिडेन्शियल रूल के वक्त एक दूसरा फैसला कर दिया गया। उनको रिप्लेस करना नही, नयी दुकानें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दी जावेगी प्राइवेट लोगों से एग्रीमेंट हुए हैं प्रेसिडेन्ट रूल के वक्त यह फैसला ले लिया गया जिसकी जानकारी मुझे चार पांच दिन पहले मिली। मैं दुबारा इस मसले को केबिनेट के सामने रखूंगा और केबिनेट के निर्णय से माननीय सदस्यों को जानकारी कराऊंगा।

Page No. 145

श्री जसराज : यह नीति का सवाल है। आपकी दृढ़ता और पोलिसी का सवाल है। आपने जहां यह निर्णय कर लिया है तो उस नीति को आपको पूर्ण दृढ़ता के साथ पालन करना पड़ेगा, नयी दुकानें इन्डिविजुअल्स को नहीं देंगे कोओपरेटिव्ज को देंगे। इन्डिविजुअल को नयी दुकानें अभी पांच दस दिन पहले ही दी हैं नीति तो नीति के रूप में तय कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय लिया था वह यह था कि पूरी की पूरी नयी फेयर प्राइस शोप्स कोओपरेटिव्ज को दी जाय। निर्णय यह लिया था कि 25 परसेन्ट फेयर प्राइस शोप्स अभी इन्डिविजुअल्स को दी हैं उनको कोओपरेटिव्ज से रिप्लेस किया जाय, वह सुपरसीड हो गया प्रेसिडेन्ट रूल के वक्त इसीलिये निवेदन किया था कि इस प्रश्न को दुबारा केबिनेट मीमो बना कर रखूंगा और जो निर्णय केबिनेट का होगा, वह बताऊंगा, निर्णय करते वक्त यह ध्यान रखा जायगा कि कोओपरेटिव्ज के मुकाबले प्राइवेट इन्डिविजुअल को प्रिफरेन्स नहीं दिया जाना चाहिये जो होल-सेल व्यापार कर रहे हैं शक्कर और दूसरी चीजों का, प्राइमरी कन्ज्यूमर स्टोर्स हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर में ज्यादातर दुकानें उनको दी हुई हैं और मार्केटिंग सोसाइटीज को होल सेल कोटा दिया हुआ है। कई जगह मार्केटिंग सोसाइटीज काम अच्छा नहीं कर रही हैं। मजबूर भी हो जाते हैं। प्राइवेट डीलर से एग्रीमेंट हो जाता है तो कितने दिन हैं और एक एक केस को लीगल तौर पर देखना पड़ेगा।

श्री जसराज : नयी दुकानें दी हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से प्रश्न और उत्तर का अन्त नहीं होगा। एक गोष्ठी करके माननीय मंत्री महोदय को आप वहां बुला लीजिये और प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर लीजिये। कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनका जवाब मंत्री महोदय दे रहे हैं उसको सुन लीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने जैसा कहा प्रेसिडेन्ट रूल के वक्त में फैसला हो गया। आज प्रेसिडेन्ट रूल नहीं है। समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो कोओपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिये अपनाना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : समाजवाद और प्रजातन्त्र दोनों में विश्वास रखते हैं और यह हाउस प्रजातन्त्र में सबसे बड़ी बोडी है। आप खुद जानते हैं समय नहीं मिलता है। किस प्रकार केबिनेट मीमो बनता है, सेक्रेटरी और अन्य डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके केबिनेट के लिये एक मीमो प्रस्तुत करूंगा। जब तक कोई मसला केबिनेट मीमो के रूप में न आवे इन्फोर्मली उसको नहीं उठाया जा सकता है। यह क्यों अमेन्डमेंट किया गया है इस पर मैं राय जाहिर करूं इससे पहले मैंने यह कह दिया कि केबिनेट में दुबारा रख रहा हूं माननीय सदस्यों को संतोष हो जाना चाहिये था। काफी समय हो गया है। माननीय सदस्यों ने जो खास खास मुद्दे उठाये हैं......

श्री जसराज : केवल एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से प्रश्नोत्तर का अन्त नहीं होगा। जो बातें आपने कहीं उसका उत्तर दे दिया और दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : एक सजेशन......

श्री उपाध्यक्ष : बाद में देते रहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री खेतसिंह : आपने 6 बजे तक कहा इन्होंने इतना प्रकाश डाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाये गये हैं मंत्री महोदय उनका उत्तर अभी दे नहीं सकते और सब डिपार्टमेंट की इत्तला उनके पास हो ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्यों के जो भाषण हुए उनका उत्तर माननीय मंत्रीजी ने मेरे ख्याल से बहुत ही संतोषजनक ढंग से दे दिया है।

श्री जसराज : एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : छोटा सा है तो मकान पर जाकर पूछ लीजिये।

श्री जसराज : आपने एक एश्योरेन्स दिया था उसके लिये धन्यवाद। 60 इन्स्ट्रक्टर्स कम करने के पूर्व नेशनल इन्स्टीट्यूट द्वारा कोरेस्पोन्डेन्स करके फिर भी कट करने का विचार हो जाय तो इसका मैं भी थोड़ा अच्छा ज्ञान रखता हूं आप उस समय थोड़ा इस विषय पर राय लें ले, यह मेरी गुस्ताखी तो होगी, कृपा कर क्षमा करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि माननीय सदस्य इस विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं और जैसा मैंने पहले निवेदन किया उसी अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दो जरूरी मुद्दे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या आप एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री को· · ·

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : यह जरूरी मुद्दे अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सम्बन्ध में · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री को एक आवश्यक इन्डस्ट्री मानते हैं उसके लिये बैंकिंग फेसिलिटी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : उसको एग्रो इन्डस्ट्री कहें या इन्डस्ट्री एग्रो कहें · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। जिन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला था कट मोशन्स के बारे में नहीं बोल सके थे, कल व्यवस्था यह दी गई थी कि उनको लिखित में उत्तर भेज दिया जावेगा। बोलने का अवसर नहीं मिला और प्रश्न पूछने लगें तो यह कैसे होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह ज्यादती है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने जो सुझाव दिये थे उनमें से केवल एक भूमि का जवाब दिया बाकी किसी सुझाव का जवाब नहीं दिया। मेरे सुझावों का जवाब देने की कृपा करें। महत्वपूर्ण सुझाव थे। अजमेर जिले के पशुओं की बड़ी दुर्व्यवस्था है। चरनोट की भूमि हटायी। जंगलों के अन्दर उनको आबादी की छूट नहीं की गई। उसकी व्यवस्था सरकार से हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने फोरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सम्बन्धित प्रश्न पूछे है मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्ध नहीं रखता है तो कैसे दूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : पशुओं को चारा नहीं मिलेगा। जमीन अलॉट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर! ओर्डर प्लीज। आप जिस वक्त डिबेट में फरमा रहे थे कि आस पास की जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिए उस वक्त ही मेरी राय थी कि यह बात आपके कट मोशन से सम्बन्धित नहीं हैं।

आपका कट मोशन जो है उससे यह रिलेवेन्ट नहीं है। यह तो लम्बे चौड़े विषय हैं। आप और किहीं प्रसंगों पर उनको उठा सकते हैं। इनसे सम्बन्धित विषयों के उत्तर, उन्होंने जहां तक इनसे सम्भव हो सकता था दे दिये उससे माननीय सदस्यों को सन्तोप होना चाहिए। अब उससे ज्यादा चाहते हो तो प्रश्नों के द्वारा और दूसरे तरीके हैं इनके द्वारा आप सरकार से जानकारी ले सकते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : आप यह तो मानकर चलते हैं कि स्थिति काफी गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सब जगह समस्या है।

श्री विजयसिंह रावत : दूसरा मैंने कहा सिंचाई के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ठीक समझा वह मुद्दा आपने उठाया। अब मन्त्री महोदय ने जिनका जवाब देना ठीक समझा और जिससे वे अपने को सम्बन्धित मानते थे उनका जवाब दे दिया।

श्री विजयसिंह रावत : जो सुझाव हम दें उनको मन्त्री महोदय इग्नोर कर दें यह कह कर कि यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो यह तो कोई सरकार का जवाब नहीं है। उनकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलीटी है।

श्री उपाध्यक्ष : वे इग्नोर करने के हकदार हैं, आप नये मेम्बर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मरेना भेड़ के लिये जमीन लाखों मील लम्बी चौड़ी है। आस्ट्रेलिया का इलाका हिन्दुस्तान से चार गुना बड़ा है और पापुलेशन 40 गुना कम है। हिन्दुस्तान की जिसकी आबादी 50 करोड़ है करीब 50 करोड़ के आस पास ही उसकी कैटल वैल्थ है। तो यहां रीजनल स्केअरसिटी आने वाली है। मोबाइल पोपुलेशन और एग्जिस्टिंग पोपुलेशन की लड़ाई होगी। इसलिये पशु पालन विभाग आपको और आपके मार्फत राजस्थान की जनता को कहना चाहता है कि इम्प्रूव्ड ब्रीड रखना चाहिए। There is competition. यह परिस्थिति आने वाली है।

श्री विजयसिंह रावत : I do understand.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मन्त्री महोदय या कोई माननीय सदस्य पूछ रहा हो तो उनके बीच में और सवालात पूछे जावें। इसमें नियम में व्यवस्था इतनी ही है कि जो बात आप फरमाना चाहें वह अपनी स्पीच के दौरान कह दे। इसके बाद में मंत्री महोदय उत्तर देंगे। अगर वे अपने उत्तर से आपको पूरा सन्तुष्ट नहीं करते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। कहा नहीं जा सकता। पर नियमों में प्रावधान नहीं कि हर बात पर बीच बीच में प्रश्न पूछा जावें।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा निवेदन यह है कि सदन की परम्परा है कि...

श्री उपाध्यक्ष : पर यह भी परम्परा नहीं है सदन की। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो हस्तक्षेप बीच में नहीं किया जावे। प्रश्न पूछे जावें फिर पूरक प्रश्न पूछे जावें ऐसी परम्परा नहीं है और न ऐसे नियम हैं।

श्री विजयसिंह रावत : On a point of order sir, मैं यह चाहूंगा कि सदन की परम्परा आपने जो बताई तो माननीय सदस्य डिबेट में भाग लेते हैं और जो सुझाव देते हैं या पोइन्ट रेज करते हैं तो क्या मन्त्री महोदय का यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि वे उन पोइन्ट्स का जवाब दें और पूरा जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न परम्पराओं का उठाया है। इसका मतलब यह है कि आज से पहले मन्त्री महोदय हमेशा जो सवाल उठायें गये हैं उनका पूरा जवाब देते आये हैं और केवल कृषि मन्त्रीजी ऐसे मन्त्री हैं जिन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया। यह तो सदन के सोचने की बात है। आपके भी सोचने की बात है।

फिर ऐसे भी बहुत से माननीय सदस्य को अवसर आवेंगे जब वे प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय कृषि मन्त्रीजी जल्दी समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा: ड्रिलिंग मशीनों की मांग बहुत है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास 126 ऐसी कम्प्रेशर मशीनें हैं। 18 रिग्स हैं और 9 रोटरी रिग्स हैं। 6 तो मौजूद है और 2 हमने मंगाई है। 3 रिगें अभी मिलने वाली हैं जो खरीदी हैं नेशनल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन से। जल्दी से जल्दी वे पहुंचने वाली है। अब जहां कहीं पर भी मांग होती है बराबर ड्रिलिंग का काम अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड करता है। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का काम प्रतिदिन यह बोर्ड कर रहा है। पिछले एक साल में ब्लास्टिंग का काम 19054 कुओं में किया है। 104 के अन्दर ड्रिलिंग का काम किया है। बोरिंग का काम भी किया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि काश्तकारों की मांग है। रुपयों की कमी है। 20 लाख का और प्रोवीजन रखा है। ताकि जल्दी ही ट्रके लेकर हर एरिया में जहां मांग हो जल्दी से पहुंचा जा सके, ट्यूब वेल खोदा जा सके। लोगों के लिये यह काम डिफिकल्ट न रहे।

अन्त में मैं आभारी हूं कि आपने मुझे धैर्य से सुना। बहुत से मुद्दों का आवश्यक होते हुए भी जवाब न दे पाया होऊं। फिर भी इस बात की कोशिश करूंगा कि उनके ठोस सुझावों पर अमल कर सकूं।

आशा करता हूं कि जो चार मांगें सदन में प्रस्तुत की हैं उनको आप पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 4,72,65,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री विजयसिंह रावत : मुगले आजम का ढंग बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 32 पशु पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(अकेले के द्वारा ना कहे जाने पर)

श्री विजयसिंह रावत : आप लोगों के लिये तो कहना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 95 कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री विजयसिंह रावत : (स्वयं अकेले के द्वारा ना कहने पर और हंसने पर) मैं अकेला ही काफी हूं आपके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,27,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9-6-67 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6.32 म०प० शुक्रवार दिनांक 9 जून, 1967 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(कृपया प्रश्न सं०321 का उत्तर देखिये)

संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ का पाली द्वारा दिनांक 26-5-66 के जिलाधीश को प्रस्तुत मांग पत्र

माननीय जिलाधीश महोदय,

आपकी सेवा में इस मांग पत्र द्वारा हम आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना आवश्यक समझते हैं—

1. हमने सदैव राज्य सरकार की सेवा में निवेदन किया है कि सरकार बढ़ने वाली महंगाई को रोकने में असमर्थ है अतः केन्द्र की तरह एक वेतन आयोग की नियुक्ति करें और आयोग की सूचना अनुसार मुल्य की वृद्धि के साथ-साथ महगाई भत्ते में वृद्धि की जावे परन्तु राज्य सरकार हमारी इस मांग को हमेशा सिद्धांतहीन अल्प वृद्धि का आधार, मानकर टालती रही है, जिससे हमारी आर्थिक दशा बद से बदतर हो रही है अतः सरकार को हमारी इस उचित मांग को लेकर शीघ्र ही कार्यरूप में परिवर्तित करना चाहिये।

2. केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एक ही स्थान पर होते हुए सदैव समान कार्य करते हैं परन्तु परिश्रमिक के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते में बहुत बड़ा अन्तर है और इस अन्तर में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जो एक समाजवादी सरकार के लिए कलंक है, अतः केन्द्रीय सरकार को इस भेदभाव को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार को मदद भी देनी चाहिये तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के भेदभाव को मिटा कर देश में समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

3. पाली एक उद्योग प्रधान नगर है तथा जिला केन्द्र होने के साथ-साथ उम्मेद मिल जैसी मिल का स्थान है जिससे आबादी की वृद्धि और मकानों की कमी का विशेष कारण है नगरपालिका द्वारा लगाये गये मकान टैक्स का भी यहां के मकानों के किराये पर सीधा असर पड़ता है। अतः जिस प्रकार राजस्थान के अनेक स्थानों पर मकान किराया दिया जाता है उसी प्रकार यहीं की विषम परिस्थितयों पर दृष्टिपात करते हुवे यहां भी मकान किराया मिलना चाहिये।

4. विशिष्ट वेतन श्रृंखलाओं का निर्णय कर्मचारी सेवाकाल के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिये तथा पदोन्नति के लिए प्रत्येक सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारियों का विशिष्ट स्थान व संख्या नियत होनी चाहिये जो किसी भी हालत में 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये।

निवेदक,
संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ, पाली।

परिशिष्ट 2

(कृपया प्रश्न संख्या 323 का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(*Cabinet Secretariat*)

No. F. 8 (39) Cab- 63,

Jaipur, 28th March, 1967,

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 5 A of the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1956, (Rajasthan Act 43 of 1956), the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment to the Rajasthan Ministers (Concessions on account of Electricity and Water) Rules, 1955, namely :—

AMENDMENT

For the existing rule 2 of the said Rules the following Rules shall be substituted with effect from 1st April, 1965, namely :—

2. Concessions on account of electricity and water :–

For the purposes of section 5A of the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1956, (Rajasthan Act, 43 of 1956), each Minister shall be entitled to the concession of payment by Government for him and on his behalf, throughout his term of office, of all charges due from him on account of consumption of electricity and water at his residence, provided that such payment shall not exceed the limits sepecified below :—

S.No.	Place of residence	Electricity	Water
1	2	3	4
1.	Chief Minister	Rs. 3,000/— per annum	Rs. 1,800/— p. a.
2.	Other Ministers.	Rs. 1,800/— per annum	Rs. 900/ — p. a.

By order of the Governor,

K. P. U. Menon

Chief Secretary to the Government.

No. F. 8 (39) Cab/63 Dated, Jaipur, the March, 1963

Copy forwarded for information to:—

1. All Secretaries to Govt./Addl. Secys. to Govt.
2. The Secretary to the Governor.
3. The Accountant General Rajasthan, Jaipur.
4. The Registrar, Government Secretariat, Jaipur.
5. The Accounts Officer, Govt, Sectt., Jaipur.
6. The Chairman, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur.
7. The Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Jaipur.
8. The Supdt , Government Central Press, Jaipur, for publication in the next issue of the Rajasthan Raj Patra, under intimation to this Secretariat.

Copy also forwarded to :—

1. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with reference to his letter No. F. 34 (200)RLA/66, dated 17th September, 1966 and in continuation of this Secretariat letter of even number, dated 25th October, 1966.
2. The Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur.
3. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.

L. N. LADDHA

Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट 3

(कृपया प्रश्न संख्या 324 का उत्तर देखिये)

क्र.सं.	साल	कितने मामले दर्ज हुए।	कहां कहां पर	इन मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।	कहां कहां पर		कितने व्यक्तियों पर जुर्माना व कितनों पर सजा हुई।	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	6		7	8
1	1965	21	(1) रेल्वे कालोनी गंगापुर सीटी पी० एस० गंगापुर सीटी।	61	(1) रेल्वे कालोनी, गंगापुर	(1)	सजा 15, रिहा 3, बरी 2, प० ट्रायल 41	
			(2) मौजा शेखपुरा, पी०एस० गंगापुर सीटी।		(2) मौजा शेखपुरा	(8)		
			(3) ,, फलेवाड़ा ,, ,,		(3) ,, फलेवाड़ा	(1)		
			(4) सिन्धी कालोनी, गंगापुर		(4) ,, सिन्धी कोलोनी गंगापुर	(1)		
			(5) मौजा तलावड़ा पी.एस. गठपोरा		(5) ,, तलावडा	(6)		
			(6) ,, मेठ्या पी.एस. हिन्डोन		(6) ,, जहाजपुर	(5)		

1	2	3	4	5	6	7	8
			(7) मौजा कारदो पी.एस हिण्डोन		(7) मौजा जहाजपुर (5)		
			(8) ,, जहाजपुर ,, ,,		(8) ,, खेड़ी (1)		
			(9) ,, खेड़ा ,, ,,		(9) ,, कड़ावल (3)		
			(10) ,, खंड़ावल पी.एस. टोडाभीम		(10) ,, गजनपुरा (1)		
			(11) ,, बंजनपुरा ,, ,,		(11) ,, कस्बा टोडाभीम (1)		
			(12) ,, कस्बो टोमीम ,,		(12) ,, मोजा मान्वोज (6)		
			(13) ,, मान्नाड टोडा भीम		(13) ,, गंगवाड़ा (1)		
			(14) ,, गंगवाड़ा पी.एस. जोली		(14) ,, श्योसिंहपुरा (5)		
			(15) ,, श्योसिंहपुरा ,, ,,		(15) ,, कोमीदा (2)		
			(16) ,, दामोदा पी.एस. खाजनाडूंगर		(16) ,, रघुवटी (1)		
			(17) ,, रघुवटी पी.एस. मलारनाडूंगर		(17) ,, मौडोंसी (9)		
			(18) ,, माडींती ,, ,,		(18) ,, मंडावल (3)		
			(19) ,, पी.एस. मंडायल		(19) ,, सपोटरा (4)		
			(20) ,, पी.एस. सपोटरा		(20) ,, करौली (1)		
			(21) ,, ,, करौली				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1966	18	(1) मौजा उदई कलां पी.एस. गंगापुर सीटी	73	(1) उदई कलां	(1) सजा बरी जैर	तफतीश
			(2) टोकनी ,, ,,		(2) टोकसी	(3) 1 1 2	
			(3) वामनवास कस्बा पी.एस.जुडमोरा		(3) वामनवास	(1) जैर तजबीज	
			(4) ,, कलाखाना पी. एस. हिन्डोन		(4) मौजा कलाखाना	(3)	
			(5) ,, खेडा ,,		(5) ,, खेडा	(18) 69	
			(6) ,, हाडोली पी.एस. महवा		(6) ,, हाडोली	(2)	
			(7) ,, बरवाडा पी.एस.सवाईमाधोपुर		(7) ,, बरवाडा	(14)	
			(8) ,, रेल्वे कालोनी सवाई माधोपुर		(8) ,, रेल्वे कालोनी स. माधोपुर	(1)	
			(9) ,, मिश्वरा पी.एस. बोली		(9) ,, मियसा	(2)	
			(10) ,, बेरोडा पी.एस. मलारनाडूगर		(10) ,, बेराडी	(3)	
			(11) ,, खाटकेला ,, ,,		(11) ,, खाठकला	(14)	
			(12) ,, शियापुरा पी.एस. खडार		(12) ,, शिवपुरा	(2)	
			(13) ,, पी.एस. महारयल		(13) ,, मछोयला	(2)	
			(14) ,, सपोटरा		(14) ,, सपोटरा	(2)	
			(15) ,, (3) करौली		(15) ,, करौली	(5)	
2	1967 (13-3-67)	2	(1) मौजा कोटवास आर. पी.एस. हिन्डोन (2) कस्बा महुवा।	2	(1) मौजा कोटवास आर.पी.एस. हिन्डोन	जैर तजबीज अदालत 2	

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसील सराड़ा के शिक्षित व्यक्तियों पर रिलीफ कार्यों पर कार्य करने पर प्रतिबन्ध

333. श्री देवी लाल : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा के अकालग्रस्त गांवों के पढ़े लिखे भूख से पीड़ित व्यक्तियों को रिलीफ कार्यों में लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पाबन्दी लगी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण के कार्य जिन स्थानों के लिये मन्जूर किये थे वे सभी काम चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, उदयपुर, जिले की सराड़ा तहसील में कुल 12 भू-संरक्षण कार्य स्वीकृत हुवे थे जिनमें से 6 कार्य सम्पन्न होने से बन्द हो गये। अन्य कार्य चल रहे हैं।

सवाई माधोपुर में अस्पताल खोलने की योजना

334. श्री हरि बल्लभ शर्मा : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सवाई मधोपुर में डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल 25 बेड्स का निर्माण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकार हुई थी ?

(2) यदि हां, तो कब और कितनी ?

(3) क्या अस्पताल भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा साइट भी अनुमोदित कर दी गई थी ?

(4) यदि हां, तो फिर उक्त भवन निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? तथा उक्त राशि किस काम में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई ?

(5) क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल, सवाई माधोपुर में बनाये जाने हेतु कोई योजना इस वर्ष राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(6) यदि हां, तो इसका काम कब से आरम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, सवाई माधोपुर में एक 50 बेड्स का अस्पताल निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा राशि स्वीकृत हुई थी।

राज्य सरकार ने इस बारे में दिनांक 29-9-61 को 5.95 लाख रुपयों की स्वीकृति प्रदान की थी।

जिलाधीश, सवाई माधोपुर के पत्रांक 379, दिनांक 2-2-62 द्वारा राज्य सरकार को लैण्ड एक्वायर के नोटिफिकेशन हेतु लिखा था, परन्तु कुछ शासकीय कठिनाईयों के कारण दिनांक 14-1-66 को अस्पताल भवन के लिये जमीन दी हैं।

Page No. 156

धनराशि के अभाव के कारण यह काम अभी तक चालू में नहीं लिया गया। सन् 1966-67 से राज्य सरकार ने इसके लिये 50,000 रुपये की धनराशि, पत्रांक एफ. 11(4) एम. पी. एच./62, दि० 6-8-66 को मुख्य अभियन्ता पथ एवं भवन निर्माण राजस्थान जयपुर को दी। परन्तु नवीन निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध आ जाने से वह काम कार्यान्वित नहीं हो सका।

सवाई माधोपुर में इस वर्ष एक 25 बेड्स का अस्पताल बनाने की योजना अभी विचाराधीन है। परन्तु अभी इकोनोमिक कट के कारण कोई नया काम हाथ में लेना संभव नहीं है। ज्योंही धनराशि उपलब्ध होगी, इस अस्पताल के निर्माण का कार्य चालू कर दिया जावेगा।

कोटा नगर में सिन्धी शरणार्थियों को आवास सुविधा

335. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में अभी तक सिन्धी शरणार्थी गन्दी कोलोनीज में केम्प बनाकर रह रहे हैं ?

(2) अगर हां, तो यह कैम्प कहां कहां पर हैं व इनमें कितने कितने परिवार कब से रह रहे हैं ?

(3) क्या सरकार ने इनको बसाने व आवास सुविधा देने के लिए कोई योजना बनाई है ?

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

गांधी सागर बांध से बिजली सप्लाई में कमी की समस्या

336. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी सागर से साधारणतया बिजली की सप्लाई कितनी होनी चाहिये थी ?

(2) पिछले वर्ष कितनी बिजली की सप्लाई हुई ?

(3) गांधी सागर से मिलने वाली बिजली के इस अप्रत्याशित अकाल को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने भविष्य के लिये क्या सोचा है ?

(4) क्या सरकार इस कटु अनुभव के बाद राज्य में थरमल पावर स्टेशन बनाने पर ध्यान देगी ताकि वक्त बेवक्त इस तरह के विद्युत संकट से राज्य को बचाया जा सके ?

उत्तर

गांधी सागर से साधारणतया एक साल में 4,204.8 लाख युनिट्स उत्पादित होने चाहिये। इसका आधा हिस्सा राजस्थान का है। अत: 2,102.4 लाख युनिट प्रतिवर्ष राजस्थान को मिलने चाहिये।

575.45 लाख युनिट प्राप्त हुए।

जैसा कि सदन की मेज पर दिये गये पत्र से विदित होगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल इसके लिए पूर्ण प्रयत्नशील है।

जी हां।

ग्राम कुई इन्दा, बालेसर तहसील, शेरगढ़ में अकाल

337. श्री खेतसिंह : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील शेरगढ़ के कुई इन्दा कुई जोधा, बालेसर, दुर्गावत, नाथडाऊ, ठाडिया, चांदमा बुड किया गांवों के लिये पटवारी रेवेन्यू इन्सपेक्टर व तहसीलदार की क्या रिपोर्ट गत वर्ष अकाल के संबंध में थी ?

उत्तर

शेरगढ़ तहसील के उक्त गांवों के लिये पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर एवं तहसीलदार की गत वर्ष अकाल के सम्बन्ध में रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

क्र० सं० नाम ग्राम	रिपोर्ट पटवारी खराबा आने में	रिपोर्ट रेवेन्यू इन्सपेक्टर खराबा आने में	रिपोर्ट तहसीलदार, शेरगढ़, (फसल का खराबा आने में)
1—कुई इन्दा	8	8	8 आने से कम
2—कुई जोधा	12	12	10 आने से 12 आना
3—बालेसर दुर्गावता	12	12	8 आने से 10 आना
4—नाथड़ाऊ	नहीं	नहीं	8 आने से कम
5—ढाड़िया	4	4	8 आने से कम
6—चान्दसमा	6	6	8 आने से 10 आने
7—बुड़किया	8	8	8 आने से कम

ग्राम हिन्डोली के रेगर मोहल्ले में बिजली सप्लाई

338. श्री केसरी सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि ग्राम हिन्डोली (जिला बूंदी) में रेगरों के मोहल्ले में व रामदेवजी के मंदिर के पास बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक बिजली दिये जाने की व्यवस्था हो जायेगी ?

उत्तर

रेगरों के मोहल्ले में व रामदेवजी के मंदिर के पास बिजली की मांग नहीं होने से वहां पर बिजली नहीं दी गई है ।

Page No. 158

मेसर्स केमिकल लाइन्स मून्डवा को चूने के पत्थर की खान का ठेका

339. श्री मदनसिंह दांता : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के ग्राम मारवाड़ मूंडवा की फर्म मेसर्स केमीकल लाइन्स को चूने का पत्थर निकालने के लिये कितनी जमीन अलाट की गई ? और आज उनके पास कितनी जमीन है ?

(2) खान में काम करते हुए आज तक कितने बिस्फोट हुए ? और उन खान के विस्फोटों में आज तक कितनी जानें गई ?

(3) केमीकल लाइम्स की इन पत्थर की खानों में भविष्य में कभी विस्फोट नहीं हो सके, इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ? और केमीकल लाइन्स के मालिकों को क्या हिदायतें दी है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील बांसवाड़ा के आदिवासियों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे

340. श्री विट्ठल : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा में आदिवासियों की काश्त की भूमि दूसरी जातियों के कब्जे में है ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासियों की जमीन अन्य जातियों के लोग नहीं रख सकते हैं ?

(3) यदि हां, तो ऐसे कितने आदिवासियों की जमीनें दूसरी जातियों के लोगों के कब्जे है ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(2) जी हां

(3) ऐसा कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

उदयपुर पेस्टिसाइड्स कारखाने को आयात का लाइसेन्स

341. श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मेटल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ने उदयपुर में पैस्टिसाइड्स बनाने का कारखाना स्थापित किया है ? यदि हां तो इस फैक्ट्री ने अब तक किस किस प्रकार के माल का कब कब आयात किया है ? तथा इसको कितने माल के आयात करने का लाइसेन्स या एसेन्सियलिटि सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुआ था ?

(ख) इस फैक्ट्री को कारखाना स्थापित करने के लिए जमीन का अलॉटमेंट कब और किस प्रकार से हुआ है ?

(ग) इस फैक्ट्री ने उत्पादन कब से आरम्भ किया और अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना उत्पादन हुआ ?

(घ) आयातित माल में किस किस वर्ष में कितने कितने माल का उपयोग हुआ है ?

उत्तर

जी हां। इस फैक्ट्री में अब तक निम्नलिखित माल आयात किया है :—

		प्राप्ति की तारीख
1. एल्ड्रीन 1560 किलोग्राम		30-9-65
2. एल्ड्रीन 1599	,,	,,
3. लिन्ड्रेन 1850	,,	,,
		व 6-11-65

इस पार्टी को 80,000 रु० का ई० सी० दिया गया था जिसमें से इनको 64,000 रु० का लाइसेन्स मिला जिसका उन्होंने उपरोक्त माल आयात किया। इसके अलावा इस पार्टी को 26,400 रु० का लाइसेन्स सेविंग आयात करने हेतु संयुक्त मुख्य आयात निर्यात नियन्त्रक, नई दिल्ली में यू० एस० ऐड० योजना के तहत जारी किया जोकि पार्टी में लाइसेन्सिंग अधिकारी को लौटा दिया।

इस इकाई को 2 एकड़ जमीन औद्योगिक संपदा क्षेत्र, उदयपुर में दिनांक 9-3-65 को आवंटित की गई थी। यह जमीन इनको राजस्थान स्टेट ऐड टू इन्डस्ट्रीज (अलोटमेंट आफ सेल्स इन इन्डस्ट्रियल स्टेट्स) रूल्स 1964 के तहत की गई।

पावर कनेक्शन मिलने के उपरान्त इस युनिट ने 31-3-66 से उत्पादन प्रारंभ किया और 28-3-67 तक इन्होंने निम्न वस्तुओं का निर्माण किया :—

एल्ड्रीन डस्ट (5%)	28–235	मैट्रिक टन
,, ई०सी० (30%)	96	लीटर्स
डैल्ड्रीन ई०सी०(18%)	250	,,
लीन्ड्रैन ई०सी०(25%)	25	,,
,, डस्ट(0–65%)	10–300	मै० टन

इस यूनिट ने 28-3-67 तक आयातित माल का निम्न ढंग से उपयोग किया :—

एल्ड्रीन	1560	किलोग्राम
डैल्ड्रीन	49	,,
लीन्ड्रैन	36	,,

तहसील दूदू में भूमिहीनों को सिवाय-चक भूमि का आवंटन

342. श्री सुवालाल चौधरी:- क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील दूदू में कितने भूमिहीनों को सन् 60 से 66 तक सिवाय चक भूमि अलॉट हुई है। इनसे लगान क्या 6 साल का इकट्ठा लिया जा रहा है? अगर हां, तो ऐसा क्यों?

उत्तर

तहसील दूदू में सन् 1960 से 1966 तक 4098 भूमिहीन व्यक्तियों को 23932 एकड़ भूमि अलाट की गई। अलाट शुदा भूमि का पूर्व वर्षा से सैटिलमेंट से निर्धारित बंजड़ की दर के अनुसार लगान कायम किया जाकर वसूल प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। लेकिन अलॉट शुदा भूमि का लगान बारानी की रेट से वसूल होने का आक्षेप आडिट में आने पर लगाने के फर्क की वसूली की कार्यवाही अब तहसील द्वारा की जा रही है।

जयपुर से अलवर ट्रांसमिशन लाइन

343. श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर से अलवर तक 132 के. पी. की ट्रांसमिशन लाइन डालने का निर्णय लिया था और इस लाइन को प्राथमिकता देकर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर अन्दर ही पूरा करने का निश्चय किया था?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि इस ट्रांसमिशन लाइन के डालने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस ढिलाई का क्या कारण है ? इस लाइन को डालने का जितना जितना कार्य पूरा हो चुका है उसका विवरण बताने का कष्ट करें।

(3) अलवर जिले की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार का इस जिले को कौन से बिजली सप्लाई सिस्टम से जोड़ने का इरादा है ? और कब तक जोड़ने का इरादा है ? क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्य प्राथमिकता पर चालू है। पूरी लाइन 92 माइल में से 90 माइल तक स्टब सेण्टिग, 89 माइल के ऊपर टावर खड़े कर दिये हैं और आगे का कार्य चालू है।

(3) जयपुर ग्रिड सब स्टेशन से दिसम्बर, 67 । जनवरी 68 तक जोड़ने का हैं, जब कि राणा प्रताप सागर बांध के बिजली घर का एक युनिट चालू होने का कार्यक्रम है। यह जोड़ने का निश्चय लाइन के कार्य शुरू होने के पहले से ही किया हुआ है।

भाखरा नहर के असिंचित क्षेत्रों में खातेदारी हक

344. श्री हंसराज आर्य : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भाखरा क्षेत्र में ऐसे गांवों में सरकार हकूक खातेदारी देने का निर्णय शीघ्र कर रही है जो भाखरा जोन में तो आ गये हैं परन्तु आज तक उन गांवों में एक इन्च भूमि में पानी नहीं लगा है और ना ही भविष्य में पानी लगने की सम्भावना ही है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे गांवों को हकूक खातेदारी देने के सम्बन्ध में भाखरा के एस. ई. तथा कोलोनाइजेशन विभाग के डायरेक्टर और उस समय के बीकानेर डिविजन के कमिश्नर ने यह सिफारिश की कि ऐसे सभी गांवों के किसानों को हकूक खातेदारी दे दिये जावें जिन गांवों की भूमि में आज तक न तो पानी लगा है और न ही भविष्य में लगने की सम्भावना है ?

(3) क्या गांव भीराणी, सूरतपुरा, अमरपूरा, गंगासिंहपुरा, डोमी, धोलपालिया, ढील की जाटाने, ढील की चायलान, उजलवास, ललानावास शोपुरा, वड विराना, करोती, चक सरदारपुरा, कस्बा नोहर भूकरका, देईदास भगवान, ढाणीलालखां, और ढ़ढ़ेरा को कभी पीने के लिए पानी दिया गया है ?

(4) ऐसे गांवों को भाखरा क्षेत्र में रख कर किसानों को हकूक खातेदारी से क्यों वंचित रखा गया है ?

(5) इन गांवों को कब तक भाखरा नहर क्षेत्र से निकाल कर हकूक खातेदारी दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, यह विषय विचाराधीन है।

(2) जी हां, यह विषय भी सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां, जो गांव भाखरा क्षेत्र में आते हैं उनको पीने के लिए पानी दिया जाता रहा है। जो भाखरा क्षेत्र से बाहर है उन गांवों को पानी नहीं दिया जा रहा है।

(4) क्योंकि उक्त गांवों को भाखरा कालोनी क्षेत्र से बाहर घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(5) निर्णय हो जाने के पश्चात्।

राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच से लिफ्ट से सिंचाई

345. श्री रामचन्द्र आर्य: क्या राजस्थान कैनाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर ग्राम ढंढेला, टोपरियां, भगवान, देईदास आदि में राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच से लिफ्ट से सिंचाई करने की स्कीम तैयार की गई थी उस स्कीम के लिए अब राज्य-सरकार की ओर से क्या प्रगति हुई है?

(2) अगर उपरोक्त स्कीम के कागजात तैयार हो गये हैं तो फिर यह कार्य सरकार कब चालू करने का विचार रखती है?

(3) उपरोक्त ग्रामों की कितनी एकड़ भूमि लिफ्ट से सिंचाई होने के काबिल है?

(4) क्या सरकार सिंचाई में उक्त ग्रामों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

उत्तर

स्कीम अभी राजस्थान नहर मंडल के विचाराधीन है। कार्य तब शुरू किया जा सकेगा जब कि केन्द्रीय सरकार से इस स्कीम की मंजूरी मिल जायेगी।

उपरोक्त स्कीम से 24, 696 एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

योजना स्वीकार होने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

खाद्य निरीक्षक पर कातिलाना हमला एवं लूट का मामला

346. श्री प्रद्युम्न सिंह: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भरतपुर जिले के कोलारी थाने के अन्तर्गत दिनांक 3 मई 1967 को स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक, धौलपुर के ऊपर सेपऊ नामक स्थान पर जो कातिलाना हमला हुआ तथा माल की लूट हुई उसमें अपराधियों के विरुद्ध कोई केस दर्ज हुआ या नहीं? यदि दर्ज हुआ तो मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने में पुलिस देर क्यों कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां! इस घटना को लेकर थाना कोलारी पर एक अभियोग नं० 33/67 इ.द. 147/148/332/324 आई०पी०सी० दर्ज हुआ था। तफतीश के दौरान 5 मुलजिमान गिरफ्तार हुए–जिनके जमानत मुचलके लिये गये। मुलजिमान के खिलाफ दिनांक 6-6-67 को अदालत में चालान पेश कर दिया गया है। पुलिस द्वारा कोई देरी नहीं की गई है।

गांवों में बिजली सप्लाई के आधार

347. श्री मूलचन्द कटेवा : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किसी ग्राम को सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये क्या आधार हैं और किसी ग्राम को प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम तैयार किया है कि जिन ग्रामों की भूमि अधिक उपज देने वाली है उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जावे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु निम्नलिखित आधारों पर प्राथमिकता दी जाती है :–

1. ग्राम प्रसारण लाइन के समीप हो,

2. ग्राम की विद्युतिकरण योजना लाभप्रद हो,

3. कृषि उत्पादन क्षमता अधिक हो ।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्राप्त धनराशि को दृष्टि में रखते हुए प्रति वर्ष योजना तैयार की जाती है ।

धनराशि के प्रावधान होने पर ही आर्थिक योजना बनाई जाती है । क्योंकि इस वर्ष के लिये अभी तक इस कार्य हेतु कोई धनराशि निश्चित नहीं हुई है इसलिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

चम्बल क्षेत्र में भूमि कटाव संरक्षण योजना

348. श्री जूझारसिंह : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल क्षेत्र में जमीन का सर्वे करके कृषि विभाग द्वारा भूमि के वितरण व उपयोग की योजना बनाई गई थी और उसमें बहुत सी ऐसी जमीन को ढलान व कटाव ग्रस्त होने के कारण अलॉट नहीं करने की सलाह दी थी ? यदि हां, तो ऐसी कितनी जमीन थी जिसे सरकार को बेचान या एलॉट करने से रोका गया था ?

(2) क्या यह सही है कि कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा ऐसी अनुपयोगी जमीन का बेचान किया गया है और यदि हां, तो कितना और कितनी लागत का ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने भूमि संरक्षण की दृष्टि से कोटा क्षेत्र का व्यापक सर्वे नहीं किया हुआ है जिसके कारण चम्बल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी भूमि कटाव बराबर बढ़ता जा रहा है ? सरकार इस विषय में आगे क्या विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. जी नहीं ।

3. जी हां, कोटा बांध पूर्ण होने के कारण अब इसकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं महसूस की जाती है । किन्तु दूसरी नदियों के कटाव क्षेत्र का सर्वे कराने का विचार सरकार कर रही है ।

बारां पंचायत समिति क्षेत्र में गांवों को बिजली

349. श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां पंचायत समिति क्षेत्र के किस-किस गांव के नागरिकों ने खेती के लिये कुओं पर बिजली मोटर्स लगाने के लिये बिजली के कनेक्शन की मांग कितने समय से कर रखी है ?

(2) क्या कोयला ग्राम में खेती के लिये बिजली दे दी गई है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं दी ?

(3) क्या सरकार ने बारां पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में खेती के लिये बिजली सप्लाई करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो कब तक किन किन गांवों में दे दी जावेगी ?

उत्तर

1. पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. कोयला ग्राम किसी भी एप्रूव्ड स्कीम में नहीं था। अतः इसका विद्युतिकरण नहीं किया गया।

3. बारां पंचायत समिति के पांच गांवों का विद्युतिकरण वर्ष 1966-67 में कर दिया गया है। आगे के लिये इस समय निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सूची

(कृपया प्रश्न संख्या 349 का उत्तर देखिये)

बारां पंचायत समिति के विभिन्न गावों में कृषि कार्य हेतु प्रार्थना-पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	प्रार्थी का नाम	प्रार्थनापत्र देने की तारीख	कनेक्शन दिया या नहीं अगर नहीं, देने का कारण
1	2	3	4
1.	श्री कन्हैयालाल तिवाड़ी	14-2-66	दे दिया गया
2.	,, सुन्दरलाल	15-2-66	दे दिया गया
3.	,, गुलाब चन्द	28-2-66	डिमान्ड की रकम नहीं जमा कराई
4.	,, बृजमोहन	1-3-66	कनेक्शन दिया
5.	,, नाथूलाल	25-2-66	डिमाण्ड की रकम नहीं जमा कराई
6.	,, भंवरलाल	2-3-66	डिमाण्ड की रकम नहीं जमा कराई
7.	,, रामप्रताप दास	2-3-66	मोटर की फिटिंग नहीं कराई
8.	,, रामनारायण माली	14-5-66	कनेक्शन दिया गया
9.	म्यूनिसिपल बोर्ड बारां	24-3-66	डिमांड नोटिस की रकम जमा नहीं हुई
10.	श्री देवीदत्त गाडिया	23-3-66	कनेक्शन दिया गया
11.	,, गिरवरलाल शर्मा	16-2-66	नॉट फिजियेबिल
12.	,, देवीलाल शर्मा	28-3-67	डिमाण्ड की रकम जमा नहीं हुई
13.	,, रघुनाथ	16-7-66	डिमाण्ड की रकम जमा नहीं हुई
14.	हैड मास्टर गवर्नमेन्ट सेकण्डरी स्कूल	9-8-66	कनेक्शन दिया गया
15	श्री हीरालाल	22-6-66	नॉट फिजियेबिल
16.	,, साधू आइल मिल	27-8-66	मोटर की फिटिंग नहीं हुई
17.	,, हीरालाल जाट	13-10-66	डिमांड नोटिस की रकम जमा नहीं हुई
18.	,, गोपीलाल रामनारायण	13-10-66	डिमांड नोटिस की रकम जमा नहीं हुई
19.	,, कन्हैयालाल मीणा	13-10-66	रकम जमा नहीं हुई
20.	,, भंवरलाल रावत	31-10-66	नॉट फिजियेबिल
21.	,, नारायण लाल	21-11-66	रकम जमा नहीं कराई
22.	,, भंवर लाल	8-12-66	रकम जमा नहीं कराई
23.	,, जौहरी की मस्जिद	28-12-66	नॉट फिजियेबिल
24.	,, कन्हैया लाल	9-1-67	रकम जमा नहीं कराई
25.	,, राधा भाई	9-1-67	रकम जमा नहीं कराई

1	2	3	4
26.	श्री राम प्रसाद	16-1-67	रकम जमा नहीं कराई
27.	,, दौलत राम	16-1-67	रकम जमा नहीं कराई
28.	,, हीरालाल	16-3-67	रकम जमा नहीं कराई
29.	,, तेजकरण	30-3-67	रकम जमा नहीं कराई
30.	,, दुर्लभ चन्द	12-4-67	रकम जमा नहीं कराई
		दुर्जन पुरा	
31.	श्री लाल बहादुर	14-2-66	कनेक्शन दिया गया
32.	,, लक्ष्मीनारायण	15-2-66	रकम जमा नहीं कराई
33.	,, कन्हैयालाल खत्री	13-2-66	कनेक्शन दिया गया
34.	,, नारायण लाल	21-11-66	रकम जमा नहीं हुई
35.	,, कल्याण प्रसाद	21-11-66	रकम जमा नहीं हुई
36.	,, कन्हैयालाल सुखदेव	21-11-66	रकम जमा नहीं हुई
37.	,, जयालाल वासुदेव	21-11-66	रकम जमा नहीं हुई
38.	,, धन्नालाल	21-11-66	रकम जमा नहीं हुई
39.	,, भ्रमरलाल पन्नालाल	8-12-66	रकम जमा नहीं हुई
40.	,, पन्नालाल	8-12-66	रकम जमा नहीं हुई
		यामला	
41.	श्री बाबूलाल बिरदीलाल	10-2-67	कोई कार्यवाही नहीं की।
42.	,, कन्हैयालाल मदनलाल	10-2-67	
43.	,, रामगोपाल शर्मा	10-2-67	
44.	,, महावीरलाल माली	10-2-67	
45.	,, सोभागमल जैन	11-2-67	
46.	समिति ग्राम पंचायत	11-2-67	
47.	श्री धन्नालाल	11-2-67	
48.	,, रामकरण	11-2-67	
49.	,, रामचन्द्र	11-2-67	
50.	,, जगन्नाथ	11-2-67	
51.	,, बन्शीधर	28-4-67	
52.	,, मनी लाल	28-4-67	
53.	,, मदन लाल	27-5-67	

कोटा शहर के किनारे चम्बल नदी में पानी का अभाव

350. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा बेराज के बांध के निर्माण के बाद से शहर के किनारे किनारे बहने वाली नदी में पानी की सतह बहुत कम रह गई है ?

(2) क्या यह सही है कि पानी की कमी के कारण पानी पर बेलें छा जाती हैं तथा इससे पानी में कीड़े पड़ जाते हैं ?

(3) सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. इस विभाग का कार्य क्षेत्र कोटा बेरेज पर ही समाप्त हो जाता है।

जिला सवाई माधोपुर में दुर्घटनाओं से जान माल की क्षति

351. श्री श्रवणलाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) सवाई माधोपुर जिले में सन् 1966–67 में सड़क पर कितने एक्सीडेन्टस हुए और कहां-कहां पर हुए हैं ?

(ख) उनमें जान माल का कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) उपरोक्त एक्सीडेन्ट्स के मुख्यतया क्या क्या कारण रहे हैं और उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं।

उत्तर

1. सवाई माधोपुर जिले में सन् 66 में 27 एक्सीडेन्ट्स व सन् 67 में 14 एक्सीडेन्ट्स हुए जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. इस अवधि में 31 व्यक्ति मरे, 16 पशुओं की क्षति हुई, 1 बस में आग लगी। कुछ साइकिलें व तांगों को भी नुकसान हुआ।

सन् 67 में ऐसे एक्सीडेन्ट्स में 11 व्यक्ति मरे, 3 बसें टूटी तथा एक बैल तांगे को नुकसान हुआ।

3. इनको रोकने के लिये पुलिस द्वारा frequent checking व कानून भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है।

सूची

(कृपया प्रश्न संख्या 351 का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	तादाद एक्सीडेन्ट जो सन् 1966 में सड़कों पर दर्ज हुए	कहां कहां पर हुए	नुकसान जान	नुकसान माल	एक्सीडेन्ट्स के मुख्यतया क्या क्या कारण रहे हैं	रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8
		(1) हार जंगल मोजा वामन बड़ौदा गंगापुर से जयपुर रूट पी.एस. गंगापुर । (2) गंगापुर से दौसा रूट 4 मील पी०एस० गंगापुर (3) करौली जयपुर रूट पी०एस० गंगापुर रूट । (4) कस्बा गंगापुर (5) सड़क नई मन्डी हिन्डौन (6) सड़क जाट की सराय पी.एस. हिन्डौन (7) सड़क मौजा अंचरौली पी.एस. हिन्डौन	20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई	16 जानवरों द्वारा (एक्सीडेन्ट) बसों में आग लगना सड़क पर साइकल तांगा इत्यादि से टक्कर लगना	(1) सड़कों का कम चौड़ा होना (2) ड्राइवरों की लापरवाही व तेजी से व्हीकल को चलाना । (3) व्हीकल की कंडीशन ठीक नहीं होना । (4) ट्रैफिक का ज्यादा आवागमन रहना इत्यादि ।		

1	2	3	4	5	6	7	8
		(8) डेम्परोड़, हिन्डौन					
		(9) स्थान तिवारा हिन्डौन महुग्रा रूट पी०एस० हिन्डौन					
		(10) स्थान मौजा खेड़ा, हिन्डौन					
		(11) स्थान जेलसेन के पास ,,					
		(12) फॅलिका परा ,, करौली हिन्डौन रूट					
		(13) मौजा करोई का रास्ता हिन्डौन मंहुग्रा रूट					
		(14) मंहावीर स्टेशन के पास					
		(15) स्टेशन रोड़ से सवाई माधोपुर रूट पी.एस. सवाई माधोपुर					
		(16) स० माधोपुर से लालसोट रूट पी०एस० सवाई माधोपुर ।					
		(17) स० मांधोपुर से टोंक रूट					
		(18) मौजा मलारना डूंगर					
		(19) स्टेशिन मलारना डूंगर से बोंली					
		(20) बदमान सरोवा पी.एस. हिन्डौन					

1	2	3	4	5	6	7	8
	14.	मौजा घड़ी (1) गंगापुर से जयपुर रूट पी० एस० गंगापुर, (2) मौजा खेड़ा हिन्डौन करौली रूट पी०एस० हिन्डौन । (3) मौजा क्यारदा हिन्डौन महुआ रूट (4) हिन्डौन स्टेशन रूट (5) सड़क हिन्डौन करौली रूट वांदिये नले के पास (6) 2 मील महुआ जयपुर रूट (7) मौजा समलेटी के पास 2 मील जयपुर-महुआ रूट पी.एस. महुआ (8) मौजा गाजीपुर के पास 6 माइल सड़क हिन्डौन महुआ रूट (9) खंडार स० माधोपुर रूट पी० एस० सवाई माधोपुर । (10) टोंक सवाई माधोपुर रूट (11) मौजा राजौर करौली केलादेवी रूट पी०एस० केलादेवी । (12) करौली । (13) बादवां पी०एस० करौली । (14) बारखेड़ा नदी पी.एस. करौली	11 व्यक्ति (मरे)	बस का टूटना व अन्य बैल गाड़ी तांगा से एक्सीडेन्ट होना ।	(1) सड़कों का कम चौड़ा होना (2) ड्राइवरों की लापरवाही एवं तेजी से व्हीकल को चलाना । (3) व्हीकल की कंडीशन ठीक न होना । (4) ट्रैफिक का ज्यादा आवागमन रहना ।		

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक ८ जून, १९६७)

स्तम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१६	६	(श्री केसरीसिंह हाड़ा हिण्डोली)	(श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली)
५३	१५	जिनकी सूची संलग्न है।	जिनकी सूची संलग्न है। (सूची प्राप्त नहीं हुई)
५६	अंतिम से १४	iou	on
७३	१२	मांग संख्या १३	मांग संख्या १८
७५	अंतिम से ३	(विभाग को	(विभाग की
८१	१६	मुख्य शीर्षक २१–	मुख्य शीर्षक ६५–
८६	६	मांग संख्या १३, मुख्यशीर्षक ८१	मांग संख्या १८, मुख्यशीर्षक ३१-
११३	अंतिम से ३	गैर सरकार	गैर सरकारी
११७	१	लेने को	लेने की
११७	१३	हुए भो	हुए भी
११८	७	जो लोग	जो लोग
११६	१८	सदन मैं	सदन में
१२०	२०	नहीं रही ही है।	नहीं हो रही है।
१२४	१७	नौकरी में	नौकरी से
,,	अंतिम से ११	सेक्रेट्री बी	सेक्रेट्री की
१२५	,, ३	वे नाम	के नाम
१२७	३	फैल होने	फेल होने

१	२	३	४
१२७	१५	बारा में	बारां में
१३४	अंतिम	अधिक–	अधि–
१४४	१२	दो जानी	दी जानी
१४६	अंतिम से	पदा कर	पैदा कर
१४८	,, ४	कुग्र में	कुग्रों में
१५३	अंतिम	बाबात	बाबत
१५६	अंतिम से ७	वे इस तरह	इस तरह
१६१	२	कि वे	कि वह